

गुरुवार, 08 अग्रहायण, शक संवत् 1934  
(29 नवम्बर, 2012 ई0)

खण्ड-482  
अंक-4

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज की कार्य-सूची में नत्थी (क) के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के अनुपूरक उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री सुरेश कुमार खन्ना को छोड़कर भाजपा के सभी सदस्य श्री हुकुम सिंह के साथ सदन त्याग कर चले गये।

आज की कार्य-सूची में नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या-7 के उत्तर के समय श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा बार-बार खड़े होकर बोलने का प्रयास किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने उन्हें बैठने के लिये कहा अन्यथा कठोर कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी।

इसी प्रश्न के अनुपूरक उत्तर से असंतुष्ट होकर नेता विरोधी दल ने अपने दल सहित सदन का त्याग किया।

इसी प्रश्न के उत्तर के मध्य पक्ष-विपक्ष द्वारा लगाये गये आरोप-प्रत्यारोप पर फैसले के लिये संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर श्री अध्यक्ष ने जांच हेतु समिति बनाये जाने का आश्वासन दिया।

(श्री सतीश महाना को छोड़कर भाजपा के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निम्नलिखित भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर सदन की ओर से श्री अध्यक्ष ने शोकोद्गार व्यक्त किये :-

श्री रंग बहादुर पटेल,  
श्री उपदेश सिंह चौहान,  
श्री राम कुमार भार्गव,  
श्री अंगने लाल,  
श्री महेन्द्र सिंह राजपूत,  
श्री दिनेश चन्द्र सोनकर,  
श्री छोटे लाल मिश्र,  
श्री हरिकेवल प्रसाद,  
श्री गंगा प्रसाद शर्मा,  
श्री राज कुमार राय,

श्रीमती कमला दरियावादी,  
 श्री सुन्दर पाल सिंह यादव,  
 श्रीमती रामरती देवी,  
 श्री गजेन्द्र सिंह,  
 श्री बसन्त सिंह गहलौत,  
 श्री शिवराज सिंह।

श्री अध्यक्ष ने सदन को यह भी अवगत कराया कि सदन की संवेदना दिवंगत आत्माओं के शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दी जायेगी।

दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।

श्री अध्यक्ष ने विशिष्ट महानुभाव श्री बी० सत्य नारायण रेड्डी (उ० प्र० के पूर्व राज्यपाल) के निधन पर सदन की ओर से शोकोद्गार व्यक्त किया।

श्री अध्यक्ष ने सदन को यह भी अवगत कराया कि सदन की संवेदना दिवंगत आत्मा के शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दी जायेगी।

दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 नवम्बर, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 29 नवम्बर, 2012 से दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

- 1-दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मर्दे ले ली जायं।
- 2-दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को सदन का उपवेशन न हो और उस दिन का पूर्व निर्धारित असरकारी दिवस एवं नियम-103 के प्रस्ताव दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 को ले लिये जायं।
- 3-दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 को सदन का उपवेशन न हो।
- 4-दिनांक 04 व 05 दिसम्बर, 2012 को सदन का उपवेशन हो।
- 5-दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 एवं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 की विचार एवं पारण सम्बन्धी मर्दे ले ली जायं।

6-दिनांक 29 नवम्बर, 2012 से 06 दिसम्बर, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

### नवम्बर, 2012

29 गुरुवार 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।  
2-निम्नलिखित विधेयक पर विचार एवं उसका पारण :-  
उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012

30 शुक्रवार बैठक नहीं होगी।

### दिसम्बर, 2012

01 शनिवार }  
02 रविवार } बैठक नहीं होगी।  
03 सोमवार }

04 मंगलवार 1-असरकारी दिवस (आधा दिन) (दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के स्थान पर)।

2-(1) डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित लम्बित प्रस्तावों पर अग्रतर चर्चा :-

(क) “यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जाय।”

(ख) “यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाय।”

(ग) “यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर के ऐतिहासिक महत्ता के दृष्टिगत आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाय।”

(2) डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित लम्बित प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :-

“यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि काकोरी काण्ड के शहीदों की अविस्मरणीय स्मृति में लखनऊ स्थित प्रधान डाकघर के वर्तमान भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाय।”

**दिसम्बर, 2012**

(3) श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले अल्प आय वर्ग के नागरिकों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु 500 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किया जाय।”

05 बुधवार विधायी कार्य, निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012,

(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012,

06 गुरुवार (सार्वजनिक अवकाश)-बैठक नहीं होगी।

लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि “यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।”

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

आज दिनांक 29-11-2012 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिनमें से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं :-

क्र०सं०	मा० सदस्य का नाम	विषय
1	श्री ललितेशपति त्रिपाठी	जनपद मीरजापुर के पालीटेक्निक परिसर में इंजीनियरिंग कालेज का विधिवत् शिलान्यास होने के बावजूद स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री अजय कुमार लल्लू	जनपद कुशीनगर के ब्लाक दुधई ग्राम सभा गौरी जगदीश में बांसी नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री प्रभु दयाल वाल्मीकि	जनपद मेरठ के नगर हस्तिनापुर में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी	बुलन्दशहर के गुलावटी नगर में आबादी के बीच से गुजर रही विद्युत लाइन को बदलने तथा नगर के बीचों-बीच से हटाकर अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।
5	साध्वी निरंजन ज्योति	हमीरपुर के जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की भारी कमी के कारण मरीजों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

- 6 श्री मुकुट बिहारी वर्मा 21 अगस्त, 2000 से पूर्व खुले अनुदानित महाविद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में।
- 7 श्री अमरपाल शर्मा साहिबाबाद साइड-4, गाजियाबाद में लगी हुई फैक्ट्रियों में भू-गर्भ एवं वायु प्रदूषण से फैल रही बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
- 8 श्री जियाउद्दीन रिजवी जनपद बलिया में धान क्रय केन्द्र न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
- 9 श्रीमती रूबी प्रसाद दबंगों द्वारा गरीब परिवारों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में।
- 10 श्री त्रिलोकी राम विधान सभा क्षेत्र इग्लास अलीगढ़ बाईपास रोड में ऐलाना कट्टीघर की फैक्ट्री के कारण हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में।
- 11 श्री प्रदीप चौधरी जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत कतिपय मार्गों को ठीक करवाने/नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 12 डा० राधामोहन दास अग्रवाल विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि के मार्गदर्शी प्राविधानों में परिवर्तन करके दुर्घटनाग्रस्त तथा बीमार नागरिकों के इलाज के लिये रु० 25 लाख का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।
- 13 श्री पूर्णमासी देहाती उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित पिपराइच चीनी मिल को पुनः चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में।
- 14 श्री गंगा कृषि विभाग द्वारा समस्त भुगतान नेफ्ट/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से इलेक्ट्रोनिकली लाभार्थी के खाते में न भेजकर करोड़ों रुपये गबन किये जाने के सम्बन्ध में।
- 15 श्री दलवीर सिंह अलीगढ़ के बरौली विधान सभा के कतिपय मार्गों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्नों की कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुईं जो अग्राह्य की गयीं।

श्री सतीश महाना ने विधान सभा के विगत सत्र में नियम-301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर कृत कार्यवाही की जानकारी समय पर न मिलने तथा मूलभाव के विपरीत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा विगत सत्र में उनके द्वारा दी गई नियम-301 के अन्तर्गत सूचना का जवाब एक माह के अन्दर मिल जाना चाहिये जिसका जवाब शासन द्वारा गलत और देर से प्राप्त हुआ है, उन्होंने प्रकरण को पुनः दिखाकर सही जवाब समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त कराने की मांग की। श्री सुरेश कुमार खन्ना ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी भी पिछले सत्र में नियम-301 के अन्तर्गत दो सूचनायें स्वीकार हुई थीं, उनका उत्तर अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने उन सूचनाओं का उत्तर दिलाये जाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा समय सीमा के अन्दर उत्तर भेजना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, उन्होंने श्री अध्यक्ष से भी इस सम्बन्ध में अपने स्तर से दिखवाने का अनुरोध किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि हम उन अधिकारियों को बुलवायेंगे ऐसे लोगों के साथ कार्यवाही भी की जानी चाहिये, तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

इसी मध्य श्री हुकुम सिंह ने सदन का कार्यक्रम बढ़ाये जाने हेतु श्री अध्यक्ष एवं संसदीय कार्य मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया।

श्री राम चन्द्र यादव ने सत्र के दौरान जनपद फैजाबाद में विकास कार्यों हेतु जिला योजना समिति की बैठकें बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न उठाने का प्रयास किया, जिस पर श्री अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दिया कि जब सदन चलेगा उस समय ऐसी कोई बैठक नहीं होगी। जिसमें इस सदन के सदस्यगण सम्मिलित होंगे। श्री हुकुम सिंह द्वारा भी इस पर बल दिये जाने पर संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक को निरस्त करवाने का आश्वासन दिया।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल ने मेरठ-मुजफ्फरनगर नेशनल हाईवे-58 पर स्थानीय नागरिकों से टोल टैक्स वसूले जाने तथा उसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाते हुये कहा कि नेशनल हाईवे 58 का केन्द्र सरकार द्वारा पी0पी0पी0 माडल पर चौड़ीकरण करके चार लेन किया गया है जिस पर निर्माण कम्पनी द्वारा मेरे जनपद के अधिकारियों की मिली भगत से ग्राम सिवाया पर टोल वसूलना शुरू कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर तथा किसानों का मुआवजा न मिलने के कारण भारतीय किसान यूनियन द्वारा 28 दिन से धरना चल रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार प्रदेश सरकार के किसी मंत्री/वरिष्ठ अधिकारी को धरना स्थल पर भेज कर धरना समाप्त करवायें। श्री अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री प्रकरण को दिखवा लेंगे। सूचना अग्राह्य हुई।

आज नियम-56 के अन्तर्गत चयनित कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्रगण्य हुईं।

बी0पी0एल0 कार्ड जारी करने की आखिरी तिथि 30 नवम्बर, 2012 को आगे न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए श्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा यदि तिथि न बढ़ाई गई तो बहुत से बी0पी0एल0 परिवारों को खाद्यान्न उपलब्धता में अन्याय होगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा यदि केन्द्र सरकार से आई हुई तिथि की प्रतिबद्धता नहीं है तो इस पर विचार कर लेंगे।

इसी मध्य नेता विरोधी दल ने बसपा विधायकों की संख्या अधिक होने पर भी कार्य-सूची में उनकी पार्टी की सूचना अभी तक के सदन में प्रथम नम्बर पर न लिये जाने का मुद्दा उठाते हुए पीठ द्वारा मुख्य विपक्षी दल की उपेक्षा का आरोप लगाया। डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि सूचना अनिवार्यता और अविलम्बनीयता के आधार पर ली जाती है। श्री अध्यक्ष ने कहा यदि पीठ पर अविश्वास किया जाता है तो मेरा पीठ पर बैठना उचित नहीं है। श्री अध्यक्ष ने अवगत कराया कि जिस क्रम में सूचना प्राप्त होती है उसे वे देख लेते हैं। इसमें जानबूझकर भेदभाव नहीं किया जाता है।

श्री हुकुम सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पद जैसे गरिमामयी पद पर आसीन होने पर हमारा आचरण भी उस पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीठ के प्रति ऐसा कहना केवल श्री अध्यक्ष का ही नहीं बल्कि इस सदन का भी अनादर है। उन्होंने पीठ पर की गई टिप्पणी को कार्यवाही से निकाले जाने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष का महत्व नेता सदन से अधिक बताते हुए कहा कि उनके द्वारा की गई टिप्पणी से उन्हें दुख हुआ है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से भी उस दुख का इजहार करने एवं अपने शब्दों को वापस लेने का अनुरोध किया। नेता विरोधी दल ने कहा कि उनके जिन शब्दों से श्री अध्यक्ष को पीड़ा हुई है उन्हें वे वापस लेते हैं।

प्रदेश में भीषण विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री सतीश महाना ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मौसम में बिजली की मांग अधिक नहीं होती है लेकिन इस समय भी विद्युत कटौती हो रही है। उन्होंने प्रदेश में पूर्णरूपेण विद्युत उपलब्धता की मांग की। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल ने भी विचार व्यक्त करते हुये कहा कि विद्युत दर में हुई बेतहाशा वृद्धि से छोटे उद्योग धन्धे बन्द हो जायेंगे या उनका पलायन हो जायेगा। उन्होंने विद्युत दर में हुई वृद्धि को रोकने की मांग की। श्री दलजीत सिंह ने भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र बुन्देलखण्ड में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति न होने से सिंचाई प्रभावित हो रही है। श्री दिलनवाज खान ने भी विचार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा विद्युत दर में वृद्धि प्रदेश की

आवश्यकता है। बिजली की कमी है संसाधन नहीं है लेकिन फिर विद्युत सप्लाई पहले से बेहतर है। श्री हुकुम सिंह ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर अपने दल सहित सदन का त्याग किया। तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में धान क्रय केन्द्रों के समय से न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर श्री रोशन लाल वर्मा ने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर बिचौलियों द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है। उन्होंने किसानों के धान क्रय की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने की मांग की। श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया ने भी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ब्लाक स्तर पर धान, आलू, गेहूँ को क्रय केन्द्र के साथ उन्हें रखने हेतु नीति बनाये जाने की मांग की। नेता विरोधी दल ने भी विचार व्यक्त करते हुये इसे महत्वपूर्ण विषय बताते हुये सरकार द्वारा इस समस्या का निदान कराये जाने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने शासन का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि धान क्रय केन्द्र सुचारू रूप से संचालित है। यदि कहीं कोई अनियमितता हो तो उन्हें सूचित कर दें। उसे दिखवा लिया जायेगा। श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

कुम्भ मेले के अवसर पर वाराणसी एवं इलाहाबाद में आने वाली लाखों की संख्या में तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु धन आवंटन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कुम्भ के अवसर पर आवंटित किये जाने वाले धन का सदुपयोग हो, उस पर निगरानी करने की व्यवस्था पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिये श्री केशव प्रसाद मौर्या ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुये अनुरोध किया कि हज यात्रियों के समान सरकार कुम्भ तीर्थ यात्रियों को लाने की व्यवस्था करे। संसदीय कार्य मंत्री ने हज यात्रा से इसकी तुलना करने पर प्रतिवाद किया और कहा कि बजट से हाजियों के लिए धर्म के नाम पर प्रदेश व केन्द्र सरकार से कोई एलाटमेन्ट नहीं होता है। उन्होंने यह भी कहा कि इलाहाबाद हो या बनारस धन की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी तथा मेला अच्छा और ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया जायेगा। तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना अग्राह्य किया।

बड़ौत छोड़ने एवं जान से मारने की धमकी विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर श्री लोकेश दीक्षित ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा कब्रिस्तान एवं तालाबों की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। उनके द्वारा विरोध करने पर उन्हें फोन पर जान से मारने एवं बड़ौत छोड़ने की भी धमकी दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि शासन द्वारा 10% भुगतान के आधार पर जो गनर उपलब्ध कराया गया उसे शासन द्वारा वापस ले लिया गया है। उन्होंने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए अतिरिक्त गनर का समय बढ़ाये जाने की मांग की। संसदीय



कार्य मंत्री ने अतिरिक्त गनर उपलब्ध न करवाने के सम्बन्ध में पूर्व सरकार के निर्णय का उल्लेख करते हुए उन्हें अतिरिक्त गनर उपलब्ध करवाने हेतु विचार करने की बात कही।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा अपनी सूचना को उठाये जाने का प्रयास करने पर श्री अध्यक्ष ने उसे 4-12-2012 को पुनः दिये जाने को कहा।

राजस्व मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012, जो इस सदन द्वारा दिनांक 12 जून, 2012 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 13 जून, 2012 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

पुनः पारित का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हुकुम सिंह ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

“यह सदन उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2012 का अननुमोदन करता है।”

संकल्प का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव मूलरूप में स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

राजस्व मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आज दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 62 सूचनार्यें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

- 1-श्री राजेश अग्रवाल उत्तर प्रदेश की कतिपय जातियों को राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करके आरक्षण दिए जाने के सम्बन्ध में।
- 2-श्री सन्तोष पाण्डेय नोएडा में डिप्टी डाइरेक्टर (फैक्ट्रीज) के विरुद्ध जांच कराये जाने एवं उनका स्थानांतरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 3-श्री रोशन लाल वर्मा शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत बरेचा के कु0 सरस्वती के साथ बलात्कार करने एवं उसकी लाश जंगल में मिलने के आरोपियों पर पुलिस कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।
- 4-श्री पंकज कुमार मलिक जनपद शामली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खनन पर लगी रोक के बाद भी खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 5-श्री जाकिर अली गाजियाबाद के अन्तर्गत लोनी क्षेत्र में निम्न वर्ग के व्यक्तियों के ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 कार्ड न बनने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

- 1-श्री संजय कपूर जनपद रामपुर के ग्राम तिराहा में 132 के0वी0 उपकेन्द्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 2-श्री बब्बन जनपद चन्दौली के थाना बबुरी अन्तर्गत वयोवृद्ध किसान नेता श्री लोलाक सिंह के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में।
- 3-श्री पूरन प्रकाश जनपद मथुरा में जमुना पर बने पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 4-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) जनपद-वाराणसी में राजकीय तथा सहायतित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में शादी-विवाह हेतु अनुमति को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिबन्धित कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
- 5-श्री राधेश्याम सिंह जनपद-कुशीनगर के हाटा क्षेत्रान्तर्गत धान क्रय केन्द्रों पर की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

- 1-श्री अजय कुमार 'लल्लू' जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुही राज में खरवार, गौड़ व तुरहा जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र बनवाये जाने के संबंध में।
- 2-श्री बंशी सिंह पहाड़िया परिसंकटमय एवं खतरनाक वाहन चालकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम-56 एवं नियम-51 में दी गयी सूचनाओं को उठाने का प्रयास करने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि अभी सदन आगे भी चलेगा।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव में शिक्षा के प्रभावित होने एवं बी0एड0, टी0ई0टी0 पास बेरोजगार डिग्री धारकों को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार दुबे द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

शासन के सुस्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों से नक्शा स्वीकृत करते समय 15% पार्क शुल्क की बैंक गारण्टी मांगे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51-के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। मा0 सदस्य ने प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण प्राप्त किया।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर चकफेरी मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत में पूर्ण अधिष्ठापित पानी पीने के हैण्डपम्पों का रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा इलेक्ट्रिकसिटी ड्यूटी/विद्युत दरों में भारी वृद्धि को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फैजाबाद के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में वृद्धा पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन व चयनित शादी अनुदान के पात्रों को लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य स्थगित किया गया।

उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तम्बाकू, गुटखा व सिगरेट पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार की ढुलमुल नीति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्रो० रीता बहुगुणा जोशी द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2012 को दी गयी सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन अपराह्न 02 बजकर 29 मिनट पर मंगलवार दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

खण्ड-482, अंक-4  
गुरुवार, 08 अग्रहायण, शक संवत् 1934  
(29 नवम्बर, 2012 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2012)



(खण्ड 482 में 06 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।  
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।



## विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-122
उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्यों सर्वश्री रंगबहादुर पटेल, उपदेश सिंह चौहान, रामकुमार भार्गव, अंगने लाल, महेन्द्र सिंह राजपूत, दिनेश चन्द्र सोनकर, छोटे लाल मिश्र, हरिकेवल प्रसाद, गंगा प्रसाद शर्मा, राजकुमार राय, श्रीमती कमला दरियावादी, श्री सुन्दर पाल सिंह यादव, श्रीमती रामरती देवी, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री बसन्त सिंह गहलौत तथा श्री शिवराज सिंह के निधन पर शोकोद्गार	122-127
उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री बी० सत्य नारायण रेड्डी के निधन पर शोकोद्गार	127-128
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	128-130
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	130-131
जनपद मिर्जापुर के पालिटेक्निक परिसर में इंजीनियरिंग कालेज का विधिवत् शिलान्यास होने के बावजूद आजमगढ़ स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131
जनपद कुशीनगर के ब्लाक दुधई ग्राम सभा गौरी जगदीश में बांसी नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132
जनपद मेरठ के नगर हस्तिनापुर में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132
बुलन्दशहर के गुलावटी नगर में आबादी के बीच से गुजर रही विद्युत लाइन को बदलने तथा नगर के बीचो-बीच से हटाकर अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132-133
हमीरपुर के जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की भारी कमी के कारण मरीजों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133
21 अगस्त, 2000 से पूर्व स्थापित अनुदानित महाविद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133-134
साहिबाबाद साइड-4, गाजियाबाद में लगी हुयी फैक्ट्रियों में भू-गर्भ एवं वायु प्रदूषण से फैल रही बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134





<b>विषय</b>	<b>पृष्ठ-संख्या</b>
जनपद बलिया में धान क्रय केन्द्र न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ..	134
दबंगों द्वारा गरीब परिवारों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ..	135
विधान सभा क्षेत्र इग्लास अलीगढ़ बाई पास रोड में ऐलाना कट्टी घर की फैक्ट्री के कारण हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	135
जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत कतिपय मार्गों को ठीक करवाने/नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ..	135
विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि के मार्गदर्शी प्राविधानों में परिवर्तन करके दुर्घटनाग्रस्त तथा बीमार नागरिकों के इलाज के लिये रु0 25 लाख का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	136
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित पिपराइच चीनी मिल को पुनः चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ..	136-137
कृषि विभाग द्वारा समस्त भुगतान नेफ्रट/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में न भेजकर करोड़ों रुपये गवन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ..	137
अलीगढ़ के बरौली विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ..	137-139
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी) ... ..	139
विधान सभा के विगत सत्र में नियम-301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर कृत कार्यवाही की जानकारी समय पर न मिलने तथा मूलभाव के विपरीत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... ..	140-142
सदन का कार्यक्रम बढ़ाये जाने पर श्री अध्यक्ष नेता सदन एवं संसदीय कार्य मंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापन ... ..	142
सत्रकाल में जनपद फैजाबाद में विकास कार्यों हेतु जिला योजना समिति की बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न... ..	142
मेरठ मुजफ्फरनगर नेशनल हाई-वे-58 पर स्थानीय नागरिकों से टोल टैक्स वसूले जाने तथा उसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न... ..	143-144
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी) ... ..	144-145
मुख्य विपक्षी दल ब0स0पा0 विधायकों की सूचना इस सत्र में पहले नम्बर पर न लिये जाने विषयक प्रकरण ... ..	145-149
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी) ... ..	149-167



<b>विषय</b>	<b>पृष्ठ-संख्या</b>
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012..... (पुनः पारित) ...	167
उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012..... (पारित) ...	167-170
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ..	170-172
प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव में शिक्षा के प्रभावित होने एवं बी0एड0, टी0ई0टी0 पास बेरोजगार डिग्री धारकों को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार दुबे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ... ..	173-174
शासन के सुस्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों से नक्शा स्वीकृत करते समय 15% पार्क शुल्क की बैंक गारण्टी मांगे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	174-176
जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर चकफेरी मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ... ..	176-177
जनपद पीलीभीत में पूर्ण अधिष्ठापित पानी पीने के हैण्डपम्पों का रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... ..	177-178
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी/विद्युत दरों में भारी वृद्धि को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	179-182
जनपद फैजाबाद के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में वृद्धा पेंशन तथा लक्ष्मीबाई पेंशन व चयनित शादी अनुदान के पात्रों को लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन ... ..	182-183
उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तम्बाकू, गुटखा व सिगरेट पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार की दुलमुल नीति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ..	183
जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ... ..	183-185



# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## सोलहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता के आरम्भ हुई।)

### उपस्थित सदस्य-313

1. अंसार अहमद, श्री	इलाहाबाद	28. अवधेश कुमार सिंह उर्फ	
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	मंजू सिंह, श्री	गोण्डा
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री	देवरिया	29. अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत	30. अविनाश कुशवाहा, श्री	सोनभद्र
5. अजय मिश्र 'टेनी', श्री	लखीमपुर खीरी	31. अशफाक अली खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
6. अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	32. आदिल शेख, श्री	आजमगढ़
7. अजय कुमार, डा0	इलाहाबाद	33. आनन्द सिंह, कुंवर	गोण्डा
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री	कुशीनगर	34. आबिद रजा खां, श्री	बदायूं
9. अजीमुलहक पहलवान, श्री	अम्बेडकर नगर	35. आरिफ अनवर हाशमी, श्री	बलरामपुर
10. अताउर्रहमान, श्री	बरेली	36. आलमबदी, श्री	आजमगढ़
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज	37. आशा किशोर, श्रीमती	छत्रपति शाहूजी महराज नगर
12. अनिल वर्मा, श्री	उन्नाव	38. आशीष यादव, श्री	बदायूं
13. अनीसुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद	39. इकबाल, श्री	विजनौर
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद	40. इकबाल महमूद, श्री	भीमनगर
15. अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर	41. इन्दल कुमार, श्री	लखनऊ
16. अबरार अहमद, श्री	सुल्तानपुर	42. इन्द्रजीत कोरी, श्री	कानपुर नगर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री	बलरामपुर	43. इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
18. अभय सिंह, श्री	फैजाबाद	44. इन्द्रपाल सिंह, श्री	रमाबाईनगर
19. अमर पाल शर्मा, श्री	गाजियाबाद	45. इन्द्राणी देवी, श्रीमती	श्रावस्ती
20. अमित गौरव यादव, श्री	एटा	46. इरफान सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
21. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर	47. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री	लखीमपुर खीरी
22. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी	48. उदयराज, श्री	उन्नाव
23. अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज	49. उदय लाल मौर्या, श्री	वाराणसी
24. अरूण वर्मा, श्री	सुल्तानपुर	50. उमाकान्ती, श्रीमती	जालौन
25. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती	कानपुर नगर	51. उमाशंकर, श्री	बलिया
26. अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर	52. उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
27. अली यूसुफ अली, श्री	रामपुर		

- |  |                              |   |                           |
|--|------------------------------|---|---------------------------|
| 53. ओमकार सिंह, श्री                           | बदायूं                       | 85. जगराम पासवान, श्री                  | बलरामपुर                  |
| 54. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री                | जौनपुर                       | 86. जन्मेजय सिंह, श्री                  | देवरिया                   |
| 55. ओम प्रकाश वर्मा, श्री                      | फिरोजाबाद                    | 87. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री           | फर्रुखाबाद                |
| 56. कमाल अख्तर, श्री                           | ज्योतिबाफूले नगर             | 88. जमीर उल्ला खां, श्री                | अलीगढ़                    |
| 57. कमाल यूसुफ मलिक, श्री                      | सिद्धार्थनगर                 | 89. जमील अहमद कास्मी, श्री              | मुजफ्फरनगर                |
| 58. करतार सिंह भड़ाना, श्री                    | मुजफ्फरनगर                   | 90. जय प्रकाश निषाद, श्री               | गोरखपुर                   |
| 59. काली चरन सुमन, श्री                        | आगरा                         | 91. जय प्रताप सिंह, श्री                | सिद्धार्थनगर              |
| 60. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री                    | उन्नाव                       | 92. जाहीद बेग, श्री                     | सन्तरविदास नगर<br>(भदोही) |
| 61. कृष्ण कुमार ओझा, श्री                      | बहराइच                       | 93. जियाउद्दीन रिजवी, श्री              | बलिया                     |
| 62. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री                 | झांसी                        | 94. तसलीम, श्री                         | बिजनौर                    |
| 63. कृष्णा पासवान, श्रीमती                     | फतेहपुर                      | 95. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ             |                           |
| 64. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी |                              | पवन पाण्डेय, श्री                       | फैजाबाद                   |
| 65. कैलाश, श्री                                | गाजीपुर                      | 96. तेजपाल सिंह, श्री                   | मथुरा                     |
| 66. कैलाश चौरसिया, श्री                        | मिर्जापुर                    | 97. त्रिलोकीराम, श्री                   | अलीगढ़                    |
| 67. कौशल सिंह कुंवर, श्री                      | महाराजगंज                    | 98. दयाशंकर वर्मा, श्री                 | जालौन                     |
| 68. गंगा, श्री                                 | कुशीनगर                      | 99. दलजीत सिंह, श्री                    | बांदा                     |
| 69. गजराज सिंह, श्री                           | पंचशील नगर                   | 100. दलवीर सिंह, श्री                   | अलीगढ़                    |
| 70. गजेन्द्र सिंह, श्री                        | बुलन्दशहर                    | 101. दिलनवाज खान, श्री                  | बुलन्दशहर                 |
| 71. गयाचरण दिनकर, श्री                         | बांदा                        | 102. दीपक कुमार, श्री                   | उन्नाव                    |
| 72. गयादीन अनुरागी, श्री                       | हमीरपुर                      | 103. देवनारायण उर्फ                     |                           |
| 73. गायत्री प्रसाद, श्री                       | छत्रपति शाहूजी<br>महाराज नगर | जी0एम0 सिंह, श्री                       | महाराजगंज                 |
| 74. गिरीश चन्द्र उर्फ                          |                              | 104. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री        | रायबरेली                  |
| गामा पाण्डेय, श्री                             | इलाहाबाद                     | 105. धर्मपाल सिंह, श्री                 | बरेली                     |
| 75. गुलाब चन्द, श्री                           | जौनपुर                       | 106. धर्मपाल सिंह, डा0                  | आगरा                      |
| 76. गुलाम मौहम्मद, श्री                        | मेरठ                         | 107. धर्मराज, श्री                      | बाराबंकी                  |
| 77. गेंदा लाल चौधरी, श्री                      | महामायानगर                   | 108. धर्मसिंह सैनी, डा0                 | सहारनपुर                  |
| 78. गोमती यादव, श्री                           | लखनऊ                         | 109. धर्मेश सिंह तोमर, श्री             | पंचशील नगर                |
| 79. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री                  | चित्रकूट                     | 110. नजीवा खान जीनत, श्रीमती            | कांशीराम नगर              |
| 80. चन्द्रा रावत, श्रीमती                      | लखनऊ                         | 111. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती             | गोण्डा                    |
| 81. चितरंजन स्वरूप, श्री                       | मुजफ्फरनगर                   | 112. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री          | सीतापुर                   |
| 82. छोटेलाल वर्मा, श्री                        | आगरा                         | 113. नवाजिश आलम खान, श्री               | मुजफ्फरनगर                |
| 83. जगतम्बा सिंह, श्री                         | मिर्जापुर                    | 114. नागेन्द्र सिंह "मुन्ना यादव", श्री | प्रतापगढ़                 |
| 84. जगपाल, श्री                                | सहारनपुर                     | 115. नारद राय, श्री                     | बलिया                     |

- |  |               |   |                            |
|--|---------------|---|----------------------------|
| 116. नितिन अग्रवाल, श्री               | हरदोई         | 149. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री                 | कुशीनगर                    |
| 117. निरंजन ज्योति, साध्वी             | हमीरपुर       | 150. भगवत सरन गंगवार, श्री                      | बरेली                      |
| 118. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री        | शाहजहांपुर    | 151. भगवती प्रसाद, श्री                         | अलीगढ़                     |
| 119. पंकज कुमार मलिक, श्री             | प्रबुद्धनगर   | 152. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री                   | आगरा                       |
| 120. परवेज अहमद (टंकी), हाजी           | इलाहाबाद      | 153. भाई लाल कोल, श्री                          | मिर्जापुर                  |
| 121. पिकी सिंह, श्रीमती                | भीमनगर        | 154. भारतेन्द्र, कुंवर                          | बिजनौर                     |
| 122. पीटर फैन्थम, श्री                 | नाम-निर्देशित | 155. भीम प्रसाद सोनकर, श्री                     | अम्बेडकरनगर                |
| 123. पीतमराम, श्री                     | पीलीभीत       | 156. मदन गोपाल वर्मा, श्री                      | फतेहपुर                    |
| 124. पूनम सोनकर, श्रीमती               | चन्दौली       | 157. मदन चौहान, श्री                            | गाजियाबाद                  |
| 125. पूरन प्रकाश, श्री                 | मथुरा         | 158. मधुबाला, श्रीमती                           | सन्त रविदास नगर<br>(भदोही) |
| 126. पूर्णमासी देहाती, श्री            | कुशीनगर       | 159. मनबोध, श्री                                | देवरिया                    |
| 127. प्रदीप चौधरी, श्री                | सहारनपुर      | 160. मनीष असीजा, श्री                           | फिरोजाबाद                  |
| 128. प्रदीप कुमार यादव, श्री           | औरैया         | 161. मनीष रावत, श्री                            | सीतापुर                    |
| 129. प्रदीप माथुर, श्री                | मथुरा         | 162. मनोज कुमार, श्री                           | चन्दौली                    |
| 130. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री          | मेरठ          | 163. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री                   | रायबरेली                   |
| 131. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री         | औरैया         | 164. ममतेश शाक्य, श्री                          | काशीराम नगर                |
| 132. प्रमोद तिवारी, श्री               | प्रतापगढ़     | 165. महबूब अली, श्री                            | जे0पी0नगर                  |
| 133. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री           | देवरिया       | 166. महावीर सिंह, कुं0                          | हरदोई                      |
| 134. फतेह बहादुर, श्री                 | गोरखपुर       | 167. महावीर सिंह राणा, श्री                     | सहारनपुर                   |
| 135. फरीद महफूज किदवई, श्री            | बाराबंकी      | 168. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा                 | आगरा                       |
| 136. फसीहा बशीर<br>(गजाला लारी), चौधरी | देवरिया       | 169. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ<br>झीन बाबू, श्री | सीतापुर                    |
| 137. फेरन लाल, श्री                    | ललितपुर       | 170. महेश नारायण सिंह, श्री                     | इलाहाबाद                   |
| 138. बंशी सिंह पहड़िया, श्री           | बुलन्दशहर     | 171. माइकल चन्द्रा, श्री                        | जे0पी0नगर                  |
| 139. बदलू खां, श्री                    | उन्नाव        | 172. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री                  | सिद्धार्थनगर               |
| 140. बब्बन, श्री                       | चन्दौली       | 173. मित्रसेन यादव, श्री                        | फैजाबाद                    |
| 141. बाबू खां, श्री                    | हरदोई         | 174. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री                   | बहराइच                     |
| 142. बाबूलाल, श्री                     | गोण्डा        | 175. मुख्तार अंसारी, श्री                       | मऊ                         |
| 143. बावन सिंह, श्री                   | गोण्डा        | 176. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री                     | कानपुर नगर                 |
| 144. विमला सिंह सोलंकी, श्रीमती        | बुलन्दशहर     | 177. मुहम्मद गाजी, श्री                         | बिजनौर                     |
| 145. बृज लाल सोनकर, श्री               | आजमगढ़        | 178. मुहम्मद रमजान, श्री                        | श्रावस्ती                  |
| 146. बृजेश कठेरिया, इंजी0              | मैनपुरी       | 179. मूलचन्द्र चौहान, ठा0                       | बिजनौर                     |
| 147. बेचई सरोज, श्री                   | आजमगढ़        | 180. मो0 अयूब, डा0                              | सन्तकबीर नगर               |
| 148. बैजनाथ, श्री                      | मऊ            |   |                            |

- |  |                              |   |                              |
|--|------------------------------|---|------------------------------|
| 181. मो0 आसिफ, श्री                                | फतेहपुर                      | 210. राजाराम, श्री                          | प्रतापगढ़                    |
| 182. मो0 जासमीर अंसारी, श्री                       | सीतापुर                      | 211. राजेन्द्र, श्री                        | गोरखपुर                      |
| 183. मो0 मुस्लिम, श्री                             | छत्रपति शाहूजी<br>महाराज नगर | 212. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री              | सहारनपुर                     |
| 184. मो0 रेहान, श्री                               | लखनऊ                         | 213. राजेश अग्रवाल, श्री                    | बरेली                        |
| 185. मोहम्मद आजम खां, श्री                         | रामपुर                       | 214. राजेश यादव, श्री                       | शाहजहांपुर                   |
| 186. मोहम्मद रिजवान, श्री                          | मुरादाबाद                    | 215. राजेश्वरी, श्रीमती                     | हरदोई                        |
| 187. मौ0 इरफान, श्री                               | मुरादाबाद                    | 216. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0             | गोरखपुर                      |
| 188. मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री                    | मुरादाबाद                    | 217. राधेलाल रावत, श्री                     | उन्नाव                       |
| 189. योगेश प्रताप सिंह<br>'योगेश भड़्या', श्री     | गोण्डा                       | 218. राधेश्याम, श्री                        | छत्रपति शाहूजी<br>महाराज नगर |
| 190. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री                   | कानपुर<br>नगर                | 219. राधेश्याम सिंह, श्री                   | कुशीनगर                      |
| 191. रघुराज प्रताप सिंह, श्री                      | प्रतापगढ़                    | 220. राधेश्याम जायसवाल, श्री                | सीतापुर                      |
| 192. रघुराज सिंह शाक्य, श्री                       | इटवा                         | 221. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री             | भीमनगर                       |
| 193. रजनी तिवारी, श्रीमती                          | हरदोई                        | 222. रामगोपाल, श्री                         | बाराबंकी                     |
| 194. रणजीत सुमन, श्री                              | एटा                          | 223. राम गोविन्द, श्री                      | बलिया                        |
| 195. रमेश चन्द्र, श्री                             | मिर्जापुर                    | 224. रामचन्द्र चौधरी, श्री                  | सुल्तानपुर                   |
| 196. रमेश चन्द्र दुबे, श्री                        | सोनभद्र                      | 225. रामचन्द्र यादव, श्री                   | फैजाबाद                      |
| 197. रविदास मेहरोत्रा, श्री                        | लखनऊ                         | 226. रामपाल यादव, श्री                      | सीतापुर                      |
| 198. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री                   | सहारनपुर                     | 227. राम मगन, श्री                          | बाराबंकी                     |
| 199. रवि शर्मा, श्री                               | झांसी                        | 228. राममूर्ति वर्मा, श्री                  | अम्बेडकर नगर                 |
| 200. रश्मि आर्य, डा0                               | झांसी                        | 229. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री             | शाहजहांपुर                   |
| 201. राकेश कुमार, श्री                             | अलीगढ़                       | 230. रामलाल अकेला, श्री                     | रायबरेली                     |
| 202. राकेश प्रताप सिंह, श्री                       | छत्रपति शाहूजी<br>महाराज नगर | 231. रामवीर उपाध्याय, श्री                  | महामाया नगर                  |
| 203. राघव लखनपाल, श्री                             | सहारनपुर                     | 232. रामशरन, श्री                           | लखीमपुर खीरी                 |
| 204. राजकिशोर सिंह, श्री                           | बस्ती                        | 233. राम सिंह, श्री                         | प्रतापगढ़                    |
| 205. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री                 | मैनपुरी                      | 234. रामस्वरूप सिंह, श्री                   | रमाबाई नगर                   |
| 206. राजकुमार रावत, श्री                           | मथुरा                        | 235. रामहेत भारती, श्री                     | सीतापुर                      |
| 207. राजनारायण बुधौलिया उर्फ<br>रज्जू महाराज, श्री | महोबा                        | 236. रामेश्वर सिंह यादव, श्री               | एटा                          |
| 208. राजबली जैसल, श्री                             | इलाहाबाद                     | 237. रूबी प्रसाद, श्रीमती                   | सोनभद्र                      |
| 209. राजमती, श्रीमती                               | गोरखपुर                      | 238. रोशन लाल वर्मा, श्री                   | शाहजहांपुर                   |
|  |                              | 239. लक्ष्मीकान्त उर्फ<br>पप्पू निषाद, श्री | सन्तकबीर नगर                 |
|  |                              | 240. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0              | मेरठ                         |
|  |                              | 241. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती                  | भीमनगर                       |



- |                                |               |                                   |              |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| 242. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री  | मिर्जापुर     | 272. शेर बहादुर, श्री             | अम्बेडकरनगर  |
| 243. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती   | सिद्धार्थनगर  | 273. श्यामदेव राय चौधरी           |              |
| 244. लोकेन्द्र सिंह, श्री      | बिजनौर        | (दादा), श्री                      | वाराणसी      |
| 245. लोकेश दीक्षित, श्री       | बागपत         | 274. श्याम प्रकाश, श्री           | हरदोई        |
| 246. वकार अहमद शाह, डा0        | बहराइच        | 275. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री | आजमगढ़       |
| 247. वसीम अहमद, श्री           | आजमगढ़        | 276. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री     | मथुरा        |
| 248. वहाब चौधरी, श्री          | गाजियाबाद     | 277. श्रद्धा यादव, श्रीमती        | जौनपुर       |
| 249. विजया यादव, श्रीमती       | इलाहाबाद      | 278. संगीत सिंह सोम, श्री         | मेरठ         |
| 250. विजय कुमार पासवान, श्री   | सिद्धार्थनगर  | 279. संग्राम यादव, डा0            | आजमगढ़       |
| 251. विजय कुमार दूबे, श्री     | कुशीनगर       | 280. संजय कपूर, श्री              | रामपुर       |
| 252. विजय कुमार मिश्र, श्री    | गाजीपुर       | 281. संजय प्रताप जयसवाल, श्री     | बस्ती        |
| 253. विजय बहादुर पाल, श्री     | कन्नौज        | 282. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री  | जौनपुर       |
| 254. विजय बहादुर यादव, श्री    | गोरखपुर       | 283. सतीश कुमार निगम              |              |
| 255. विजय सिंह, श्री           | रामपुर        | 'एडवोकेट', श्री                   | कानपुर नगर   |
| 256. विनय तिवारी, श्री         | लखीमपुर खीरी  | 284. सतीश महाना, श्री             | कानपुर नगर   |
| 257. विशम्भर सिंह, श्री        | बांदा         | 285. सत्यदेव पचौरी, श्री          | कानपुर नगर   |
| 258. वीरपाल राठी, श्री         | बागपत         | 286. सत्य प्रकाश अग्रवाल          |              |
| 259. वीर सिंह, श्री            | चित्रकूट      | (कैलाश डेरी वाले), श्री           | मेरठ         |
| 260. वेदराम भाटी, श्री         | गौतमबुद्ध नगर | 287. सत्यवीर मुन्ना, श्री         | इलाहाबाद     |
| 261. शकुन्तला देवी, सुश्री     | शाहजहांपुर    | 288. सन्त प्रसाद, श्री            | गोरखपुर      |
| 262. शमशेर बहादुर उर्फ         |               | 289. सन्तराम कुशवाहा, श्री        | जालौन        |
| शेरू भैय्या, श्री              | लखीमपुर खीरी  | 290. सन्तोष पाण्डेय, श्री         | सुल्तानपुर   |
| 263. शमीमुल हक, श्री           | मुरादाबाद     | 291. सिवगतुल्ला अंसारी, श्री      | गाजीपुर      |
| 264. शाकिर अली, श्री           | देवरिया       | 292. सियाराम सागर, डा0            | बरेली        |
| 265. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री | लखनऊ          | 293. सीमा, श्रीमती                | जौनपुर       |
| 266. शाह आलम उर्फ              |               | 294. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री    | फतेहपुर      |
| गुड्डु जमाली, श्री             | आजमगढ़        | 295. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती       | इटावा        |
| 267. शाहिद मंजूर, श्री         | मेरठ          | 296. सुदामा प्रसाद, श्री          | महाराजगंज    |
| 268. शिव कुमार बेरिया, श्री    | रमाबाई नगर    | 297. सुधाकर, श्री                 | मऊ           |
| 269. शिवपाल सिंह यादव, श्री    | इटावा         | 298. सुधीर कुमार, श्री            | उन्नाव       |
| 270. शिवाकान्त ओझा, प्रो0      | प्रतापगढ़     | 299. सुनील कुमार लाला, श्री       | लखीमपुर खीरी |
| 271. शिवेन्द्र सिंह उर्फ       |               | 300. सुब्बा राम, श्री             | गाजीपुर      |
| शिव बाबू, श्री                 | महाराजगंज     | 301. सुभाष पासी, श्री             | गाजीपुर      |

302. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	309. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
303. सुरेश राणा, श्री	प्रबुद्धनगर	310. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ	
304. सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी
305. सुल्तान बेग, श्री	बरेली	311. हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
306. सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा	312. हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
307. सैय्यद कासिम हसन, श्री	फतेहपुर	313. हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत
308. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर		

**नोट :-**मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव) तथा राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

## (प्रश्नोत्तर)

## नत्थी (क)

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

## प्रदेश सरकार द्वारा खाद के बढ़े दामों पर सब्सिडी देने की मांग

श्री सतीश महाना एवं श्री सुरेश राणा-

”1-क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा यूरिया एवं डी0ए0पी0 खादों पर सब्सिडी घटाकर खादों के दाम बढ़ाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए खाद के बढ़े दामों पर सब्सिडी देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

केन्द्र सरकार द्वारा डी0ए0पी0 उर्वरक पर सब्सिडी घटाकर अधिकतम विक्रय मूल्य बढ़ाया गया है। यूरिया में सब्सिडी नहीं घटायी गयी है।

जी नहीं।

यूरिया की दर का निर्धारण भारत सरकार द्वारा एवं डी0ए0पी0 की अधिकतम दर का निर्धारण उर्वरक प्रदायकर्ताओं द्वारा स्वयं किया जाता है। प्रदेश सरकार का उर्वरकों के मूल्य निर्धारण में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व से ही डी0ए0पी0 उर्वरक के फास्फेटिक अंश पर वैट नहीं लेते हुये कृषकों को राहत दी गयी है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सीधे किसानों से जुड़ा है। इस समय प्रदेश के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, जब किसान की बात करते हैं तो पिछले डेढ़ वर्ष के अन्तर्गत डी0ए0पी0 का मूल्य 580 रुपये से बढ़कर 1200 रुपये से अधिक हो गया है। यूरिया के भी दाम बढ़े हैं। बाजार में गेहूँ का बीज उपलब्ध नहीं है। खाद उपलब्ध नहीं है। डीजल के दामों में कई गुना वृद्धि कर दी गयी है। बिजली आ नहीं रही है और बिजली न आने के कारण पम्प चलाने के लिये डीजल की आवश्यकता होती है। और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के टोकाटाकी करने पर)।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री सतीश महाना-

जनता के बीच में जाओगे न तो सब पता चल जाएगा। जनता को जाकर बोलिये कि बिजली आ रही है तब आपको पता चलेगा। मान्यवर, मेरा कहना है कि एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिये था लेकिन अधिकतम मूल्य बढ़ाया गया है। किसानों की बात करने वाली सरकार क्या इस बात के लिये विचार करेगी कि जो सब्सिडी केन्द्र सरकार ने खत्म कर दी है जिसका आप समर्थन कर रहे हो उनके कुछ पापों को कम करने का प्रयास के रूप में किसानों को सब्सिडी देने पर यह सरकार विचार करेगी ?

कुंवर आनन्द सिंह-

मान्यवर, इसका मूल्य निर्धारण केन्द्र सरकार करती है। और भी तरीके हैं जो किसानों को सहूलियत देने के लिये हमारी सरकार अपना रही है। आपने कहा कि खाद नहीं पहुंची है या बीज नहीं पहुंचा है तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक जगह बता दें कि जहां खाद नहीं पहुंची हो। मान्यवर, मैं रबी में उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति बता रहा हूँ। यूरिया का लक्ष्य था 9.88 हमने 9.74 पहुंचा दिया है। डी0ए0पी0 का लक्ष्य था 5.8 हमने पहुंचा दिया है 11.6 ए0पी0के0 का लक्ष्य था 3.06 हम पहुंचा चुके हैं 4.45, एम0ओ0पी0 0.99 की जगह हम 1.02 दे चुके हैं। तो मान्यवर, 136 प्रतिशत खाद हर जगह पहुंच चुकी है। तो यह मैं कैसे मान लूँ कि वहां खाद ही नहीं पहुंच रही है। यह पुराने सवाल हैं जो आप उस सरकार में किया करते थे उसको बार-बार रिपीट इस सरकार में भी करते हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुराने सवाल थे, जो पिछली सरकार में करते थे। मान्यवर, जिस सरकार को आप केन्द्र में समर्थन दे रहे हैं उसी के द्वारा तो बढ़ाया गया या और किसी के द्वारा बढ़ाया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल पूछिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने कहा कि पुरानी सरकार, पुरानी सरकार के पाप थे तो वहां बैठे हैं तो जिस सरकार को आप समर्थन कर रहे हैं केन्द्र में उसी सरकार ने किये हैं और मैं कह रहा हूँ डेढ़ साल पहले इसके दाम 580 रुपये थे और आज 12 सौ रुपये हैं। तो इसके जो दाम बढ़े हैं यह पुरानी सरकार ने बढ़ाये थे या आपने बढ़ाये थे या आप दोनों के द्वारा नहीं बढ़ाये गये। आप उसके लिये क्या सही कर रहे हैं ? आप उसके दामों के लिये कुछ विचार कर रहे हैं। कार्यवाही निकलवा कर दिखवा लीजिये आपने स्वयं कहा कि हम किसानों के हित के लिये बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बिजली घटा रहे हैं, वह तो घटा ही रहे हैं यह तो मैंने पहले ही कहा कि बिजली आप घटा रहे हैं, आप बिजली दे ही नहीं रहे हैं। तो बिजली आप दे नहीं रहे हैं, खाद आपने कहा कि आंकड़ों के अन्तर्गत होगी, मान्यवर, नहीं है। मैं आप सरसौल ब्लाक कानपुर महानगर की बात कर रहा हूँ। वहां पर बीज नहीं है। आपने कहा एक जगह बताओं, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम लेकर बता रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 महाना जी आप सीधे प्रश्न करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस बात की फिर से जानकारी करना चाहता हूँ कि जो सब्सिडी केन्द्र द्वारा निर्धारित की गई है उस खाद के ऊपर यह वर्तमान सरकार कुछ सब्सिडी अपने पास से देने का वादा करेगी।

श्री अध्यक्ष-

यह सवाल के जवाब में ही है कि वैट नहीं लगा रहे हैं।

कुंवर आनन्द सिंह-

मान्यवर, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हमारी सरकार ने वैट कम कर दिया है, यह राहत है। हम तमाम चीजें जो दे रहे हैं, हमने यह नहीं कहा था कि हम बिजली कम कर रहे हैं, हमने यह कहा था कि बिजली छोटे किसानों को बिजली मुफ्त मिलेगी यह हमारा ऐलान है। पानी सरकारी ट्यूबवेलों का मुफ्त मिलेगा, यह भी हमारा ऐलान है। तो यह सब किसानों के हित में ही तो है, खाली यहां की एक बात आप कह रहे हैं तो उसको जरूर कहें, लेकिन जो हमने किया है उसके बारे में भी तो कुछ कह दिया करें तो ज्यादा अच्छा रहे।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने कुछ बोलने का मौका दिया, यह सवाल महत्वपूर्ण है और इस समय था और भी इसलिये महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि इस समय मा0 मुख्यमंत्री जी इस सदन में मौजूद हैं। अभी कल कार्यवाही के दौरान आदरणीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि हम चार-चार बार इसलिये सत्ता में आये क्योंकि हम किसानों के हितैशी है तो यह विषय इसलिये भी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि किसानों की हितैशी सरकार और 1250 रुपये में आज डी0ए0पी0 का कट्टा है, किसानों का क्या हाल है, फसलों का दाम मिल नहीं रहा, पहले से ही टेढ़ी कमर किसानों की आज टूटने की कगार पर है और मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मुख्य मंत्री से जितनी उम्मीदें पूरे प्रदेश को हैं, प्रदेश को थी, इनका मुस्कराता चेहरा अब भी मेरे सामने है और कल कैफी आजमी पुस्कार की घोषणा की, संसदीय कार्यमंत्री जी ने तो उन्हीं एक लाइन मुझे याद आती है,

श्री अध्यक्ष-

आब आप सीधे सवाल करें।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, यह सवाल से ही जुड़ा है कि-“कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है कि चले आ रहे हैं वह नजरें झुकायें” ऐसे हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी है, पूरे किसानों को इनसे भरपूर उम्मीदें हैं, इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार के बारे में मा0 कृषि मंत्री जी ने लिखा है, कि यह केन्द्र सरकार का विषय है। क्या किसानों की हितैशी प्रदेश सरकार ने मा0 कृषि मंत्री जी ने केन्द्र सरकार को लिखा है और लिखा है तो क्या लिखा है, कि सब्सिडी कम की जाय और कितनी कम की जाय ? केन्द्र सरकार को क्या प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने किया ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने लिखने को तो कहा नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें वैट की दर हम कम लगा रहे हैं। जो प्रश्न महाना जी ने पूछा था, आप उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मा0 मंत्री जी ने लिखा है कि यह केन्द्र का विषय है, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसानों की हितैशी प्रदेश सरकार ने क्या केन्द्र को सब्सिडी बढ़ाने के लिये लिखा है ?

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठे, हां पंकज मलिक जी, आप पूछें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मा0 सदस्य ने एक गीत का साहिर का टुकड़ा सुनाया कि चले आ रहे हैं वह नजरें झुकायें, तो हम कहना चाहते हैं कि “वह जब याद आये, बहुत याद आये।” बस इतना ही काफी है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि हम किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, तो क्या जो किसानों के बिजली के बिलों का जो भुगतान बकाया है, क्या वह भी माफ किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से जुड़ा बिन्दु नहीं है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा, इसलिये मैंने पूछा, अगर आप जवाब दिलवा देंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

हां हुकुम सिंह जी, आप प्रश्न पूछें।

श्री हुकुम सिंह-

वाकई में कई ऐलानें जंग किये है उन्होंने कि यह हमारा ऐलान है, वो हमारा ऐलान है। यही मैं जानना चाह रहा हूं इनसे कि कहां जा रहे हैं ये ऐलान आपके। दो ऐलानों के बारे में पूछना चाह रहा हूं इनसे एक तो ऐलान इन्होंने जब कृषि बजट प्रस्तुत किया था तब यह किया कि जो पुराना स्टॉक हमारे पास डी0ए0पी0 का है, वह बढ़े दामों में नहीं बेचा जाएगा, पुराने दामों में बेचा जायेगा। मा0 विधायकगण दोनों पक्षों के यहां पर बैठे हैं। मेरी शिकायत यह है कि उसमें ब्लैक किया गया, उसमें बेईमानी की गयी और वह किसानों को पुराने दामों पर नहीं मिला।

(सत्ता पक्ष की तरफ से आवाजें आई की आपके ही क्षेत्र में ऐसा हुआ होगा)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के प्रयास के कारण शोर की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह एक मौलिक बात है, इसे आप भी जानते होंगे और हमारे सभी मा0 सदस्यगण भी जानते होंगे कि डी0ए0पी0 भूमि की उर्वरा शक्ति को संतुलित करने के लिये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर केवल यूरिया डलता रहेगा। यूरिया सस्ता रहेगा और डी0ए0पी0 महंगी रहेगी तो संतुलन बिगड़ेगा और यूरिया की अधिकता से भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है, वह कम होगी। इसलिये

ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है मंत्री जी, क्योंकि आप कृषि मंत्री है कि डी0ए0पी0 के दाम बढ़ने से किसान की कमर टूटेगी और वह डी0ए0पी0 डाल नहीं पायेगा और केवल नाइट्रोजन उर्वरक डालेगा तो जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जायेगी इसको दृष्टिगत रखते हुये क्या प्रदेश सरकार किसानों के हित में डी0ए0पी0 के दामों को कम करने पर अपने स्रोत से या किसी स्रोत से विचार करेगी।

कुंवर आनन्द सिंह-

मान्यवर, आज 10 साल के बाद इस वर्ष ऐसी स्थिति आई है, जब हर जगह खाद पहले से मौजूद है। सब जगह जा चुकी है अब मूल्य की बात आती है, तो मूल्य के लिये जो छूट सम्भव थी, वह हमने पहले से दे रखी है।

श्री हुकुम सिंह-

कौन-सी छूट दे रखी है, वहीं तो हम जानना चाहते हैं ? वैट न लगाना कोई छूट नहीं होती।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पहले आप जवाब तो सुन लीजिये। पहले मा0 मंत्री का जवाब तो सुन लीजिये फिर आप प्रश्न पूछिये।

कुंवर आनन्द सिंह-

मैं, मान्यवर, समझ नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष-

ये सवाल पूछा है कि डी0ए0पी0 संतुलित करती है जमीन की उर्वरा शक्ति को, यूरिया डालने से, नाइट्रोजन ही डालने से जमीन की उर्वरा शक्ति का संतुलन खराब होगा, तो यह जानते हुये क्या डी0ए0पी0 के दाम को कम कराने के लिये अपने स्रोत से या अन्य स्रोत से कोई प्रयास करेंगे।

कुंवर आनन्द सिंह-

श्रीमन् यह इतने बड़े जानकार हैं, तो यह भी जानते होंगे कि हमारी जमीन में ये इतनी फिक्स हो चुकी है कि जिसकी वजह से हमें नुकसान होगा। पंजाब में हमारी फसल की पैदावार गिर रही है।

श्री हुकुम सिंह-

आप तो राजा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, वह भी बहुत अच्छे किसान है, ऐसा नहीं है। वह भी खेती करते हैं। वह राजा ही नहीं हैं बल्कि एक किसान भी है।

कुंवर आनन्द सिंह-

आज तो साइटिस्ट भी है, आपने बहुत से लेख लिखे भी होंगे और पढ़े भी होंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप भी कृषि मंत्री हैं और वह भी पूर्व कृषि मंत्री हैं। आप दोनों कृषि मंत्रियों का मुकाबला हो रहा है।

कुंवर आनन्द सिंह-

श्रीमन्, आज प्रयोग की जानी वाली डी0ए0पी0 का केवल 20 प्रतिशत यूज हो रहा है और बाकी 80 प्रतिशत फिक्स हो गया है। और एक समय आएगा, जिसके बारे में मैंने पिछली बार के बजट में भी कहा था और आपसे भी कहा था कि आप लोगों को जैविक खेती की तरफ जाने दीजिये। वह समय खत्म हो चुका है, जब हम डी0ए0पी0 ही खेतों में डालें।

(बीच में कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

ऐसे बीच में नहीं बोला जाता है, आप लोग सीनियर सदस्य हैं, उत्तर तो आने दीजिये।

कुंवर आनन्द सिंह-

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यह कहना कि डी0ए0पी0 के बिना खेती नहीं होगी, सही नहीं है। आप बायो-फर्टिलाइजर डालिये, कब तक डी0ए0पी0 डालेंगे। आप किसानों को ले चलिये उस रास्ते में जो सही रास्ता है। कब तक डी0ए0पी0 डालेंगे, खाली प्रश्न करने से काम नहीं बनेगा, कितना डी0ए0पी0 कब तक डालेंगे। इसका रेट इण्टरनेशनल मार्केट से गवर्न है। अगले साल डी0ए0पी0 का रेट हो सकता है, दो हजार हो जाए ढाई हजार हो जाये। कब तक सब्सिडी, कितनी सब्सिडी। आपको दूसरा रास्ता भी अख्यितार करना पड़ेगा, ये मेरा कहना है।

श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह-

मान्यवर, सरकार में जितनी कैपिसिटी थी, मा0 मंत्री जी बतायें कि हमने डी0ए0पी0 और यूरिया की उपलब्धता करायी। मैं जनपद महाराजगंज की बात करना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर नेपाल में खाद की तस्करी हो रही है। मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि उसको रोकने का प्रयास करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

वो तो रोक ही रहे हैं।

श्री देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह-

नहीं, मान्यवर, बड़े पैमाने पर हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आपका सवाल है कि नेपाल में तस्करी हो रही है, उसको रोकने के लिये आप क्या प्रयास कर रहे हैं ?

कुंवर आनन्द सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये लोग भी सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 कृषि मंत्री जी ने अभी नेता भाजपा श्री हुकुम सिंह जी के उत्तर में बताया है कि दूसरे विकल्पों के बारे में सोचना चाहिये। आपने जैविक खाद का जिक्र किया है तो क्या सरकार किसानों को जैविक खाद वितरण, जैविक खाद देने की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 महाना जी, ये आपका आखिरी सवाल है, अब इस पर फिर सवाल नहीं होगा।



श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही है कि डी0ए0पी0 से फसल का नुकसान हो रहा है और उसके कारण फसल कम हो रही है। अगर इतनी ही कठिनाई है और उससे फसल का नुकसान हो रहा है तो डी0ए0पी0 के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष-

श्री मुकेश श्रीवास्तव जी नहीं है।

(हुकुम सिंह जी के लगातार खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे, आप सीनियर मेम्बर हैं, अब बर्हिगमन करें चाहे जो करें।

(तत्पश्चात् श्री सुरेश कुमार खन्ना को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी सदस्यों ने श्री हुकुम सिंह के साथ बर्हिगमन किया।)

**[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]**

### तारांकित प्रश्न

**प्रदेश में ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण पर नियंत्रण करने की योजना**

\*1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ध्वनि, वायु, जल का प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इन तीनों प्रकार से हो रहे प्रदूषण से जनजीवन पर पड़ने वाले कुप्रभाव का कोई आंकलन कराया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार व्यापक कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां।

जी हां।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश की विभिन्न नदियों की जल गुणता का 'आंकलन नेशनल वाटर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम' के अन्तर्गत प्रत्येक माह नियमित रूप से किया जा रहा है। जल गुणता आंकलन के परिणामों में अधिकांश बिन्दुओं पर नदी जल प्रारम्भिक उपचार एवं जीवाणु नाशन के पश्चात् पीने योग्य, मत्स्य पालन एवं सिंचाई हेतु उपयुक्त पाया गया है।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 'नेशनल एयर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम' के अन्तर्गत प्रमुख नगरों की परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के 04 शहरों में स्वचलित परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। परिवेशीय वायु गुणता के आंकलन के परिणामों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न शहरों की परिवेशीय वायु गुणता में पार्टिकुलेट मैटर-10 का औसत मान निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया है, परन्तु सल्फर डाइआक्साइड एवं नाइट्रोजन आक्साइड का औसत मान निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया है।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 13 शहरों में 52 स्थलों पर ध्वनि स्तर का अनुश्रवण, 20 शहरों में 52 स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण 27 शहरों में 53 स्थलों पर नदियों, जलाशयों, झीलों एवं तालबों की जल गुणता का अनुश्रवण किया गया है।

प्रदेश में जल, वायु एवं प्रदूषण के नियंत्रण के लिये भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 प्रख्यापित किये गये हैं, जिनका अनुपालन प्रदेश में कराया जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में स्थापित होने वाले समस्त नये कारखानों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने की शर्त में शुद्धिकरण संयंत्र "ई0टी0पी" लगाये जाने की अनिवार्यता सुनिश्चित किये जाने एवं जिन पुराने कारखानों को अनापत्ति पूर्व में जारी की गई है, उनमें भी शुद्धिकरण संयंत्र लगाया जाना सुनिश्चित किये जाने के निदेश जारी किये गये हैं, जिसका अनुपालन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कड़ाई से सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा उद्योगों का नियमित अनुश्रवण करते हुये यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उद्योगों में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का नियमित संचालन हो एवं जनहित उत्प्रावाह/उत्सर्जन निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। साथ ही प्रदेश के विभिन्न शहरों में परिवेशीय वायु, ध्वनि गुणता तथा प्रमुख नदियों की जल गुणता का नियमित रूप से आंकलन एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

## नत्थी 'ग' तारांकित प्रश्न

\*1-श्री हुकुम सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**प्रदेश में कृषि ग्रोथ बढ़ाने के लिये सरकार की कार्य योजना**

\*02-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि ग्रोथ रेट वर्तमान में क्या है ? कृषि ग्रोथ बढ़ाने के लिये सरकार की क्या कार्य योजना है तथा इस हेतु क्या-क्या उपाय वर्तमान में किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आनन्द सिंह-

प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन की ग्रोथ रेट 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3.00 प्रतिशत रही है।

कृषि ग्रोथ बढ़ाने के लिये सरकार की कार्य योजना/कार्यक्रम निम्नवत् है :-

1-कृषि निवेशों यथा बीज, खाद, कृषि रक्षा रसायन एवं कृषि यंत्रों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

2-कृषि निवेशों की उपलब्धता आवश्यकता के अनुसार सुनिश्चित कराना।

3-कृषि निवेशों की गुणवत्ता को सुनिश्चित कराना।

4-तकनीकी हस्तान्तरण।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री सुरेश कुमार खन्ना जी।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, सुरेश कुमार खन्ना जी को लोग दरकिनार करके अगली बेन्चों पर बैटते हैं इसलिये वो पार्टी के साथ बहिर्गमन में शामिल नहीं हुये।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पुनः सदन में आ गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें मा0 मंत्री जी ने कृषि ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिये जितनी बातें बतायी हैं, इसमें असलियत तो यह है कि ये केवल कागजों पर है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री से दो बातें जानना चाहता हूँ, मा0 अध्यक्ष जी, जरा हाउस व्यवस्थित करायें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, ये क्या हो रहा है, इसको बन्द कराना पड़ेगा क्या ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, कृषि ग्रोथ रेट बढ़ाने का अगर सबसे बड़ा कारण है तो वह है मार्केटिंग की स्थिति। अगर किसान को लाभकारी मूल्य मिले तो उससे बड़ा कोई प्रोत्साहन किसान के लिये नहीं है। आज सरकार ने धान का रेट 1250 घोषित किया और महीन धान का 1280, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी जिला ऐसा नहीं है, जहां पर बिना सिफारिश के धान खरीदा जा रहा हो। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इसमें मार्केटिंग को स्थान क्यों नहीं दिया गया, जो सबसे ज्यादा मेन इंफ्लैटिंग है, कृषि ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिये। दूसरा, क्या माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था करें कि मंडियों में सेंटर लगे हैं, पी0सी0एफ0 के लगे हैं दूसरी संस्थाओं के क्रय केन्द्र लगे हैं, उन पर बिना सिफारिश के किसान को सही मूल्य मिल सके, लाभकारी मूल्य मिल सके, जो 1250 का मूल्य घोषित किया गया है, वह मिल सके, 1280 के बारे में इसलिये नहीं कहूंगा कि अभी आप उसमें केन्द्र सरकार को ले आयेगे।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न है कि क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि ग्रोथ रेट वर्तमान में क्या है ? कृषि ग्रोथ बढ़ाने के लिये सरकार की क्या कार्य योजना है। लेकिन आप तो क्रय केन्द्रों पर बात कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूँ कि कृषि ग्रोथ रेट बिना मार्केटिंग के प्रोत्साहन किसान को मिल नहीं सकता। मान्यवर, मॉशचर के नाम पर आज किसानों का शोषण पूरे प्रदेश में हो रहा है। यह कहा जाता है कि तुम्हारा 25 प्रतिशत मॉशचर है, तुम्हारा नहीं लिया जायेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां बिना सिफारिश, बिना विचौलिये के धान खरीदा जा रहा हो। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मार्केटिंग को दुरुस्त करने के लिये माननीय मंत्री जी की कोई योजना है और मॉशचर के नाम पर किसान का जो शोषण हो रहा है, क्या माननीय मंत्री जी उसको रोकेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिये इसका क्या योगदान होगा, आपको यह सवाल करना चाहिये।

कुंवर आनन्द सिंह-

मान्यवर, मार्केटिंग, मंडी, यह प्रश्न हमारे विभाग से संबंधित नहीं है। मंडी समितियां, यह हमारे विभाग द्वारा संचालित नहीं होती। इसलिये आप यह प्रश्न संबंधित विभाग में पूछने की कृपा करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरे अधिकारों का हनन है।

श्री अध्यक्ष-

आपके अधिकारों का हनन कोई कर ही नहीं सकता, आप तो अपने अधिकारों को स्वयं छोड़ चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह नियंत्रण अमेरिका का है। मंडी पर नियंत्रण उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है। यह इतने वरिष्ठ मंत्री, मैं तो इनका इतना सम्मान करता था, आपने यह कहकर सवाल को बिल्कुल घुमा दिया।

श्री अध्यक्ष-

आप ग्रोथ रेट के बारे में जो पूछना चाहें, वह पूछें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। मैं मूल प्रश्नकर्ता हूँ और मूल प्रश्नकर्ता का यह अधिकार है कि वह एक-दो सप्लीमेंटरी आपकी कृपा से पूछ सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि जो असली सवाल था उसको तो इन्होंने मखौल में उड़ा दिया। मान्यवर, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा सवाल यह है कि ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिये जितनी भी बंजर भूमि है, उसको उपजाऊ बनाने के लिये क्या करेंगे और दूसरी बात डीजल पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया गया है, उसको कम करने के लिये माननीय मंत्री जी कोई सिफारिश करेंगे और स्वयं वैट को कम करेंगे या बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये कोई व्यवस्था विशेष रूप से इस साल में यह सरकार करेगी। 5.8 पांचवी पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा गया था और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 3 प्रतिशत का ग्रोथ रेट दिया है। तो मान्यवर, यह 5.8 ग्रोथ रेट कैसे होगी, क्या सवाल के जवाब को टालने से होगी आज मध्य प्रदेश में 19 प्रतिशत ग्रोथ रेट पहुंच गयी और उत्तर प्रदेश 3 प्रतिशत पर खड़ा है। मान्यवर, आप हमारे सवाल का जवाब दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिये बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये क्या भूमि सेना आदि की कोई योजना है ?

कुंवर आनन्द सिंह-

हां है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 खन्ना जी ने कहा है कि मंत्रि-परिषद् के प्रत्येक सदस्य का संयुक्त उत्तरदायित्व है और उसमें विभाग की बात अलग नहीं की जा सकती, यह बात ठीक है लेकिन मान्यवर, इसकी आड़ में प्रश्न पूछा जाय "ए" और मूल प्रश्नकर्ता मूल प्रश्न से हटकर उसकी शाखा पर भी न जाएं, मोहल्ले के दूसरे छोर पर जा करके प्रश्न पूछे, इसकी अनुमति तो नहीं दी जा सकती। मान्यवर, यदि कृषि के विकास का प्रश्न हो और यह मार्केटिंग का प्रश्न पूछे कि इसमें कितनी तौल होगी, कितनी घट गई तो मान्यवर, स्वाभाविक रूप से उसका उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है और ऐसा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारी सिफारिश है कि इनको उप मुख्य मंत्री बना दिया जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

इन्होंने जो मेरे लिये दुआ की है मेरी दुआ है कि इनके जीवन का जो अधूरापन है वह इस बुढ़ापे में जल्दी भर जाए।

श्री अध्यक्ष-

वह आप प्रयास कर देंगे तो जल्दी भर जायेगा।

#### प्रदेश में तहसील स्तर पर कन्या महाविद्यालय खोले जाने की मांग

\*03-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बालक/बालिकाओं विशेषकर बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की अत्यन्त कमी होने से सेल्फ फाइनेंस विद्यालयों में अत्यधिक फीस एवं दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण अत्यधिक कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक तहसील स्तर पर कन्या महाविद्यालय खोलने की योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 137 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 3085 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय अर्थात् कुल 3553 महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें 3012 सहशिक्षा एवं 541 महिला महाविद्यालय हैं।

श्री मनीष असीजा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

पहले सवाल पूछिये, आभार बाद में।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि बालिकाओं की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का मेरा उद्देश्य शासन को यह सुझाव देना है कि एक तरफ हम बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली अनेक कल्याणकारी योजनायें चला रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से बच्चियों के अन्दर आगे पढ़ने का उत्साह भी बना है परन्तु मान्यवर, मेरे प्रश्न का मूल भाव यह था कि एक तरफ बच्चियां प्रोत्साहित होकर अधिक संख्या में आईं लेकिन जब उनके लिये अच्छे विद्यालय नहीं होंगे तो बहुत बड़ी कठिनाई होगी। मुझे याद है और मा0 मुख्य मंत्री जी को भी याद होगा कि जब वह लोक सभा के लिये फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय बच्चियां धरने पर बैठी थीं और आप धरनास्थल पर गये थे और आपने उनकी मदद करने का आश्वासन भी दिया था तो मेरी यह प्रार्थना है कि प्रत्येक तहसील स्तर पर अगर बालिकाओं के लिये अच्छी शिक्षा के लिये महाविद्यालय खुल जाते तो ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि सेल्फ फाइनेंस के विद्यालयों में बड़ी विसंगति है। ज्यादातर विद्यालय इस स्थिति में हैं कि वह शिक्षा के विकास के स्थान पर व्यापार का काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे यह क्यों नहीं पूछते कि क्या राजकीय महाविद्यालय खोलने पर विचार करेंगे ?

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, उसके लिये तो सीधे-सीधे न है इसीलिये तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस पक्ष पर भी गम्भीरता से विचार करे और यह विद्यालय खुलना साहब हमारे लिये बहुत जरूरी है। मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का स्तर भी सेल्फ फाइनेंस विद्यालयों में अच्छा नहीं है। वहां अनुमोदन अच्छे अध्यापकों का लिया जाता है और टेके पर पढ़ाई होती है। सारा मामला यह है कि आपकी योजनाओं से प्रभावित होकर जहां बच्चियां आगे पढ़ना चाहती हैं वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है। योजना का जो अधूरापन है इसे आप पूरा करेंगे ऐसा विश्वास मुझे है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इस उत्तर से मा0 सदस्य सम्पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, इसके लिये उनको धन्यवाद। उनके जो सुझाव है, मूल्यवान हैं। उत्तर का जहां तक संबंध है, उन्होंने कोई प्रश्न पूछा नहीं। मैं अपनी ओर से उनकी भावना समझकर उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने यह कहा कि प्रत्येक तहसील पर महाविद्यालयों की स्थापना हो जाए। मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी योजना है कि प्रत्येक तहसील नहीं, प्रत्येक ब्लाक पर 3 वर्षों में डिग्री कालेज खुल जायेंगे। श्रीमन् 23 तो हमने इसी वर्ष ले लिये हैं बाकी जितनी जगह पर बचे हुये हैं, कुल 58 विकास खण्ड बचे हुये थे बाकी में 3 वर्षों में अगल वर्ष 12, उसके बाद 12 और फिर 11 विकास खण्ड लिये जायेंगे। यह करके प्रत्येक विकास खण्ड को संतुष्ट करने की हमारी योजना है। इसलिये मा0 सदस्य ने तहसील स्तर की मांग की, हम तो ब्लाक स्तर तक दें रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रश्न की भावना बहुत मूल्यवान है, उस पर आपने सहमति भी व्यक्त की। यह सही बात है कि इस बार छात्रों के इतने आन्दोलन हुये एडमिशन न होने की वजह से, कोई जनपद

बचा नहीं होगा जहां आन्दोलन न हुये हों, कोई विश्वविद्यालय नहीं बचा जहां आन्दोलन न हुये हों, लाठीचार्ज न हुये हों। तो साफ स्थिति यह है कि जितने छात्र, छात्रायें इण्टरमीडिएट की परीक्षा पास करते हैं उसके अनुरूप सीट उपलब्ध नहीं है। सीट उपलब्ध नहीं है तो आपने एक योजना बनायी कि विकास खण्डों में डिग्री कालेज बनायेंगे। आपने बताया कि इस वर्ष 23 डिग्री कालेज बनायेंगे। यह अच्छा कदम है कि हर विकास खण्ड में डिग्री कालेज की स्थापना करेंगे, चाहे साधन कहीं और से लगाना पड़े। सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये इन विकास खण्डों की संख्या बढ़ा दी जाएं और प्राथमिकता उनको दी जाए जो ब्लाक्स सर्वदा पिछड़े हुये हैं। राजनैतिक आधार पर चयन न किया जाय सर्वाधिक पिछड़ेपन के आधार पर चयन किया जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 हुकुम सिंह जी ने जो बात कही है वह सुझाव के रूप में भी और प्रश्न के रूप में भी है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी प्राथमिकता में वही भावना है जो आपने व्यक्त किया। जो लो जी0आर0 के जो ब्लाक्स हमारे हैं उनको सबसे हमारे कवर करें। जहां पर इण्टरमीडिएट पास करने के बाद पंजीकरण की उनकी संख्या औसत से काफी न्यून है, हमारे प्रदेश का औसत 12.5 प्रतिशत है उससे काफी न्यून है, उसको सबसे पहले लिया है। उसके बाद क्रमानुसार ही ले रहे हैं। जो हमने असेवित विकास खण्डों को सेवित करने की योजना बनायी है, वह इसी क्रम में है और इसी के अनुसार विद्यालयों का चयन हुआ है।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा उच्च शिक्षा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि पिछले 20-25 वर्षों में डिग्री कालेज या दूसरी शिक्षण संस्थायें खोलने की सरकार बात कर रही है। पिछले 20-25 वर्षों में वर्तमान में जो डिग्री कालेज हैं और यूनिवर्सिटियों द्वारा पुराने चलाये जा रहे हैं, छात्रों के एडमिशन पर आदरणीय हुकुम सिंह जी ने प्रश्न किया इतने लाठी चार्ज हुये, काफी लोग परेशान हुये और परसन्टेज के चक्कर में लोग घर बैठ गये। क्या सरकार की डिग्री कालेजों में सीट बढ़ाने की एक मौखिक या अस्थायी के बजाए स्थायी रूप से सीट बढ़ाने की सरकार की मंशा है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस कार्य इण्टरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या अधिक थी, 87 प्रतिशत परीक्षाफल था। इस 87 प्रतिशत लोगों के पास हो जाने कारण डिग्री कालेजों और यूनिवर्सिटियों में एडमिशन की समस्या छात्रों को आयी, वह वास्तविक थी, इसमें संशय नहीं है। किन्तु महाविद्यालयों की स्थापना का इन्फ्रास्ट्रक्चर एक सत्र में तुरन्त एक-दो महीने या 4 महीने में महाविद्यालय स्थापित नहीं किये जा सकते। सरकार ने व्यवस्था यह कि जो विश्वविद्यालय की परिनियमावली है उसमें एक सेक्शन में जो 60 छात्रों के प्रवेश का नियम था उसको 80 छात्रों को किये जाने की अनुमति थी। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो अनुमति गयी उसके अनुसार 60 की जगह 80, जो 25 प्रतिशत बढ़ा करके एडमिशन देने के लिये सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखा सभी विश्वविद्यालयों ने अपने डिग्री कालेजों में बढ़ी हुई सीटों के अनुसार एडमिशन लिया और 25 प्रतिशत अधिक छात्रों को एडमिशन मिला। जो डिग्री कालेज की स्थापना की बात आप कर रहे हैं तो डिग्री कालेज को स्थापित किये जाने के लिये जो हमारी कार्य योजना है उसमें हमने आपको अवगत

कराया कि प्रत्येक विकास खण्ड में डिग्री खोले जाने की योजना है। उसमें भारत सरकार का कितना योगदान है हमारा कितना योगदान है यह सारी बातें आप जानना चाहेंगे तो हम आपको अवगत करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब पूरा उत्तर हो गया। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी मैं उत्तर दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब कोई उत्तर नहीं बचा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

सरकार इतनी गम्भीर है। सरकार की गम्भीरता इस विषय पर इतनी है कि हमने अपने आर्थिक संसाधनों की परवाह नहीं करते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने डिग्री कालेज में जितने छात्र छात्राओं का एडमीशन हो रहा है उन सबको लैपटाप देने की व्यवस्था उन्होंने की है वह सारी कार्यवाही प्रोसीजर में है। आलरेडी टेंडर हो चुके हैं। तो हम तो उनके लिये बेहतर शिक्षा दे रहे हैं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठ जाएं मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ। अब सारा जवाब आ गया है। बंशी जी बैठिये।

### प्रदेश के किसानों की भूमि को नीलामी से बचाने की जानकारी

\*04-श्री दलवीर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों द्वारा विभिन्न बैंकों से कृषि यंत्रों एवं कृषि फसलों के लिये ऋण लेने पर समय से भुगतान न कर पाने की स्थिति में बैंकों द्वारा उसकी कृषि भूमि को नीलाम कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की भूमि को नीलामी से बचाने हेतु कोई उपाय करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

बैंक देयों के बकाया से सम्बन्धित वसूली प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश कृषि ऋण उधार अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अनुसार जिलाधिकारी को बैंकर्स से प्राप्त होने पर यू0पी0 जेड0ए0 एण्ड एल0आर0एक्ट-1950 की धारा 279 के प्राविधानानुसार वसूली की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सम्पन्न करायी जाती है।

बकायेदार छोटे किसानों के हितों को सुरक्षित रखने एवं उनकी भूमि को नीलामी से बचाने की दृष्टिकोण से शासनादेश संख्या-589/1-7-12-100/2003 दिनांक 14-6-2012 द्वारा व्यापक निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।



श्री दलवीर सिंह-

माननीय मंत्री जी ने जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब न देकर सिस्टम बता दिया कि वसूली इन नियमों के तहत जिलाधिकारी द्वारा कराई जाती है। दूसरा छोटे किसानों के लिए उन्होंने कुछ उल्लेख किया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ जितने राष्ट्रीयकृत बैंक के 0सी0सी0 जितनी भी ऋण की सुविधाएं किसानों को बैंकों से उपलब्ध होती है उन सबकी जो नीलामी होती है उसमें क्या सरकार रोक लगाने पर विचार कर रही है ? मेरा प्रश्न यह है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न समझ गया। मैं समझता था कि माननीय नेता लोकदल खड़े होंगे तो प्रश्न पूछने से पहले सरकार को बधाई देंगे माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देंगे कि घोषणा पत्र किए गए वायदे के अनुसार किसानों के 50 हजार के कर्जे माफ करने की उन्होंने 22 नवम्बर को नेता जी के जन्म दिन पर घोषणा की है इसलिए इसकी बधाई देंगे। फिर अपना प्रश्न पूछेंगे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहां तो नहीं पूछा लेकिन मुझसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुख्य मंत्री जी के लिए बधाई की बात कही इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो प्रश्न पूछा है, इसका पूरा उत्तर है। सप्लीमेंटरी आप पूछ लीजिए जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं वह मैं आपको बता देता हूँ उनकी नीलामी न हो सके उत्पीड़न की कार्यवाही न हो सके इसके लिए यह सरकार बनने पर भी हमने कदम उठाए हैं और जब माननीय नेता जी मुख्य मंत्री जी थे पिछली सरकार थी तो पहली बार सरकार की ओर से निर्देश जारी हुए कि एक लाख रुपए तक की वसूली जिस किसान से होनी है उनके खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। पूरे प्रदेश में दो जगह इसका उल्लंघन हुआ और दोनों जगह अधिकारी सस्पेंड किए गए। इस वर्ष यह राशि बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई वह अलग बात है लेकिन हमने और जो निर्देश दिए आते आते 14-6-2012 को एक शासनादेश राजस्व विभाग ने एक शासनादेश निर्गत किया उसमें शर्तें कठिन कर दी गई कि उन प्राविधानों के रहते हुए भी इसकी नीलामी की स्थिति न आये। जिसके हमने कदम उठाये हैं। मान्यवर, 3.125 एकड़ अथवा उससे कम भूमि वाले किसानों की भूमि की नीलामी न की जाय चाहे उस पर कोई भी लोन बकाया हो, राशि कुछ भी हो यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। श्रीमन् 3.125 एकड़ से अधिक भूमि के धारक बकायेदार किसान की सम्पूर्ण भूमि नीलाम न की जाय। मान्यवर, कई बार होता यह था कि नीलामी के आदेश चले गये और उसकी जमीन ज्यादा की है तो उसकी जमीन है पूरी और थोड़े में से उसका कर्जा अदा हो जाता लेकिन नीलामी हो जाती थी। तो यह निर्देश दे दिया कि इसके बाद भी यदि नीलामी आवश्यक हो तो उतनी ही भूमि की नीलामी की जाय जिससे उस कर्जे की अदायगी हो जाय। इसके बाद मान्यवर, फिर निर्देश दिये कि नीलामी की स्वीकृति तब ही की जाय क्योंकि एक शिकायत और थी क्योंकि हम आप सब किसानों के साथ रहते हैं, किसान परिवार से आते हैं जानते हैं उनकी पीड़ा कि उनकी जमीन ज्यों नीलामी के लिये आई से उसका मूल्य सस्ता हो जाता था और औने पौने दाम पर उसको लुटा दिया जाता था। शासनादेश मान्यवर, यह निर्गत किया गया कि उसकी भूमि का जो बाजारू मूल्य है उस मूल्य से अगर अन्यून है तो किसी भी हालत में उसकी नीलामी की स्वीकृति नहीं दी जायेगी चाहे एक बार करें चाहे चार बार करें तो उसके खेत को बचाये रखने का हमने समुचित प्रबन्ध किया है मान्यवर, और निर्देश भी दिये हैं कि किसी

हालत में दो लाख रुपये से कम के बकायेदार किसान पर किसी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न हो। मैं आश्वस्त भी करना चाहता हूँ सदन को कि एक भी शिकायत अगर इस शासनादेश के उल्लंघन की आप देंगे हम गम्भीरता से उसकी जांच करा लेंगे और जो दोषी होगा मान्यवर, कठोर दंड देंगे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-5 पुकारे जाने पर कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे मूल प्रश्नकर्ता को पूछ लेने दीजिये। उनका प्रश्न है, उनको पूछ लेने दीजिये।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मेरा इसमें निवेदन है माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि जितने की नीलामी होगी अगर सर्किल रेट या मार्केट रेट से कम की होगी तो उस पर पुनः विचार कर लिया जायेगा। यह केवल अन्य किसानों पर लागू नहीं होता। यह नियम अन्य किसान जो बड़े किसान हैं, मध्यम वर्ग के किसान हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न का पूरा उत्तर आ गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है प्रश्नकर्ता ने, मैं स्पष्ट कर दूँ। किसी भी किसान वह चाहे सीमान्त कृषक हो या सामान्य किसान हो या उसके ऊपर की सीमा का किसान हो लघु सीमान्त और सीमान्त के अलावा जो सामान्य कृषक हैं किसी जोत का किसान होगा उसकी जमीन की नीलामी तब ही अप्रूव की जायेगी जब मार्केट रेट से ऊपर मूल्य उस नीलामी वाले का रखा जायेगा। प्रकारान्तर से यह है कि अब जो नीलामी के नाम से जो उसके खेत की लूट हो जाती थी वह अब लूट नहीं होगी।

श्री रौशन लाल वर्मा-

मान्यवर, 22 अगस्त को सुच्चेन सिंह सरदार ग्राम गांगेपुरा विकास खण्ड निगोही में 25 हजार की नीलामी में उसे डंडा मार कर बंद किया गया। एक किसान नहीं हमारे यहां के कई किसानों के पकड़ कर जेल भेजा गया है। सरकार सुच्चेन सिंह को डंडा मारकर जेल भेजा गया। कई किसानों को जेल भेजा गया। उनका उत्पीड़न हो रहा है।

(दो तीन माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप राजस्व मंत्री को लिखकर दे दीजिये। अरे जी0एम0 सिंह जो कहना चाहते हैं, वह आप लिखकर दे दें। अगर कहीं कोई उत्पीड़न हो रहा है तो उसको भी लिखकर दे दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैंने कहा कि अब नहीं होगा। अगर कहीं कोई उत्पीड़न हो रहा है तो उसकी सूचना दीजिये, हम कार्यवाही कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

सारी बात आ गई। कह दिया कि नीलामी नहीं होगी। इससे कम पर नहीं होगी और अब उसमें कौन सा प्रश्न बचा है हमको बतायें। यह भी कह दिया कि कहीं पर उत्पीड़न हुआ है तो हमको बताओ। अब क्या रहा।

### प्रदेश में आलू आधारित उद्योगों की स्थापना पर विचार

\*05-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में आलू आधारित उद्योगों की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राजकीय/सार्वजनिक क्षेत्र/एन0जी0ओ0/सहकारिताओं/निजी क्षेत्र/व्यक्तिगत उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए प्लाण्ट-मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की कुल लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 50.00 लाख ग्राण्ट-इन-एड के रूप में प्रदान किये जाने का प्राविधान है, जिसमें आलू आधारित उद्योग भी सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(मंत्री जी द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या-5 का उत्तर पढ़ा गया)

डा0 धर्म पाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश में आलू गन्ना के बाद बड़ी नकदी फसल है। माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ गन्ना के लिये प्रदेश में गन्ना बोर्ड है, गन्ना विभाग अलग से है जब कि आलू और आलू के किसानों की समस्याओं के निदान के लिये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार आलू के किसानों की समस्याओं के निदान के लिये आलू नीति बनाने पर विचार करेगी ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि अभी तक प्रदेश सरकार ने आलू पर आधारित उद्योगों को लगाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की ? अब तक कितने उद्यमियों द्वारा आलू पर आधारित उद्योग लगाने के लिए आवेदन किया गया ? मेरा तीसरा सवाल है क्या सरकार आगरा मण्डल में सेन्टर फॉर एक्सीलेंसी फार पोटेटो खोलने पर विचार कर रही है। चौथा प्रश्न मेरा है 2001 में आगरा में एक कृषि निर्यात जोन की स्थापना की गई थी उसमें आगरा, फिरोजाबाद, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मेरठ और हाथरस को मिलाकर एक आलू कृषि निर्यात जोन बनाया गया था। उस जोन ने दो साल तक कार्य भी किया लेकिन फिर अचानक 2003 में यह मृतप्राय हो गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उस मृतप्राय जोन को पुनः चालू करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी जितना समझ में आया हो उतना जबाव दे दीजिए।

श्री राजकिशोर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने सबसे पहले पूछा है कि आलू नीति आप लाएंगे, तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी 20 नवम्बर को कैबिनेट का डिजीजन हुआ है खाद्य प्रसंस्करण नीति जो सबसे अच्छी नीति हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में लाई है। इस नीति के तहत आलू उद्योग भी इसमें सम्मिलित है उसको भी तमाम सुविधायें भारत सरकार के सहयोग से जिसमें भारत सरकार का 75 परसेंट है और उत्तर प्रदेश सरकार का 25 प्रतिशत है मिलाकर अगर कोई भी व्यक्ति आलू का उद्योग लगाना चाहता है तो उसको 50 लाख रुपये की सब्सिडी सरकार देगी और जो ऋण लेगा उसका सात परसेंट ऋण उत्तर प्रदेश सरकार माफ करेगी और जो जमीन उसके लिए लेंगे उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी माफ करेंगे इसलिए इस तरह की तमाम सुविधायें हैं अगर वहां पर बिजली ट्रांसफार्मर इत्यादि लगाना हो तो उसके लिए एक करोड़ की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। यह बहुत अच्छी नीति आई है। इसलिए आलू पर और विचार करने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी बात आपने आगरा की बात कही, तो आगरा में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस देंगे आप देखें होंगे हमने घोषणा भी की है, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि आगरा में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रहे हैं और जिस दिन आगरा में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस खुला, आपने अभी कहा कि जोन आलू का खुला था वह बंद हो गया, तो जब आगरा में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस खुल जाएगा तो वहां चाहे तकनीकी जानकारियां किसानों को लेनी हों या जो किसानों को सुविधायें दी जाती हैं आलू के क्षेत्र में, या आलू उद्यमियों को जो सुविधायें दी जाती हैं वह सारी सुविधायें वहां उपलब्ध कराई जाएंगी और किसानों को और आलू उद्यमियों को आलू का बीज अच्छी वैरायटी का दिया जायगा।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं जानना चाहता था कि आलू पर आधारित उद्योग लगाने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं।

श्री राजकिशोर सिंह-

मैंने बताया कि कैबिनेट में नीति तय हो गई है। अभी एक गाजियाबाद में एक उद्यमी द्वारा प्रस्ताव मिला है हमारे विभाग को, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और उद्यमी आएंगे। सात उद्यमी व्यक्तिगत अपना उद्योग लगाये हैं। एक नये उद्यमी आए हैं हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में तमाम उद्यमी आएंगे।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश में यदि कोई आलू की इन्ड्रस्ट्री लगाता है तो उसमें सरकार को एक प्रस्ताव मिला है। हम जानना चाहते हैं कि आलू के अलावा फूड प्रोसेसिंग में और कितने प्रस्ताव मिले हैं। क्या विदेशी पूंजी निवेश को उत्तर प्रदेश सरकार प्रश्रय देगी।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न आलू आधारित उद्योग से सम्बन्धित है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं जानना चाह रहा हूं कि कृषि निर्यात क्षेत्र जोन जो बिल्कुल बंद पड़ा है उसको जीवित करेंगे।

श्री राजकिशोर सिंह-

मान्यवर, वह निरस्त नहीं है, वह जीवित है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, वह कृषि निर्यात क्षेत्र जोन बिल्कुल बंद है वहां से बीज नहीं मिल रहा। मंत्री जी ने कहा है कि वह जीवित है। जब तक बीज नहीं मिलेगा तो आलू की फसल कैसे बढ़ेगी ? उसको आप सुनिश्चित करा देंगे।

### प्रदूषण से होने वाले कुप्रभावों को रोकने के लिये कार्य योजना

\*06-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं तथा ध्वनि से वायु एवं ध्वनि प्रदूषण में लगातार वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रदूषणों से होने वाले कुप्रभावों को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनपरा एवं रेनूसागर में एस0पी0एम0, आर0एस0पी0एम0, एस0ओ0टू0 एवं एन0ओ0एक्स0 का अनुश्रवण किया जाता है। रेनूसागर में आर0एस0पी0एम0 को छोड़कर अन्य प्रचालकों के प्रदूषण का स्तर घटा है।

जनपद सोनभद्र में प्रदूषणकारी प्रकृति के 22 उद्योग स्थापित हैं 19 उद्योगों में उत्प्रेषण शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित है तथा मानकों की प्राप्ति की जा रही है। 02 उद्योग मै0 ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट 'अ' तथा मै0 ओबरा थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 'ब' ओबरा में उत्प्रेषण शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित नहीं है। 01 उद्योग बन्द है। उपरोक्त 21 संचालित उद्योगों में 17 उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है 04 उद्योग मै0 ओबरा थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 'अ' मै0 ओबरा थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 'ब' एवं मै0 अनपरा थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 'अ' एवं मै0 अनपरा थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 'ब' में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है किन्तु मानक प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

जनपद, सोनभद्र में 270 स्टोन क्रशर स्थापित हैं, जो कि कच्चा माल (स्टोन बोल्डर) की उपलब्धता न होने के कारण वर्तमान में संचालन में नहीं है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश दिनांक 25-7-2000 तथा उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश दिनांक 05-08-2000 द्वारा जनपद सोनभद्र में नये स्टोन क्रशर उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लागू है।

औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप जनित पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अध्ययन किया गया तथा वर्ष-1991 में क्रिटिकली पाल्यूटेड एरिया चिन्हित किया गया है तथा वर्ष-1996 में इस क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु "सिंगरौली एक्शन प्लान" लागू किया गया है। इस एक्शन प्लान में जनपद-सोनभद्र का एवं मध्य प्रदेश राज्य के जनपद-सिंगरौली का क्षेत्र सम्मिलित है। एक्शन प्लान में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु

कार्यवाही के बिन्दु जैसे उद्योगों द्वारा उत्पादन की स्वच्छ तकनीक अपनाना, वायु उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणता के निरन्तर अनुश्रवण शुद्धीकृत उत्प्रवाह का अधिकतम पुनः प्रयोग करना तथा थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाली राख का बेहतर प्रबन्धन तथा सूखी राख को सीमेन्ट प्लान्ट में दिये जाने की व्यवस्था जैसे उपाय शामिल हैं। इस एक्शन प्लान की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिला प्रशासन के सहयोग से प्रगति समीक्षा भी की जाती है।

(तारांकित प्रश्न संख्या-6 पुकारे जाने पर एवं श्री सुनील कुमार सिंह यादव के अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं अगला प्रश्न लेता हूँ।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

मान्यवर, मेरी रुचि है मैं सवाल पूछ लेती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

यह ऐसा नहीं होता है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, इसी से संबंधित मेरा प्रश्न संख्या-181 लगा हुआ है, इसलिये इसका उत्तर आ जाने दें।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाएं। पहले इसके बाद वाला प्रश्न हो जाने दें।

### प्रदेश की कतिपय जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर विचार

\*07-साध्वी निरंजन ज्योति, श्री छोटे लाल वर्मा, डा0 धर्मसिंह सैनी, श्री बब्बन एवं श्री रमेश चन्द्र-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निषाद, मल्लाह, केवट, बिन्द, कश्यप, कहार, राजभर, प्रजापति कुम्हार, भर, धीवर, धीमर, बाथम, मांझी, तुरहा गौड़ जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

निषाद, मल्लाह, केवट, बिन्द कश्यप, कहार, राजभर, प्रजापति, कुम्हार, भर, धीवर, धीमर, बाथम मछुआ, मांझी, तुरहा, गौड़ जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार करने तथा संस्तुति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मा0 मंत्रिपरिषद की एक उप समिति का गठन किया गया है। मा0 उप समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति-

मान्यवर जो यह विषय उठा है यह समाजवादी पार्टी के द्वारा उठाया गया था। मा0 मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा उठाया गया था। मान्यवर इस प्रश्न में मैंने इन जातियों का नाम लिया है। इनको मैंने बहुत नजदीक से देखा है। यह लोग कोई न कोई रोजगार करते थे। उस दिन मेरा प्रश्न था और उसे हाईजैक कर दिया गया जिसका मैं विरोध करती हूँ। मान्यवर यह लोग गंगा यमुना आदि

नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं। मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। यह कहा जाता है कि होनहार विरवान के होत चिकने पात। आने वाले लोक सभा के चुनाव के लिये यह न हो कि इन जातियों को लाभ देने के लिये सरकार की ओर से कोई घोषणा कर दी जाए कि इन समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में लिया जायेगा और उसके बाद उसको कूड़ेदान में डाल दिया जायेगा। क्योंकि यह प्रश्न बहुत दिनों से चल रहा है। मान्यवर इस समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में लिया जाय। मैं आरक्षण की पक्षधर हूँ। लेकिन गरीबी के आधार पर वह हो चाहे वह व्यक्ति किसी समाज का हो।

मान्यवर, मैं यह जानना चाहती हूँ कि मंत्रि-परिषद की जो उप समिति गठित हुई है यह समिति इस अध्यादेश को, शासनादेश को इन समाज के हित में कब तक लागू करने की घोषणा करेगी और क्या हम लोगों को इसी सदन में यह सूची मिल जायेगी कि इस समाज को अनुसूचित जाति में लिया गया है, आरक्षण दिया गया है ?

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या जी ने जो सवाल पूछा कि क्या यह जो 17 जातियां हैं इनको अनुसूचित जाति में लिया जायेगा, श्रीमन्, हमारी यह सरकार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बनी है, हमारी प्राथमिकताओं में से बहुत मुख्य प्राथमिकता है इसलिये जैसे यह सरकार बनी 6 जुलाई को मंत्रि-परिषद् की तरफ से एक उप समिति को गठन किया गया जिसमें श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमको उसका अध्यक्ष बनाया, माननीय पारस नाथ जी हैं, माननीय ब्रह्मा जी हैं और 2-3 मंत्रीगण और हैं, जो सम्यक रूप से विचार करके संस्तुति देगी। चूंकि यह विषय कौन जातियां अनुसूचित जाति में बने कौन न बने यह भारत सरकार का विषय है तो भारत सरकार को केन्द्र सरकार को संस्तुति भेजने के लिये यह समिति बनी है इसमें दो-दो बैठके हो गयी हैं मेरी अध्यक्षता में और यह चिन्ता का विषय, जो माननीय सदस्या जी ने कही है यह आपको बताते हुये खुशी हो रही है जब माननीय नेता जी मुख्य मंत्री थे तो उस समय भी यह भारत सरकार को भेजा गया था लेकिन श्रीमन्, इसमें कोई वैधानिक त्रुटि न हो इसलिये यह समिति बनाई गयी है। समिति सभी बातों पर सम्यक रूप से विचार करते हुये भारत सरकार को अपनी संस्तुति भेजे जिससे कि हमारी जो यह 17 जातियां हैं इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सके और उनको लाभ दिया जा सके। इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी समिति इसमें अपनी रिपोर्ट भेजेगी और बहुत जल्दी भारत सरकार को यह अपनी संस्तुति भेजेगी इस उम्मीद के साथ कि भारत सरकार इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ देगी।

साध्वी निरंजन ज्योति-

मान्यवर, सरकार और केन्द्र सरकार, 2003 में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार बनी थी, मैं सदन में नहीं थी लेकिन मैं पढ़ती हूँ और सुनती हूँ माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार 2003 में घोषणा करके केन्द्र में समर्थन दिये हुये है। ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है जो केन्द्र में समर्थन देने के बाद भी पास नहीं करवा पा रहे हैं और एक मेरा प्रश्न और है कि यदि केन्द्र से ही पास होना है तो मध्य प्रदेश में इस समाज को कैसे आरक्षण मिल रहा है, महाराष्ट्र में कैसे आरक्षण मिल रहा है मैं इसका जवाब चाहती हूँ यदि सरकार सच्चे दिल से चाहती है, केन्द्र सरकार में समर्थन दिये है तो क्या केन्द्र में यह प्रस्ताव ला करके इसी सत्र में इसको लागू करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह केन्द्र का मामला है तो उसमें यहां क्यों पूछ रही हैं ?

श्री जय प्रकाश निषाद-

मान्यवर, इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रश्न माननीय सदस्या ने उठाया है मैं इस पर बल देते हुये माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी के घोषणा पत्रों में भी पूरे प्रदेश में घूम करके समाज को गुमराह करने की जो बात की गयी है कि हम इसको शामिल करायेगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से पूछना चाहता हूं इनको कब तक शामिल करा देंगे इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में इसको बताने की कृपा करेंगे ?

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पहाड़िया जी, मंत्री जी खड़े हो गये हैं जवाब देने, आप बैठिये, आप कुछ नियम तो मानते नहीं है, आप नियम पालन करा करिये। यह सदन नियमों से चलता है।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष, मेरी सरकार की नीति में और नीयत में कोई अन्तर नहीं है यह जो बैठे हैं उधर, माननीय नेता जी जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिये भारत सरकार को संस्तुति भेजी थी लेकिन यह जो बैठे हुये हैं अपने नेताओं से पूछे, हालांकि पूछने की हैसियत नहीं है इनकी।

इन्होंने कोर्ट में जाकर इसको रोकने का काम किया था। मान्यवर, मेरी सरकार में मेरे मुख्य मंत्री की नीति और नीयत में कोई अन्तर नहीं है। बहुत जल्दी बल्कि दो महीने के अन्दर हम समिति द्वारा संस्तुति कराकर सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार को भेजने का काम करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अभी दो प्रश्न आये एक हमारी बहन ने किया और एक हमारे बसपा के साथी ने किया। आपने कहा कि क्या मजबूरी है कि समाजवादी पार्टी और नेता जी केन्द्र को समर्थन दिये हुये हैं और दूसरा आपने 17 जातियों के बारे में कहा। इसी सदन में रेजूल्यूशन पास हुआ था भारत सरकार को भेजा गया था और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है उसके खिलाफ आप कोर्ट गये थे। मेरे ख्याल से यह आरोप नहीं है बल्कि एक सिद्ध वाक्य है। आपने यह भी कहा कि आपके मुख्य मंत्री घूम-घूमकर इसकी घोषणा करते हैं। हमारी पालिसी में था इसी सदन में इसे पास करके भारत सरकार को भेजा गया। हमारी नीति थी कि यह 17 जातियां अनुसूचित जातियों में शामिल हों और आपकी नीति यह है कि यह 17 जातियां शामिल न की जायें। अगर आपके अन्दर कोई भी नैतिकता है तो आप अपने जमीर से सवाल करें कि जो प्रश्न आपने किया है वह सही है या गलत है। क्योंकि आपने अपने प्रश्न की शुरूआत मुख्य मंत्री जी के घूम-घूमकर इस बात को कहने से की थी और अगर आपका जमीर कहीं शर्मिदा है तो आपको सदन से इसकी क्षमा चाहनी चाहिये। जहां तक हमारी बहन का सवाल है कि क्यों समर्थन है तो समर्थन इसलिये है कि केन्द्र में आप सत्ता में न आ सकें।



नेता, विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, प्रदेश की पिछड़े वर्ग की जातियां निषाद, मल्लाह, केवट, बिन्द, कश्यप, कहार, राजभर, प्रजापति, कुम्हार, भर, धीवर, धीमर, बाथम, मांझी, तुरहा, गौड़ जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिये समाजवादी पार्टी सरकार पहली बार नहीं दूसरी बार यह ढोंग कर रही है। इसके पहले भी सन् 2003-07 तक इनकी सरकार थी। चार साल तक यही डुगडुगी पिटाते रहे कि हम इनको अनुसूचित जाति में शामिल कर रहे हैं। वह चार साल बीत गया और इनकी हालत त्रिशंकु की नात दी न यह पिछड़े वर्गों का फायदा ले पाते हैं और न अनुसूचित जाति बन पाते हैं। इसी प्रकार से इन पिछड़े वर्ग के समाज के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। खिलवाड़ किया जा रहा है। जब एक बार आपका प्रस्ताव जा चुका है तो उस समिति बनाने की क्या आवश्यकता थी। उसी प्रस्ताव को पुनः इसी सदन में पारित कराकर भारत सरकार को भेज देना चाहिये था। लेकिन आप उनको अनुसूचित जाति में शामिल नहीं कराना चाहते हैं बल्कि यह करने का नाटक करके उनको गुमराह करके उनका लाभ लेना चाहते हैं। उनका वोट लेना चाहते हैं और त्रिशंकु की तरह उनकी हालत करके उनको बदतर हालत में करना चाहते हैं। आज समाजवादी पार्टी की सरकार को अपने दोहरे चरित्र से बाहर आना चाहिये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इस उप समिति का गठन कब हुआ था और आप कब तक केन्द्र सरकार को यहां से प्रस्ताव भेज देंगे ?

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया सहित कुछ सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये। पहाड़िया जी बैठिये। संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं। बैठिये, बैठिये।

(मा0 श्री बंशी सिंह पहाड़िया अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहे, लेकिन माइक आफ होने की वजह से उनकी कोई भी बात स्पष्ट सुनाई नहीं दी)

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्नों का समय खराब कर रहे हैं। आप शान्त होकर अपने स्थान पर बैठ जायें, आप नियमों के अन्तर्गत रहिये अन्यथा आपको दिक्कत होगी। आप अगर नहीं मानेंगे तो हमें कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी, आपको मैं चेतावनी दे रहा हूँ, आप बैठ जाइये मैं कह रहा हूँ। मा0 मंत्री जी आप जवाब दे दें मा0 नेता विरोधी दल का।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने ऐसी बात कही, इनको शर्म नहीं आती है कि बहन जी के पी0आर0ओ0 थे बिन्द थे, भदोही के बहुत नजदीक थे, उन्होंने बहन जी के कहने पर उन्होंने जाकर के न्यायालय में रिट दाखिल करके स्टे लेने का काम किया था और आज इस तरह से बड़ी आवाज करके उसका नाजायज फायदा लेना चाहते हैं। इस प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं और प्रदेश की जनता ने जो आप कहते हैं कि इसका फायदा नहीं मिलता, हम फायदे के लिये नहीं लेकिन जनता ने आपको मजा चखा दिया है, पिछड़ी जाति के लोगों ने भी अनुसूचित जाति के लोगों ने भी। यह जो दोरंगी चाल चलते हैं, दो जुबान बोलते हैं मजा चखा दिया है आने वाले दिनों में अब आपको यहां आने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

आपको प्रस्ताव बनाकर भेजना चाहिये, पांच साल तक समय पास करने के लिये या लोक सभा चुनाव को देख करके उप समिति बना करके इस मामले को लटकाने का जो कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार सीधे-सीधे पिछड़े वर्ग की इन 17 जातियों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। सरकार की इस दोगली नीति के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(तत्पश्चात् नेता विरोधी दल के साथ बहुजन समाज पार्टी से सदस्यगण सदन का बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

आज बहुत से प्रश्न हैं, 10 मिनट बचा है और प्रश्न ले लें, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में अपनी बात कह दूँ, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने बहिर्गमन भी किया है अपनी पार्टी के साथ और बहुत चीख कर देने से कोई गलत बात सही नहीं हो जायेगी और सही बात गलत नहीं हो जायेगी। मान्यवर, मैं तो चाहूँगा कि इस पर आप तमाम दलों की एक समिति बना दें और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाय कि भारत सरकार को मा10 नेता जी के द्वारा कोई प्रस्ताव इस तरह का भेजा गया था या नहीं भेजा गया था और उस प्रस्ताव को वापस लेने के लिये बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने सिफारिश की थी या नहीं की थी, इस पर एक फैसला हो जाय ताकि बात सामने आ जाय और जो हाईकोर्ट में रिट हुआ था उसके बारे में भी हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो हम इस पर एक समिति बना देंगे। बस अब हो गया, जांच हो जायेगी, हम जांच करवा देंगे।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा माहौल कुछ गरम हुआ, शर्म की बेशर्मी की बात भी आई।

श्री अध्यक्ष-

तो इसे आप सामान्य कर दें।

श्री हुकुम सिंह-

जी मान्यवर, उसी को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा तो प्रयास यही है कि सामान्य रहे। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, मान्यवर, जहां तक इन जातियों को इनका हक दिलाने का प्रश्न है तो इन्हें भी विकास करने का अवसर देने का प्रश्न है। इसमें नियत साफ होनी चाहिये और नियत अगर साफ नहीं होगी, केवल राजनैतिक संदेश देने की बात होगी तो कमी किसी ने छोड़ी नहीं, न इन्होंने कमी छोड़ी, न इन्होंने कमी छोड़ी। जब हमने कोई इंसाफ देने का प्रयास किया तो सुप्रीम कोर्ट कौन गया, जानकारी कर लीजिये। मान्यवर, क्वेश्चन यह है कि जब सदन का प्रस्ताव एक पास हो गया और सदन का प्रस्ताव आपने केन्द्र सरकार में भेज दिया। सबसे बड़े प्रदेश के सबसे बड़े सदन ने प्रस्ताव पास किया हुआ है तो अब उप समिति की जरूरत क्या रह गयी ? मंत्री-परिषद् की उप समिति इस सदन से ऊपर नहीं है मान्यवर। जब सदन का प्रस्ताव वहां चला गया और एक बात

साध्वी जी ने कही, उसको आप थोड़ा सा अन्यथा ले गये। उन्होंने कहा कि आपके समर्थन से सरकार चल रही है, आपके समर्थन के बिना वहां सरकार चलने वाली नहीं है। अगर आप ईमानदारी से विश्वास करते हैं कि इस वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये, अनुसूचित जाति में आना चाहिये तो इससे अच्छा अवसर क्या मिलेगा ? आप बैसाखी बन करके उनकी नइया पार करा रहे हैं और इसके बावजूद भी सदन के प्रस्ताव को उनसे पास नहीं करा पा रहे हैं तो मान्यवर, मेरा आग्रह यह है कि राजनैतिक अखाड़ा बनाने के बजाय जो सदन का प्रस्ताव है, आपने भेजा हुआ है। आपके द्वारा प्रस्ताव सदन ने सर्वसम्मति से पास किया हुआ है, उस प्रस्ताव को आप स्वीकार कराइये। इससे अच्छा अवसर आपको मिलने वाला नहीं है और अगर नहीं कराना चाहते हैं तो बिना बात के उप समिति बना करके उस वर्ग को धोखा मत दीजिये। इसलिये मेरा आग्रह है, अगर इस पर कुछ कहना चाहें तो कहें।

श्री अध्यक्ष-

हो गया इस पर, बहुत सवाल हैं।

श्री दलवीर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं केवल यह जानता हूं और हो सकता है कि मेरी अधूरी जानकारी हो। मान्यवर, तत्कालीन मुख्य मंत्री मा0 राम प्रकाश गुप्ता जी ने स्वयं अपनी हैसियत से हमारी जाति को पिछड़े जाति में आरक्षण दे दिया था तो क्या अब यह नहीं किया जा सकता ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, मा0 हुकुम सिंह जी का जवाब दे दीजिये, जो आपने उप समिति की आवश्यकता बताई है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मा0 हुकुम सिंह जी, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अपनी पार्टी में भी हैं, इस सदन में भी हैं और ये कानून भी जानते हैं। मान्यवर, अगर भारत सरकार की तरफ से अगर कोई चीज, कोई शंका पूछी गयी है तो उसका निराकरण भी करें। ये जो उप समिति बनी है, ये उप समिति यह परिलक्षित करती है हमारी सरकार की नीति और नियत को। हमारी नियत साफ-साफ है कि कोई वैधानिक लेक्युना न हो। इसलिये सभी बिन्दुओं पर जिससे कि भारत सरकार मजबूर हो हमारे प्रस्ताव को भेजने के लिये और मान्यवर, मैं कह चुका हूं कि अनावश्यक विलम्ब नहीं लगेगा, दो महीने के अन्दर-अन्दर चूंकि मेरी ही अध्यक्षता में कमेटी बनी है तो मेरी जिम्मेदारी भी है और हमारी सरकार और हमारी पार्टी की मंशा भी है, प्रदेश की जनता के सामने वादा भी किया था, चुनाव घोषणा पत्र में भी है तो इसलिये उसका पालन करना हमारी प्राथमिकता है। मान्यवर, दो महीने के अन्दर-अन्दर सारे बिन्दुओं पर विचार करके हम भेज देंगे और जहां तक समर्थन देने की बात है तो भारत सरकार को समर्थन देना हमारी पार्टी की मजबूरी है जिससे कि आप न आ जाओ, जिससे कि आप केन्द्र में न आ सकें।

(तत्पश्चात् श्री सतीश महाना को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अन्य मा0 सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

### प्रदेश में मद्य निषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने की नीति

\*08-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में मद्य निषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां, शिक्षात्मक कार्यों के माध्यम से मद्य निषेध की नीति राज्य सरकार द्वारा प्रभावी रूप से लागू की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपके साथी अभी गये हैं और कहते हुये गये हैं कि बसपा और भाजपा चोर-चोर मौसेरे भाई, इसका खण्डन कर दीजिये आप। चोर-चोर मौसेरे भाई कहते हुये गये हैं आपके साथी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं वो बोल नहीं सकता, कार्यवाही में आ जायेगा इसीलिये। मान्यवर, मा0 मंत्री ने यह जवाब दिया है कि मद्य निषेध नीति राज्य सरकार द्वारा प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। मान्यवर, यह सच है और पूरे सदन के मा0 सदस्य इस बात से सहमत होंगे। मान्यवर, यह सर्वे भी कहते हैं और बहुत प्रकार की इसमें जानकारी की गयी तो सब इससे सहमत हैं कि वर्तमान पीढ़ी बहुत ज्यादा आकर्षित हो रही है, इन व्यसनों के प्रति, शराब के प्रति और शराब से बनी अन्य चीजों के प्रति। मान्यवर, सभी मा0 सदस्य इससे सहमत होंगे, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं, वे भी इस बात से सहमत होंगे और उनकी जानकारी में भी यह बात है। मान्यवर, ऐसी परिस्थितियों में जब नवजवानों के बीच में मद्यपान करने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है, इस तेजी से प्रवृत्ति बढ़ने के मामले में केवल प्रचार-प्रसार से काम चलने वाला नहीं है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि जो एक्साइज से रेवेन्यू आता है, शराब के ठेकों से, नीलामी से जो रेवेन्यू आता है, वह रेवेन्यू वर्ष 2011-12 में कितना आया था और वर्ष 2012-2013 के लिए कितना निर्धारित किया गया है ? मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से एक निवेदन है इसमें कि ये जो आप कह रहे हैं कि हम मद्य निषेध के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वर्ष 2011-2012 में इसका कितना रेवेन्यू आया था और वर्ष 2012-2013 के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और आगे आने वाले वर्ष में जो निर्धारित लक्ष्य है उससे कुछ कम लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करेंगे, जिससे शराब की बिक्री कम हो, जिससे मद्य निषेध को बढ़ावा मिले।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, महाना जी तो बहुत वरिष्ठ और विद्वान नेता हैं, आपका सवाल था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में मद्य निषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार करेगी, तो श्रीमन् आपका सवाल से आप मद्य निषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने के

तौर-तरीकों की जानकारी लेना चाहते हैं न कि इसका सम्बन्ध प्रदेश की इनकम को घटाने या बढ़ाने से है और न आबकारी की नीतियों में परिवर्तन करना है। श्रीमन् कृपापूर्वक आप सवाल को देख लें, इसमें हमने प्रभावी कार्यवाही की है और प्रभावी कार्यवाही से निश्चित तौर से सफलता हमें मिलेगी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न को चैलेन्ज किया है, मान्यवर, फिर एक बार आप इस प्रश्न को पढ़ लें मैंने पूछा है कि वर्तमान में मद्यपान की जो प्रवृत्ति नौजवानों में बढ़ रही है, इसके ऊपर आप प्रभावी ढंग से कार्यवाही करेंगे तो आपने कहा कि उसका हमने प्रचार-प्रसार कर दिया। जब आप शराब की विक्री को बढ़ाने के लिए अपने एक्साइज रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कहेंगे कि रेवेन्यू इतना बढ़ा दिया जाय। अगर आप रेवेन्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो मद्य निषेध के अन्तर्गत इसे रोकेंगे कैसे, प्रभावी कार्यवाही कैसे करेंगे ? मान्यवर, यह मद्य निषेध से सीधा जुड़ा हुआ सवाल है। मान्यवर, आप स्वयं सहमत होंगे, उससे सीधा जुड़ा हुआ यह प्रश्न है और मा0 कह रहे हैं कि उससे जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। आप रेवेन्यू कम करें, बोलें कि इतने की शराब नहीं बिकनी चाहिए, कम बिकनी चाहिए। उसको आधी कर दो, कम से कम बिकेगी। आधी बिकेगी तो कम लोग पियेंगे। मान्यवर, यह सीधे उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है और इससे ज्यादा प्रभावी और कोई तरीका नहीं हो सकता है मद्य निषेध का। मान्यवर, फिर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या मा0 मंत्री जी जो एक्साइज का रेवेन्यू बढ़ता है, जिसके कारण शराब और बिकती है। एक्साइज का रेवेन्यू बढ़ता है, जिससे लोगों को और प्रोत्साहन दिया जाता है। शराब पीने के लिए उसमें कमी करेंगे, मान्यवर ? अगर उसमें कमी नहीं करेंगे तो हम नहीं मानेंगे कि आप सीरियस हैं इस बात को लेकर, मद्य निषेध को लागू करने के लिये। मान्यवर, यह मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए, सवाल क्या है और सप्लीमेंटरी क्या है ? हमने अपने जवाब में दिया है कि शिक्षात्मक साधनों से हम प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। प्रचार-प्रसार के साधन भी हमने बता दिये और यही नहीं तमाम ऐसे दिन आते हैं और ऐसी तिथियाँ आती हैं, जिस दिन हम पूरे प्रदेश में शराब बंदी रखते हैं जैसे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सभी धार्मिक स्थलों पर शराब पीने की सख्ती से मनाही है। यही नहीं श्रीमन् संगम मेले में, वहाँ पर एक किलोमीटर के रेडियन्स में किसी को भी शराब पीने की इजाजत नहीं है। यही नहीं श्रीमन् इस प्रदेश में 36 स्वैच्छिक संस्थायें हैं जिसके माध्यम से समाज पर उसका बुरा असर क्या पड़ता है, उसका दोष क्या है, ये सारी चीजों को भाषण के द्वारा ड्रामा के द्वारा कला के द्वारा, तमाम समाचार-पत्रों में लेखन के द्वारा, इस तरह की शिक्षाएं समाज को दी जाती हैं, जिससे समाज जागरूक हो।

हमें इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। आप भी इस दिशा में, इसके प्रचार-प्रसार में, समाज में नई दिशा लाने के लिये जागरूकता लाने के लिए सहयोग करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त।

**नोट:-**तारांकित प्रश्न संख्या-8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

### वर्ष 2012 में प्रदेश के सूखाग्रस्त जिलों में राहत कार्य योजना

\*09-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में वर्ष 2012 में प्रदेश में कितने जिले सूखाग्रस्त हैं एवं सरकार द्वारा इनके लिये क्या कोई राहत योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

राज्य में औसत वर्षा होने तथा 50 प्रतिशत से अधिक बुआई को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2012 में राज्य सरकार द्वारा किसी भी जिले को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है फिर भी सूखे की संभावना को देखते हुए सूखा कार्य योजना 2012 बनाई गई थी।

सम्भावित सूखे से निपटने हेतु सभी सम्बन्धित विभागों को दिनांक 06-07-2012 तथा सभी जिलाधिकारियों को दिनांक 13-7-2012 को विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसकी प्रति मा0 अध्यक्ष जी के कार्यालय में मा0 सदस्यगण के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

### प्रदेश में आलू की फसल को सरकारी क्रय केन्द्र खोलकर क्रय किये जाने की मांग

\*10-श्री त्रिलोकी राम-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों द्वारा उत्पादित फसल गन्ना, धान और गेहूं का क्रय सरकारी क्रय केन्द्र खुलवा कर की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार आलू की फसल को भी सरकारी क्रय केन्द्र खोल कर क्रय करने के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी नहीं।

आवश्यकता नहीं।

सरकार आलू उत्पादक कृषकों को आलू उत्पादन लागत से प्रचलित बाजार भाव कम होने की दशा में उनके उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये भारत सरकार के सहयोग से बाजार हस्तक्षेप योजना लागू कर क्रय केन्द्र खोलती है।

वर्तमान में आलू का बाजार भाव उत्पादन लागत से अधिक है। इस प्रकार कृषकों को उनके उत्पाद को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है एवं क्रय केन्द्र खोले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

### प्रदेश के राजस्व गांवों में चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान किसानों से कटौती की गयी भूमि का मुआवजा देने पर विचार

\*11-श्री वीरपाल राठी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजस्व गांवों में चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान किसानों से कटौती की गई भूमि का मुआवजा किसानों को देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान किसानों से कटौती की गयी भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में 30 प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 19 (1) (ग) में स्पष्ट व्यवस्था है कि खातेदार को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उसके द्वारा दी गयी भूमि के लिये चकबन्दी अधिनियम या चकबन्दी नियमावली के उपबन्धों के अधीन अवधारित प्रतिकर दिया जाये। चकबन्दी अधिनियम की धारा 29ख (1) (क) के अनुसार “प्रत्येक खातेदार को जिसकी जोत का कोई भाग अधिनियम के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दिया गया हो, इस प्रकार दी गयी भूमि के लिये प्रतिकर दिया जायेगा जो धारा-29 कक के अधीन कम की गई मालगुजारी का-

(1) अन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर की भूमि के विषय में चार गुना।

(II) अनन्तरणीय अधिकार वाले भूमिधर की भूमि के विषय में दो गुना।

धारा 29ख (2) किसी खातेदार को देय प्रतिकर का भुगतान अधिनियम के अधीन क्रिया सम्बन्धी व्यय को यदि कोई हो काटने के पश्चात् नकदी में किया जायेगा।

अधिनियम की उक्त व्यवस्था के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गयी भूमि के लिये देय प्रतिकर की धनराशि की गणना 30 प्र0 जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 (भाग-1) के कालम 16 में की जाती है तथा आगणित धनराशि का समायोजना चकबन्दी शुल्क से किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश में दलहनों के उत्पादन बढ़ाने तथा दलहनों के बीजों पर अनुदान दिये जाने हेतु कार्य योजना**

\*12-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दलहनों की भारी कमी को देखते हुए दलहनों के उत्पादन बढ़ाने तथा दलहनों के बीजों पर अनुदान दिये जाने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

प्रदेश में दलहन के उत्पादन को बढ़ाने एवं दलहनी बीजों पर अनुदान हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन घटक) एवं त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (ए3पी) योजना संचालित की जा रही है। जहां तक दलहनी बीजों पर अनुदान का प्रश्न है, वर्तमान में सभी दलहनी बीजों पर अनुदान की सुविधा देय है। दलहनी बीजों पर अनुदान भारत सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन घटक) योजना अन्तर्गत 10 वर्ष से पुरानी दलहन की प्रजातियों पर रु0 1200/-प्रति कुन्टल एवं 10 वर्ष से कम की दलहन प्रजातियों पर रु0 2200/-प्रति कुन्टल अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी 10 वर्ष से पुरानी प्रजाति पर रु0 600/-प्रति कुन्टल एवं 10 वर्ष से कम की प्रजाति पर रु0 800/-प्रति कुन्टल का अनुदान दिया जा रहा है। इस प्रकार 10 वर्ष से पुरानी प्रजातियों पर कुल रु0 1800/-प्रति कुन्टल एवं 10 वर्ष से कम की प्रजातियों पर रु0 3000/-प्रति कुन्टल अनुदान दिये जाने की सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता है।

**प्रदेश में चीनी मिलों से निकलने वाले गन्दे पानी को प्रवाहित किये जाने पर प्रतिबन्ध**

\*13-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीनी मिलों से निकलने वाले गन्दे पानी को पवित्र नदियों में कहां-कहां प्रवाहित किया जाता है ? क्या सरकार इस प्रकार के गन्दे पानी के प्रवाहित किये जाने पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में कुल 157 चीनी मिलें स्थापित हैं। उक्त में से 105 इकाइयां निजी क्षेत्र की तथा 52 इकाइयां सरकारी क्षेत्र की हैं। निजी क्षेत्र की 105 इकाइयों में से 02 इकाइयां तथा सरकारी क्षेत्र की 52 इकाइयों में से 25 इकाइयां बन्द हैं तथा विगत क्रशिंग सीजन में उत्पादन कार्य नहीं किया गया था। शेष 130 चीनी मिलों में पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं। चीनी मिलों द्वारा शुद्धीकृत उत्प्रवाह का अधिकाधिक भाग पुनः प्रक्रिया में अथवा सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत समस्त चीनी मिलों में पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चीनी मिलों हेतु चार्टर ऑन कार्पोरेट रिसपान्सबिलिटी फॉर एन्वायरमेन्टल प्रोटेक्शन में चीनी उद्योग के लिये प्राविधान किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित शुद्धीकृत उत्प्रवाह को सरफेस वाटर बाडी सोर्स (नदी, तालाब, झील इत्यादि) में निस्तारित नहीं किया जायेगा।

**प्रदेश में राजस्व मुकदमों के निस्तारण हेतु त्वरित न्यायालय शुरू किये जाने की जानकारी**

\*14-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजस्व मुकदमों के निस्तारण हेतु त्वरित न्यायालय शुरू किये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण हेतु तहसील/जनपद/मण्डल/राजस्व परिषद् स्तर पर पहले से ही राजस्व न्यायालय गठित हैं।

\*15-श्री मनीष असीजा-

[1ले शुक्रवार के तारा0प्र0सं0-4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**प्रदेश में समस्त चकरोडों को अतिक्रमण मुक्त कराकर उन पर मनरेगा से मिट्टी डाले जाने की जानकारी**

\*16-श्री दलवीर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में समस्त चकरोडों को अतिक्रमण मुक्त कराकर उन पर मनरेगा से मिट्टी का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?



श्री अम्बिका चौधरी-

चकरोड, नाली एवं अन्य जन उपयोगी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में शासन एवं राजस्व परिषद् स्तर से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। चकरोडों पर मिट्टी डालने का कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना मांग आधारित योजना है एवं योजनान्तर्गत भारत सरकार की गाइड लाइन्स में कच्चा कार्य कराये जाने की अनुमन्यता है। यदि ग्राम पंचायत अपने वार्षिक श्रम बजट में चकरोडों पर मिट्टी डालने का कार्य कराने का प्रस्ताव करती है तो स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर चकरोडों पर मिट्टी डालने का कार्य कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

### प्रदेश में बन्द हो रहे सिनेमाघरों को रोकने के उपाय

\*17-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में सिनेमाघरों की हो रही बन्दी को रोकने के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है ? क्या यह सही है कि सरकार की मनोरंजन कर की नीति के कारण प्रदेश में हजारों सिनेमाघर बन्द हो जाने से हजारों लोग बेरोजगार हो गये हैं एवं राजस्व की भी क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बन्द सिनेमाघरों को चालू करने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रदेश में बन्द हो रहे सिनेमाघरों की बन्दी को रोकने हेतु छविगृहों के आधुनिकीकरण कराये जाने हेतु प्रोत्साहन योजना लागू है, जिसके अन्तर्गत सिनेमा का उच्चीकरण कराने पर व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत अनुदान सिनेमा स्वामी को दिया जा रहा है।

जी नहीं,

पुराने छविगृहों को तोड़कर व्यवसायिक काम्प्लेक्स सहित सिनेमा हाल का निर्माण किये जाने और इसे अधिक ग्राह्य बनाने के उद्देश्य से वर्तमान में पुराने छविगृहों को रिमाडल/पुनर्संरचित कर विभिन्न सुविधाओं व व्यवसायिक गतिविधियों से युक्त 125 सीट से अधिक क्षमता से एकल छविगृह/मल्टीप्लेक्स बनाने की सुविधा प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार उपाय किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

### प्रदेश में पालीथीन के प्रयोग पर अंकुश लगाने की मांग

\*18-डा0 धर्मपाल सिंह, श्री सुनील कुमार सिंह यादव एवं श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण हेतु पॉलीथीन के प्रयोग पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रभावी विधेयक लाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में पुनः चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम, 1999 यथा संशोधित अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम-2011 प्रख्यापित है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी प्लास्टिक के उपयोग व निस्तारण हेतु 30 प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2000 प्रख्यापित किया गया है।

**गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों तथा भूमिहीनों को सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त मुआवजा दिये जाने की जानकारी**

\*19-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों तथा भूमिहीनों को सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त मुआवजा दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो कितनी राशि पीड़ित परिवारों को किस माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त के सम्बन्ध में कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता तथा ग्रामीण भूमिहीनों की प्राकृतिक अथवा दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा लाभ अनुमन्य है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को रु0 20000/-की आर्थिक सहायता जिला समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसी प्रकार आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित मुखिया सदस्य के परिवार की दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंग हो जाने की दशा में रु0 75000/-एवं प्राकृतिक मृत्यु पर रु0 30000/-की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित परिवार को उपलब्ध करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त योजनाएं प्रभावी होने के कारण नई योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है।

**प्रदेश में सूखाग्रस्त जनपदों में निपटने हेतु सूखा कार्य योजना की जानकारी**

\*20-श्री सतीश महाना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जनपद सूखाग्रस्त हैं एवं इससे निपटने के लिए क्या कोई तात्कालिक योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

राज्य में औसत वर्षा होने तथा 50 प्रतिशत से अधिक बुआई को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2012 में राज्य सरकार द्वारा किसी भी जिले को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है फिर भी सूखे की संभावना को देखते हुए सूखा कार्य योजना 2012 बनाई गई थी।

संभावित सूखे से निपटने हेतु सभी सम्बन्धित विभागों को दिनांक 06-07-2012 तथा सभी जिलाधिकारियों को दिनांक 13-7-2012 को विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसकी प्रति मा0 अध्यक्ष जी के कार्यालय में मा0 सदस्यगण के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

### अतारंकित प्रश्न

#### नोएडा के सेक्टर-25 एवं 32 ए के भू-खण्डों के आवंटन की जानकारी

01-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सरकार ने नोएडा के सेक्टर-25 एवं 32ए में वेव रियल स्टेट कम्पनी को 6 लाख स्क्वायर मीटर जमीन नियम विरुद्ध बिना नीलामी कराये मार्केट रेट से बहुत कम रेट पर बेच कर वित्तीय अनियमितता की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सेक्टर 25 ए एवं सेक्टर 32 में एक भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल लगभग 6,14,000 वर्ग मीटर था, के विपणन हेतु तत्समय प्रचलित भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया के अनुरूप टू-बिड सिस्टम पर योजना लायी गई थी, जिसका प्रकाशन राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में किया गया था। उक्त भूखण्ड के विरुद्ध अर्ह तीन निविदाकारों में से मैसर्स वेव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 (कान्सोरशियम) को रुपये 1,07,003/- प्रति वर्ग मीटर की उच्चतम निविदा के आधार पर उक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। इस प्रकार प्राधिकरण स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

#### जनपद सोनभद्र थाना ओबरा के ग्राम पंचायत कनहरा होला मझोली निवासी श्री बच्चाराम पुत्र राम प्रसाद के घर में आग लगने से पीड़ित को आर्थिक सहायता दिये जाने की जानकारी

02-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में थाना ओबरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कनहरा टोला मझोली निवासी श्री बच्चाराम पुत्र राम प्रसाद के घर में 25-05-12 को रात के समय आग लगने से सारा सामान जल गया था ? यदि हां, तो उक्त अग्निकाण्ड के पीड़ित को आर्थिक सहायता देने विषयक प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र क्रमांक 40/वि0ओ0 दिनांक 11-06-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां। उक्त अग्निकाण्ड के पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने विषयक मा0 सदस्य का पत्र दिनांक 11-06-2012 मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-4 में प्राप्त हुआ था।

जिलाधिकारी, सोनभद्र की आख्या के आधार पर मा0 मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के रूप में रु0 15,000/- की स्वीकृति दिये जाने विषयक आदेश दिनांक 21-11-2012 को निर्गत कर दिया गया है। श्री बच्चाराम को दैवी आपदा के अन्तर्गत रु0 4000/- की अहेतुक सहायता तथा रु0 1500/- का अनुदान अर्थात् रु0 5500/- की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्र संघों के गठन का प्रारूप**

03-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में वर्ष 2012-13 में छात्रसंघों के चुनाव सम्पन्न कराने का आदेश शासन द्वारा निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो छात्रसंघों के गठन का प्रारूप क्या है तथा चुनाव कब तक पूर्ण करा लिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रदेश में विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्र संघों के चुनाव लिंगदोह समिति के संस्तुति के अनुसार कराये जाने का निर्णय लिया गया है। छात्र संघ चुनाव कराने के संबंध में विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बहराइच में पात्र वृद्धजनों को पेंशन सुविधा दिये जाने की जानकारी**

04-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच में वर्ष 2009-10 में वृद्धावस्था पेंशन के 86035 लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 में उक्त स्वीकृत संख्या से कम लोगों को पेंशन प्रदान करने के क्या कारण है ? क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2012-13 में सभी अर्ह एवं पात्र वृद्धजनों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पेंशन दिलाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 में सत्यापनोपरान्त क्रमशः 86035, 65248 एवं 63182 लाभार्थी पात्र पाये गये थे। सत्यापन में अपात्र एवं मृतक पेंशनरों की संख्या कम हुई है।

जी हां। सभी अर्ह एवं पात्र वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री संजीव सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट गालन्द, तहसील हापुड़, जिला पंचशीलनगर के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

05-श्री धर्मेश सिंह तोमर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसी वाद की वाद संख्या शून्य हो सकती है ? क्या 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय अवकाश को कोई राजस्व मजिस्ट्रेट आदेश पारित कर सकता है ? यदि नहीं, तो क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकृति के वादों की जांच विषयक

श्री संजीव सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट गालन्द, तहसील हापुड़ जिला पंचशीलनगर के शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-3-12 पर तहसीलदार हापुड़, पंचशीलनगर की जांच आख्या दिनांक 12-4-12 में इस प्रकार के लगभग 12 मामले फर्जी पाये गये जिसमें वाद संख्या-0/2011 धारा 143 यू0पी0 जेड0ए0 आदेश दिनांक 15-8-11 व वाद संख्या 08-2011, धारा 161 यू0पी0 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट के आदेश दिनांक 15-8-2011 ग्राम सभा गालन्द जिला पंचशीलनगर तहसील हापुड़ के उप-जिलाधिकारी द्वारा कूटरचित परवाना अहलदरामद व आदेश जारी किये गये है ? यदि हां, तो मालिकान रजिस्टर व उद्धरण खतौनी खाता नं0-1310 खसरा नं0-346 मि0 कैसे दर्ज हो गये ? क्या इसमें तत्कालीन उप जिलाधिकारी व राजस्व कर्मचारियों द्वारा अमलदरामद कर भू-माफियाओं व राजस्व कर्मचारियों द्वारा अमलदरामद कर भू-माफियाओं को अर्जित लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

जी नहीं।

जिलाधिकारी, हापुड़ से प्राप्त आख्या के अनुसार श्री संजीव सिंह निवासी ग्राम गालन्द, पोस्ट गालन्द, तहसील धौलाना जिला हापुड़ के शिकायती-पत्र दिनांक 2-3-2012 पर तहसीलदार हापुड़ की जांच आख्या दिनांक 12-4-2012 में ऐसे मामले जिनमें वाद संख्या 0/2011 धारा 143 जेड0 एल0आर0 एक्ट वीर सिंह आदि बनाम सरकार आदेश दिनांक 16-08-2011 व वाद संख्या 0/2011 धारा 143 खजान बनाम सरकार आदेश दिनांक 05-08-2011 व वाद संख्या 08/2011 धारा 161 जेड0एल0आर0एक्ट रामोतार बनाम सरकार आदेश दिनांक 15-08-2011 व वाद संख्या 05/2011 धारा 161 राजी लाल बनाम सरकार आदेश दिनांक 15-08-2011 आदि ग्राम गालन्द, तहसील धौलाना, जिला हापुड़ में जो मामले पाये गये हैं उनमें तत्कालीन उप जिलाधिकारी, हापुड़ के द्वारा परवाना अमलदरामद जारी नहीं किये गये हैं। वादों में पारित आदेश की प्रति/छायाप्रति के आधार पर सीधी तहसीलदार की अनुमति के बिना रजिस्टर मालिकान में उनकी प्रविष्टि अंकित की गई है।

प्रश्नगत प्रकरण संज्ञान में आने के पश्चात् तत्कालीन उप जिलाधिकारी श्रीमती पुष्पा देववार को शासन के आदेश संख्या-2366/दो-3-2012-22/3(23)/2008, दिनांक 23-8-12 द्वारा एवं रजिस्ट्रार कानूनगो श्री वीरपाल सिंह को जिलाधिकारी हापुड़ के आदेश दिनांक 17-08-2012 व दिनांक 29-09-2012 द्वारा तथा प्रभारी राजस्व निरीक्षक/लेखपाल श्री सतीश कुमार व लेखपाल श्री अनिल कुमार को उप जिलाधिकारी, धौलाना के आदेश द्वारा निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रचलित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**रायबरेली तथा अमेठी में बन्द कारखानों तथा मिलों को पुनः चलाये जाने की कार्य योजना**

06-श्री अखिलेश कुमार सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली तथा अमेठी में बन्द कारखानों तथा मिलों को पुनः चलाने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसकी समय-सीमा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रत्येक जनपद के बीमार/बन्द सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पुनर्वासन हेतु योजना है, जिसके अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर पुनर्वासन की कार्यवाही की जाती है। बृहद इकाइयों के पुनर्वासन हेतु बी0आई0एफ0आर0 में जाने की प्रक्रिया एक विधिक प्रक्रिया है।

जनपद रायबरेली में उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0 लि0 के अन्तर्गत वर्ष 1975 में एक कताई मिल की स्थापना हुई थी। कम्पनी का मामला, अत्यधिक घाटे एवं नेटवर्थ निगेटिव हो जाने के कारण दि सिक इण्डस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशल प्रावीजन्स) एक्ट (सीका) 1985 के प्राविधानों के अन्तर्गत मा0 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी0आई0एफ0आर0) के समक्ष वाद सं0-612/92 के रूप में पंजीकृत है। कम्पनी मा0 बी0आई0एफ0आर0 के आदेश दिनांक 21-12-92 के अन्तर्गत सिक कम्पनी घोषित की जा चुकी है। कम्पनी/इकाई की पुनर्वासन योजना एपीलेट अथारिटी फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्सियल रिकान्स्ट्रक्शन (ए0ए0आई0एफ0आर0) के आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त आपरेटिंग एजेन्सी आई0एफ0सी0आई0 के माध्यम से मा0 बी0आई0एफ0आर0 को प्रेषित की जा चुकी है।

दिनांक 14-8-2012 की सुनवाई में मा0 बी0आई0एफ0आर0 ने निर्देश दिया कि कम्पनी एवं राज्य सरकार पुनर्वासन योजना पुनः प्रस्तुत करे। बी0आई0एफ0आर0 के उक्त आदेश के विरुद्ध इस आधार पर कि कम्पनी द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत पुनर्वासन योजना सीका के प्राविधानों के अन्तर्गत है। कम्पनी द्वारा मा0 ए0आई0एफ0आर0 के समक्ष मा0 बी0आई0एफ0आर0 के आदेश दिनांक 14-8-2012 के विरुद्ध दिनांक 25-10-2012 को अपील दाखिल की जा चुकी है।

सूक्ष्म लघु व मध्यम इकाइयों हेतु समय सीमा निर्धारित है जिसमें सम्बन्धित बीमार/बन्द इकाइयों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पुनर्वासन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है जिसका निस्तारण पुनर्वासन समिति द्वारा किया जाता है। बृहद इकाइयों हेतु बी0आई0एफ0आर0 में जाने की प्रक्रिया एक विधिक प्रक्रिया है जिसमें कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। निजी क्षेत्र में बीमार/बन्द इकाइयों हेतु उपरोक्तानुसार व्यवस्था लागू है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद बलिया के दैवी आपदा से प्रभावित गावों में सहायता एवं पुनर्वास योजना के तहत धनराशि का वितरण**

07-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत कितने गांव वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में दैवी आपदा से प्रभावित हुए हैं ? सरकार द्वारा उक्त वर्षों में सहायता एवं पुनर्वास योजना के तहत कितनी धनराशि का वितरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में दैवीय आपदा से 49 ग्राम एवं वर्ष 2012-13 में माह अक्टूबर तक कुल 50 ग्राम प्रभावित हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में इन प्रभावित ग्रामों में कुल रु0 55,46,210/- की सहायता धनराशि दैवीय आपदा मद से वितरित किया गया तथा वर्ष 2012-13 में दैवीय आपदा मद से कुल रु0 57,51,777/- की सहायता धनराशि का वितरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के माननीय विधायकों को माननीय सांसदों की व्यवस्था के अनुसार आवास आवंटन की मांग**  
08-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माननीय विधायकों को लखनऊ में आवंटित आवासों की व्यवस्था दिल्ली में माननीय सांसदों की व्यवस्था के अनुसार यथा एक व दो बार निर्वाचित सांसदों को एकल फ्लैट, चार बार निर्वाचित सांसदों को बंगला आवंटित किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश के माननीय विधायकों के लिये भी उक्त नियम लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?  
श्री अखिलेश यादव-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के निवास स्थान संबंधी नियमावली, 1963 में व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

**डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों को समय से डिग्री न प्रदान किये जाने की जानकारी**

09-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा समय से छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं की जाती है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विश्वविद्यालय द्वारा विगत 5 वर्षों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण कितने छात्रों को डिग्री उपलब्ध कराई गई है एवं कितने शेष हैं ? क्या समय से डिग्री उपलब्ध कराने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। उत्तीर्ण छात्रों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत अंकपत्र एवं शुल्क के विवरण की जांच कर विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि का अभिलेखों से मिलान कर छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है। विगत पांच वर्षों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण लगभग 31000 छात्रों को डिग्री उपलब्ध करायी गयी है एवं लगभग 25000 छात्रों को उपाधि उपलब्ध कराना शेष है जिनका अभिलेखों से मिलान की प्रक्रिया चल रही है।

छात्रों को समय से डिग्री उपलब्ध कराने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**आगरा मण्डल में एक अन्य राजकीय विश्वविद्यालय बनाये जाने की मांग**

10-श्री दलवीर सिंह

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा का क्षेत्रफल बड़ा होने तथा छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण उसके क्षेत्र में एक अन्य राजकीय विश्वविद्यालय बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रदेश में कुल 18 मण्डल हैं, जिसमें 09 मण्डलों में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित है, इन 09 मण्डलों में आगरा मण्डल भी सम्मिलित है जिसमें पूर्व से राज्य विश्वविद्यालय स्थापित है। शेष 09 मण्डलों (सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, बस्ती, देवीपाटन, चित्रकूट, इलाहाबाद व विन्ध्याचल) में एक-एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर राज्य सरकार विचार कर रही है जिसमें आगरा मण्डल सम्मिलित नहीं है।

11-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[1ले बुधवार के अता0 प्रश्न सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद बहराइच में वृद्धावस्था पेंशनरों को पेंशन प्रदान किये जाने की जानकारी**

12-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में क्षेत्रीय सत्यापन में पात्र पाये गये 13,823 वृद्धावस्था पेंशनरों को पेंशन प्रदान करने के लिये जनपद स्तर से दो करोड़, अड़तालिस लाख, इक्यासी हजार, चार सौ रुपये की मांग की गई है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक पेंशन प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

प्राप्त आख्यानुसार 13,823 पेंशनरों का जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन के उपरान्त पात्र पाये गये पेंशनरों को नियमानुसार धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने की कार्य योजना**

13-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को फसल बीमा का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने की ठोस कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार खरीफ, 2000 से प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना संचालित है। विगत तीन वर्षों में योजना की प्रगति की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि खरीफ, 2009 जो प्रदेश में आपदा प्रभावित वर्ष रहा है, में बीमित कृषकों को प्राप्त प्रीमियम के लगभग 2.5 गुना से भी अधिक क्षतिपूर्ति प्रदान की गयी है। इस प्रकार विशेषकर आपदा वर्ष में योजना कृषकों की कृषि आयर स्थिर रखने में सहायक सिद्ध हुई है। प्रदेश के कुल 225 लाख कृषक परिवारों एवं खरीफ व रबी मौसम में कुल बोये गये क्षेत्रफल (खरीफ व रबी 2009-10 में क्रमशः 115.59 लाख हे0 व



129.86 लाख हे0) में सामान्यतया खरीफ अथवा रबी मौसम में योजनान्तर्गत सम्मिलित कृषकों की संख्या लगभग 6 से 8 प्रतिशत तथा बीमित क्षेत्र लगभग 10 से 15 प्रतिशत रही है। विगत 5 वर्षों में प्रदेश में खरीफ व रबी मौसम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की प्रगति निम्नवत् है :-

मौसम	सम्मिलित कृषक (लाख में)	बीमित क्षेत्र (लाख हे0 में)	बीमित धनराशि (करोड़ रुपये में)	प्रीमियम (करोड़ रुपये में)	लाभार्थी कृषक (लाख में)	क्षतिपूर्ति (करोड़ रुपये में)
खरीफ, 08	7.08	9.16	919.32	20.26	0.92	24.47
खरीफ, 09	14.20	22.36	2224.52	50.45	3.11	135.70
खरीफ, 10	12.72	15.63	20006.95	47.16	1.35	60.79
खरीफ, 11	10.78	13.89	1910.64	42.75	0.56*	24.22*
खरीफ, 12 (अद्यतन)	1.35	1.76	349.72	7.69	अभी देय नहीं है।	
रबी 07-08	13.52	16.84	1661.07	46.02	3.87	103.92
रबी 08-09	14.75	17.89	2172.48	38.98	1.37	27.91
रबी 09-10	15.48	18.42	2155.37	38.96	2.78	35.57
रबी 10-11	12.05	14.49	1905.60	31.81	1.66	40.54
रबी 11-12	10.22	11.30	2068.12	34.87	0.58	15.46

\*फसल अरहर व गन्ना सहित सभी अधिसूचित फसलें सम्मिलित हैं।

फसल बीमा योजनान्तर्गत अधिकाधिक कृषकों को सम्मिलित करते हुए लाभान्वित करने के मुख्य उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा रबी 2010-11 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के विकल्प के रूप में देश के कुछ जनपदों में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रदेश में पायलेट आधार पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना को प्रदेश में वर्तमान खरीफ, 2012 व रबी 2012-13 में जनपद बुलन्दशहर, पीलीभीत, बिजनौर व ज्योतिबाफूले नगर में लागू किया गया है। इसमें कृषकों के हित में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों में अतिरिक्त प्राविधान/संशोधन जोड़े गये हैं। इसी प्रकार खरीफ, 2010 से भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश के चयनित जनपदों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना को पायलेट आधार पर लागू किया गया है। योजना जनपद बागपत, औरैया, मैनपुरी, शाहजहांपुर व रायबरेली में चलाई जा रही है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना से सम्बन्धित जनपदों के गैर ऋणी कृषकों को अपनी इच्छानुसार मौसम आधारित फसल बीमा योजना का अथवा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में सम्मिलित होने का विकल्प दिया गया है। योजना में कृषकों की भागीदारी बढ़ाने हेतु योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की कार्यवाही विभिन्न प्रचार माध्यमों यथा कृषक गोष्ठियों में चर्चा, समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो वार्ता, पम्फ्लेट का वितरण समाचार-पत्रों आदि से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में निर्माणाधीन औद्योगिक नीति-2012 में प्रश्नकर्ता द्वारा प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

14-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से निर्माणाधीन औद्योगिक नीति-2012 में विशेष प्राविधान किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-5 नं0 111458, दिनांक 30-07-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित सुझावों पर विचार करते हुए प्रदेश के सीमित आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में स्टाम्प ड्यूटी से छूट, पूंजीगत ब्याज उपादान, अवस्थापना ब्याज उपादान, औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान, ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति, कैप्टिव पावर जनरेशन को प्रोत्साहन, इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी से छूट आदि योजनाएं घोषित की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर की नगर पंचायत अल्हागंज में उप मण्डी का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग**

15-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की नगर पंचायत अल्हागंज में उप मण्डी का निर्माण होना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

अल्हागंज में उपमण्डी स्थल के निर्माण हेतु भूमि अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। भूमि प्राप्त होने पर ही नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद बस्ती के ग्राम-भानपुर में एग्रो द्वारा संचालित बन्द पड़े बीज, खाद भण्डार को पुनः चलाये जाने की मांग**

16-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के रुधौली विधान सभा क्षेत्र के एक तहसील स्तरीय गांव ग्राम-भानपुर में किसानों की सुविधा हेतु एग्रो द्वारा स्थापित खाद, बीज भण्डार को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की सुविधा हेतु उक्त गांव में पुनः एग्रो द्वारा संचालित बीज, खाद भण्डार का संचालन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी हां। दिनांक 30 नवम्बर, 2008 से उक्त केन्द्र बन्द है।

यू0पी0 स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 में मानव संसाधनों की सीमित उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त केन्द्र संचालित किया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

**जनपद झांसी के वि0ख0 बबीना बड़ागांव, चिरगांव में महिला महाविद्यालय खोले जाने की मांग**

17-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के वि0ख0 बबीना बड़ागांव, चिरगांव में कोई महिला महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास खण्डों में महिला महाविद्यालय या महाविद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना, बड़ागांव एवं चिरगांव में कोई महिला महाविद्यालय नहीं है।

जी नहीं।

जनपद झांसी में 02 राजकीय महाविद्यालय, 04 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 23 स्ववित्तपोषित/अनुदानित महाविद्यालय संचालित हैं। विकास खण्ड बबीना में 01 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय एवं उससे लगभग 20 से 25 कि0मी0 की दूरी पर 05, विकास खण्ड बड़ागांव से लगभग 12 कि0मी0 की दूरी पर 07 तथा विकास खण्ड चिरगांव में 01 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित है।

**ग्राम पालूपुर तहसील पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत गाटा संख्या 8, 9, 7, 88 स्थित भूमि पर कब्जेदारों की जानकारी**

18-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पालूपुर तहसील-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ अन्तर्गत गाटा संख्या 8, 9, 7, 88 स्थित भूमि का वास्तविक मालिक कौन है और उस पर किस व्यक्ति द्वारा कब्जा किया गया है ? क्या सरकार इसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ की आख्या के अनुसार ग्राम पालूपुर, तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत गाटा संख्या 8, 9, 7, 88 राजस्व अभिलेखों में हरिश्चन्द्र सुत भगवत के नाम दर्ज है और स्थल निरीक्षण में उस पर राम प्रताप सुत गंगाधर दूवे, सुरजीत कुमार, चन्द्रशेखर आजाद, हृदयनाथ पुत्रगण राम शिरोमणि काविज पाये गये हैं।

प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर सिविल अपील संख्या-54/07 रामशिरोमणि बनाम हरिश्चन्द्र अपर जिला जज के न्यायालय में विचाराधीन है एवं मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में केस कंसालीडेशन नं0-79/2011 व रिट पिटी0सं0-657/03 के विरुद्ध रिब्यू पिटीशन संख्या-126/12 विचाराधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

### जिला बागपत को नोएडा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की मांग

19-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बागपत जोकि नोएडा से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है, को एन0सी0आर0 के प्रस्तावित विस्तार 2021 में सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

नोएडा के वर्तमान अधिसूचित क्षेत्र से जिला बागपत लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि बागपत को नोएडा क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है तो अधिसूचित क्षेत्र काफी बढ़ जायेगा। नोएडा प्राधिकरण द्वारा इतने बड़े व दूरी के क्षेत्र को देखा जाना प्रशासनिक दृष्टि से काफी व्यापक हो जायेगा। उल्लेखनीय है कि जनपद बागपत एवं नोएडा क्षेत्र के मध्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र आता है।

इस प्रकार प्रशासनिक तथा भौगोलिक दृष्टि से जिला बागपत को नोएडा क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना समीचीन नहीं होगा।

**जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के कतिपय ग्रामों में 1962 में बसाये गये बंगाली शरणार्थियों को पट्टा कर जमीन का स्वामित्व दिये जाने की जानकारी**

20-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम-सुभाषनगर, सन्तनगर एवं कृष्णानगर कालोनियों में 1962 में बसाये गये बंगाली शरणार्थियों को तीन सौ एकड़ भूमि पर पट्टा दिये जाने हेतु उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-1629/1-6-2002-65(1)/2000, दिनांक 09 अगस्त, 2002 द्वारा जिलाधिकारी बहराइच की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर पट्टा देने हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त बंगाली शरणार्थियों को पट्टा कर जमीन की हकदारी सुनिश्चित करा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में योजित याचिका सं0-4035/2011 में दिनांक 29-04-2011 को पारित आदेश का अनुपालन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां, शासन के पत्र संख्या-1629/1-6-2002-65(1)/2000, दिनांक 12-08-2002 द्वारा जिलाधिकारी, बहराइच की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर पट्टा देने हेतु निर्देशित किया गया था।

जी नहीं।

बंगाली विस्थापितों के नाम भूमि दर्ज करने हेतु जिलाधिकारी/जिला उपसंचालक चक्रवर्दी बहराइच द्वारा सन्दर्भ संख्या-2 अन्तर्गत धारा-48(3) जोत चक्रवर्दी अधिनियम में दिनांक 11-02-2005 के द्वारा 05 ग्रामों की भूमि स्थानान्तरित की गयी थी। ग्राम इमलियागंज में स्थिति भूमि

के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-386/2003 में पारित आदेश दिनांक 31-03-2003 व रिट याचिका संख्या-394/2003 (चकबन्दी) में पारित आदेश दिनांक 02-04-2003 द्वारा कार्यवाही स्थगित होने के कारण तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रस्तर-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अपेक्षित अनुमति को भूमि का स्वामित्व नहीं दिया जा सका है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फिरोजाबाद में सामान्य वर्ग की लड़कियों को वित्तीय वर्ष में दिये गये शादी/बीमारी हेतु अनुदान**  
21-श्री मनीष असीजा

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में सामान्य वर्ग की कितनी लड़कियों की शादी के लिये वित्तीय वर्ष 2011-12 में शादी अनुदान दिया गया एवं कितनी शेष हैं ? शेष आवेदकों को शादी अनुदान कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद फिरोजाबाद में “सामान्य वर्ग की पुत्रियों की शादी एवं बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता योजना” के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-2012 में रु0 21.30 लाख का अनुदान दिया गया है, जिसमें 211 पुत्रियों की शादी एवं 04 को स्वयं की बीमारी के इलाज हेतु अनुदान दिया गया है।

प्राप्त सूचना के अनुसार सामान्य वर्ग शादी अनुदान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-2012 में अर्ह एवं पात्र व्यक्तियों के कोई आवेदन पत्र अवशेष नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फिरोजाबाद में अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय वर्ष में दिये गये अनुदान**  
22-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में अनुसूचित जाति की कितनी लड़कियों की शादी के लिये वित्तीय वर्ष 2011-12 में शादी अनुदान दिया गया एवं कितनी शेष हैं ? शेष आवेदकों को शादी अनुदान कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद फिरोजाबाद में अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी एवं बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में 1370 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान दिया गया है।

कोई पात्र आवेदन-पत्र अनुदान दिये जाने हेतु अवशेष नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद झांसी में बड़ागांव स्थित डायमण्ड सीमेन्ट फैक्ट्री से निकलने वाली धूल का कथित प्रकरण**  
23-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बड़ागांव स्थित डायमण्ड सीमेन्ट फैक्ट्री से निकलने वाली धूल से आस-पास स्थित गांवों की भूमि अनुपजाऊ तथा ऊसर हो रही है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्लान्ट के आस-पास के गांवों के लोगों की भूमि एवं जन स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मै0 हैलडवर्ग सीमेंट (पूर्व नाम मे0 डायमण्ड सीमेंट) में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बैग हाउस एवं डस्ट सप्रेसन हेतु विभिन्न स्थानों पर वाटर स्पिंकलर्स स्थापित किए गए हैं। उक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी एवं उद्योग द्वारा बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी प्रचालकों का अनुश्रवण किया जाता है, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए हैं। उद्यमी द्वारा उद्योग के 10 कि0मी0 की त्रिज्या में पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन मार्च, 2008 में मै0 बिन्टा लैब्स लि0, हैदराबाद से कराया गया है, जिसमें पर्यावरण के विभिन्न घटकों जैसे-जलवायु एवं मौसम, परिवेशीय वायु गुणता, ध्वनि तीव्रता, जल गुणता, भूमि, आर्थिक-सामाजिक पहलू, यातायात अध्ययन, वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अनुश्रवण किया गया था। उक्त अनुश्रवण आख्यानानुसार इकाई के आस-पास के 10 कि0मी0 की त्रिज्या में सिंचित भूमि का भौतिक, रासायनिक एवं भारी धातुओं की सान्द्रता के अनुश्रवण में पाया गया कि भूमि का पी0एच0 अम्लीय है तथा विद्युत चालकता भी मानक के अनुरूप है। भूमि में उपलब्ध सोडियम, मैगनीशियम, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस प्रचुर मात्रा में है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार आस-पास की भूमि उपजाऊ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

#### जनपद आगरा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण की जानकारी

24-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में प्रस्तावित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद आगरा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि चयनित की जा चुकी है, जिसके निर्माण पर रु0 8.21 करोड़ का व्यय अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस मद में रु0 2.19 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष रु0 6.02 करोड़ की व्यवस्था हो जाने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

#### जनपद आगरा में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मांग

25-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में नये औद्योगिक क्षेत्र बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या आगरा में भी प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना के लिये नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद आगरा में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव/मांग विचाराधीन नहीं है। जनपद आगरा में प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना के लिए 280.661 एकड़ भूमि पर लेदर पार्क विकसित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

#### जनपद ललितपुर के ब्लाक पाली एवं नरहट में तहसील बनाने की मांग

26-श्री फेरन लाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र महारौनी जनपद ललितपुर के अन्तर्गत ब्लाक पाली अथवा नरहट को तहसील बनाने हेतु सारी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पाली अथवा नरहट को तहसील बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

तहसीलों के सृजन के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु अध्यक्ष राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति शासन में प्राप्त होती है, जिस पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है। जनपद ललितपुर में नरहट/पाली को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 30-5-2008 को विचार किया गया, जिसमें मानक/क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ कमी पायी गयी। समिति द्वारा पुनर्विचारित प्रस्ताव जनपद से मांगा गया, जिसके क्रम में जनपद द्वारा माह जुलाई, 2009 में समिति के विचारार्थ प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, किन्तु इसी बीच श्री मथुरा प्रसाद राठौर द्वारा नरहट को तहसील बनाये जाने से सम्बन्धित रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर की गयी है। इस याचिका में मा0 न्यायालय का निर्णय अभी तक नहीं आया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निर्णय लेने का अवसर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

#### जनपद बहराइच में अग्निकाण्ड से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने की मांग

27-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0-33 के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अग्निकाण्ड से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने हेतु सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति बहराइच तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा अग्निकाण्ड से प्रभावित 85 कृषकों से अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजनान्तर्गत दावे पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मण्डी परिषद् से रु0 6,07,000/- की धनराशि प्राप्त हो गई है। लाभार्थी कृषकों को धनराशि का वितरण दिनांक 24-11-2012 को किया जायेगा।

ब्लाक विशेश्वरगंज के ग्राम होलागाड़ा, कुरसहा, जलालपुर एवं सेमरौना के किसानों की विद्युत तार की टकराहट से उत्पन्न चिन्गारी से गेहूं की फसलों के जलने से नुकसान की जांच आख्या विद्युत सुरक्षा निदेशालय, गोण्डा से प्राप्त हो चुकी है। इस घटना से पीड़ित 75 किसानों के क्षतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु पत्र अधिशासी अभिरूनाता, विद्युत द्वारा दिनांक 22-11-2012 को अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गोण्डा को प्रेषित किया गया है। इसकी स्वीकृति एवं धनराशि प्राप्त होते ही पीड़ित किसानों को वितरित करा दी जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

### **गोरखपुर में मै0 एशियन फर्टिलाइजर लि0 देवकलिया, सरदार नगर से निकलने वाली जहरीली गैस के निस्तारण की जानकारी**

28-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा देवकलिया निकट फुटहवा इनार वि0खं0 सरदार नगर जिला गोरखपुर के अन्तर्गत एशियन फर्टिलाइजर लि0 कम्पनी से निकलने वाली जहरीली गैस से क्षेत्रीय जनता विभिन्न प्रकार की गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो रही है एवं हजारों एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिये कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश निषाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मै0 एशियन फर्टिलाइजर लि0 देवकलिया, सरदार नगर, गोरखपुर में सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, सिंगिल सुपर फास्फेट प्लांट एवं त्रेनुलेटेड सिंगिल सुपर फास्फेट प्लांट की स्थापना की गयी है। तीनों संयंत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था स्थापित है। उद्योग के उदघटन निरीक्षण दिनांक 5-11-2012 के समय सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट उत्पादनरत पाया गया एवं अन्य दोनों प्लांट बन्द पाये गये। उत्पादनरत सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट से उत्सर्जित होने वाली प्रक्रिया उत्सर्जन के नमूने में वायु प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गई।

उद्योग से निकलने वाली गैसीय उत्सर्जनों से फसलों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव की जांच कृषि निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 09-09-2012 को की गयी उक्त जांच में फैक्ट्री परिसर एवं आस-पास बोर्ड गई फसलों पर वर्तमान में कोई ऐसा असर नहीं पाया गया, जो उत्सर्जित गैस से क्षति के कारण प्रदर्शित हो तथा गैसीय उत्सर्जनों के कारण क्षेत्रीय जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव एवं बीमारियों के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा सूचित किया गया है कि गैस से जनित होने वाली कोई भी बीमारी संज्ञान में नहीं है।

**जनपद आगरा में आलू में निर्यात करने के लिये कृषि निर्यात जोन ए0ई0जेड0 (आलू) योजना को पुन लागू करने की मांग**

29-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001 में आलू निर्यात करने के लिये आगरा में कृषि निर्यात जोन ए0ई0जेड0 (आलू), आगरा की स्थापना की गई थी ? क्या यह भी सही है कि



निर्यात योग्य प्रजातियों का उत्पादन कराने के लिये 'आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम' आगरा, फर्रुखाबाद, मेरठ, कन्नौज, बागपत, हाथरस एवं फिरोजाबाद में ए0ई0जेड0 में चयनित कृषकों के माध्यम से शुरू कराया गया ? क्या यह कार्यक्रम वर्ष 2003 के बाद मृतप्राय हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे पुनः चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा कृषि निर्यात जोन योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण न प्राप्त होने के कारण उक्त योजना का संचालन नहीं किया जायेगा।

**प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2004 तथा 2012 में अन्तर**

30-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2012 कब तक बनेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 तथा 2012 में क्या अन्तर है ?

श्री अखिलेश यादव-

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 मा0 मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 04 सितम्बर, 2012 को अनुमोदित कर दी गयी है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड के साथ-साथ मध्यांचल क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए भी रियायतों एवं सुविधाओं का प्राविधान किया गया है।

**जनपद बलिया की तहसील बैरिया में महिला महाविद्यालय खोले जाने की मांग**

31-श्री जय प्रकाश अंचल-

31-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया में कोई बालिका महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर एक बालिका महाविद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

जनपद बलिया की तहसील बैरिया के 15 कि०मी० की परिधि में कुल 13 महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें से 03 सहशिक्षा के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 10 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें 04 महिला महाविद्यालय हैं।

32-श्री मनीष असीजा-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**जनपद झांसी में स्थित पारीछा थर्मल पावर की कोयला की धूल से हो रही हानि को रोकने की जानकारी**

33-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में स्थित पारीछा थर्मल पावर से निकलने वाली कोयले की धूल से आस-पास स्थित रिछौरा, गुलारा, वराटा, धरमपुरा, जौरी आदि गांवों की भूमि अनुपजाऊ हो गई है तथा वहां का जन-जीवन संकट में पड़ता जा रहा है ? क्या पर्यावरण नियमों के पालन हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

उद्योग द्वारा वर्ष 2003 में परियोजना से निकलने वाली राख खेती एवं उपज पर प्रभाव सम्बन्धी रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी (सी०एस०आई०आर०) के माध्यम से एक पायलट प्रोजेक्ट संचालित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार पारीछा परियोजना की राख का खेती एवं उपज पर विपरीत प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हुआ है तथा जिन खेतों में फलाई ऐश मिलाकर खेती की गई है, उन खेतों की पैदावार में बढ़ोत्तरी परिलक्षित हुई है। उद्योग से जनित फलाई ऐश को मै० डायमण्ड सीमेंट, मड़ोरा, झांसी, मै० प्रिज्म सीमेंट लि०, मनकाहारी, सतना म०प्र०, मै० मंगलम सीमेंट लि० कोटा, मै० अवतार कंसट्रैक्शन, मै० सरला चैम, मुम्बई, मै० खेतान कैमिकल एवं फर्टीलाइजर लि० गोरामछिया, झांसी आदि उद्योगों को दिया जाता है। मुख्य चिकित्साधिकारी, झांसी से प्राप्त सूचनानुसार उक्त क्षेत्र में प्रदूषण से होने वाली बीमारी की सूचना नहीं है तथा जिला कृषि अधिकारी, झांसी से प्राप्त सूचना के अनुसार पारीछा थर्मल पावर की कोयला धूल से भूमि अनुपजाऊ होने की कोई शिकायत उपरोक्त ग्रामों से प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**लखीमपुर में बाढ़ से निर्वासित परिवारों को बसाने की योजना**

34-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर जनपद में बाढ़ से निर्वासित परिवारों को बसाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

बाढ़ से निर्वासित परिवारों की सरकार की योजनान्तर्गत निर्वासितों को ग्राम समाज की भूमि पर आवंटन करके बसाये जाने का प्राविधान है। भूमि उपलब्ध न होने की दशा में शासनादेश संख्या-2010(1)/1-10-12-33(37)/2012-टी0सी0-1, दिनांक 31 जुलाई, 2012 के क्रम में सरकारी व्यय पर भूमि क्रय कर निःशुल्क आवंटन की व्यवस्था की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कुशीनगर की तहसील हाटा के ग्राम सभा भड़सरखारा के तालाब से अवैध निर्माण हटवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही**

35-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के तहसील-हाटा, वि0खं0-कप्तानगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा भड़सरखारा के आराजी संख्या-285 में स्थित तालाब पर उसी गांव के दबंग लालजी वर्मा एवं पिन्टू आदि द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त तालाब पर किये गये अवैध निर्माण को हटाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? क्या सरकार उक्त तालाब को मूलरूप में विकसित भी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

आराजी संख्या 285 रकबा 0, 393 हे0 राजस्व अभिलेख में पोखरी के रूप में दर्ज है, जो ग्राम सभा की आबादी के मध्य स्थित है। जिसमें ग्रामवासी लाल जी यादव एवं पिन्टू आदि कुल 28 व्यक्तियों द्वारा पक्का मकान, शौचालय, छप्पर, टीन शेड दीवाल आदि बनाकर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। वर्तमान समय में कोई निर्माण नहीं हो रहा है।

अवैध निर्माण हटवाकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

तालाब को उसका मूल स्वरूप प्रदान किया जायेगा। सम्प्रति मोहरम का समय चल रहा है। जिसकी संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए लोकशांति की दृष्टि से त्यौहार समाप्त होते ही एक पक्ष में अवैध कब्जा हटवा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश में किसानों को रसायनिक उर्वरक एवं बीज उपलब्ध करवाने की जानकारी**

36-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में रसायनिक उर्वरक तथा बीज न मिलने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में रसायनिक उर्वरक तथा बीज उपलब्ध कराने के लिये क्या कोई उपाय सरकार करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

उर्वरक के विषय में सरकार को पूर्ण जानकारी है एवं प्रदेश सरकार कृषकों को आवश्यकतानुसार उर्वरक/बीज उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्पित है। प्रदेश में रबी 2012-13 में दिनांक 07 नवम्बर, 2012 तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता निम्नवत् रही:-

(मात्रा लाख मी0 टन में)

क्र0 सं0	उर्वरक का नाम	दिनांक 07 नवम्बर, 2012 तक निर्धारित लक्ष्य	दिनांक 07 नवम्बर, 2012 तक का विवरण		
			उपलब्धता	उपलब्धता प्रतिशत	विवरण
1.	यूरिया	6.63	7.25	109	2.64
2.	डी0ए0पी0	4.30	10.70	249	3.31
3.	एन0पी0के0	2.9	4.35	1.99	1.24
4.	एम0ओ0पी0	0.76	0.84	110	0.30

उक्त से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप विभिन्न रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी है।

जी हां। रबी 2012-13 में प्रदेश के किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है।

रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन पूर्ण रूप से भारत सरकार पर आश्रित है। प्रदेश शासन द्वारा निरन्तर भारत सरकार के सम्पर्क में रह कर एवं पत्रों तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से अनुश्रवण करते हुए यथासम्भव रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है।

कृषकों को रबी में ससमय उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रदेश शासन द्वारा यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की प्रीपोजिशनिंग नोडल एजेन्सी पी0सी0एफ0 के माध्यम से करायी गयी है जिसके अन्तर्गत दिनांक 07 नवम्बर, 2012 तक 153883 मी0 टन यूरिया एवं 736860 मी0 टन फास्फेटिक उर्वरक की प्रीपोजिशनिंग में उपलब्धता रही जिसमें से आवश्यकतानुसार 39809 मी0 टन यूरिया एवं 439840 मी0 टन फास्फेटिक उर्वरक अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रदेश शासन द्वारा सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से बीज उपलब्ध कराने हेतु जनपदवार वितरण का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। कृषकों को समय से उचित दर पर गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से पृथक प्रदेश सरकार द्वारा

नई उन्नतशील प्रजातियों का सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थाओं के माध्यम से अनुदान पर बीज वितरित कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में विकास खण्ड/जनपद/मण्डल स्तर पर नई प्रजातियों की जानकारी, बीजों की उपलब्धता एवं अनुदान के सम्बन्ध में कृषकों को जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु मेले/गोष्ठियों/दूरदर्शन/आकाशवाणी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

### प्रदेश की विमुक्त, घुमन्तू, परिगणित, खानाबदोश जातियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी

37-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पायी जाने वाली विमुक्त, घुमन्तू, परिगणित, खानाबदोश जनजातियों को किसी निदेशालय से सम्बद्ध किया गया है ? यदि हां, तो इन जातियों को किन-किन स्थानों पर एवं किस श्रेणी की क्या-क्या सुविधाये दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में घोषित जनजातियों के कल्याणार्थ राज्य सरकार द्वारा जनजाति कल्याण निदेशालय का गठन किया गया है।

विमुक्त, घुमन्तू परिगणित तथा खानाबदोश जातियां विभिन्न श्रेणियों यथा-अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग में वर्गीकृत हैं एवं तदनुसार सम्बन्धित वर्गों के कल्याणार्थ गठित निदेशालयों से अधिशासित होते हैं।

उक्त जातियों को उनके वर्ग के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य सुविधाएं जैसे-समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश, छात्रवृत्ति एवं पुनर्वासन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

### जनपद महाराजगंज की तहसील मुख्यालयों पर जाति, आय, निवास प्रमाण-पत्र बनवाने की व्यवस्था का कथित प्रकरण

38-श्री बजरगंज बहादुर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज में जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर जाति, आय, निवास प्रमाण-पत्र बनाने में नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो इससे निजात दिलाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बहराइच विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में विभिन्न योजनाओं का लाभ कृषकों को दिये जाने की जानकारी**

39-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में वर्ष 2012-13 में मनरेगा तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कृषक प्रक्षेत्रों पर आम, केला, लीची, अमरूद, शाकभाजी तथा मसाला क्षेत्र के विस्तार व कार्यक्रम संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि इस कार्य हेतु कितना धन आवंटित किया गया है ? इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का लाभ कृषकों तक पहुंचाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री राज किशोर सिंह-

विधान सभा क्षेत्र पयागपुर जनपद बहराइच के अन्तर्गत राष्ट्रीय विकास योजना (शाकभाजी/मसाला) व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (30 नान एच0एच0एम0 जनपद) के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में कृषक प्रक्षेत्रों पर फल, पुष्प, शाकभाजी/मसाला, आदि के क्षेत्र विस्तार के कार्यक्रम दिये गये हैं, जिसमें जनपद बहराइच को क्रमशः रु0- 9.75 लाख तथा रु0-44.872 लाख (कुल धनराशि 54.622 लाख) का आवंटन हुआ है। सम्प्रति बीजों के क्रय की व्यवस्था करायी जा रही है, जिसे लाभार्थियों को दिया जायेगा। इस योजना में विधान सभा क्षेत्र पयागपुर से निम्नलिखित आवेदन प्राप्त हुए हैं:-

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	क्षे0 (है0 में)	फसल का नाम	लक्षित सहायता धनराशि
1.	पूरेशुकुल पुरवा, गुरचाही	1	0.40	कद्दूवर्गीय	20000

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत जनपद को वर्ष 2011-12 में केले, आधुनिक खेती (पायलट परियोजना) की स्वीकृत परियोजना के अवशेष कार्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2012-13 में रु0 156.0575 लाख की धनराशि आवंटित हुयी है, जिसके सापेक्ष विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के 37 लाभार्थियों को चयनित कर लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कृषकों को केला की खेती हेतु टिश्यूकल्चर पौधे उपलब्ध कराये जा चुके हैं एवं मजदूरी अंश का भुगतान किया जा रहा है, इनका ग्रामवार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	लाभार्थियों की संख्या	क्षे0 (है0 में)	लक्षित सहायता धनराशि रु0 में
1.	मधनगरा	1	0.80	88,664
2.	राजापुर गिरन्ट	4	3.60	3,98,988

3.	गूजरा	4	1.50	1,66,245
4.	बनघुसरा	12	4.30	4,76,569
5.	प्रतापपुर	10	1.80	1,99,494
6.	लखनगोडा	5	1.30	1,44,079
7.	शेखापुर	1	0.40	44,332
	<b>योग</b>	<b>37</b>	<b>13.7</b>	<b>15,18,371</b>

उपरोक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में रु0-15.184 लाख व्यय की जा रही है।

उपरोक्त औद्योगिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के साथ ही स्थानीय मा0 जनप्रतिनिधियों व विकास खण्ड स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा दैनिक/साप्ताहिक समाचार-पत्रों के माध्यम से भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

#### जनपद सोनभद्र के ओबारा विधान सभा क्षेत्र के वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की जानकारी

40-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबारा विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों में कुल कितने बी0पी0एल0 कार्ड धारक वृद्ध ऐसे हैं जो पात्र होने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं पा रहे हैं ? क्या सरकार उन सभी का प्रस्ताव ग्रामसभा/विकास खण्डवार तैयार करवा कर भारत सरकार को भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र और अर्ह व्यक्तियों के चयन, संस्तुति तथा अनुमोदन स्वीकृति का अधिकार राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को दिया गया है। जनपदों में सभी जिलाधिकारियां, मुख्य विकास अधिकारियों और जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे वृद्धावस्था पेंशन के सभी पात्र और अर्ह व्यक्तियों का चयन करते हुए उन्हें इस योजना से लाभान्वित करें। जनपद सोनभद्र के सम्बन्ध भी इसी प्रकार के निर्देश हैं। बी0पी0एल0 सूची 2002 में यदि कोई लाभार्थी ऐसा है, जिसे वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है और पात्र तथा अर्ह हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु पुनः जिलाधिकारी, सोनभद्र और जिला समाज कल्याण अधिकारी, सोनभद्र को निर्देशित कर दिया गया है।

#### सोनभद्र के ओबारा विधान सभा क्षेत्र की मै0 लैन्को अनपरा पावर लि0, अनपरा से उत्सर्जित होने वाले अप्रयोज्य कचरों तथा पानी के शुद्धिकरण हेतु लगे प्लांटों की जानकारी

41-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबारा विधान सभा क्षेत्र में स्थापित लैन्को इन्फ्रोटक लि0 सी0 प्लान्ट, अनपरा से उत्सर्जित होने वाले अप्रयोज्य कचरों तथा पानी

को रिहन्द डैम में गिरने से रोकने के लिये कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मै0 लैन्को अनपरा पावर लि0 अनपरा, सोनभद्र एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है जिसकी उत्पादन क्षमता 2x600 मेगावाट है। उद्योग को स्थापना हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या जे0-13011/45/2007-आईए0।।(टी) दिनांक 26.11.2007 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

उद्योग में उपयोग होने वाला जल रिहन्द जलाशय से प्राप्त किया जाता है। उद्योग में ब्यायलर की राख को पानी के साथ स्लरी बनाकर मै0 अनपरा थर्मल पावर स्टेशन 'अ' एवं 'ब' के बेलवादह स्थित ऐश पॉण्ड में भेजा जाता है जहां निधारने (सेटलिंग) के पश्चात् बहिस्त्राव को रिहन्द जलाशय में प्रवाहित किया जाता है। बेलवादह ऐश पॉण्ड की उद्योग से दूरी लगभग 13 किमी0 है। ऐश पॉण्ड के दिनांक 19.12.2011 को बोर्ड द्वारा एकत्रित बहिस्त्राव का नमूना निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत पाया गया। अन्य बहिस्त्राव कोल हैण्डलिंग प्लांट, ब्यायलर ब्लोडाउन, फर्श की धुलाई तथा वर्कशॉप इत्यादि से जनित होते हैं, जिसके शुद्धिकरण हेतु शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। शुद्धिकृत औद्योगिक उत्प्रावह को ब्यायलर की राख की स्लरी बनाने में पुनः प्रयोग कर लिया जाता है। घरेलू उत्प्रावह के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है। शुद्धिकृत घरेलू उत्प्रावह का प्रयोग बागवानी में कर लिया जाता है।

राज्य बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत उद्योग को पत्र दिनांक 19.03.2012 द्वारा सहमति प्रदान की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2012 तक है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बहराइच की तहसील महसी के घाघरा नदी की कटान से विलीन हुए कतिपय गांवों की सीमा द्योतक चिन्ह लगाने की मांग**

42-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच की तहसील महसी के ग्राम मुन्सारी, खरगापुर, उमरिया, आशापुर, संसारी, मगरवर, कपरवर, पन्डितपुरवा, टिकरी मुरौवा आदि गांव घाघरा नदी की कटान से दरियाबुर्द (विलीन) हो गये थे तथा पुनः नदी के रुख बदलने से जमीन बढ़ गई और पुनः बरार हो गई है ? क्या सरकार की जानकारी में है कि कटान से विलीन होने से दुहद्दा, तिहद्दा, चौहद्दा गांव सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बरार होने के बाद नियमानुसार सर्वे प्रक्रिया रेवेन्यू एक्ट 1901 सेक्शन 50 के अनुसार उक्त गांवों के निशानात कराकर पैमाइश करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां। घाघरा नदी के कटान से तहसील महसी के ग्राम मुन्सारी, खरगापुर, उमरिया, आशापुर, संसारी व मगरवल तथा पन्डितपुरवा पूर्णरूपेण तथा ग्राम टिकरी मुरौवा व कपरवल आंशिक



रूप से घाघरा नदी में विलीन हो चुके हैं। ग्राम कपरवल में सम्पूर्ण आबादी नदी में कट चुकी है। मुरौवा, टिकरी व कपरवल में कृषि योग्य आंशिक भूमि घाघरा नदी में विलीन होने से अवशेष बची है। ग्राम मुन्सारी, खरगापुर, उमरिया, आशापुर, संसारी मगरवल, पन्डितपुरवा, टिकरी, मुरौवा व कपरवल नदी के पेटे में हैं। बाढ़ के बाद पुनः भूमि खेती योग्य हो जाती है।

जी हां।

प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ आने एवं बालू होने के कारण सीमा द्योतक चिन्ह स्थापित नहीं हो सकता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

**प्रदेश में आय/निवास/जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए समय-सीमा का निर्धारण**

43-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आय/निवास/जाति प्रमाण-पत्रों को बनवाने के लिये आम जन मानस को महीनों चक्कर काटना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा कोई नियम बनायेगी जिससे आवेदक को आवेदन करने के तीन दिनों के अन्दर प्रमाण-पत्र मिल जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रदेश में आय/निवास/जाति प्रमाण-पत्रों को बनवाने के लिए उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत समय-सीमा निर्धारित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सोनभद्र में ग्रीष्म ऋतु में आग लगने से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने की जानकारी**

44-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में वर्ष 2012 में ग्रीष्म ऋतु में आग लगने से कितने घर जले, कितनी मौतें हुई तथा कितने लोग घायल हुए ? सरकार द्वारा अग्निपीड़ितों के लिये अब तक क्या-क्या राहत कार्य किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद सोनभद्र में वर्ष 2012 में ग्रीष्म ऋतु में आग लगने की कुल 66 घटनाएं हुईं जिसमें कुल 62 मकान प्रभावित हुए। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई।

पीड़ित व्यक्तियों को शासनादेश के अनुसार मानव मृत्यु पर रु0 1,50,000/-, पूर्णतया क्षतिग्रस्त कच्चा मकान पर रु0 15,000/- की दर से 01 व्यक्ति को, अत्यधिक क्षति पर रु0 3200/- की दर से 22 व्यक्तियों को तथा आंशिक क्षति पर रु0 1900/- की दर से कुल 36 व्यक्तियों को और झोपड़ी की क्षति पर रु0 2500/- की दर से 02 व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में दिनांक 9-8-2012 के मध्य महाविद्यालयों को अनापत्ति निर्गत कर सम्बद्धता प्रदान करने एवं महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने की मांग**

45-डॉ0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश 29-06-2009 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 16-06-2010 द्वारा निरस्त कर दिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि 16-06-2010 के बाद और वर्तमान शासनादेश संख्या: 2103/70-2-2012-2(166/2002), दिनांक 09-08-2012 के मध्य कितने महाविद्यालयों को अनापत्ति निर्गत कर सम्बद्धता प्रदान की गई है ? क्या सरकार उपरोक्त महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

1240

रिट याचिका संख्या 6971/2010 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-6-2010 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विशेष अपील संख्या 1056/2010 उ0प्र0 राज्य बनाम कमेटी आफ मैनेजमेंट, स्व0 भगवन्ती देवी डिग्री कालेज, इलाहाबाद व अन्य योजित की गयी है, जो विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**स्थाई मान्यता प्राप्त महाविद्यालय को नये विषय या वर्ग की कक्षायें प्रबन्ध करने हेतु नये सिरे से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की जानकारी**

46-डॉ0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थाई मान्यता प्राप्त किसी महाविद्यालय को नये विषय अथवा नये वर्ग की कक्षायें प्रबन्ध करने हेतु महाविद्यालयों को नये सिरे से अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना पड़ता है जबकि अनापत्ति प्रमाण-पत्र का प्रारूप वही रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बार-बार अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगने की गैर जरूरी प्रक्रिया को बन्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

नहीं।

शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(66)/2002, दि0 27-9-2002 के बिन्दु-2 के सब प्रस्तर-(ब) में पूर्व में संचालित महाविद्यालय/संस्थान में नये पाठ्यक्रमों में अनापत्ति/निर्बाधन देने हेतु औचित्य निर्धारण की व्यवस्था की गई है। शासनादेश के अनुरूप पूर्व से स्थापित महाविद्यालय द्वारा प्रयोगात्मक विषय के पाठ्यक्रम हेतु पृथक प्रयोगशाला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सेक्शन के लिए अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष, विज्ञान संकाय के पृथक विषय में पृथक प्रयोगशाला, छात्र संख्या के सापेक्ष सांस्कृतिक गतिविधियों एवं खेलों के आयोजन हेतु पर्याप्त भूमि एवं महाविद्यालयों द्वारा कभी-कभी

सम्बद्धता प्राप्त कन्या महाविद्यालय (मानक से आधी भूमि) को सहशिक्षा में परिवर्तित करने की मांग आदि उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप बार-बार अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता विधिसम्मत है।

**मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर आफ पैरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन ऐक्ट 2007 को प्रदेश में लागू करने की जानकारी**

47-डॉ0 अजय कुमार-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा अधिनियमित "मेन्टीनेन्स एण्ड वेलफेयर आफ पैरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन ऐक्ट 2007" वरिष्ठ नागरिकों के हित से जुड़ा होने के कारण देश की 24 प्रान्तीय सरकारों ने अपने यहां इस अधिनियम को लागू कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में उक्त ऐक्ट को लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

प्रश्नगत अधिनियम के अन्य प्रान्तीय सरकारों द्वारा लागू किये जाने की जानकारी भारत सरकार से सम्बन्धित है।

प्रश्नगत अधिनियम को उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त करते हुए तद्विषयक अधिसूचना संख्या-1506/26-2-2012-100(2)/2008, दिनांक 25-09-2012 जारी की जा चुकी है।

यथोपरि।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद बस्ती में कृषकों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरकों को उपलब्ध कराने की जानकारी**

48-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में सम्बन्धित कर्मियों एवं बिचौलियों द्वारा खाद की ब्लैक मार्केटिंग करने से किसानों को परेशानी हो रही है ? क्या इनके विरुद्ध कार्यवाही करने तथा खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की शासन की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?  
कुंवर आनन्द सिंह-

जी नहीं। जनपद बस्ती में कृषकों को निर्धारित मूल्य पर सुगमता से उर्वरक उपलब्ध है।

जनपद बस्ती में कृषकों को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के निर्देशन में विभागीय अधिकारियों एवं मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम द्वारा अभियान के रूप में उर्वरक विक्री केन्द्रों पर छापे डालने की कार्यवाही की जाती है।

जनपद के सभी क्षेत्रों में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विकास खण्डवार प्लान निर्धारित कर आपूर्ति करायी जा रही है। चालू रबी 2012-13 में माह अक्टूबर, 2012 तक यूरिया उर्वरक के निर्धारित लक्ष्य 6719 मी0टन के सापेक्ष 7707 मी0टन, डी0ए0पी0 के लक्ष्य 5820 मी0टन के सापेक्ष 12192 मी0टन, एन0पी0के0 के लक्ष्य 1896 मी0टन के सापेक्ष 7382 मी0टन एवं एम0ओ0पी0 के लक्ष्य 1040 मी0टन के सापेक्ष 2400 मी0टन की उपलब्धता दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 तक सुनिश्चित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोरखपुर में हो रही चकबन्दी प्रक्रिया की योजना के पूर्ण होने की जानकारी**

49-श्री बजरंग बहादुर सिंह

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ग्राम सभा कहरौली में विगत 22 वर्षों से हो रही चकबन्दी प्रक्रिया को कब तक पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद गोरखपुर के ग्राम सभा कहरौली में हो रही चकबन्दी प्रक्रिया को कार्य योजना के अनुसार अगस्त, 2015 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

50-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

51-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 27-11-2012 को अता0 प्रश्न सं0-50 द्वारा उत्तरित]

**जनपद शामली के विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय कैराना के प्रांगण में प्राचार्य एवं प्राध्यापकों के लिए निर्मित आवासों की सफाई**

52-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय कैराना, जनपद शामली के प्रांगण में निर्मित प्राचार्य आवास तथा तीन शिक्षक आवासों में प्राचार्य व शिक्षकों के न रहने के कारण आवासों की सफाई व रख-रखाव भी नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महाविद्यालय में प्राचार्य आवास के साथ-साथ प्राध्यापकों के 06 आवास बने हुए हैं। असुविधा के दृष्टिगत निर्माण की तिथि से अब तक कोई प्राचार्य अथवा प्राध्यापक नहीं रह रहा है, फिर भी निर्मित आवासों की सफाई करायी जाती है।

**जनपद कानपुर के रसूलाबाद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम वैदायां में महाविद्यालय खोले जाने की मांग**

53-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के रसूलाबाद विधान सभा क्षेत्र के ग्राम वैदायां के आस-पास कोई महाविद्यालय न होने से छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

### उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा बीज उत्पादकों के भुगतान की जानकारी

54-श्री दलवीर सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीज विकास निगम द्वारा वर्ष 2010-11 में गेहूं बीज उत्पादन हेतु किसानों को प्रोग्राम दिया गया था ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रोग्राम में किस दर से गेहूं बीज का भुगतान किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त प्रोग्राम में कितना भुगतान हो गया है तथा कितना अवशेष है ? क्या सरकार अवशेष भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी हां। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा वर्ष 2010-2011 में गेहूं बीज उत्पादन हेतु प्रदेश के किसानों को 41252.50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रोग्राम दिया गया था।

उक्त प्रोग्राम में गेहूं बीज का प्रजातिवार भुगतान रु0 1365/- से रु0 1380/- प्रति कुंतल की दर से बीज उत्पादकों को किया गया है।

गेहूं बीज उत्पादन प्रोग्राम में सम्मिलित समस्त बीज उत्पादकों को अन्तिम भुगतान किया जा चुका है।

बीज उत्पादकों का कोई भुगतान किया जाना शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

### जनपद शाहजहांपुर के गांधी फैजाम महाविद्यालय में स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति की मांग

55-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने अल्पसंख्यक महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर स्थाई प्राचार्य नहीं हैं ? क्या यह सत्य है कि गांधी फैजाम महाविद्यालय, शाहजहांपुर में स्थाई प्राचार्य के लिए साक्षात्कार 27 मई, 2012 को हो चुका है ? यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं तथा कब तक स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में सात अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में स्थायी प्राचार्य नहीं है।

जी हां।

प्रबन्धतंत्र की बैठक दिनांक 22-6-2012 के द्वारा प्रस्ताव संख्या-02 पर चयन समिति द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव दिनांक 22-6-2012 को रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली को प्रेषित किया गया। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 29-10-2012 द्वारा महाविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव को निरस्त करते हुए प्राचार्य पद पर पुनः चयन प्रक्रिया तीन माह में सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**उ0प्र0 वित्तीय निगम के संचालक मण्डल द्वारा बिक्री की जाने वाली इकाइयों हेतु स्वीकृत निर्धारित नीति**

56-श्री बजरंग बहादुर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 वित्त विकास निगम में इकाइयों का मूल्यांकन करके बेचे जाने की समीक्षा के लिए किसी समिति का गठन हुआ है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत निर्धारित नीति प्रक्रिया के अनुसार बिक्री की जाने वाली इकाइयों का मूल्यांकन किया जाता है तथा इसकी बिक्री की स्वीकृति हेतु विभिन्न अधिकारी स्तरों पर संचालक मण्डल द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं। अतः मूल्य निर्धारण हेतु समीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है।

**कानपुर नगर की गंगा नदी में प्रदूषित जल के उत्प्रवाह को रोकने की मांग**

57-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में अधिकांश टैनरियों का प्रदूषित जल रात्रि में बिना ट्रीटमेन्ट के गंगा नदी में डाला जा रहा है जिससे जल में रहने वाले जीव जन्तु तथा मनुष्यों पर दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार गंगा के प्रदूषण को रोकने हेतु कोई कारगर योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र में स्थापित टैनरियों का उत्प्रवाह टैनरियों द्वारा प्रथम चरण के शोधन के उपरान्त कामन कन्वेन्स चैनल के माध्यम से क्षेत्र में स्थापित 04 पम्पिंग स्टेशन को पहुंचाता है जहां से उत्प्रवाह द्वितीय चरण के शोधन हेतु 36 एम0एल0डी0 क्षमता के संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) को भेजा जाता है, जिसमें 09 एम0एल0डी0 टैनरी उत्प्रवाह एवं 27 एम0एल0डी0 घरेलू जल-मल को मिश्रित कर शोधित किया जाता है। सी0ई0टी0पी0 के पश्चात् शुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण इरिगेशन चैनल के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जाजमऊ कानपुर में 402 टैनरी इकाइयां चिन्हित की गई हैं, जिसमें से 84 टैनरी इकाइयों को बोर्ड मानकों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं।

गंगा नदी के प्रदूषण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन जनहित याचिका संख्या-4003/2006 रि:गंगा प्रदूषण बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत मा0 न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है।

जी हां।

कानपुर शहर में उत्सर्जित घरेलू एवं टैनरी उद्योगों के अशोधित उत्प्रावह को गंगा नदी में जाने से रोकने एवं उसके शोधन हेतु स्वीकृत कार्य योजनाएं भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के सौजन्य से क्रियान्वित की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश की सामान्य जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति दिये जाने की जानकारी**

58-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा घोषित उच्च तकनीकी शिक्षा में दाखिला लेने वाले सामान्य, पिछड़े, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा दिये जाने वाली फीस का अनुदान न दिये जाने से वह अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन छात्र/छात्राओं को राहत देने के लिए कोई योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

“उ0प्र0 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2012” में यह प्राविधानित है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्र-छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत पात्र विद्यार्थियों को नियमावली के प्राविधानों के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

सामान्य जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत नियमावली संरचना की जा रही है। नियमावली के प्राख्यापनोपरान्त उक्त वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

59-श्री सुरेश राणा-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में लड़कियों के लिए डिग्री कालेज खोले जाने की मांग**

60-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में लड़कियों के लिए डिग्री कालेज खोले जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में सहशिक्षा के 10 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

### किसानों को पेंशन देने की मांग

61-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके किसानों को पेंशन देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

### जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के ग्राम मटरिया में हुए अग्निकांड के पीड़ितों को सहायता दिये जाने की जानकारी

62-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत ग्राम भटियों तहसील धौरहरा में वर्तमान वर्ष में आग लगने से कितने लोगों को राहत राशि दी गयी तथा कितने लोगों को राहत राशि मिलनी शेष है ? क्या सरकार राहत राशि पाने से वंचित लोगों को राहत राशि देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम मटरिया तहसील धौरहरा जनपद लखीमपुर खीरी में वर्तमान वर्ष में हुए अग्निकांड से कुल 55 मकान आवासीय तथा 21 मकान गैर आवासीय प्रभावित हुए थे जिसमें से 55 आवासीय मकान के स्वामियों को अहेतुक सहायता, गृह अनुदान के रूप में रु0 1,19,800/- की धनराशि वितरित की गई है। एक छोटे पशु (बकरी) की मृत्यु होने की दशा में रु0 1,000/- का अनुग्रह अनुदान वितरित किया गया। गैर आवासीय मकानों को कोई सहायता शासनादेश के अनुरूप देय नहीं होती है इस कारण 21 गैर आवासीय मकानों के स्वामियों को सहायता नहीं दी गई है। कोई पात्र व्यक्ति शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

63-श्री सुरेश राणा-

[2सरे सोमवार के अता0 प्रश्न सं0-187 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

### उत्तर प्रदेश लखनऊ के राजस्व परिषद् में स्थानान्तरण करने की मांग

64-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीन साल की अवधि में आन्तरिक स्थानान्तरण किये जाने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन राजस्व परिषद्, उत्तर



प्रदेश, लखनऊ स्थित कार्यालय में नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो कब तक उक्त नीति के अनुसार स्थानान्तरण राजस्व परिषद् में किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बहराइच के वि0खं0 प्रयागपुर में बंगाली शरणार्थियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

65-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में सन् 1962 से बसाये गये बंगाली शरणार्थियों को पुनर्वास विभाग, बहराइच द्वारा दी गई 300 एकड़ भूमि का पट्टा व स्वामित्व प्रदान करने से सम्बन्धित मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-एस0 नं0-102951/054/12-13, दिनांक 9-8-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जिलाधिकारी बहराइच को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-386/2003 (चकबन्दी) कृष्ण कान्त अवस्थी बनाम स्टेट उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31-03-2003 व रिट याचिका संख्या-394/2003 (चकबन्दी) उदय प्रताप मिश्रा बनाम स्टेट उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02-04-2003 द्वारा कार्यवाही स्थगित होने तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रस्तर-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अपेक्षित अनुमति प्राप्त न होने के कारण विस्थापितों को भूमि का स्वामित्व नहीं दिया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बहराइच में वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

66-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-एस0 नं0-102025/066/12-13, दिनांक 20-8-12 समाज कल्याण अधिकारी, बहराइच तथा पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/क-एस0 नं0-102934/065/12-13, दिनांक 20-8-12 जिलाधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में वृद्धावस्था पेंशन के 86035, वित्तीय वर्ष 2010-11 में 65248, वित्तीय वर्ष 2011-12 में 63182 तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 में 58761 लाभार्थी अर्ह पाये गये, जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन दी गई। वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद स्तर से मांग के अनुसार जनपद को धनराशि दे दी गई है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में कोई धनराशि बकाया नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश की ग्राम सभा की भूमि पर स्थित तालाबों, पोखरों, मीनाशयों के लगान को कम करने की मांग**  
67-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्व शासनादेश के अनुसार ग्राम सभाओं में स्थित तालाबों, मीनाशयों, जलाशयों को प्रथम वरीयता के आधार पर मछुआरा समुदाय के पक्ष में रु0 500/-प्रति हे0 प्रति वर्ष की दर से देने का प्राविधान था ? यदि हां, तो क्या वर्तमान समय में रु0 10,000/-प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से वसूली हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मछुआरा समुदाय के हित में पूर्व व्यवस्था की ही भांति वसूली निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

ग्राम सभा की भूमि पर स्थित तालाबों, पोखरों, मीनाशयों का आवंटन शासनादेश संख्या-3736(1)/1-2-95-रा0-2, दिनांक 17-10-95 के द्वारा किया जाता है। मत्स्य पालन के लगान निर्धारण की व्यवस्था का उल्लेख शासनादेश संख्या-400/12-1(3)/77-रा0-2, दिनांक 02 मई, 1981 के प्रस्तर-4 में किया गया है। इसमें उल्लेख है कि पट्टे के लिये वार्षिक लगान उक्त तालाब, पोखरों, मीनाशय आदि की पिछले तीन वर्षों की आय का औसत निकाल कर नियत किया जायेगा। ऐसे तालाब आदि जो नव-विकसित हों अथवा पिछली आय ज्ञात न हो, वहां लगान मत्स्य विभाग द्वारा तय की गयी दरों के अनुसार होगा और जब तक दरें तय न हों अन्य कृषि पट्टों की भांति मौरुसी दर से आंकलित लगान की दुगुनी धनराशि लगान के रूप में निश्चित की जाय।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-23932/2001 राम कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में अपने निर्णय दिनांक 14-5-2009 में यह आदेश दिये गये हैं कि तालाबों को रु0 10,000/-प्रति हेक्टेयर से कम लगान पर न दिया जाय।

**जनपद आगरा के डॉ0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई के संचालन की जानकारी**  
68-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में संस्कृत भाषा की पढ़ाई का संचालन किया जाता है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत विभाग को बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार संस्कृत विभाग को पुनः चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत विभाग को बन्द नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हाथरस एवं आगरा के एत्मादपुर तहसील के कतिपय ग्रामों में चकबन्दी हेतु डा0 अनिल चौधरी (पूर्व विधायक) के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

69-श्री दलवीर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-करीन, तहसील व जनपद हाथरस एवं ग्राम नगला गोल, तहसील एत्मादपुर, जनपद आगरा में प्रचलित चकबन्दी प्रक्रिया को रोकने विषयक डा0 अनिल चौधरी (पूर्व विधायक) का आपको सम्बोधित पत्र संख्या-33/रालोद/विमद/2012, दिनांक 14 जून, 2012 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

ग्राम करील तहसील व जनपद हाथरस में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की आख्यानसार मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-12204/2012, रनवीर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य विचाराधीन है। उक्त रिट याचिका में पारित अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही ग्राम की चकबन्दी कराने अथवा न कराने के सम्बन्ध में निर्णय लेना उचित होगा।

ग्राम नगला गोल, तहसील एत्मादपुर, जनपद आगरा को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक किया जा चुका है।

**जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के गांव सिंगहा यूसुफपुर से मन्सा नगला तक के खराब मार्ग का कथित प्रकरण**

70-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के गांव सिंगहा यूसुफपुर से मन्सा नगला तक मार्ग बहुत खराब है जिसे बनाने हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी की संस्तुति सहित निदेशक, मण्डी परिषद् उ0 प्र0 के कार्यालय में बहुत दिनों से लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को मण्डी परिषद् से बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के कतिपय ग्रामों में स्थित तालाबों से अवैध कब्जा हटवाने की मांग**

71-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के राजस्व गांव अहिरवारा, करनैया, खमरिया नवदिया, बड़ेपुराधारम, मुड़िया करोड़ एवं भसूड़ा की सार्वजनिक भूमि रपटुआ नाले तथा तालाबों पर अनधिकार कब्जे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जे हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

**ग्राम अहिरबाड़ा** के गाटा संख्या 183 क्षेत्रफल 0.223 तालाब व गाटा संख्या 184 क्षेत्रफल 0.320 खाद के गड्ढे व गाटा संख्या 216 क्षेत्रफल 0.243 बंजर व गाटा संख्या 399 क्षेत्रफल 0.352 खलिहान दर्ज है। उक्त गाटाओं पर देवेन्द्र पाल उर्फ योगेन्द्र पाल पुत्र श्याम बिहारी लाल, निवासी अहिरबाड़ा का अवैध कब्जा है तथा गाटा संख्या 411 क्षेत्रफल 0.040 हे0 तालाब पर चन्द्र प्रकाश पुत्र रूप नारायण का अवैध कब्जा है व गाटा संख्या-453 क्षेत्रफल 0.202 तालाब पर रामनरेश पुत्र जमुनादीन का अवैध कब्जा है व गाटा संख्या-678 मि0 क्षेत्रफल 1.983 हे0 में से 1.790 हे0 तालाब पर राजेश कुमार पुत्र जगदीश नारायण व अरविन्द कुमार पुत्र हरस्वरूप व राम लडैते पुत्र दामोदर दास व मोहनलाल पुत्र हटुवा का अवैध कब्जा है जिनके विरुद्ध धारा-122बी ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के अंतर्गत बेदखली के वाद तहसीलदार बीसलपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी तालाब भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है, ग्राम में रपटुआ नाला नहीं है।

**ग्राम करनैइया** के गाटा संख्या-50 क्षेत्रफल 0.125 हे0 तालाब पर राम सहाय पुत्र पूरन लाल व नरेन्द्र सिंह पुत्र जगत पाल सिंह व बनवारी लाल पुत्र कोमिल प्रसाद व रमेश पुत्र गुरदयाल सिंह द्वारा अवैध कब्जा करके मकान बनाये गये हैं, जिनके विरुद्ध धारा-122बी ज0वि0 एवं भू0 व्य0अधि0 के अन्तर्गत बेदखली के वाद तहसीलदार बीसलपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी तालाब भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है। ग्राम में रपटुआ नाला नहीं है।

**ग्राम खमरिया नवदिया** में गाटा संख्या-648 मि0 क्षेत्रफल 0.018 हे0 तौलेराम पुत्र रोशन लाल नि0 बीसलपुर एवं गाटा संख्या 636/2 क्षेत्रफल 0.048 हे0 पर भगवान दास पुत्र गेंदन लाल नि0 बीसलपुर का अनाधिकार कब्जा पाया गया, जिनके विरुद्ध बेदखली के वाद तहसीलदार बीसलपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। रपटुआ नाला व तालाब पर कोई अवैध कब्जा नहीं है।

**ग्राम बढैपुरा धारम** के गाटा संख्या-107 क्षेत्रफल 0.417 हे0 बंजर में दर्ज है, जिसमें से 0.167 हे0 मौके पर खाली है, 0.250 हे0 पर कमरजहां पत्नी अयूब खॉ निवासी मो0 हबीबुल्ला शुमाली, बीसलपुर का वर्ष 2007 अवैध से कब्जा है। गाटा संख्या-108 क्षेत्रफल 0.130 हे0 श्रेणी-6 नाला दर्ज है, जिसमें से 0.047 हे0 मौके पर खाली है तथा 0.083 हे0 पर कमरजहां पत्नी अयूब खां निवासी मो0 हबीबुल्ला शुमाली, बीसलपुर का वर्ष 2007 से अवैध कब्जा है। उक्त दोनों गाटा संख्याओं पर अवैध कब्जेदार कमरजहां पत्नी अयूब खां के विरुद्ध धारा-122बी ज0वि0 एवं भू0 व्य0अधि0 के अन्तर्गत बेदखली वाद संख्या-23/11-12 तहसीलदार बीसलपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। गाटा संख्या-146 रकबा 0.198 हे0 श्रेणी-6 में ईट भट्टा के नाम है, जिस पर ध्रुव कुमार पुत्र सोहन लाल का मार्च, 2012 से अवैध कब्जा है। अवैध कब्जेदार ध्रुव कुमार के विरुद्ध धारा-122बी ज0वि0 एवं भू0 व्य0 अधि0 के अन्तर्गत बेदखली का वाद संख्या-20/11-12 तहसीलदार बीसलपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त के अतिरिक्त तालाब भूमि व रपटुआ नाला पर अवैध कब्जा नहीं है।

**ग्राम मुडिया करोड़** में तालाब व रपटुआ नाला पर कोई अनाधिकार कब्जा नहीं है।

**ग्राम भंसूड़ा** के गाटा संख्या- 471 मि0 क्षेत्रफल 0.097 हे0, गाटा संख्या 472 मि0 क्षेत्रफल 0.1425 हे0 कुल क्षेत्रफल 0.239 हे0 में से 0.100 हे0 तालाब भूमि पर ग्राम के नवीहसन पुत्र शखावत व असगर पुत्र फिरोज बक्स व शमशुल हसन पुत्र दुले वकश व शराफतबकश पुत्र वशीरबकश

व नसीर पुत्र मैकूबकश तथा गाटा संख्या-482 क्षेत्रफल 0.053 हे0 तालाब में से 0.010 हे0 पर अजमत शाह पुत्र अगनें शाह व मोहम्मद शाह पुत्र रमजान शाह व शेर बाबू पुत्र अगनेंशाह व शानशाह पुत्र रमजानीशाह ने धनिया, प्याज बोकर अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था, जिसको हटावा दिया गया है, अब किसी भी तालाब पर कोई अवैध कब्जा नहीं है। ग्राम में रपटुआ नाला नहीं है।

उपरोक्त कब्जेदारों के विरुद्ध धारा-122बी ज0वि0 एवं भू0 व्य0अधि0 के अन्तर्गत योजित वादों के निर्णीत होने के उपरान्त बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

### जनपद बहराइच की दो चीनी मिलों में प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण हेतु उत्प्रवाह के लिये लगे संयंत्रों की जानकारी

72-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच की दो चीनी मिलें क्रमशः सिम्भावली शुगर मिल चिलवरिया तथा पारले शुगर फैक्ट्री परसेण्डी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम, 1974 की धारा-24, धारा-43 तथा धारा-33 व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-5 का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/012-13/क-एस0 नं0-138695/1068, दिनांक 20-8-2012 आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मा0 सदस्य का प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु प्रश्न की विषय वस्तु के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि मै0 सिम्भावली शुगर्स लि0 (शुगर इकाई) चिलवरिया बहराइच द्वारा 6000 टन/दिन केन की क्रशिंग करके चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु बार स्क्रीन, आयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, केमिकल डोजिंग टैंक, इक्वलाइजेशन टैंक, एरेशन टैंक, सेकेण्डरी क्लेरीफायर एवं स्लज डाइंग बेड्स आदि इकाइयां स्थापित की गई हैं। उद्योग का अद्यतन निरीक्षण दिनांक 12-11-2012 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग आफ सीजन के कारण बन्द पाया गया। पूर्व में उद्योग के क्रसिंग सीजन के समय दिनांक 29-11-2011 को किये गये निरीक्षण के साथ उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की समस्त इकाई कार्यरत पायी गयी एवं एकत्र किये गये शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने में प्रचालकों की मात्रा मानकों के अनुरूप पाई गई। वर्तमान में उद्योग को दिनांक 19-09-2012 को इस आशय के निर्देश दिये गये हैं कि आगामी क्रसिंग सीजन से एक माह पूर्व उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र को स्टेबलाइज करके ही संचालन किया जाय।

मै0 पारले बिस्कूट प्रा0 लि0 (शुगर डिवीजन) परसेण्डी बहराइच द्वारा 4850 मी0 टन/दिन केन क्रशिंग कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में बार स्क्रीन, आयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, केमिकल डोजिंग टैंक, इक्वलाइजेशन टैंक, प्राइमरी क्लेरीफायर, एरेशन टैंक, सेकेण्डरी क्लेरीफायर एवं स्लज डाइंग बेड्स आदि इकाइयां स्थापित की गई हैं।

उद्योग को अद्यतन निरीक्षण दिनांक 12-11-2012 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग आफ सीजन के कारण बन्द पाया गया। पूर्व में उद्योग के क्रसिंग सीजन के समय दिनांक 3-4-2012

को किये गये निरीक्षण के साथ उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की समस्त इकाई कार्यरत पायी गयी एवं एकत्र किये गये शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने में प्रचालकों की मात्रा मानकों के अनुरूप पाई गई। वर्तमान में उद्योग को दिनांक 19-09-2012 को इस आशय के निर्देश दिये गये हैं कि आगामी क्रसिंग सीजन से एक माह पूर्व उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र को स्टेबेलाइज करके ही संचालन किया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

73-श्री जय प्रकाश निषाद-

[2सरे बुधवार के अता0प्रश्न सं0-193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर, पिपराइच एवं ब्रह्मनगर में शुगर एवं गन्ना फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी/कचड़े के निस्तारण की जानकारी**

74-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर, पिपराइच एवं ब्रह्मपुर में शुगर फैक्ट्री, रासायनिक कारखानों से निकलने वाले दूषित पानी/कचड़े से क्षेत्र में पूरा पर्यावरण दूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कोई प्रबन्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में मै0 सरैया शुगर एवं डिस्टलरी एवं मै0 एशियन फर्टिलाइजर्स लि0 स्थित है। विकास खण्ड पिपराइच में मै0 यू0पी0 स्टेट शुगर एण्ड केन डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 उद्योग गन्ना पेराई सत्र 2007-08 के पश्चात् स्वयं के कारणों से बन्द है। विकास खण्ड ब्रह्मपुर में कोई भी जल प्रदूषणकारी उद्योग स्थित नहीं है।

मै0 सरैया शुगर मिल्स लि0, सरदारनगर गोरखपुर में गन्ने की क्रसिंग करके चीनी का उत्पादन किया जाता है। इकाई में प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। वर्तमान में इस पेराई सत्र में उद्योग में अभी उत्पादन कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। उद्योग को दिनांक 19-09-2012 को इस आशय के निर्देश दिये गये हैं कि उद्योग का संचालन आगामी क्रसिंग सीजन में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र को स्टेबेलाइज करके ही किया जाये।

मै0 सरैया डिस्टलरी सरदारनगर, गोरखपुर में एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु बायो गैस प्लांट एवं शून्य उत्प्रवाह निस्तारण हेतु लगभग 35 एकड़ भूमि पर बायो कम्पोस्ट यार्ड की स्थापना की गयी है। उद्योग द्वारा शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु रिवर्स ओसमोसिस प्लांट तथा नैनो फिल्ट्रेशन प्लांट की स्थापना का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है।

मै0 एशियन फर्टिलाइजर लि0 देवकलिया, सरदारनगर, गोरखपुर में सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, सिंगिल सुपर फास्फेट प्लांट एवं ग्रेनुलेशन सिंगिल सुपर फास्फेट प्लांट स्थापित है। तीनों प्लांटों में वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है। दिनांक 5-11-2012 को किये गये परीक्षण के समय सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट उत्पादनरत पाया गया एवं अन्य दोनों प्लांट बन्द पाये गये। उत्पादनरत सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट से उत्सर्जित होने वाली प्रक्रिया उत्सर्जन के नमूने में वायु प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी।

**जनपद मऊ की तहसील घोसी में सरयू नदी के किनारे बसे ग्रामों की भूमि का सीमांकन कर किसानों को कब्जा देने की मांग**

75-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर में सरयू नदी से दोहरी घाट, धनौली रामपुर, भैसा खरग एवं लोहड़ा में नदी कटान से क्षेत्रीय जनता की तीन हजार एकड़ नदी में विलीन जनपद मऊ की भूमि वर्तमान में जिला गोरखपुर के तह0 गोला के ग्राम बड़हलगंज के भू-माफियाओं के कब्जे में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विवादित भूमि का सीमांकन कराकर क्षेत्रीय जनता को उसकी भूमि पर कब्जा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

सरयू नदी के किनारे स्थित ग्राम दोहरी घाट, धनौली रामपुर, भैसा खरग, लोहड़ा तहसील घोसी जनपद मऊ में स्थित है। दोहरी घाट, भैसा खरग का कोई भी भू-भाग सरयू नदी के कटान से प्रभावित नहीं है। ग्राम धनौली रामपुर का 43.446 हेक्टेयर क्षेत्रफल नदी में विलीन है। इस ग्राम का कोई भू-भाग नदी के उस पार नहीं है। ग्राम लोहड़ा का 13.379 हेक्टेयर नदी में विलीन है तथा 1.866 हेक्टेयर नदी के उस पार रेता के रूप में है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मऊ के द्वारा सहायक अभिलेख अधिकारी गोरखपुर को सीमा-विवाद संदर्भ संदर्भित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

76-श्री उमेश पाण्डेय-

[1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**हापुड़ में मण्डी समिति द्वारा बनी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग**

77-श्री गजराज सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति हापुड़ से कितना राजस्व प्रतिवर्ष प्राप्त होता है ? क्या सरकार उक्त मण्डी समिति द्वारा बनी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण करवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मण्डी समिति हापुड़ में कृषि वर्ष 2011-12 में रु0 8,44,10,841.00 मण्डी शुल्क एवं रु0 2,10,70,319.00 शेष कुल रु0 11,28,19,925.00 की आय हुई है।

जिलाधिकारी से अनुमोदित मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति एवं अन्य विकास कार्यों की प्राथमिकता के दृष्टिगत क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत एवं नवीनीकरण पर विचार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कानपुर के गोविन्दनगर स्थित दयानन्द एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/प्रतिपूर्ति की मांग**

78-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के प्रथम गुरुवार के अतारंकित प्रश्न सं0-16 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत छात्र-छात्राओं को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की छात्रवृत्ति दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

प्रश्नगत विद्यालय दयानन्द एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, गोविन्दनगर, कानपुर नगर के सामान्य वर्ग के 91 छात्र/छात्राओं की वर्ष 2009-10 की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का डाटा/मांग पत्र संस्था स्तर से निर्धारित कट-आफ-डेट के बाद प्राप्त होने के कारण छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति तथा वर्ष 2010-11 में वित्तीय संसाधन की कमी के कारण शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान संभव नहीं हो सका है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद बस्ती के लेखपालों की प्रोन्नति की कार्यवाही**

79-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में लेखपालों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? पदोन्नति में आरक्षण समाप्त हो जाने के पश्चात् वरिष्ठता क्रम के अनुसार क्या लेखपालों की प्रोन्नति किये जाने की योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो कब तक उक्त योजनान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद बस्ती में लेखपालों के कुल 507 पद स्वीकृत हैं।

जी हां।

शासनादेश संख्या-4/1/2002 टी0सी0-1-का-2/2012, दिनांक 8-5-2012 के प्रस्तर 6(ग) तथा उ0प्र0 अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (राजस्व निरीक्षक) सेवा नियमावली, 2011 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार यथा ज्येष्ठता एकल पात्रता सूची के आधार पर लेखपाल संवर्ग व अन्य संवर्ग से अक्टूबर 2012 में राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में कृषकों को दुर्घटना पर कृषक दुर्घटना बीमा का लाभ दिये जाने की जानकारी**

80-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषक दुर्घटना बीमा का लाभ केवल परिवार प्रमुख की दुर्घटना पर ही दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में कृषक परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस लाभ में जोड़ेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?



श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए कृषक दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। यहां पर कृषक का तात्पर्य राजस्व अभिलेखों अर्थात् खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार से है, जिसकी आयु न्यूनतम 12 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष हो।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति दिये जाने की व्यवस्था**

81-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति हेतु रुपये 2500 दिये जाते हैं जो वर्तमान समय में किसी परिवार के उजड़ने के बाद पर्याप्त नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धनराशि में बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

वर्ष 2010 से वर्ष 2015 तक प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानियों हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 16-01-2012 को निर्धारित किये गये मानक के अनुसार विभिन्न प्रकार की होने वाली हानियों के लिये अलग-अलग धनराशि यथा-जन हानि पर रु0 1,50,000/- अहेतुक सहायता, पूर्णतया क्षतिग्रस्त पक्का मकान के लिए रु0 35,000/-, कच्चे मकान के लिये रु0 15,000/- गृह अनुदान, अधिकांश रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान के लिये रु0 6300/- एवं कच्चे मकान के लिये गृह अनुदान रु0 3200/-, आंशिक क्षतिग्रस्त हेतु रु0 1900/-, झोपड़ी के नष्ट होने पर रु0 2500/- दिये जाने की व्यवस्था है। पशुओं की हानि पर यथा-गाय, भैंस के मरने पर रु0 16,400/- एवं बकरी के लिये रु0 1,650/- की दर से राहत सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में किसान मित्रों को बहाल करने की जानकारी**

82-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सरकार के द्वारा लगाये गये किसान मित्रों को बहाल करने की वर्तमान सरकार की नीति है ? यदि हां, तो सरकार किसान मित्रों को कब तक बहाल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना को उपयोगी न पाये जाने के कारण शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा समाप्त किया जा चुका है।

**जनपद शाहजहांपुर के श्री राम औतार पुत्र राम भरोसे को वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान**

83-श्री सुरेश कुमार खन्ना

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में समाज कल्याण कार्यालय में वृद्धावस्था पेंशन के कितने फार्म स्वीकृत होने के लिए लम्बित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि राम औतार पुत्र राम भरोसे कांशीराम कालोनी, शाहजहांपुर का वृद्धावस्था फार्म दिनांक 1-11-2011 को समाज कल्याण अधिकारी को दिया गया था जो रिकार्ड पर चढ़ा होने के बाद भी अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद शाहजहांपुर में वर्तमान में 8178 वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

श्री राम औतार पुत्र श्री राम भरोसे को वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 की प्रथम छमाही किश्त की धनराशि उनके द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा-अकरारसूलपुर में खोले गये खाता संख्या-22400100005530 में प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद मिर्जापुर के ग्राम नकहरा में ए0बी0सी0 कम्पनी से निकलने वाले दूषित पानी को नदी में गिरने से रोकने की जानकारी**

84-श्री रमेश चन्द्र-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीटी के अन्तर्गत ग्राम नकहरा में ए0बी0सी0 कम्पनी से निकलने वाला दूषित पानी लोहदी नदी में गिरने से नदी का पेयजल भी दूषित हो गया है ? यदि हां, तो उक्त दूषित पानी के प्रयोग से कई जानवरों की मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दूषित पानी को लोहदी नदी में गिरने से रोकने हेतु कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मै0 ए0बी0सी0 उद्योग में उलेन कार्पेट एवं दरी के फिनिशिंग, पैकिंग एवं डिस्पैच का कार्य किया जाता है। उद्योग में मात्र घरेलू प्रयोजन से बहिःश्राव जनित होता है, जिसका निस्तारण सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट में किया जाता है, यह उद्योग जल प्रदूषणकारी नहीं है तथा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के स्तर से उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत सशर्त सहमति आदेश दिनांक 13-01-2011 को निर्गत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31-12-2012 तक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शामली के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र में मण्डी समिति द्वारा सड़कों के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव की जानकारी**

85-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में टूटी एवं जर्जर सड़कों का नवनिर्माण एवं नये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण मण्डी समिति द्वारा कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में मण्डी समिति किन-किन सड़कों का पुनर्निर्माण एवं किन सम्पर्क मार्गों को नये सिरे से बनाने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

शून्य।

मण्डी समिति का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

**जनपद फैजाबाद में बवां प्रथम बरईपारा के सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही**

86-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक चकबन्दी अधिकारी, बवां प्रथम बरईपारा फैजाबाद द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरुद्ध स्थानान्तरण कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0-सी0 एम0/वि0 को0/एम0/पी0 जी0-10097331/2012, दिनांक 4-8-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रकरण की जांच बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी से करायी गयी। जांचोपरान्त कोई अनियमितता दृष्टिगत न होने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बहराइच के खण्ड विकास अधिकारी जरवल को वृद्धावस्था पेंशन सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

87-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड जरवल के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/012-13/क-एस चं0-138669/1048, दिनांक 19-8-2012, खण्ड विकास अधिकारी, जरवल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

प्राप्त आख्यानुसार खण्ड विकास अधिकारी, जरवल द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पत्रांक-543, दिनांक 20-11-2012 द्वारा 05 ग्राम पंचायतों के 146 आवेदन-पत्र एवं पत्र संख्या-526, दिनांक 07-11-2012 द्वारा 24 ग्राम पंचायतों के 1056 वृद्धावस्था पेंशन आवेदन-पत्र तहसीलदार, कैसरगंज को सत्यापन हेतु प्रेषित किये गये हैं। सत्यापन के उपरान्त पात्र एवं अर्ह पाये गये आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर तहसील हेतु मण्डी परिषद् से स्वीकृत हुए कतिपय मार्गों के मरम्मत की जानकारी**

88-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत बीसलपुर तहसील हेतु मण्डी परिषद् से स्वीकृत हुए बीसलपुर-खुदागंज मार्ग से गांव बसारा तक, बीसलपुर खुदागंज मार्ग से गांव बहैपुरा धारम तक रसयांखानपुर मार्ग से गांव दौलतपुर हीरा तक कनपरा माइनर से गांव कनपरा तक मार्ग का निर्माण हो गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार की जानकारी में है कि उक्त मार्गों में से कितने मार्ग क्षतिग्रस्त हैं ? क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

चारों मार्गों का निर्माण कार्य वर्ष 1997 में कराया गया था तत्पश्चात् पुनः 03 मार्गों का वर्ष 2005 एवं एक मार्ग का मरम्मत कार्य 2006 में कराया गया।

उक्त चारों मार्ग वर्तमान समय में लेपन कार्य क्षतिग्रस्त हैं।

उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत हेतु नियमानुसार मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने एवं तत्समय मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति व अन्य प्राथमिकता के कार्यों के दृष्टिगत मरम्मत कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम भटपुर ग्राम की चकबन्दी कराये जाने की जानकारी**

89-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व ग्राम भटपुर, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई में अभी तक एक बार भी चकबन्दी नहीं हुई है जबकि उसके आस-पास के सभी राजस्व ग्रामों में चकबन्दी बहुत पहले पूर्ण की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम में भी चकबन्दी प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम भटपुर, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई का धारा 4(2) का प्रकाशन दिनांक 04-09-2003 को किया गया है। ग्राम के भूचित्र के संशोधन का कार्य दिनांक 23-05-2012 को पूर्ण कर वर्तमान में पड़ताल का कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर अन्तर्गत मिंजरावां में अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग की लड़कियों को शादी हेतु अनुदान**

90-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर अन्तर्गत मिंजरावां में कितने अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति की लड़कियों की शादी हेतु प्रार्थना-पत्र वर्ष 2011-12 व 2012-13 से जिला मुख्यालय पर लम्बित है तथा उनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर अन्तर्गत मिंजरावां में अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग की लड़कियों की शादी अनुदान संबंधी कोई भी प्रार्थना-पत्र वर्ष 2011-12 व 2012-13 में जिला मुख्यालय हरदोई में लम्बित नहीं है।

**जनपद बहराइच के खण्ड विकास अधिकारी, विशेश्वरगंज को वृद्धावस्था पेंशन सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

91-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज में वृद्धावस्था पेंशन प्रदान किये जाने के सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-वि0प0/ज0हि0/012-13/क-एस नं0-138666/1043, दिनांक 19-8-2012, खण्ड विकास अधिकारी, विशेश्वरगंज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

पाश्चांकित पत्र के सम्बन्ध में प्राप्त आख्यानुसार खण्ड विकास अधिकारी, विशेश्वरगंज के पत्र दिनांक 06-09-2012 द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत अधिकारियों को पात्र पेंशनरों के प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में अभी तक कोई भी प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

92-श्री मनीष असीजा-

[1ले शुक्रवार के अता0प्रश्न सं0-112 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**मानव कृत आपदा से पीड़ित नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग**

93-श्री मनीष असीजा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा दैवीय आपदा की तरह मानव कृत आपदा यथा-इमारत/दीवार/शेड गिरने, आग लगने, औद्योगिक दुर्घटना, गैस लीकेज, बिजली के तार से

चिपकाने एवं भगदड़ में पीड़ित नागरिकों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

दैवीय आपदा मद से मानव कृत आपदा से पीड़ित नागरिकों को कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

मानव कृत आपदायें, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16-01-2012 को निर्धारित किये गये मानक से आच्छादित नहीं है।

**जनपद फिरोजाबाद के राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय इण्टर कालेज वजीरपुर जेहरपुर में भोजन एवं नाश्ता आपूर्ति का प्रकरण**

94-श्री मनीष असीजा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय इण्टर कालेज वजीरपुर जेहरपुर में वर्ष 2012-13 भोजन एवं नाश्ता आपूर्ति की टेण्डर प्रक्रिया में अनियमितता बरतने के कारण लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जनपद स्तर पर क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम प्राप्त दर पर आपूर्ति किये जाने के कारण धनराशि का नुकसान नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर ग्राम घुसगवां, ब्लाक ददरौल के ग्राम समाज की भूमि से नाजायज कब्जा हटाकर पट्टे करने की मांग**

95-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम घुसगवां, ब्लाक ददरौल, जिला शाहजहांपुर में ग्राम समाज की जमीन के पट्टे अनियमितता होने के कारण एक वर्ष पूर्व खारिज कर दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन को नाजायज कब्जों से बचाने के लिए भूमि पर से नाजायज कब्जा खाली कराकर पुनः पट्टे करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां, 157 पट्टे दिनांक 23-6-2009 को निरस्त किये गये, जो घुसगवां, तहसील सदन के हैं।

निगरानी संख्या-123/2009 धारा 333 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट श्रीमती टिकनी आदि बनाम सरकार अपर आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के न्यायालय में विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव है।

### जनपद शामली में थाना भवन को तहसील बनाने की मांग

96-श्री सुरेश राणा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जिला शामली में दो तहसीलों से बढ़कर तीन करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या भौगोलिक एवं मानकानुसार थाना भवन को तहसील बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

नवसृजित शामली जनपद में दो से बढ़ाकर तीन तहसीलें बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

### जनपद लखीमपुर खीरी में ऐरा चीनी मिल के सीवर का पानी रोड पर फैलने की जानकारी

97-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भड़्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में ऐरा चीनी मिल के सीवर का पानी सरकारी चकरोड पर निकलने के कारण आस-पास जमा प्रदूषित पानी पीने से जानवरों में बीमारियां फैलती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल के प्रदूषित पानी के रोकथाम हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। जनपद लखीमपुर खीरी स्थित ऐरा चीनी मिल का सीवेज सरकारी चकरोड पर नहीं फैलता है। सीवेज के शोधन हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट मिल में स्थापित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

98-श्री सुरेश राणा-

[दिनांक 26-11-2012 को अता0 प्रश्न सं0-191 द्वारा उत्तरित]

**जनपद पीलीभीत की तहसील में राजस्व गांव खमरिया नवदिया की भूमि सं0-524 व**

**532 का श्रेणी परिवर्तन**

99-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में राजस्व गांव खमरिया नवदिया की भूमि संख्या 524 व 532 के पट्टे अपात्र व्यक्तियों के नाम करके एवं पुनः श्रेणी परिवर्तन करके उक्त भूमियों का हस्तान्तरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं। प्रश्नगत गाटों का श्रेणी परिवर्तन न्यायालयों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बहराइच के खण्ड विकास अधिकारी कैसरगंज को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही**

100-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड कैसरगंज के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के पात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन देने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 वि0प0/ज0हि0/012-13/क-एस0 नं0 138668/1045, दिनांक 19-08-12 खण्ड विकास अधिकारी कैसरगंज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी को पेंशनरों के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त 05 ग्राम पंचायतों के 218 लाभार्थियों के प्रस्ताव सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया गया है। सत्यापन के उपरान्त पात्र एवं अर्ह पाये गये पेंशनरों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर में पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत मृतक के परिवारों के**

**आर्थिक सहायता के आवेदन-पत्रों का निस्तारण**

101-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत मृतक के परिवारों को लाभान्वित किये जाने संबंधी नीति क्या है ? क्या यह सही है कि शाहजहांपुर जनपद में उक्त योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्रों का एक-एक साल तक निस्तारण नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के अन्दर आवेदन किया जाना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र प्राप्त होने के एक माह के अन्दर आर्थिक सहायता की धनराशि का भुगतान पीड़ित परिवार को किये जाने की व्यवस्था है।



जी नहीं। शासनादेशानुसार जनपद शाहजहांपुर में प्राप्त आवेदन-पत्र एक माह के अन्दर स्वीकृत करके लाभार्थियों को लाभान्वित करा दिया जाता है।

लम्बित आवेदन-पत्रों को समयान्तर्गत निस्तारित किये जाने के लिए समय-समय पर आवश्यक निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये जाते रहे हैं। पुनः शासनादेश दिनांक 23-11-2012 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देशित कर दिया गया है कि योजनान्तर्गत विशेष अभियान चलाकर एक माह के अन्दर समस्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

प्रश्न नहीं उठता।

### प्रदेश में जिले का सृजन/पुनर्गठन करने की कार्यवाही

102-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन एवं ए-बी श्रेणी देने का मानक क्या है ? क्या बिना किसी आयोग की रिपोर्ट की संस्तुति के जिला बनाया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिये कोई नियमावली बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जिला पुनर्गठन हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित है :-

- (1) वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर आबादी न्यूनतम 15 लाख।
- (2) क्षेत्रफल न्यूनतम 5000 वर्ग कि0मी0।
- (3) तहसीलों की न्यूनतम संख्या-03।
- (4) विकास खण्डों की न्यूनतम संख्या-10।
- (5) थानों की न्यूनतम संख्या-12।
- (6) लेखपालों की न्यूनतम संख्या-300।

जिलों की श्रेणी का निर्धारण राजस्व नियमों के अन्तर्गत नहीं होता।

अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जिले का सृजन/पुनर्गठन की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

### जनपद शाहजहांपुर, ब्लाक ददरौल के ग्राम घुसगवां की ग्राम समाज की जमीन का न्यायालय में विचाराधीन वाद

103-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम घुसगवा ब्लाक ददरौल जिला शाहजहांपुर में ग्राम समाज की जमीन पर नाजायज कब्जे वर्तमान में दबंग लोगों द्वारा किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम समाज की जमीन को अवैध कब्जों से बचाने के लिये पात्र भूमिहीनों को पट्टे पर देंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम घुसगवां, ब्लाक ददरौल, जनपद शाहजहांपुर में ग्राम समाज की जमीन पर किसी दबंग व्यक्ति का अवैध कब्जा नहीं है।

अपर आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली में विचाराधीन वाद संख्या-123/2009 धारा 333 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट श्रीमती टिकरी आदि बनाम सरकार में अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही सम्भव है।

**लखनऊ विश्वविद्यालय की गिरती हुई प्रतिष्ठा को सुधारने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही**

104-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय की गिरती हुई प्रतिष्ठा को सुधारने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10048418/2012 दिनांक 30-5-2012 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती पत्र के संबंध में कुलपति/कुलसचिव को जांच कराकर जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। विश्वविद्यालय से आख्या प्राप्त हो गयी है जो शासन के समक्ष परीक्षाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मजदूर संघ उ0प्र0 में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की समस्या का निवारण**

105-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मजदूर संघ, उ0प्र0 में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की समस्या निवारण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10061717/2012 दिनांक 15-6-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी हां।

निदेशालय के पत्र सं0-डी0एच0-1168-72/स्था0-3/च0श्रे0-58 बी, दिनांक 12-11-2012 द्वारा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों से सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं। सूचना प्राप्त होते ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

### कार्यालय तहसीलदार पुरवा, जनपद उन्नाव के अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण

106-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय तहसीलदार पुरवा जनपद उन्नाव में कितने ऐसे अधिकारी/कर्मचारी है जो लगातार 10 साल से भी अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अनुसार उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

तहसील कार्यालय पुरवा में वर्तमान समय में कोई अधिकारी/कर्मचारी 10 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

### जनपद गाजियाबाद के औद्योगिक जल प्रदूषणकारी सभी उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित होने की जानकारी

107-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की हिण्डन नदी में उद्योगों का कचरा तथा रसायन युक्त पानी छोड़े जाने से प्रदूषित पानी पीने से जानवरों की मौत हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार हिण्डन नदी में बढ़ते हुये प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

हिण्डन नदी में जल प्रदूषण रोकने हेतु जल अधिनियम, 1974 के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

हिण्डन नदी जिला सहारनपुर से उद्गमित होकर मुजफ्फरनगर, मेरठ बागपत, गाजियाबाद से होते हुए लगभग 260 किमी० की दूरी तय करते हुए जनपद गौतमबुद्धनगर में तिलवाड़ा गांव के पास यमुना नदी में अन्तिम रूप से मिलती है। हिण्डन नदी गाजियाबाद शहरी सीमा क्षेत्रान्तर्गत लगभग 10 किमी० दूरी तय करती है। हिण्डन नदी गाजियाबाद के करहेड़ा के निकट प्रवेश करती है तथा एन०एच० 24 के पश्चात् जनपद गौतमबुद्धनगर की सीमा में प्रवेश करती है।

औद्योगिक जल प्रदूषणकारी चिन्हित 106 सभी उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं तथा बोर्ड द्वारा इन इकाइयों का नियमित अनुश्रवण किया जाता है।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार हिण्डन नदी के पानी पीने से किसी भी पशु की मृत्यु नहीं हुई है।

### जनपद पीलीभीत, बरेली एवं शाहजहांपुर के मध्य सीमावर्ती विवाद

108-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत के अन्तर्गत देवहा, कटना, खन्नौत नदियों की कटान से सीमावर्ती जनपद बरेली, शाहजहांपुर व पीलीभीत की सीमायें प्रभावित होने के कारण नागरिकों के मध्य विवाद होते रहते हैं जिससे शांतिभंग होने की काफी सम्भावनायें रहती हैं ? यदि हां, तो सरकार पैमाइश कराकर जनपदीय सीमायें निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद पीलीभीत, बरेली एवं जनपद शाहजहांपुर के मध्य कोई सीमावर्ती विवाद नहीं है। अतः पैमाइश की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

### जनपद लखनऊ परगना बिजनौर ग्राम सेवई की भूमि गाटा संख्या-786 तथा 796 बंजर घोषित न होने के आदेश

109-श्री गायत्री प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ परगना बिजनौर ग्राम सेवई के श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री अंगनू की खसरा नं0-786 तथा 796 की भूमि दिनांक 03-06-1982 के पश्चात् किन नियमों एवं किन कारणों से बंजर घोषित हो गयी ? क्या सरकार उक्त भूमि के श्रेणी परिवर्तन के प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर निस्तारण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम सेवई परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ की गाटा संख्या-786 रकबा 3-12-0 बीघा तथा गाटा संख्या-796 रकबा 2-5-0 बीघा चकबन्दी जिल्द बन्दोबस्त (सन् 1965 राजस्व वर्ष 1372-73 फ0) में तथा 03-06-1982 की खतौनी सन् 1381 से 1388 फसली के खाता संख्या-297 बंजर खाते में गाटा संख्या 786/3-12-0 बीघा व खाता संख्या-305 ऊसर खाते में गाटा संख्या-796/2-5-0 बीघा तथा सेवई वर्तमान खतौनी सन् 1419 से 1424 फसली के खाता संख्या 376 पर बंजर खाते में गाटा संख्या 786/0.911 हे0 (3-12-0 बीघा) तथा खाता संख्या-383 ऊसर खाते में गाटा संख्या-796/0.560 हे0 (2-5-0 बीघा) अंकित है।

ग्राम सेवई, राजस्व अभिलेखों में खसरा नं0 786 तथा 796 की भूमि श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री अंगनू के नाम दर्ज नहीं रही है। राजस्व अभिलेखों में प्रश्नगत भूमि के विषय में दिनांक 3-6-1982 को बंजर घोषित करने विषयक कोई आदेश अंकित पाया गया।

किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सम्भल की तहसील चन्दौसी के ग्राम फाजलपुर निकट हिन्दौली में अनुसूचित जाति के 40 परिवारों को उनकी भूमि का कब्जा दिलाने की जानकारी**

110-श्री बब्बन-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सम्भल की तह0-चन्दौसी के ग्राम-फाजलपुर निकट हिन्दौली में वर्ष 1988 में अनु0 जाति के 40 परिवारों के कृषि भूमि के पट्टे पर दिनांक 30-08-2012 को उदभान सिंह पुत्र भन्दू सिंह ठाकुर, नि0-सरथल, थाना-बनियाटेर, तह0-चन्दौसी, सम्भल आदि दबंगों द्वारा खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया एवं उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पीड़ित परिवारों की नष्ट की गई फसल का मुआवजा एवं उनकी भूमि पर कब्जा दिलाते हुये दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम फाजलपुर निकट हिन्दौली, तहसील चन्दौसी, जनपद सम्भल में दिनांक 30-8-2012 को जिला प्रशासन द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10-2-2010 के अनुपालन में कब्जा कराया गया है।

कब्जा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कराया गया है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्यवाही की गयी है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

111-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[दिनांक 26-11-2012 के अता0 प्रश्न सं0-189 द्वारा उत्तरित]

**राज्य सम्पत्ति विभाग/निदेशालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने की मांग**

112-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग/निदेशालय में स्थानान्तरण नीति का पालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त नीति के अधीन एक ही स्थान पर कई वर्षों से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

113-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[1ले बुधवार के अता0 प्रश्न सं0-190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

### प्रदेश में यूरिया डी0ए0पी0 एवं अन्य उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने की जानकारी

114-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष 2012 में खरीफ की फसल हेतु आवश्यक खाद्य (उर्वरक) की कमी के कारण कृषकों को आवश्यक उर्वरक काला बाजारी से दुगने दाम पर खरीदना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उर्वरकों की आवश्यक आपूर्ति को बनाये रखने एवं काला बाजारी पर रोक लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी नहीं। खरीफ, 2012 में उर्वरकों की कोई कमी नहीं रही बल्कि प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्य से अधिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी। प्रदेश में खरीफ, 2012 हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न उर्वरकों की उपलब्धता निम्नवत् रही :-

(मात्रा लाख मी0 टन में)

क्र0 सं0	उर्वरक का नाम	खरीफ, 2012			
		लक्ष्य	उपलब्धता	उपलब्धता प्रतिशत	वितरण
1	यूरिया	26.00	26.93	104	24.32
2	डीएपी	5.50	11.64	212	4.73
3	एनपीके	3.25	6.00	185	2.82
4	एमओपी	1.00	1.28	128	0.78

प्रदेश में यूरिया, डी0ए0पी0 एवं अन्य उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उर्वरकों की कालाबाजारी आदि पर रोक लगाने के दृष्टिगत उर्वरक व्यवसायियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

शासन द्वारा खरीफ, 2012 में उर्वरकों की शीर्ष मांग के समय प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 11 अगस्त, 2012 एवं 13 अगस्त, 2012 को विशेष आकस्मिक छापे डलवाये गये जिसमें अनियमिततायें पाये जाने पर स्थलीय कार्यवाही करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 के तहत उर्वरक व्यवसायियों के विरुद्ध 08 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, 16 उर्वरक प्रतिष्ठानों को सील किया गया तथा 06 उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये। प्रदेश में उर्वरक प्रवर्तन की कार्यवाही क्रमिक भी है। रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता हेतु प्रदेश शासन पूरी तरह भारत सरकार पर आश्रित है। प्रदेश शासन द्वारा निरन्तर भारत सरकार के सम्पर्क में रहकर एवं पत्रों तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से अनुश्रवण करते हुए यथासम्भव रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाती है। कृषकों को रबी में ससमय उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रदेश शासन द्वारा यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की प्रीपोजिशनिंग नोडल एजेन्सी पी0सी0एफ0 के माध्यम से करायी गयी जिसके क्रम में दिनांक 07 नवम्बर, 2012 तक 153883 मी0 टन यूरिया एवं 736860 मी0 टन फास्फेटिक उर्वरक की प्रीपोजिशनिंग में उपलब्धता रही जिसमें से आवश्यकतानुसार 39809 मी0 टन यूरिया एवं 439840 मी0 टन फास्फेटिक उर्वरक अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के भाट एरिया में राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने की मांग**

115-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के भाट एरिया में उच्च शिक्षा दिये जाने हेतु राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के भाट एरिया में कोई राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है।

जी नहीं।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में 05 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। जिनमें 02 महिला महाविद्यालय तथा 03 सहशिक्षा महाविद्यालय हैं।

**जनपद गाजियाबाद में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण करने की जानकारी**

116-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में कुल कितनी छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं ? क्या इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं तथा विषाक्त पानी से जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ-साथ वायु तथा जल भी प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएँ तथा पानी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद गाजियाबाद में छोटी बड़ी कुल 1614 फैक्ट्रियां चिन्हित की गई हैं।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गाजियाबाद शहर में हिण्डन नदी, साहिबाबाद ड्रेन, ईस्ट काली नदी आदि की जल गुणता एवं वातावरणीय गुणता का नियमित अनुश्रवण किया जाता है। प्राप्त परिणामों के अनुसार नदियों की जल गुणता प्रभावित है एवं वायु मण्डल में पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा बोर्ड मानक से ज्यादा पाई गई है। नदी जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत घरेलू जल मल एवं औद्योगिक उत्स्रवाह है तथा वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत उद्योग, वाहन प्रदूषण, टोस कचरा, सड़क, धूल आदि है। बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदूषणकारी उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र नियमित रूप से संचालित कराने हेतु अनुश्रवण किया जाता है तथा दोषी उद्योगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएँ व विषाक्त पानी से जन सामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया है।

पर्यावरण सुधार हेतु बोर्ड द्वारा सभी जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने तथा संचालन कराने का नियमित अनुश्रवण अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जाता है। गाजियाबाद शहर हेतु एक एक्शन प्लान जल तथा वायु प्रदूषण के स्तर को

कम करने हेतु बनाया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों की सहभागिता से कार्यवाही की जा रही है तथा इस कार्यवाही का नियमित अनुश्रवण जिलाधिकारी, गाजियाबाद की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

### प्रदेश में जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों को चयनित करने की प्रक्रिया

117-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों को चयनित करने की क्या प्रक्रिया है ? क्या सरकार विधायकों की समिति गठित करके चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

इस योजना के अन्तर्गत उन्हीं ग्राम सभा/मजरे का चयन किया जाता है जो विकास की दृष्टि से पिछड़ी हुई हों एवं ग्राम सभा/मजरे की आबादी कम से कम 250 हो और सी0सी0रोड, नाली, हैण्डपम्प, विद्युतीकरण एवं सौर ऊर्जा से प्रकाश व्यवस्था जैसी अवस्थापना सुविधाओं से वंचित हो। ग्रामों का चयन मा0 जनप्रतिनिधियों की संस्तुति के पश्चात् मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद् के विवेकानुसार किया जाता है।

वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

### गोरखपुर महानगर में राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने की मांग

118-श्री विजय बहादुर यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में राजकीय महिला महाविद्यालय न होने से छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार गोरखपुर महानगर में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर के अन्तर्गत 05 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 14 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें से 14 सहशिक्षा के तथा 05 महिला महाविद्यालय हैं।

### जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में छः सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराने की मांग

119-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में छः सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कृषि उत्पादन मण्डी समिति से कराये जाने सम्बन्धी मुख्य मंत्री को



सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/ 012-13-क-एस0नं0-138659/1037, दिनांक 19-08-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मा0 प्रश्नकर्ता का उक्त पत्र जिलाधिकारी, बहराइच को सम्बोधित एवं मा0 मुख्य मंत्री जी तथा अन्य को पृष्ठांकित है, मण्डी परिषद् को प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र के साथ छः सम्पर्क मार्गों की सूची संलग्न होकर मण्डी परिषद् को प्राप्त हुई। इन्हीं मार्गों की सूची पूर्व में मा0 विधायक के पत्र दिनांक 17-6-2012 के साथ संलग्न होकर मा0 मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से दिनांक 10-7-2012 के माध्यम से मण्डी परिषद् को प्राप्त हुई है, जिसके सम्बन्ध में मण्डी परिषद् द्वारा दिनांक 18-7-2012 को जिलाधिकारी, बहराइच से प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र भेजा जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

### **उ0 प्र0 की कृष्णा, हिण्डन, काली नदियों में उद्योगों का जहरीला पानी आदि छोड़े जाने से हो रहे प्रदूषण को रोकने की मांग**

120-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृष्णा, हिण्डन, काली नदियों में प्रदूषण के कारण जल प्रवाह लगभग समाप्त हो चुका है ? क्या यह भी सही है कि इन तीनों नदियों में उद्योगों का जहरीला पानी छोड़े जाने के कारण आस-पास के गांवों में पेयजल भी पूर्णतया प्रदूषित हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त नदियों में जल प्रवाह जारी रखने तथा प्रदूषण समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृष्णा नदी एक बरसाती नदी है। कृष्णा नदी के कैचमेंट क्षेत्र में जनपद सहारनपुर के कुल 03 उद्योग (01 चीनी, 01 आसवनी एवं 01 डेरी), मुजफ्फरनगर में कुल 07 उद्योगों में (02 चीनी मिल, 04 पेपर एवं 01 आसवनी इकाई) तथा बागपत की 01 चीनी मिल स्थापित हैं। उक्त समस्त इकाइयों में वांछित पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं।

कृष्णा नदी में जनपद सहारनपुर की नगर पंचायत ननौता तथा जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत थानाभवन, नगर पालिका परिषद्, शामली, नगर पंचायत गढीपुख्ता, नगर पंचायत कांदला का अशुद्धिकृत घरेलू मल जल का निस्तारण किया जाता है।

पश्चिमी काली नदी के कैचमेंट क्षेत्र में जनपद सहारनपुर की 01 शुगर इकाई, जनपद मुजफ्फरनगर की कुल 32 उद्योगों (03 चीनी, 02 आसवनी, 01 टैनरी तथा 26 पेपर इकाइयों) स्थापित हैं। उक्त समस्त इकाइयों में वांछित पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है।

काली नदी पश्चिम में मुजफ्फरनगर क्षेत्र का समस्त घरेलू उत्प्रवाह नगर पंचायत शाहपुर, नगर पंचायत पुरकाजी का घरेलू जल मल निस्तारित होता है। मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र के घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा 32.5 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित है जिसका संचालन वर्तमान में नगर पालिका परिषद् से जनित कुल घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा लगभग 60 एम0एल0डी0 है। इस प्रकार लगभग 27.5 एम0एल0डी0 उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत के निस्तारित किया जाता है।

वर्षा ऋतु के अतिरिक्त हिण्डन नदी में उद्योगों का शुद्धिकृत उत्प्रवाह एवं सहारनपुर नगर का आंशिक रूप से शुद्धिकृत घरेलू मल-जल के प्रवाहित होने के उपरान्त ही नदी में जल प्रवाह बनता है। हिण्डन नदी के कैचमेंट क्षेत्र में जनपद सहारनपुर की 02 पेपर, 02 आसवनी, 01 चीनी, 02 पशुवधशाला तथा 01 फ़ौजन मीट इकाई तथा जनपद मेरठ की 01 पेपर व 01 प्लाईवुड इकाई स्थापित हैं। उक्त समस्त इकाइयों में वांछित पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं।

जनपद गाजियाबाद में स्थित कुल 106 इकाइयों का शुद्धिकृत उत्प्रवाह प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से हिण्डन नदी में निस्तारित किया जाता है।

हिण्डन नदी में सहारनपुर नगर निगम, जनपद मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत बुढ़ाना, नगर पंचायत सिसौली एवं जनपद मेरठ के नगर पालिका परिषद् सरधना का घरेलू उत्प्रवाह निस्तारित होता है। जनपद गाजियाबाद से जनित घरेलू उत्प्रवाह हिण्डन नदी में निस्तारित होता है। घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 56 एम0एल0डी0 का एक तथा 73 एम0एल0डी0 का एक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। सहारनपुर नगर निगम से लगभग 80 एम0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसमें से केवल 38 एम0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित है। सहारनपुर नगर निगम के शुद्धिकृत घरेलू उत्प्रवाह एवं अन्य स्थानीय निकायों से जनित समस्त घरेलू उत्प्रवाह बिना शुद्धिकरण के निस्तारित होता है।

पूर्वी काली नदी में जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित एक आसवनी इकाई तथा दो चीनी मिलों का शुद्धिकृत उत्प्रवाह निस्तारित होता है। मेरठ स्थित कुल 29 उद्योगों का शुद्धिकृत उत्प्रवाह पूर्वी काली नदी में निस्तारित होता है। जनपद मेरठ से जनित घरेलू उत्प्रवाह बिना समुचित शुद्धिकरण के पूर्वी काली नदी में निस्तारित किया जाता है।

**जनपद सिद्धार्थनगर के मौलाना आजाद महाविद्यालय बायताल कादिराबाद में बन रहे छात्रावास को पूर्ण करके महाविद्यालय को हस्तान्तरित करने की जानकारी**

121-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0-466/26-व प्र0-2008-14(7)/2006-टी0सी0-1 दिनांक 23-07-2009 को मौलाना आजाद महाविद्यालय बायताल कादिराबाद सिद्धार्थनगर में बी0जी0 राम योजना के अन्तर्गत 50 बिस्तारों की क्षमता के छात्रावास के

निर्माण के लिये स्वीकृति जारी की गयी थी ? यदि हां, तो क्या छात्रावास में वार्डेन कक्ष का निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दिसम्बर, 2012 तक छात्रावास बनकर महाविद्यालय को हस्तान्तरित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

छात्रावास को पूर्ण करने हेतु वांछित अवशेष धनराशि रुपये 16.92 लाख की स्वीकृति किये जाने हेतु प्रक्रियात्मक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सिद्धार्थनगर के कतिपय ग्रामों को चकबन्दी प्रक्रिया से बाहर किये जाने के विरुद्ध चकबन्दी आयुक्त उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही**

122-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम राजपुर तथा करही परगना-रसूलपुर, तहसील डुमरियागंज के काश्तकार एवं शिकायतकर्ता सुरेन्द्र कुमार शुक्ल पुत्र यदुनाथ प्रसाद आदि के द्वारा चकबन्दी विभाग के स्थानीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा गांव के 58 गाटों/रकबों को चकबन्दी प्रक्रिया से बाहर किये जाने के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-05-2012 चकबन्दी आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

ग्राम राजपुर के बन्दोबस्त में कुल 2010 गाटे अंकित हैं। आधार वर्ष खतौनी में 2068 गाटे दर्ज कर दिये गये हैं। बढ़े हुए 58 गाटों पर स्वत्व के सम्बन्ध में वाद चकबन्दी अधिकारी, डुमरियागंज के न्यायालय में धारा-9क (2) के अन्तर्गत विचाराधीन है जिसमें अग्रिम तिथि 03-12-2012 नियत है।

प्रश्न नहीं उठता।

123-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[1ले बुधवार के अता0प्रश्न सं0-200 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**राजस्व मंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही**

124-श्री दलवीर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सेमरा प्रथम, सेमरा द्वितीय, पैतखेड़ा, नगला गोल, खंदौली तहसील एल्मादपुर, जनपद आगरा व ग्राम करील तहसील-हाथरस, जनपद हाथरस में प्रचलित चकबन्दी प्रक्रिया को निरस्त करने विषयक डा0 अनिल चौधरी पूर्व विधायक का पत्र सं0-139/रालोद/ वि0म0द0/2012 दिनांक 10-09-2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

ग्राम सेमरा प्रथम, सेमरा द्वितीय तथा खंदौली तहसील एत्मादपुर जनपद आगरा में चकबन्दी पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पायी गयी। ग्राम पैतखेड़ा तथा नगला गोल तहसील एत्मादपुर जिला आगरा को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक किया जा चुका है।

ग्राम करील तहसील व जनपद हाथरस में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की आख्याननुसार मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-12204/2012, रनवीर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य विचाराधीन है। उक्त रिट याचिका में पारित अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही ग्राम की चकबन्दी कराने अथवा न कराने के सम्बन्ध में निर्णय लेना उचित होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद पीलीभीत के राजकीय महाविद्यालय बीसलपुर वाणिज्य, विधि आदि की कक्षाएँ संचालित करने की मांग**

125-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय महाविद्यालय बीसलपुर, जनपद पीलीभीत में पर्याप्त भवन न होने से वाणिज्य, व्यावसायिक तथा विधि एवं तकनीकी संकाय का शिक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में भवन एवं सीमा दीवाल बनवाकर सुचारू रूप से शिक्षण कार्य संचालित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय बीसलपुर, जनपद पीलीभीत में स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं विज्ञान संकाय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय की कक्षाएँ संचालित हैं।

इस महाविद्यालय में वाणिज्य, व्यावसायिक, विधि एवं तकनीकी संकाय की कक्षाएँ संचालित करने की योजना नहीं है।

126-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[दिनांक 26-11-2012 को अता0 प्रश्न सं0-188 द्वारा उत्तरित]

**जनपद शाहजहांपुर के ग्राम सपत्यारा में चकबन्दी का कार्य पूर्ण होने की जानकारी**

127-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी ग्राम सभा में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद कितने दिनों में पूरी हो जानी चाहिये ? क्या यह सही है कि शाहजहांपुर जनपद के सपत्यारा ग्राम में चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ हुये कई वर्ष हो गये, परन्तु आज तक पूरा नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे शीघ्र पूरा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

चकबन्दी मैनुअल के प्रस्तर-72 मे चकबन्दी-60 माह में पूर्ण किये जाने के निर्देश हैं।

जनपद शाहजहांपुर तहसील सदर के ग्राम सपत्यारा में धारा 4(2) का प्रकाशन दिनांक 25-5-2007 को किया गया। ग्राम में धार-23 तक की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। ग्राम में चक सीमांकन/कब्जा परिवर्तन का कार्य पूर्ण कराये जाने का यथासम्भव प्रयास किया गया, परन्तु आपसी दलबन्दी/गुटबन्दी के कारण कब्जा परिवर्तन/चक सीमांकन का कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

कब्जा परिवर्तन/चक सीमांकन का कार्य खेत खाली होने पर माह मई, 2013 तक पूर्ण कराते हुए धारा-52 (1) की कार्यवाही फरवरी, 2014 तक पूर्ण कराये जाने की कार्य योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

**सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के कतिपय ग्रामों में सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर तक कराये जाने विषयक निदेशक, मण्डी परिषद् उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही**

128-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के कुछ गांवों में सम्पर्क मार्गों से लेपन स्तर तक का कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री के पत्रांक-75287/2012 दिनांक 03-07-2012 निदेशक, मण्डी परिषद् उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित सम्पर्क मार्गों के निर्माण/मरम्मत हेतु मण्डी समिति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर से किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के ग्रामों का विकास कार्य कराये जाने हेतु जिलाधिकारी से अनुरोध**

129-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के कुछ गांवों में सी0सी0 रोड, नाली निर्माण एवं अन्य कार्यों को जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत आच्छादित कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री के पत्रांक 84532/2012 दिनांक 16-07-12 निदेशक, मण्डी परिषद् उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित ग्रामों में विकास कार्य कराये जाने हेतु मण्डी समिति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर से किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

130-श्री दलवीर सिंह-

[दिनांक 27-11-2012 को अता0 प्रश्न सं0-188 द्वारा उत्तरित]

**चकबन्दी प्रक्रिया के सम्बन्ध में जिलाधिकारी फैजाबाद का चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही**

131-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गोकुला, तहसील मिल्कीपुर, जनपद फैजाबाद की चकबन्दी प्रक्रिया के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फैजाबाद का पत्र संख्या-1793/पी0के0- गोकुला/12 दिनांक 15 जुलाई, 2012 चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, फैजाबाद का पत्र दिनांक 05 जुलाई, 2012 प्राप्त हुआ।

जिलाधिकारी, फैजाबाद के प्रश्नगत पत्र द्वारा ग्राम गोकुला की चकबन्दी प्रक्रिया के सम्बन्ध में आख्या भेजी गयी थी, जिस पर परीक्षणोपरान्त पाया गया कि ग्राम में कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही दिनांक 14-7-2011 को पूर्ण की जा चुकी है तथा जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-27 के अन्तर्गत अन्तिम अभिलेख तैयार किये जाने हैं। अतः चकबन्दी प्रक्रिया इस स्तर पर निरस्त किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। चकबन्दी आयुक्त के पत्र दिनांक 02-11-2012 द्वारा चकबन्दी कार्य त्वरित गति से कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली में रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही**

132-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012-2013 से रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी है ? यदि हां, तो क्या जनपद फैजाबाद स्थित तहसील रूदौली में उक्त पेंशन योजना के लाभार्थियों के चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

वर्ष 2012-13 से रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना में पूर्व से पेंशन प्राप्त कर रहे उ0प्र0 मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों को भी सत्यापन के उपरान्त सम्मिलित किया गया है, जिनकी संख्या तहसील रूदौली, जनपद-फैजाबाद में 5853 है।

शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार नये पात्र लाभार्थियों के चयन की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

### **गोरखपुर-आजमगढ़ एवं बनारस मण्डलों के जिलों में उद्योगों की स्थापना की जानकारी**

133-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गोरखपुर-आजमगढ़ एवं बनारस मण्डलों के जिलों में कोई उद्योग न होने के कारण बेरोजगार युवक वहां से पलायन कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डलों में भारी उद्योगों की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रदेश के गोरखपुर, आजमगढ़ एवं बनारस मण्डलों में विगत 03 वर्षों (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012) में क्रमशः 1317, 1072 एवं 1849 उद्योगों की स्थापना हुई है जिसमें 441.60, 20.36 एवं 88.95 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है एवं 7712, 5427 एवं 8697 का रोजगार सृजन हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

### **कृषक दुर्घटना बीमा योजना की सुविधा किसान की सामान्य मृत्यु पर देने की मांग**

134-श्री दलवीर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषक दुर्घटना बीमा में केवल आकस्मिक मृत्यु पर ही बीमा राशि देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो किसान की सामान्य मृत्यु पर बीमा राशि की सुविधा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिए कृषक दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की आग, बाढ़, बिजली गिरने, करन्ट लगने, सांप के काटने एवं जीव जन्तु द्वारा काटने/मारने, नदी, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने, मकान गिरने, वाहन दुर्घटना, डकैती, दंगा, मारपीट तथा आतंकवादी घटना आदि अप्राकृतिक कारणों अथवा किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना से हुई आकस्मिक मृत्यु शारीरिक अपंगता पर ही बीमा का लाभ अनुमन्य होगा।

किसान की सामान्य मृत्यु पर बीमा राशि की सुविधा प्रदान किये जाने की कोई योजना विचारार्थीन नहीं है।

कृषक दुर्घटना बीमा योजना केवल उपर्युक्त दुर्घटनाओं के फलस्वरूप कृषक की मृत्यु/शारीरिक अपंगता पर ही बीमा राशि उपलब्ध कराने हेतु संचालित की गयी है।

**जनपद गोरखपुर की तहसील गोला की ग्राम सभा पटना के कोलखास गांव को पुनः बसाये जाने की जानकारी**

135-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला की ग्राम सभा पटना के कोलखास गांव को सरयू नदी ने पूरी तरह काटकर खत्म कर दिया है और अभी उन बेघर लोगों को बसने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

गोरखपुर जनपद के तहसील गोला की ग्राम सभा पटना का कोलखास गांव सरयू नदी की कटान से पूरी तरह से नदी में विलीन हो गया है।

विस्थापितों को स्थापित करने के लिए एक एकड़ भूमि ग्राम दिस्तौलिया में एवं 0.50 एकड़ भूमि ग्राम बरडीहा में क्रय करने हेतु रु0 9,33,360/- (नौ लाख तैंतीस हजार तीन सौ साठ) की धनराशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 20-07-2012 शासन को प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी, गोरखपुर के प्रस्ताव पर स्वीकृति की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

**उ0 प्र0 विधान सभा के पूर्व अध्यक्षों को आवास/सुरक्षा कर्मी दिये जाने की मांग**

136-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्रियों की भांति उ0प्र0 विधान सभा के पूर्व अध्यक्षों को भी लखनऊ में एक आवास, दो सुरक्षा कर्मी स्टेनगन के साथ दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्रियों की भांति उ0प्र0 विधान सभा के पूर्व अध्यक्षों को आवास दिये जाने हेतु नियमों में व्यवस्था नहीं है। उक्त के अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी दिये जाने हेतु भी नियमों में व्यवस्था निर्धारित नहीं है।

**जनपद पीलीभीत में कृषि यंत्रीकरण योजना एवं आईसोपॉम योजना के अन्तर्गत कृषि यंत्र क्रय करने हेतु दिये गये अनुदान**

137-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में वर्ष 2009 से 2012 के मध्य किन-किन लाभार्थियों को कृषि यंत्र क्रय करने पर उन्हें कितना-कितना अनुदान दिया गया ? क्या यह सही है कि उक्त वितरण में धांधली करके किसानों से अवैध वसूली तथा अनुदान का बंदरबांट किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच एवं भौतिक सत्यापन कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?



कुंवर आनन्द सिंह-

जी हां।

जनपद पीलीभीत में प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धान्त के आधार वर्ष 2009-10 में कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत कुल 66 लाभार्थियों को तथा आईसोपॉम योजनान्तर्गत 05 लाभार्थियों को अनुदानित कृषि यंत्र वितरित करते हुए क्रमशः रु0 10.73 लाख तथा 0.65 लाख अनुदान स्वरूप दिये गये।

वर्ष 2010-11 में कृषि यंत्रीकरण योजनान्तर्गत कुल 136 लाभार्थियों को आईसोपॉम योजनान्तर्गत कुल 09 लाभार्थियों को तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजना में 11 लाभार्थियों को अनुदानित कृषि यंत्र वितरित किये गये एवं क्रमशः रु0 13.68 लाख, 0.566 लाख एवं 1.45 लाख का अनुदान दिया गया।

वर्ष 2011-12 में कृषि यंत्रीकरण योजनाधीन कुल 100 लाभार्थियों को, आईसोपॉम योजना में कुल 17 लाभार्थियों को तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजना में कुल 70 लाभार्थियों को अनुदानित कृषि यंत्र वितरित किये गये तथा क्रमशः रु0 13.91 लाख, 0.82 लाख एवं 19.6 लाख का अनुदान दिया गया।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाने की मांग**

138-श्री बब्बन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में एक भी उच्च शिक्षण संस्थान न होने के कारण जनपद के हजारों बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये दूसरे जनपदों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद चन्दौली में उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

जनपद चन्दौली में 04 राजकीय महाविद्यालय, 02 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 23 स्ववित्तपोषित/अनुदानित महाविद्यालय संचालित हैं।

**जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के गांव जगदीशपुर को पुनः बसाये जाने की जानकारी**

139-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या राजस्व बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की गोला तहसील में जगदीशपुर गांव के लोग राप्ती नदी की कटान से बेघर हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें बसाने हेतु जमीन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

ग्राम जगदीशपुर तथा सिकन्दरपुर, परगना चिल्सूपार, तहसील गोला, जिला गोरखपुर के ग्रामवासियों का घर राप्ती नदी की कटान के कारण नदी में विलीन हो गया है।

जी हां।

ग्रामवासियों को बसाने के लिए ग्राम गायघाट की गाटा सं0-176/0.158, 177/0.162, 178/0.530, 179/0.247, 100/0.259 व 182/0.318 हे0 किसानों की भूमि अर्जित करने हेतु रु0 53,69,000/- (रुपये तिरपन लाख उनहत्तर हजार) का प्रस्ताव जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 20-07-2012 को शासन को प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी, गोरखपुर के प्रस्ताव पर स्वीकृति की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**वृद्धावस्था पेंशन के सम्बन्ध में जनपद बहराइच के जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

140-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के वृद्धों की रूकी हुई वृद्धावस्था पेंशन देने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-1130-1.9.12, 1129-1.9.12, 1205-12.9.12, 1206-12.9.12, 1203-12.09.12, 1204-12.9.12, 1212-12.9.12, 1201-12.9.12, 1181-9.9.12, 1202-12.9.12, 1216-13.9.12, 1230-15.9.12 जिला समाज कल्याण अधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

(1) प्रश्नकर्ता के वृद्धावस्था पेंशन सम्बन्धी 09 सन्दर्भ जिला समाज कल्याण कार्यालय, बहराइच को प्राप्त हुए हैं।

(2) 03 सन्दर्भ क्रमशः 1230, दिनांक 15.09.2012, 1181, दिनांक 09.09.2012 एवं 1203, दिनांक 12.09.2012 जिला समाज कल्याण कार्यालय, बहराइच को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) पत्र संख्या-1230, दिनांक 15.09.2012 एवं 1181, दिनांक 09.09.2012 विकलांग पेंशन योजना से सम्बन्धित है तथा पत्र संख्या-1203, दिनांक 12.09.2012 विधवा पेंशन योजना से सम्बन्धित है।

उपरोक्त 09 पत्रों द्वारा प्राप्त कुल 09 वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन कराया गया, जिसमें से पात्र 08 लाभार्थियों का संशोधित डाटा एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर पर अपलोड करा दिया गया है।

पत्र संख्या-1204, दिनांक 12.09.2012 द्वारा प्राप्त श्रीमती मीना पत्नी श्री ननकू, ग्राम-धनपारा, पो0-सिंहपुर, वि0ख0-हुजुरपुर की जांच की गई, जिसमें श्रीमती मीना की उम्र 60 वर्ष से कम पायी गई। अतएव उक्त प्रार्थिनी वृद्धावस्था पेंशन हेतु अपात्र है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के वृद्धों की रुकी हुई पेंशन के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

141-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के वृद्धों की रुकी हुई वृद्धावस्था पेंशन देने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-798-11.7.12, 891-28.7.12, 905-01.8.12, 902-01.08.12, 904-01.08.12, 903-01.08.12, 996-11.08.12, 995-11.08.12, 994-11.8.12, 992-11.08.12, 993-11.08.12, 1025-13.8.12, 1026-13.8.12, 1092-28.8.12, 443-444-16.5.12, 461-462-26.5.12, 483-26.5.12 एवं 486-87 दिनांक 27-5-12 जिला समाज कल्याण अधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, बहराइच की आख्यानुसार पाश्चात्तिक पत्रों द्वारा पूछे गये कुल 18 लाभार्थियों का सत्यापन समाज कल्याण पर्यवेक्षक से कराया गया, जिसमें से पात्र 17 लाभार्थियों का संशोधित डाटा एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर पर अपलोड करा दिया गया है।

पत्र संख्या-992, दिनांक 11-08-2012 द्वारा मुखबर पुत्र हुसैनी, ग्राम-हसुआपारा के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुखबर पुत्र हुसैनी को विकलांग पेंशन दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के जनपदों में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना व निर्माण कार्य**

142-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में सरकार द्वारा महाविद्यालय/महिला महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2012-2013 में प्रदान की गई है ? यदि हां, तो इन विद्यालयों का निर्माण कब तक प्रारम्भ करने का लक्ष्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में सरकार की प्राथमिकता के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित न्यून सकल नामांकन दर वाले 36 जनपदों यथा-बलरामपुर, रामपुर, चित्रकूट, सोनभद्र, कुशीनगर, हाथरस, गोण्डा, खीरी, एटा, ललितपुर, बाराबंकी, हरदोई, शाहजहांपुर, संतकबीरनगर, बुलन्दशहर, कानपुर देहात, सहारनपुर, बांदा, श्रावस्ती, हमीरपुर, महोबा, सीतापुर, बहराइच, ज्योतिबाफूलेनगर, फतेहपुर, उन्नाव, मथुरा, बरेली, सुल्तानपुर, मुरादाबाद, बदायूं, सिद्धार्थनगर, बस्ती, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर तथा रायबरेली में राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा) की स्थापना की जा रही है। इनके

अतिरिक्त 03 जनपद-मैनपुरी, आजमगढ़ तथा कन्नौज में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

उक्त महाविद्यालयों में निर्माण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में ही प्रारम्भ करने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

143-श्री रामचन्द्र यादव-

[2सरे मंगलवार के अता0प्रश्न सं0-29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद शाहजहांपुर ब्लाक ददरौल के ग्राम घुसगवां में अवैध निरस्त पट्टों को पुनः भूमिहीनों का पट्टा देने की मांग**

144-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम घुसगवां ब्लाक ददरौल जिला शाहजहांपुर में जिल-जिस जमीन पर अवैध पट्टे हुये थे उनको एक साल पहले खारिज कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने पट्टे खारिज किये गये हैं ? क्या यह सही है कि खारिज हुये पट्टे पर अवैधानिक रूप से कुछ लोगों ने फिर से कब्जा कर लिया है ? क्या सरकार जनहित में उक्त जमीन को पुनः भूमिहीनों को पट्टा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

157 पट्टे दिनांक 23-6-2009 को निरस्त किये गये।

निरस्त किये गये पट्टेदारों द्वारा निगरानी संख्या-123/2009 धारा-333 जेड0ए0एल0आर0 ऐक्ट, श्रीमती टिकनी आदि बनाम सरकार अपर आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के यहां योजित की है जो विचाराधीन है। श्रीमती टिकनी पत्नी राधे निवासी घुसगवां द्वारा उक्त पट्टे पर स्थगन बढ़ाये जाने का प्रार्थना-पत्र न्यायालय में विचाराधीन है। अग्रिम सुनवाई की तिथि 11-12-12 नियत है। पट्टेदारों का स्थल पर कब्जा है और अन्य किसी का अवैधानिक कब्जा नहीं है।

धारा-333 जेड0ए0एल0आर0 ऐक्ट, श्रीमती टिकनी आदि बनाम सरकार में अपर आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली में योजित रिट के निस्तारण के बाद अन्तिम कार्यवाही की जायेगी।

**जनपद शाहजहांपुर में वृद्धावस्था पेंशन के अनिस्तारित फार्मों के निस्तारण की जानकारी**

145-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में वृद्धावस्था पेंशन के 8172 फार्म अनिस्तारित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनमें से कितने फार्म तहसील स्तर पर तथा कितने फार्म जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय स्तर पर किन कारणों से अनिस्तारित हैं ? क्या सरकार इनका निस्तारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां। जनपद शाहजहांपुर में वृद्धावस्था पेंशन के 8178 आवेदन-पत्र अनिस्तारित हैं।

उक्त आवेदन-पत्र लक्ष्य वृद्धि के अभाव में अनिस्तारित हैं। उक्त आवेदन-पत्रों के निस्तारण हेतु शासनादेश दिनांक 23-11-2012 द्वारा जनपद-शाहजहांपुर के लिए वृद्धावस्था पेंशन में कुल 8178 अतिरिक्त लक्ष्य वृद्धि कर दी गई है।

जी हां। उपरोक्तानुसार।

नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**वृद्धावस्था पेंशन के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय बहराइच को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

146-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के ग्राम देवनपुर सहित आठ वृद्धों की रुकी वृद्धावस्था पेंशन देने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-768-02-06-12, 530-531-03-06-012, 538-539-03-06-12, 540-541-04-06-12, 605-16-6-12, 686-23-06-12, 699-24-06-12, 698-24-06-12 जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय बहराइच को प्राप्त पार्श्वीकृत 08 पत्रों द्वारा पूछे गये कुल 08 लाभार्थियों का सत्यापन जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा कराया गया जिसमें से समस्त पात्र लाभार्थियों का संशोधित डाटा एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर पर अपलोड करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोरखपुर की तहसील गोला में बालभीटी से समय स्थान जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क के मरम्मत की मांग**

147-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील गोला में जमीन शुक्ल होते हुये बालभीटी से समय स्थान तक जाने वाली मण्डी समिति की सड़क का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जर्जर सड़क का पुनः निर्माण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

मण्डी समिति द्वारा आलोच्य मार्ग का स्वीकृत अंश का निर्माण पूर्व में ही पूर्ण है।

सड़क की मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार मण्डी समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं धन की उपलब्धता व प्राथमिकता के अन्य विकास कार्य के दृष्टिगत कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बुलन्दशहर में जे0पी0 सीमेन्ट तथा कनोडिया सीमेन्ट फैक्ट्रियों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने की मांग**

148-श्रीमती विमला सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर में जे0पी0 सीमेन्ट तथा कनोडिया सीमेन्ट नाम की दो फैक्ट्रियों में क्लीन्कर को ग्राइण्ड करके सीमेन्ट बनाया जाता है ? यदि हां, तो इनसे होने वाले वायु प्रदूषण में विभिन्न कणों का मानक क्या है ? क्या यह भी सही है कि उक्त से होने वाला वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकारक है ? यदि हां, तो उक्त से फैलने वाले वायु प्रदूषण की माह अप्रैल से अगस्त, 2012 के मध्य कितनी बार जांच करायी गयी एवं इसे रोकने के लिये इन फैक्ट्रियों द्वारा उपयुक्त उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उत्सर्जन में पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता के मानक 50 मिग्रा0/नार्मल घन मीटर है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों द्वारा प्रक्रिया जनित फ्यूजेटिव उत्सर्जन स्रोतों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर्स एवं पर्याप्त ऊंचाई की चिमनियां स्थापित की गई हैं।

**जनपद पीलीभीत के राजस्व गांव पकड़ियां नौगवां चक मु0 वाटर चुंगी की भूमि का कथित प्रकरण**

149-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या राजस्व बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के राजस्व गांव पकड़ियां नौगवां चक मु0 बाहर चुंगी की भूमि संख्या-1149/2, 1153/2,1154,392 तथा 394 राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6 (खंदक) अंकित हैं ? यदि हां, तो क्या मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001 के अन्तर्गत हुये निर्णय का उल्लंघन करके पूर्व प्रधान एवं राजस्व कर्मियों द्वारा उक्त खंदक जल प्लावित भूमि को पाटकर दुकानें एवं मकान बनवा दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

ग्राम पकड़ियां नौगवां वर्ष 1996 से चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत रहा है, चकबन्दी क्रियाओं के उपरान्त जो च0आ0 पत्र 45 तहसील में दिनांक 23-3-2012 को प्राप्त हो गया है, परन्तु धारा-52 का प्रकाशन न होने के कारण खतौनी तैयार नहीं की जा सकी।

पुरानी गाटा संख्या-1149/2 रकबा 0.101 की नई गाटा संख्या-635क/1091 रकबा 0.101 में मौके पर रास्ता चल रहा है व पुरानी गाटा संख्या-1153/2 रकबा 0.040 की नई गाटा सं0-635ग रकबा 0.040 में मौके पर पुरानी आबादी बनी है व पुरानी गाटा सं0-1154 रकबा 0.247 हे0 की नई गाटा सं0-636क रकबा 0.247 हे0 में मौके पर आसाम रोड चल रहा है व पुरानी गाटा सं0-392/1 रकबा 0.150 हे0 की नई गाटा सं0-114क रकबा 0.150 मौके पर आबादी बनी है, पुरानी गाटा सं0-392/2 रकबा 0.150 की नई गाटा सं0-114ख रकबा 0.150 में अम्बेडकर पार्क के लिये आरक्षित की गयी है जो स्थल पर रिक्त है, पुरानी गाटा सं0-394/1 रकबा 0.154 की नई गाटा सं0-115क रकबा 0.154 हे0 श्रेणी-1 का श्री सुखीराम आदि संक्रमणीय भूमिधर के काश्तकार है। इनकी भूमि में स्थल पर आबादी है व पुरानी गाटा सं0-394/2 रकबा 0.154 की नई गाटा सं0-115ख रकबा 0.154 श्रेणी-1-क श्री सुखीराम संक्रमणीय भूमिधर के काश्तकार हैं। इनकी भूमि में स्थल पर आबादी है, पुरानी गाटा सं0-394/3 रकबा 0.061 हे0 की नई गाटा सं0-115ग रकबा 0.061 हे0 श्रेणी-1क श्री सोहनलाल पुत्र झम्मन लाल संक्रमणीय भूमिधर के काश्तकार हैं, इनकी भूमि में स्थल पर आबादी है।

#### जनपद सीतापुर में वृद्धावस्था पेंशन में हुए करोड़ों रुपये के घपले की जांच

150-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009-10 में सीतापुर में वृद्धावस्था पेंशन में हुये करोड़ों रुपये के घपले की एस0आई0बी0 द्वारा की जा रही जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं ? क्या इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं धनराशि की रिकवरी हेतु कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) अप0अनु0वि0, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा की जा रही है। जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

#### जनपद चन्दौली में मुख्यालय भवन का निर्माण कराये जाने की जानकारी

151-श्री सुनील सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्दौली को जनपद बनाये जाने के लगभग 10 से 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसके मुख्यालय भवन का निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद चन्दौली में मुख्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी कर ली गयी है। अर्वाड अभी तक घोषित नहीं हो सका है। भू-स्वामियों द्वारा सर्किल रेट से कई गुना अधिक धनराशि की मांग की जा रही है। भू-स्वामियों की ओर से मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी

दायर की गयी है। न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश वैकेट हो गया है। जिला स्तरीय कमेटी द्वारा भू-अर्जन करार नियमावली के तहत भू-स्वामियों के साथ दो चक्र वार्ता हो चुकी है। रेट निर्धारण की कार्यवाही शीघ्र पूरी करके भवन निर्माण प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति द्वारा स्वयं इस्तेमाल हेतु क्रय एवं कार्यालय की साज-सज्जा पर किये गये व्यय की जांच**

152-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या कृषि शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति द्वारा स्वयं के इस्तेमाल हेतु एपल मोबाइल फोन आवास कार्यालय हेतु 2 नई एल0ई0डी0, 2 नई अम्बेसडर कार, सी0सी0वी0टी0 कैमरे, फ्रिज, 2 लैपटाप तथा अस्थायी कार्यालय की सज्जा वुडन फ्लोरिंग पर सरकारी धन लगभग 41,00,000 रु0 का व्यय किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसके लिये शासन से अनुमति प्राप्त की गयी ? क्या सरकार द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग करने के लिये दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

प्रकरण की जांच मण्डलायुक्त मेरठ से करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

**प्रदेश हित में लागू भू-राजस्व (लगान) को समाप्त करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

153-श्री दलवीर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान हित में प्रदेश में लागू भू-राजस्व (लगान) को समाप्त करने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 176/रा0लो0द0/वि0म0द0/2012, दिनांक 19.09.12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

प्रकरण नीति विषयक होने के कारण राजस्व परिषद् स्तर पर सम्प्रति परीक्षाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कौशाम्बी में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती की जानकारी**

154-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्या-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी में मानक के अनुसार कितने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की आवश्यकता है तथा वर्तमान में कितने कार्यरत हैं ? क्या सरकार



जनपद कौशाम्बी में मानक के अनुसार राजस्व कर्मियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद कौशाम्बी में राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों का कोई मानक निर्धारित नहीं है। वर्तमान में जनपद कौशाम्बी में 435 राजस्व अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की मांग**

155-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में सहशिक्षा के 10 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

**पंजाब विश्वविद्यालय की टीम द्वारा सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की वित्तीय नीति की समीक्षा कराने की जानकारी**

156-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या कृषि शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा वर्ष 2011-2012 में पंजाब विश्वविद्यालय से टीम आमंत्रित करके मेरठ कृषि विश्वविद्यालय में लागू शासन की वित्तीय नीति की समीक्षा कराई गयी थी ? यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा खर्च की गयी ? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी अनुमति राजभवन/कृषि शिक्षा विभाग से प्राप्त की थी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सरकारी धन के दुरुपयोग के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

जी नहीं।

शासन की किसी भी वित्तीय नीति की समीक्षा नहीं कराई गयी है।

**प्रदेश के जनपदों में असेवित विकास खण्डों और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने की जानकारी**

157-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसी कितनी तथा कौन-कौन क्षेत्र पंचायत हैं, जिनमें राजकीय महाविद्यालय नहीं है ? क्या सरकार ऐसी क्षेत्र पंचायतों में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के कुल 741 क्षेत्र पंचायतों में राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं हैं।  
जी नहीं।

वर्तमान में सरकार की प्राथमिकता न्यून सकल नामांकन दर वाले जनपदों/असेवित विकास खण्डों और मुस्लिम बाहुल्य असेवित विकास खण्डों में राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने की है।

**जनपद अलीगढ़ के धर्म समाज एवं वाष्ण्य कालेज अलीगढ़ के छात्रावासों को पुनः चालू कराये जाने की मांग**

158-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में धर्मसमाज महाविद्यालय एवं श्री वाष्ण्य महाविद्यालय में बन्द पड़े छात्रावासों को पुनः चालू कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 178/रा0लो0द0/वि0म0द0/2012, दिनांक 19-09-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं कुल सचिव, डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा को तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश शासन के पत्र दिनांक 17-10-2012 व दिनांक 16-11-2012 द्वारा दिये गये।

क्षे0उ0अ0, आगरा के पत्र दिनांक 23-11-2012 में प्राप्त आख्यानुसार श्री वाष्ण्य महाविद्यालय, अलीगढ़ के छात्रावास में वर्तमान में विधि कक्षयें संचालित हैं तथा धर्म समाज कालेज, अलीगढ़ का छात्रावास जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने से उसे पुनः चालू नहीं कराया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बे में राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने की जानकारी**

159-श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बे में राजकीय महिला डिग्री कालेज खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त डिग्री कालेज कब से प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में 01 राजकीय महाविद्यालय, 10 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 85 अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय हैं। मुबारकपुर में मुबारकपुर गर्ल्स डिग्री कालेज संचालित हैं।

**जनपद फैजाबाद की तहसील सोहावल के ग्राम रामनगर धौरहरा में तालाब व चक मार्ग से अवैध कब्जा हटवाये जाने की जानकारी**

160-श्री जन्मेजय सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामनगर धौरहरा तहसील सोहावल जनपद फैजाबाद स्थित तालाब संख्या-721 व चक मार्ग 723 पर कुछ दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त अवैध कब्जों को हटाने हेतु राजस्व अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के पत्रांक 479/1-2-2012-रा-2 दिनांक 21 सितम्बर, 2012 द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या अवैध कब्जों को हटवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं।

जी हां।

कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया।

**जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की आइस फैक्ट्रियों को प्रदूषण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जानकारी**

161-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में कुल कितनी आइस फैक्ट्रियां संचालित हैं ? क्या उक्त फैक्ट्रियों को प्रदूषण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त फैक्ट्रियों को चिन्हित करते हुये उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में 31 आइस फैक्ट्रियां चिन्हित की गई हैं।

उक्त 31 आइस फैक्ट्रियों में से 28 आइस फैक्ट्रियों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त है।

03 इकाईयों को अधिनियमान्तर्गत सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मुजफ्फरनगर में छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति शुल्क और वृद्धावस्था पेंशन में घोटाला करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही**

162-श्री हुकुम सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007 से 2012 के बीच जनपद मुजफ्फरनगर में छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति शुल्क और वृद्धावस्था पेंशन की मदों से अधिकारियों, कर्मचारियों की मिली-भगत से करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है जिसमें बैंकों के अधिकारी भी शामिल थे ? क्या सरकार इस घोटाले में दोषी पाये गये अधिकारी, कर्मचारी पर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

जी हां।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित कर दी गयी है तथा संलिप्त पाये गये विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ बैंक के कार्मिकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के राजस्व गांव मुड़िया करोड़ एवं बढैपुरा धारम की कतिपय गाटा सं0 की भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की जानकारी**

163-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के प्रथम गुरुवार के अतारंकित प्रश्न सं0-14 के उत्तर के क्रम में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के राजस्व गांव मुड़िया करोड़ के अन्तर्गत भूमि सं0-512 तथा राजस्व गांव बढैपुरा धारम की भूमि सं0-106, 107, 108, 146 एवं 149 पर किये गये अवैध कब्जों को हटवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम मुड़िया करोड़ के गाटा संख्या-512 क्षेत्रफल 0.066 हे0 अभिलेखों में श्रेणी-5 बंजर दर्ज है। जिस पर स्वामित्व एवं कब्जा गांव सभा का है। ग्राम बढैपुरा धारम के गाटा संख्या-106 क्षेत्रफल 3.635 हे0 श्रेणी-6 में नाला दर्ज है, जो मौके पर खाली है। गाटा संख्या-107 क्षेत्रफल 0.417 हे0 बंजर में दर्ज है, जिसमें से 0.167 हे0 खाली है, 0.250 हे0 पर कमरजहां पत्नी अयूब खां नि0 मो0 हवीबुल्ला खां शुमाली बीसलपुर का वर्ष 2007 से अवैध कब्जा है। गाटा संख्या-108 क्षेत्रफल 0.130 हे0 श्रेणी-6 नाला दर्ज है जिसमें 0.047 हे0 मौके पर खाली है तथा 0.083 हे0 पर कमरजहां पत्नी अयूब खां नि0 मो0 हवीबुल्ला खां शुमाली बीसलपुर का वर्ष 2007 से अवैध कब्जा है। उक्त दोनों गाटा संख्याओं पर अवैध कब्जेदार कमरजहां पत्नी अयूब खां के विरुद्ध धारा-122 बी0 ज0 वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत बेदखली का वाद संख्या-23/11-12 तहसीलदार बीसलपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। गाटा सं0-146 रकबा 0.198 हे0 श्रेणी-6 में ईंट भट्टा के नाम है, जिस पर ध्रुव कुमार पुत्र श्री सोहन लाल का मार्च, 2012 से अवैध कब्जा है। अवैध कब्जेदार ध्रुव कुमार के विरुद्ध धारा-122बी0 ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत बेदखली का वाद तहसीलदार बीसलपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। गाटा संख्या-149 क्षेत्रफल 0.275 हे0 श्रेणी-5 नवीन परती दर्ज है, मौके पर खाली है, कब्जा गांव सभा का है। अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध धारा-122 बी0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के अन्तर्गत योजित वाद निर्णीत होने के उपरान्त बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

**जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को मण्डी परिषद् द्वारा कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी**

164-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक कलान के ग्राम गिवतिया खजुरी के मजरा गढ़ी से बन बसौरी सम्पर्क मार्ग मण्डी परिषद से निर्माण कराये जाने विषयक

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-08-12 जिलाधिकारी शाहजहांपुर को दिनांक 16-8-12 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग पर मण्डी परिषद् के मानक के अनुरूप मिट्टी का कार्य अपूर्ण होने एवं एच0एफ0एल0 से नीचा होने के कारण निर्माण योग्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

165-श्री उमाशंकर-

[दिनांक 27-11-2012 को अता0 प्रश्न सं0-187 द्वारा उत्तरित]

**जनपद अलीगढ़ की विधान सभा क्षेत्र इगलास के ग्राम सभा श्यामगढ़ी में गाटा सं0-385ख/0.172 हे0 से अवैध कब्जेदारों को हटाने की मांग**

166-श्री त्रिलोकी राम-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद की विधान सभा इगलास के ग्राम सभा श्यामगढ़ी में गाटा संख्या-385, जो पोखर दर्ज है, को पाटकर मकान बनाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पोखर को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर खुदवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद अलीगढ़ की विधान सभा इगलास की ग्राम सभा श्यामगढ़ी मजरा बांस फतेली स्थित गाटा संख्या-385ख/0.127 हे0 राजस्व अभिलेखों में पोखर के रूप में दर्ज है। यह पोखर गांव की आबादी के अन्दर है। इसमें पांच व्यक्तियों क्रमशः नेकराम पुत्र डम्बर सिंह, सत्य प्रकाश पुत्र नेम सिंह, बाबू सिंह पुत्र डम्बर सिंह, सत्य प्रकाश पुत्र डम्बर सिंह, सुखपाल सिंह पुत्र रूम सिंह, निवासीगण बांस फतेली जाति जाट ने 40 वर्ष से पोखर के रकबा 0.035 हे0 पर अवैध कब्जा कर रखा है तथा वह अधिक्रमित भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं। उनके विरुद्ध तहसीलदार, इगलास (अलीगढ़) के न्यायालय में धारा-122बी0 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत क्रमशः वाद संख्या-11 ग्राम सभा बनाम नेकराम, वाद संख्या-12 व 13 ग्राम सभा बनाम सत्य प्रकाश, वाद संख्या-14 ग्राम सभा बनाम बाबू सिंह, वाद संख्या-15 ग्राम सभा बनाम सुखपाल सिंह विचाराधीन है। उक्त वादों में निर्णय के उपरान्त ही गुण दोष के आधार पर बेदखली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

167-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[दिनांक 26-11-2012 को अता0 प्रश्न सं0-192 द्वारा उत्तरित]

168-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[दिनांक 27-11-2012 को अता0 प्रश्न सं0-190 द्वारा उत्तरित]

**जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित आईस फैक्ट्रियों के विरुद्ध कार्यवाही**

169-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आईस फैक्ट्रियों के संचालन का लाइसेन्स प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देता है ? यदि हां, तो जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कुल कितनी आईस फैक्ट्रियां हैं जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लाइसेन्स प्राप्त है ? क्या सरकार अवैध रूप से संचालित उन आईस फैक्ट्रियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

इकाइयों की स्थापना एवं संचालन हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत कन्सेन्ट-टू-आपरेट प्राप्त किये जाने का प्राविधान है।

गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल चिन्हित 31 आईस फैक्ट्रियों में से 28 आईस फैक्ट्रियों द्वारा संचालन हेतु सहमति प्राप्त है। 03 इकाइयों को अधिनियमान्तर्गत सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के बन्द शीतगृहों को पुनः चालू करने की जानकारी**

170-श्री गंगा सिंह कुशवाहा-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने शीतगृह हैं और उनकी भण्डारण क्षमता कितनी है तथा उनमें से कितने शीतगृह बन्द हैं ? बन्द शीतगृहों को पुनः चालू करने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

प्रदेश में कुल 1705 शीतगृह हैं और उनकी भण्डारण क्षमता 125.63 लाख मि0 टन है तथा उनमें से 183 शीतगृह बन्द हैं।

जी नहीं।

शीतगृहों के चलाने एवं बन्द करने के सम्बन्ध में शीतगृह स्वामी स्वतंत्र हैं।

बन्द शीत गृहों को प्राथमिकता पर चालू कराने हेतु यथोचित कार्यवाही करने के लिए शासन के पत्र संख्या-4305/58-2011-100 (2)/2001 दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 द्वारा समस्त जिलाधिकारी एवं जनपदीय लाइसेंसिंग अधिकारी (शीतगृह) को निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

वर्तमान में प्रदेश के निजी शीतगृहों में पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध है।

171-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

[1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद फिरोजाबाद विधान सभा टूण्डला में कतिपय मार्गों को किसान मण्डी समिति से लेपन स्तर तक निर्माण कराने की मांग**

172-श्री राकेश बाबू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद विधान सभा टूण्डला में किसानों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने हेतु रामनगर से थानपुर मार्ग, चिलासनी से कनवार होते हुए रैमजा की डाबरनी सड़क तक, भरसलगंज की पुलिया से नगलावलू डेरा वंजारा तक, मितावली के रेलवे स्टेशन से मनीगणी तक, बनकर रोड से चुल्हावली जाख बस्ती तक, बसही का बाईपास तथा कोढूला से कलावली कोल्ड स्टोर के सामने से कढावली होते हुए पनौरा तक लेपन स्तर तक सड़क का निर्माण किसान मण्डी समिति से सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान तक उपरोक्त सम्पर्क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में मण्डी समिति का प्रस्ताव प्राप्त नहीं है।

**प्रदेश में किसान मित्रों को पुनः नियोजित करने की मांग**

173-श्री गंगा सिंह कुशवाहा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान मित्रों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार उन्हें कार्यमुक्त कर रही है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ? क्या सरकार किसानों के हित में उन्हें पुनः नियोजित करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुंवर आनन्द सिंह-

वर्तमान में कोई किसान मित्र कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना को उपयोगी न पाये जाने के कारण शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा समाप्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

174-श्री गंगा सिंह कुशवाहा-

[1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**प्रदेश के महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रिटायरमेन्ट की आयु सीमा बढ़ाने की जानकारी**

175-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के रिटायरमेन्ट की आयु सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कुशीनगर की तहसील कसया और तमकुही के ग्राम सोहंग, महुआ खुर्द के मध्य सीमा चिन्ह लगवाने की जानकारी**

176-श्री गंगा सिंह कुशवाहा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर के अन्तर्गत दो तहसील कसया और तमकुही के ग्राम पंचायत क्रमशः सोहंग और महुआ खुर्द के मध्य स्थित सीमा चिन्ह विगत 10 वर्षों से लुप्त हो जाने से खेतों की पैमाइश ठीक से नहीं हो पाती है जिसके कारण स्थानीय किसानों में आये दिन विवाद होता रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोनों तहसीलों के बीच सीमांकन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद कुशीनगर की दो तहसीलों कसया तमकुहीराज के अन्तर्गत पड़ने वाले दो गांव सोहंग, महुआ खुर्द के ग्राम प्रधानगण एवं सम्मानित जनता की उपस्थिति में दिनांक 21-11-2012 को दोनों तहसीलों के तहसीलदार एवं राजस्व कर्मियों द्वारा ग्राम सोहंग के आ0नं0-26 एवं ग्राम महुआ खुर्द के आ0नं0-176 के बीच के मेढ़ पर सीमाघोटक चिन्ह चिन्हित किया गया, जिसकी पुष्टि दोनों ग्रामों के प्रधानों गणों एवं ग्राम वासियों द्वारा की गयी। चिन्हित स्थान पर नियमानुसार पत्थर लगवा दिया गया है। इस प्रकार दोनों तहसीलों के ग्रामों के बीच सीमा-विवाद समाप्त हो गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत ग्राम सभा चौबेपुर की कब्रिस्तान व शमशान (मरघट) की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की जानकारी**

177-श्री उमाशंकर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत ग्राम सभा चौबेपुर, परगना को0 गर्वी, तहसील रसड़ा के खाता संख्या-39/279, खातेदार का नाम मरघट, श्रेणी-कब्रिस्तान और शमशान (मरघट) पर अतिक्रमण कर निजी स्कूल का छात्रावास एवं निजी व्यावसायिक दुकानें (कटरा) निर्मित कर ली है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान एवं शमशान को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए बाउन्ड्री वाल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जिलाधिकारी, बलिया से प्राप्त सूचना के अनुसार बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के मौजा चौबेपुर स्थित आ0नं0-39/279, मरघट श्रेणी-कब्रिस्तान व शमशान (मरघट) के नाम खतौनी में दर्ज नहीं है। अपितु उक्त आराजी के क्षेत्रफल 0.081 हे0 श्रेणी-6-4 खाल निकालने के स्थान हेतु सुरक्षित



है, जिस पर 05 व्यक्तियों द्वारा पक्का निर्माण करके अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिनके विरुद्ध ज0वि0अधि0 की धारा-122बी के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार रसड़ा में वाद विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

### प्रदेश में समाज कल्याण द्वारा संचालित संस्थाओं में रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की जानकारी

178-श्री काली चरन सुमन-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में रिक्त पड़े शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति की योजना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद-

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एल0टी0 ग्रेड अध्यापक, सहायक अध्यापक, फार्मासिस्ट/कम्पाउण्डर/नर्स के रिक्त पदों को वार्षिक संविदा के आधार पर भरे जाने के निर्देश शासनादेश संख्या-2048/26-01-2012-9 (69)/2006, दिनांक 20-7-2012 द्वारा दिया जा चुका है। अन्य कर्मचारियों यथा गृहमाता एवं लिपिक वर्गीय पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-20/1-91-का-2-2012, दिनांक 15 मार्च, 2012 द्वारा भर्ती पर प्रतिबन्ध होने के कारण नहीं भरा जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

### जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी व टूण्डला के कतिपय मार्गों को मण्डी समिति टूण्डला से बनवाने की मांग

179-श्री राकेश बाबू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी व टूण्डला वे राजमल से नगला रस सिंह होते हुए चूहरपुर तक नगला धनवन्त मार्ग से गढदिया होते हुए नाला करन सिंह तक कायथा नारखी मार्ग से नगला वधे तक, कुबेरगणी से मदनपुर तक जामपुर ओरवरा मार्ग से हुलासपुर तक, साहब गणी से रामगण तक छितरई से वाजराईगणी तक, पमारी मार्ग से लालगणी मार्ग तक, चिनासकी मार्ग से वेलनगंज तक मार्गों का निर्माण सरकार मण्डी समिति लखनऊ से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि उक्त सम्पर्क मार्ग मण्डी समिति, लखनऊ के क्षेत्रान्तर्गत नहीं आते हैं बल्कि मण्डी समिति टूण्डला जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत आते हैं।

180-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद शामली की कतिपय शुगर फैक्ट्री आदि में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित होने की जानकारी**

181-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली सदर में शुगर फैक्ट्री एवं पेपर मिल का दूषित पानी व कचरा किनारे से गुजरने वाली नदियों में गिराने के कारण उसका प्रदूषित पानी पीने से जानवरों व मनुष्यों में जानलेवा बीमारी फैल रही है तथा प्राणघातक रोग उत्पन्न हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रदूषित पानी व कचरों को नदियों में गिराने पर नियंत्रण लगाने एवं प्रदूषण यंत्र लगाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली सदर के अन्तर्गत शामली नगर के मध्य 02 मुख्य जल प्रदूषणकारी उद्योग क्रमशः मै0 अपर दोआब शुगर मिल्स लि0 तथा मै0 शामली डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स एवं जनपद शामली के औद्योगिक क्षेत्र में मै0 निकिता पेपर्स लि0 तथा ग्राम सिक्का में मै0 मारुति पेपर्स लि0 स्थापित हैं। उक्त 04 इकाइयों में औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु वांछित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं। चीनी मिल में वर्तमान पेराई सत्र में अभी तक क्रशिंग कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। डिस्टिलरी इकाई में शून्य उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की व्यवस्था स्थापित एवं संचालित हैं। दोनों पेपर उद्योग क्रमशः मै0 निकिता पेपर्स लि0 तथा ग्राम सिक्का में मै0 मारुति पेपर्स लि0 में एग्रोवेस्ट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं करने हेतु निर्देश पारित किये जा चुके हैं तथा दोनों उद्योग वर्तमान में कच्चे माल के रूप में वेस्ट पेपर का प्रयोग कर रहे हैं।

मुख्य चिकित्साधिकारी, शामली एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर से प्राप्त आख्यानानुसार नदी के जल से मनुष्यों एवं पशुओं में जानलेवा बीमारी फैलने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

**श्री प्रवेश कुमार को मृतक आश्रित के रूप में राजस्व विभाग में सेवायोजित किये जाने की कार्यवाही**

182-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रवेश कुमार को मृतक आश्रित के रूप में राजस्व विभाग में सेवायोजित किये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री प्रदीप माथुर सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 19-9-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रित को सेवायोजित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

श्री प्रवेश कुमार को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कौशाम्बी की तहसील चायल के ग्राम पुरखास में खलिहान की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने की जानकारी**

183-श्री सन्त प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पुरखास तहसील चायल जनपद कौशाम्बी में खलिहान के नाम पर खतौनी नं0-727 भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त नम्बर पर कतिपय लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर भवन निर्माण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां। ग्राम पुरखास की खतौनी सन् 1414 लगायत 1419 फसली के खाता संख्या-1125 की गाटा संख्या-727 रकबा 0.370 हे0 खलिहान के रूप में दर्ज है। जिसमें रकबा 0.030 हे0 अंश को छोड़कर पूरे भाग पर पुराने मकान ग्राम के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लगभग 15 वर्ष पूर्व से बने हैं।

गाटा संख्या-727 के खाली अंश रकबा 0.030 हे0 पर राम भजन पुत्र शुकूरु द्वारा नया छप्पर डालकर कब्जा किया गया था, जिसे तत्काल हटवा दिया गया है। शेष पुराने कब्जेदारों के विरुद्ध पूर्व में ही धारा-122 बी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है, जो तहसीलदार चायल के न्यायालय में लम्बित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहांपुर ब्लाक ददरौल तहसील सदर के ग्राम सपत्यारा में चकबन्दी की प्रक्रिया**

184-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सपत्यारा ब्लाक ददरौल तहसील सदर शाहजहांपुर में पिछले 10 वर्षों से चकबन्दी प्रक्रिया चल रही है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम सपत्यारा तहसील सदर में धारा-4 (2) का प्रकाशन दिनांक 25-5-2007 को किया गया है।

ग्राम सपत्यारा में धारा-23 तक की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। ग्राम में चक सीमांकन/कब्जा परिवर्तन का कार्य पूर्ण कराये जाने का यथासंभव प्रयास किया गया, परन्तु आपसी दलबन्दी होने के कारण कब्जा परिवर्तन/चक सीमांकन का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। वित्तीय वर्ष 2013-14 में चक सीमांकन का कार्य पूर्ण कराते हुए धारा-52 (1) की कार्यवाही 28-2-2014 तक पूर्ण करने की कार्य योजना तैयार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मेरठ में दौराला ब्लाक में दौराला शुगर मिल एवं दौराला डिस्टिलरी में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित होने की जानकारी**

185-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ स्थित काली नदी में दौराला शुगर मिल एवं दौराला डिस्टिलरी का प्रदूषित पानी डालने से इसका पानी प्रदूषित होने के कारण स्थानीय ग्रामों के नागरिकों को त्वचा रोग, कैंसर एवं पेट के रोगों की भयंकर बीमारियां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या काली नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह कार्ययोजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में दौराला ब्लाक में दौराला शुगर वर्क्स की चीनी इकाई एवं आसवनी इकाई स्थापित हैं। उक्त दोनों इकाइयों में औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं। वर्तमान में दौराला शुगर वर्क्स (शुगर यूनिट), दौराला, मेरठ आफ सीजन होने के कारण बन्द हैं। पूर्व क्रसिंग सीजन में मै0 दौराला शुगर वर्क्स (शुगर यूनिट), दौराला, मेरठ का दिनांक 10-2-2012 को एकत्र किये गये शुद्धिकृत उत्प्रवाह में विभिन्न परिचालक बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये गये थे।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ के अधिकारियों द्वारा पूर्व में दौराला शुगर वर्क्स (डिस्टिलरी यूनिट), दौराला, मेरठ का निरीक्षण दिनांक 02-07-2012 को किया गया था। मै0 दौराला शुगर वर्क्स (डिस्टिलरी यूनिट), दौराला, मेरठ की उत्पादन क्षमता 150 किली0 प्रतिदिन है परन्तु उक्त इकाई द्वारा 60 किली0 प्रतिदिन की दर से रेक्टिफाइड स्प्रिट का उत्पादन किया जा रहा था एवं उत्पादन प्रक्रिया से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह का प्रयोग फर्टिइरिगेशन तथा बायोक्म्पोस्टिंग में किया जा रहा था तथा निरीक्षण आख्या के अनुसार डिस्टिलरी इकाई का औद्योगिक उत्प्रवाह काली नदी में निस्तारित नहीं किया जाता है।

जनपद मेरठ में स्थित काली नदी का पानी प्रदूषित होने के कारण स्थानीय ग्रामों के नागरिकों को त्वचा रोग, कैंसर एवं पेट के रोगों की भयंकर बीमारियां होने के सम्बन्ध में पूर्व में मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ की आख्या दिनांक 07-06-2012 के अनुसार आस-पास के क्षेत्र में जानलेवा बीमारी फैलने की पुष्टि नहीं हुई है।

**फैजाबाद के मिल्कीपुर में महिला महाविद्यालय का निर्माण कराने विषयक प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त पत्र पर कार्यवाही**

186-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर में महिला महाविद्यालय के निर्माण में राजकीय निर्माण निगम द्वारा रूचि न लेने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0 10099315/2012, दिनांक

08-08-12 प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रकरण में शासन के पत्र दिनांक 05-11-2012 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ से आख्या मांगी गयी जो दिनांक 22-11-2012 को प्राप्त हुयी है। उक्त आख्या पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

### प्रदेश में गोचर/चारागाह के भूमि की जानकारी

187-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने हेक्टेयर भूमि गोचर/चारागाह के लिये है ? क्या सरकार इस भूमि पर चारा उत्पादन करने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

वर्ष 1950 में चारागाह व सार्वजनिक उपयोग की भूमि का कुल क्षेत्रफल 39247 हे0 था। प्रथम चकबन्दी बन्दोबस्त के अनुसार चारागाह व सार्वजनिक उपयोग की भूमि का क्षेत्रफल 72646.614 है।

पशुधन विभाग से प्राप्त सूचनानुसार चारागाहों को विकसित करने हेतु भारत सरकार एवं शासन द्वारा एक-एक योजना संचालित की जा रही है।

1-परती (वेस्ट लैण्ड)/गोचर भूमि पर चारागाह विकास की योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)।

2-चारा एवं चारागाह विकास योजना (जिला योजना)।

प्रश्न नहीं उठता।

### सरकार द्वारा किसानों/भू-स्वामियों को राहत दिलाये जाने की मांग

188-श्री मनीष असीजा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवासीय भवन निर्माण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली कृषकों की भूमि के एवज में किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे के लिये कोई विशेष कानून बनाने जा रही है ? क्या यह सही है कि भू-माफियाओं द्वारा किसानों की उपजाऊ भूमि को कौड़ियों के मोल खरीद कर जनता से अरबों-खरबों रुपये की वसूली की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों/भू-स्वामियों को राहत दिलाने के लिये कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रदेश में आवासीय भवन निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई विशेष कानून बनाने का सम्प्रति कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

इस प्रकार का कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं आया है। दो पक्षों द्वारा भूमि क्रय-विक्रय में दर निर्धारण आपसी सहमति से की जाती है।

प्रकरण/शिकायत संज्ञान में आने पर सुसंगत नियमों के अनुसार सक्षम स्तर से कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

**जनपद आगरा में यमुना एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के स्वामियों को टोल टैक्स से मुक्त करने की मांग**

189-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में यमुना एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के स्वामियों को एक्सप्रेस-वे पर चलने के लिये टोल टैक्स से मुक्त करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य सरकार या उसके अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किन्हीं अन्य प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन एक्सप्रेस-वेज और समस्त सेतुओं जिनके अन्तर्गत इंटरचेन्ज, उपरिगामी सेतु, रेलवे उपरि सेतु, एक्सप्रेस-वेज के उपमार्ग लाइन भी है, का प्रयोग करने वाले समस्त व्यक्तियों, वाहनों के प्रभारियों या इस निमित्त रियायत करार के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत रियायतग्राही से प्रभावित की जाने वाली फीस, उन पर अधोरोपित या उनसे वसूल किये जाने वाले पथकर को विनियमित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली, 2010 लागू की गयी है। इस नियमावली के प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर-1 के अनुसार राज्य सरकार में उक्तानुसार फीस उद्ग्रहीत करने का अधिकार निहित है। इस नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377/77-3-12-37 (एम)/2012, दिनांक 08-08-2012 के अन्तर्गत वाहनों हेतु टोल शुल्क/फीस की दरें निर्धारित की गयी हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली, 2010 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित कृषकों को एक्सप्रेस-वे पर चलने के लिए टोल टैक्स से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई व्यवस्था लागू नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

**[12.20 बजे] उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्यों सर्वश्री रंगबहादुर पटेल, उपदेश सिंह चौहान, रामकुमार भार्गव, अंगने लाल, महेन्द्र सिंह राजपूत, दिनेश चन्द्र सोनकर, छोटे लाल मिश्र, हरिकेवल प्रसाद, गंगा प्रसाद शर्मा, राजकुमार राय, श्रीमती कमला दरियाबादी, श्री सुन्दर पाल सिंह यादव, श्रीमती रामरती देवी, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री बसन्त सिंह गहलौत तथा श्री शिवराज सिंह के निधन पर शोकोद्गार**

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रंगबहादुर पटेल का 4 जुलाई, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 54 वर्ष के थे। श्री रंगबहादुर पटेल का जन्म 15 जुलाई, 1958 को ग्राम धरौता, जिला इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रंगबहादुर

पटेल वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र सोरांव, जिला इलाहाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री रंग बहादुर पटेल आदर्श कृषक विद्यालय, धरौता, जिला इलाहाबाद तथा जनता इण्टर कालेज, मऊआइमा, जिला इलाहाबाद के संरक्षक रहे थे। जनसम्पर्क में उनकी विशेष रुचि थी। विविध विषयों की पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन एवं खेलकूद व व्यायाम उन्हें प्रिय था। श्री रंगबहादुर पटेल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री उपदेश सिंह चौहान का 8 जुलाई, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 55 वर्ष के थे। श्री उपदेश सिंह चौहान का जन्म 1 मई, 1957 को किशनपुर घड़िया, जिला मैनपुरी में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री उपदेश सिंह चौहान वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र भोगांव, जिला मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री उपदेश सिंह चौहान पार्टी के एक योग्य एवं कर्मठ नेता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी रुचि थी। श्री उपदेश सिंह चौहान के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम कुमार भार्गव का 3 अगस्त, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 64 वर्ष के थे। श्री राम कुमार भार्गव का जन्म 29 मई, 1948 को सीतापुर में हुआ था। उन्होंने बी0एस0सी0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री राम कुमार भार्गव वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र बिसवां, जिला सीतापुर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम कुमार भार्गव विभिन्न आन्दोलनों के सम्बन्ध में जेल में रहे थे। वे लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के महामंत्री तथा उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे थे। सामाजिक एवं जनहित के कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम कुमार भार्गव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अंगने लाल का 12 अगस्त, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। श्री अंगने लाल का जन्म 1 जुलाई, 1930 को हुआ था।

श्री अंगने लाल वर्ष 1967 तथा 1974 में निर्वाचन क्षेत्र बेनीगंज, जिला हरदोई से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अंगने लाल वर्ष 1954 से 1959 तक लेखपाल रहे तथा वर्ष 1962 से 1967 तक न्याय पंचायत के सदस्य रहे थे। कृषि में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अंगने लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री महेन्द्र सिंह राजपूत का 17 अगस्त, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 47 वर्ष के थे। श्री महेन्द्र सिंह राजपूत का जन्म 5 मई, 1965 को ग्राम खांद, जिला इटावा में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री महेन्द्र सिंह राजपूत वर्ष 2002 तथा 2007 में निर्वाचन क्षेत्र इटावा, जिला इटावा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर तथा वर्ष 2009 के उप चुनाव में पुनः निर्वाचन क्षेत्र इटावा, जिला इटावा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री महेन्द्र सिंह राजपूत वर्ष 1997 से 2001 तक जिला पंचायत, इटावा के अध्यक्ष रहे थे। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री महेन्द्र सिंह राजपूत के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री दिनेश चन्द्र सोनकर का 23 अगस्त, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 57 वर्ष के थे। श्री दिनेश चन्द्र सोनकर का जन्म 5 अगस्त, 1955 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0वी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री दिनेश चन्द्र सोनकर वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र चायल (अ0जा0), जिला इलाहाबाद से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर वर्ष 1975 में आपातकाल में डी0आई0आर0 के अन्तर्गत नैनी केन्द्रीय कारागार, इलाहाबाद में बन्दी रहे थे। वे युवा जनता दल उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री, जनता पार्टी (एस) सोशलिस्ट पार्टी और युवक कांग्रेस इलाहाबाद के जिला महामंत्री एवं जिला कांग्रेस कमेटी (ला प्रकोष्ठ) के जिला उपाध्यक्ष रहे थे। वे विकास संगठन एवं लोकार्पण समिति, इलाहाबाद के अध्यक्ष तथा जिला खटिक महासभा, इलाहाबाद के महामंत्री भी रहे थे। जन-सेवा, ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ने तथा यात्रा करने में उनकी विशेष रुचि थी। श्री दिनेश चन्द्र सोनकर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री छोटे लाल मिश्र का 2 सितम्बर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री छोटे लाल मिश्र का जन्म अक्टूबर, 1936 में ग्राम सिरमौर, तत्कालीन जिला हमीरपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातक एवं एल0एल0वी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री छोटे लाल मिश्र वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र महोबा, तत्कालीन जिला हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री छोटे लाल मिश्र वर्ष 1975-76 में डी0आई0आर0 एवं मीसा के अन्तर्गत जिला कारागार, हमीरपुर में बन्दी रहे थे। वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तहसील के संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिला कार्यवाह, विश्व हिन्दू परिषद् के जिला मंत्री तथा विश्व हिन्दू परिषद् तहसील अध्यक्ष रहे थे। वे सरस्वती शिशु मन्दिर, महोबा तथा सरस्वती विद्या मन्दिर, महोबा के अध्यक्ष एवं डी0ए0वी0 कालेज, महोबा के सदस्य एवं कोषाध्यक्ष भी रहे थे। समाज सेवा, कानून एवं अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री छोटे लाल मिश्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिकेवल प्रसाद का 15 सितम्बर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री हरिकेवल प्रसाद का जन्म 1 मार्च, 1933 को ग्राम महथापार, जिला देवरिया में हुआ था। श्री हरिकेवल प्रसाद वर्ष 1974 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर तथा 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर, जिला-देवरिया से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे लोक सभा के सदस्य भी रहे थे।

श्री हरिकेवल प्रसाद वर्ष 1957 से अपने राजनीतिक जीवन में विभिन्न आन्दोलनों के फलस्वरूप कई बार जेल जा चुके थे। वे ग्राम महथापार, जिला देवरिया के प्रधान रहे थे। जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हरिकेवल प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।



उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गंगा प्रसाद शर्मा का 19 सितम्बर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री गंगा प्रसाद शर्मा का जन्म 20 जनवरी, 1933 को ग्राम गढ़सौली, जिला मथुरा में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गंगा प्रसाद शर्मा वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र गोकुल जिला मथुरा से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री गंगा प्रसाद शर्मा जिला सहकारी बैंक, मथुरा के संचालक तथा जिला परिषद्, मथुरा के चेयरमैन (शिक्षा) रहे चुके थे। वे जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री भी रहे थे। श्री गंगा प्रसाद शर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राज कुमार राय का 23/24 सितम्बर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 73 वर्ष के थे। श्री राज कुमार राय का जन्म 1 जनवरी, 1939 को ग्राम सूरजपुर, जिला आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने एम0ए0 एवं एल0एल0एम0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राज कुमार राय वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र नत्थूपुर, जिला आजमगढ़ से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे लोक सभा के सदस्य भी रहे थे।

श्री राज कुमार राय वर्ष 1977 में एक दिन तथा 1978 में 12 दिन धारा-188 के अन्तर्गत जिला कारागार, आजमगढ़ में बन्दी रहे थे। वे अनेक शिक्षा संस्थाओं के संस्थापक, मैनेजर तथा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणित करण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रह चुके थे। वे उत्तर प्रदेश मजदूर सभा के मंत्री पद पर भी रहे थे। उन्होंने 'सेट की टेंट' नामक कहानी की रचना की थी। राजनीति, साहित्य एवं खेलकूद सम्बन्धी कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राज कुमार राय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्रीमती कमला दरियाबादी का 24 सितम्बर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थीं। श्रीमती कमला दरियाबादी का जन्म वर्ष 1933 में लखनऊ में हुआ था। श्रीमती कमला दरियाबादी वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र सीसामऊ, जिला कानपुर तथा वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र सीसामऊ (अ0जा0), जिला कानपुर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं।

श्रीमती कमला दरियाबादी उत्तर प्रदेश विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति की सदस्य रही थीं। गरीब जनता की सेवा तथा राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। वे महिला जागृति समिति की संरक्षिका रही थीं। श्रीमती कमला दरियाबादी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी महिला को खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुन्दर पाल सिंह यादव का 12 अक्टूबर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 83 वर्ष के थे। श्री सुन्दर पाल सिंह यादव का जन्म 1929 को ग्राम बजवापुर, जिला सीतापुर में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुन्दर पाल सिंह यादव वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र बिसवां, जिला सीतापुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री सुन्दर पाल सिंह यादव पार्टी आन्दोलनों में जेल जा चुके थे। वे क्षेत्र विकास समिति पहला, सीतापुर के ब्लाक प्रमुख तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैथरामाधव, सीतापुर के प्रबन्धक रहे थे। समाज सेवा तथा ग्रामीण विकास में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सुन्दर पाल सिंह यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्रीमती रामरती देवी का 21 अक्टूबर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष की थीं। श्रीमती रामरती देवी का जन्म 1 जनवरी, 1931 को ग्राम लखनडीह, जिला आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्रीमती रामरती देवी वर्ष 1957 तथा 1962 में निर्वाचन क्षेत्र अकबरपुर, तत्कालीन जिला फैजाबाद से कांग्रेस के टिकट पर वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र जहांगीरगंज (अ0जा0), तत्कालीन जिला फैजाबाद से कांग्रेस के टिकट पर तथा 1977 में निर्वाचन क्षेत्र जहांगीर गंज (अ0जा0), तत्कालीन जिला फैजाबाद से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। श्रीमती रामरती देवी ने सहायक अध्यापिका के पद पर शिक्षण कार्य किया था। वे उत्तर प्रदेश दलित वर्ग संघ की कार्यकारिणी की सदस्या रही थीं। साहित्य एवं संगीत में उनकी विशेष रुचि थी तथा कृषि सम्बन्धी कार्यों से भी उनको विशेष प्रेम था। श्रीमती रामरती देवी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी महिला को खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गजेन्द्र सिंह का 22 अक्टूबर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री गजेन्द्र सिंह का जन्म 28 अप्रैल, 1933 को हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गजेन्द्र सिंह वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र रामनगर, जिला बाराबंकी से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री गजेन्द्र सिंह विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों में तीन बार जेल जा चुके थे। अध्ययन एवं खेलकूद में उनकी विशेष रुचि थी तथा इतिहास और दर्शन उनके प्रिय विषय थे। श्री गजेन्द्र सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बसन्त सिंह गहलौत का 23 अक्टूबर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 87 वर्ष के थे। श्री बसन्त सिंह गहलौत का जन्म वर्ष 1925 में ग्राम चमरावाला, जिला बिजनौर में हुआ था। उन्होंने बी0एस0सी0, एम0ए0 ए0 एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बसन्त सिंह गहलौत वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र अफजलगढ़, जिला बिजनौर से जनसंघ के टिकट पर तथा वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र धामपुर, जिला बिजनौर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री बसन्त सिंह गहलौत केन सोसाइटी, नगीना के संचालक तथा सहकारी संघ, नगीना के प्रधान रहे थे। वे किसान समिति और शिक्षा प्रसार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा 'प्रायोगिक भौतिकी एवं रसायन' नामक पुस्तक लिखी थी। ज्ञान का प्रसार, कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष, स्वाध्याय एवं योगाभ्यास में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बसन्त सिंह गहलौत के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शिवराज सिंह का 18 नवम्बर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री शिवराज सिंह का जन्म 1 जुलाई, 1931 को हुआ था। उन्होंने

एम0ए0 एवं एल0एल0वी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री शिवराज सिंह वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र खैर, जिला अलीगढ़ से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री शिवराज सिंह धारा-144 के उल्लंघन के फलस्वरूप वर्ष 1978 में जेल में बन्दी रहे थे। वे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रि-मण्डल में राज्य मंत्री रहे थे। वे राष्ट्रीय विद्यालय इण्टर कालेज, खैर, अलीगढ़ के प्रबन्धक एवं अध्यक्ष, सालपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सालपुर, अलीगढ़ के संस्थापक एवं प्रबन्धक तथा राष्ट्रीय शिक्षा कलात्मक विद्यालय क्वारसी की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य एवं सचिव रहे थे। श्री सिंह अलीगढ़ जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, अलीगढ़ के संचालक भी रहे थे। कृषि विषयक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी तथा गायन का भी उन्हें शौक था। श्री शिवराज सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इन माननीय पूर्व सदस्यगण, विधान सभा के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनायें मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

**उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री बी0 सत्यनारायण रेड्डी के निधन पर शोकोद्गार**

**श्री अध्यक्ष-**

उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री बी0 सत्यनारायण रेड्डी का 6 अक्टूबर, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री बी0 सत्यनारायण रेड्डी का जन्म 21 अगस्त, 1927 को ग्राम अन्नारम्, जिला महबूब नगर, आन्ध्र प्रदेश में हुआ था उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0वी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बी0 सत्यनारायण रेड्डी ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे गिरफ्तार भी हुए थे। वे हैदराबाद में सोशलिस्ट पार्टी तथा सोशलिस्ट यूथ विंग के संस्थापक सदस्य, सोशलिस्ट पार्टी के महामंत्री तथा तेलंगाना प्रजा समिति के अध्यक्ष रहे थे। वे जनता पार्टी, डा0 राम मनोहर लोहिया विचार मंच तथा समाजवादी युगजन सभा, हैदराबाद के संस्थापक सदस्य भी रहे थे। उन्होंने आचार्य विनोवा भावे और श्री जय प्रकाश नारायण के भूदान आन्दोलन में भी भाग लिया था। श्री बी0 सत्यनारायण रेड्डी 12 फरवरी, 1990 से 26 मई, 1993 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। वे राज्य सभा के सदस्य तथा ओडिशा, उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे थे।

श्री बी0 सत्यनारायण रेड्डी के निधन से देश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

माननीय श्री बी0 सत्यनारायण रेड्डी के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं सदन में

व्यक्त शोक संवेदना मृतक के शोकाकुल परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

**(12.36 बजे) कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29 नवम्बर, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 29 नवम्बर, 2012 से दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशों की हैं :-

- 1-दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मर्दे ले ली जायं।
- 2-दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को सदन का उपवेशन न हो और उस दिन का पूर्व निर्धारित असरकारी दिवस एवं नियम-103 के प्रस्ताव दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 को ले लिये जायं।
- 3-दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 को सदन का उपवेशन न हो।
- 4-दिनांक 04 व 05 दिसम्बर, 2012 को सदन का उपवेशन हो।
- 5-दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 एवं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 की विचार एवं पारण सम्बन्धी मर्दे ले ली जायं।
- 6-दिनांक 29 नवम्बर, 2012 से 06 दिसम्बर, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

**नवम्बर, 2012**

- |            |  |
|------------|--|
| 29 गुरुवार | 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।<br>2-निम्नलिखित विधेयक पर विचार एवं उसका पारण :-<br>उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 |
|------------|--|

30 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी
-------------	----------------

**दिसम्बर, 2012**

- |                                     |   |                 |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| 01 शनिवार<br>02 रविवार<br>03 सोमवार | } | बैठक नहीं होगी। |
|-------------------------------------|---|-----------------|

**दिसम्बर, 2012**

04 मंगलवार

1-असरकारी दिवस (आधा दिन) (दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के स्थान पर)।

2-(1) डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित लम्बित प्रस्तावों पर अग्रतर चर्चा :-

(क) “यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जाय।”

(ख) “यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाय।”

(ग) “यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर के ऐतिहासिक महत्ता के दृष्टिगत आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाय।”

(2) डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित लम्बित प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :-

“यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि काकोरी काण्ड के शहीदों की अविस्मरणीय स्मृति में लखनऊ स्थित प्रधान डाकघर के वर्तमान भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाय।”

(3) श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले अल्प आय वर्ग के नागरिकों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु 500 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किया जाय।”

05 बुधवार

विधायी कार्य :-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012,

(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012,

06 गुरुवार

(सार्वजनिक अवकाश)-बैठक नहीं होगी।

लोक निर्माण, सिंचाई सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि “यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।”

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय लोक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

#### [12.41 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29-11-2012 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं। पहली सूचना श्री ललितेशपति त्रिपाठी की जनपद मिर्जापुर के पालिटेक्निक परिसर में इंजीनियरिंग कालेज का विधिवत् शिलान्यास होने के बावजूद स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद कुशीनगर के ब्लाक दुधई ग्राम सभा गौरी जगदीश में बांसी नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री प्रभूदयाल वाल्मिकी की जनपद मेरठ के नगर हस्तिनापुर में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्रीमती विमला सिंह सोलंकी की बुलन्दशहर के गुलावटी नगर में आबादी के बीच से गुजर रही विद्युत लाइन को बदलने तथा नगर के बीचों बीच से हटाकर अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना साध्वी निरंजन ज्योति की हमीरपुर के जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की भारी कमी के कारण मरीजों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की 21 अगस्त, 2000 से पूर्व खुले अनानुदानित महाविद्यालय को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री अमरपाल शर्मा की साहिबाबाद साइड-4, गाजियाबाद में लगी हुई फैक्ट्रियों में भू-गर्भ एवं वायु प्रदूषण से फैल रही बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया में धान क्रय केन्द्र न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्रीमती रूबी प्रसाद की दबंगों द्वारा गरीब परिवार का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री त्रिलोकी राम की विधान सभा क्षेत्र इग्लास अलीगढ़ बाईपास रोड में ऐलाना कट्टीघर की फैक्ट्री के कारण हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में हैं ग्यारहवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत कतिपय मार्गों को ठीक करवाने/नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं बारहवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की विधान मंडल क्षेत्रीय विकास निधि के मार्गदर्शी प्राविधानों में परिवर्तन करके दुर्घटनाग्रस्त तथा बीमार नागरिकों के इलाज के लिये रुपये 25 लाख का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में है। (तेरहवीं सूचना पर माननीय सदस्य श्री मुकेश श्रीवास्तव का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अनुपस्थित थे।) चौदहवीं सूचना डा0 पूर्णमासी देहाती की उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित पिपराइच चीनी मिल को पुनः

चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री गंगा सिंह कुशवाहा की कृषि विभाग द्वारा समस्त भुगतान नेफ्ट/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से इलेक्ट्रोनिकली लाभार्थी के खाते में न भेजकर करोड़ों रुपये गवन किये जाने के सम्बन्ध में हैं तेरहवीं सूचना पर श्री मुकेश श्रीवास्तव के अनुपस्थित रहने पर श्री दलवीर सिंह की सूचना को ले लिया जाता है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं उनके नाम इस प्रकार हैं।। श्री प्रदीप माथुर, श्री धर्मपाल सिंह, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री काली चरन सुमन, श्री बब्बन सिंह चौहान, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री विजय कुमार, श्री पूरन प्रकाश, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री विजय कुमार दूबे, श्री विजय बहादुर यादव।

(सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

**जनपद मिर्जापुर के पॉलिटेक्निक परिसर में इंजीनियरिंग कालेज का विधिवत् शिलान्यास होने के बाबजूद आजमगढ़ स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

\*श्री ललितेशपति त्रिपाठी-

[मान्यवर, जनपद-मीरजापुर के पॉलिटेक्निक परिसर में एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हेतु स्पेशल कम्प्लेण्ट के तहत पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिनांक 20 अगस्त, 2006 को एक शासनादेश जारी किया था तथा उक्त इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण हेतु अनुमानित लगभग रु0 89.00 करोड़ के सापेक्ष रु 12.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त इंजीनियरिंग कालेज का विधिवत् शिलान्यास तत्कालीन प्राविधिक शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2007 को किया गया था। शिलान्यास के पश्चात् उक्त कालेज की स्थापना हेतु दो बड़े-बड़े स्टोर एवं ट्यूबवेल स्थापित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। कई प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों की नींव की खुदाई का कार्य भी प्रारम्भ हो गया था किन्तु अप्रैल-मई, 2007 में विधान सभा चुनाव होने तथा मई, 2007 में ब0स0पा0 की सरकार बनते ही उक्त कार्य को रोक दिया गया तथा उक्त इंजीनियरिंग कालेज को जनपद-आजमगढ़ स्थानान्तरित कर दिया गया। उक्त कालेज की स्थापना का जो सपना समाजवादी सरकार देखी थी जिससे कि पिछड़े जनपद के निवासियों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा स्थानीय जनपद में ही उपलब्ध हो सके, उसे तत्कालीन ब0स0पा0 सरकार ने चूर कर दिया। उक्त जनपद में अब भी कोई इंजीनियरिंग कालेज नहीं है तथा जनपद के निवासियों द्वारा लगातार अपने बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु मांग की जा रही है। जनपद-मीरजापुर के पॉलिटेक्निक परिसर में ही स्थापित हो रहे उक्त इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु तत्काल आदेश जारी कर धन अवमुक्त किया जाना चाहिए।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**जनपद कुशीनगर के ब्लाक दुधई ग्राम सभा गौरी जगदीश में बांसी नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

\*श्री अजय कुमार लल्लू-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र, 331, तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर के ब्लाक दुधई के ग्राम सभा-गौरी जगदीश में बांसी नदी पर पक्का पुल निर्माण कराये जाने व ब्लाक-सेवरही के पिपराघाट के गोलाघाट पर पुल का निर्माण कराया जाने, सेवरही ब्लाक के टी0वी0 रोड जो 19084 से बाढ़ के कारण टूटी पड़ी है, वहां पर पुल का निर्माण कराये जाने तथा बेंदूपार में बेंदूपार से बरीवट जाने वाले मार्ग पर पड़ने वाली नदी पर पुल के निर्माण हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी को माह अप्रैल, 2012 में ही पत्रक दिया गया लेकिन अभी तक कहीं किसी प्रकार का कार्य उक्त कार्यों को कराये जाने हेतु नहीं किया गया है। यह जनहित का कार्य है। उक्त कार्य को न कराये जाने से इस क्षेत्र की काफी जनता आवागमन एवं अन्य सुविधाओं से प्रभावित हो रही हैं। यहां पर नदियों में डूबने से कई घटनाएं घटी हैं तथा घटनाएं होती रहती हैं। कुछ गांव नदी के उस पार होने के कारण चिकित्सा आदि सुविधा हेतु नदी पार कर ही आ पाते हैं जिससे उन्हें कठिनाई होती है तथा गंभीर रोगी रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। बच्चे नदी पार करके स्कूल जाते हैं। आये दिन नदी में डूबने से अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। यह गन्ना बहुल क्षेत्र है। नदी के पार के किसानों को गन्ना मिलों तक पहुंचाये जाने हेतु नाव से लादकर लाना पड़ता है। यहां के लोग सुविधाओं के अभाव में आदि मानव का जीवन जी रहे हैं। प्रदेश सरकार को इस पिछड़े क्षेत्र पर विशेष पैकेज देकर इसका विकास करना चाहिए।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

**जनपद मेरठ के नगर हस्तिनापुर में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत की सूचना**

\*श्री प्रभुदयाल वाल्मिकी-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र हस्तिनापुर, जनपद-मेरठ की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, नगर हस्तिनापुर में एक भी डिग्री कालेज नहीं है जिससे यहां के कई छात्र ऐसे हैं जो अपनी उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। छात्र-छात्राओं के भविष्य एवं नगर हस्तिनापुर के विकास को देखते हुए यहां एक डिग्री कालेज खोला जाना नितान्त आवश्यक है। डिग्री कालेज न होने से यहां के छात्र-छात्राओं में काफी असन्तोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

**बुलन्दशहर के गुलावटी नगर में आबादी के बीच से गुजर रही विद्युत लाइन को बदलने तथा नगर के बीचों-बीच से हटाकर अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

[महोदय, जनपद बुलन्दशहर के गुलावटी नगर की आबादी के बीचों-बीच से होकर 37 के0वी0ए0 की एक विद्युत लाइन गुजरती है। यह लाइन बहुत पुरानी है और इसके तार जर्जर

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।



होकर नीचे लटकते रहते हैं तथा अनेक बार टूटकर गिर चुके हैं। इसके अतिरिक्त नगर में जमीन का लेबिल भी ऊंचा उटने के कारण मकानों के ऊपर ये तार छतों को छूने लगे हैं। जिसके कारण नगर में अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें मानवीय तथा पशुधन का भारी नुकसान हुआ है। अगर यह विद्युत लाइन नगर के बीचों-बीच से हटाकर अन्य स्थान पर स्थानान्तरित नहीं की गयी तो भविष्य में अनेक दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहेगी जिससे अनेक मानवीय जानें जाने का भी खतरा रहेगा।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

### **हमीरपुर के जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की भारी कमी के कारण मरीजों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

साध्वी निरंजन ज्योति-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर में जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों तथा अन्य स्टाफ की भारी कमी है जिस कारण क्षेत्रवासियों को समुचित चिकित्सा सेवायें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। चिकित्सालय में स्वीकृत 24 चिकित्सकों के पदों के सापेक्ष मात्र 10 चिकित्सक ही कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त फार्मासिस्ट एवं स्टाफ नर्सों की भी भारी कमी है। स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त हमीरपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले गांवों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोई भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं रहते हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई चिकित्सक अपनी सेवा नहीं देना चाहता है। अस्पतालों में ताले पड़े रहते हैं। मरीजों को मजबूरन कानपुर अथवा प्राईवेट चिकित्सकों का सहारा लेना पड़ता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर से भी कई बार शिकायत की गयी है परन्तु समस्या का समाधान नहीं हुआ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

### **21 अगस्त, 2000 से पूर्व स्थापित अनानुदानित महाविद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

\* श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

[महोदय, अशासकीय अनानुदानित महाविद्यालय वे महाविद्यालय हैं जिनकी स्थापना इस शर्त के साथ की गयी थी कि सम्बद्धता के तीन वर्ष के पश्चात या अनुदान की सूची में लिये जाने तक सम्पूर्ण व्यय भार प्रबन्धतंत्र अपने स्रोतों से करेगा तथा तीन वर्ष के पश्चात राज्य सरकार द्वारा अनुदान की सूची में ले लिया जायेगा। किन्तु इन महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के भविष्य को नजरअंदाज करते हुए तथा पीक एण्ड चूज पालिसी के तहत महाविद्यालयों को अनुदान की सूची में ले लिया गया तथा कुछ महाविद्यालयों का प्रकरण अनुदान के सम्बन्ध में राज्य सरकार के समक्ष

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विचाराधीन है जिस पर मात्र पेपर बाजी होती है। शिक्षा के महत्व एवं शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए 21 अगस्त 2000 के पूर्ण अनानुदानित महाविद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

**साहिबाबाद साइड-4, गाजियाबाद में लगी हुयी फैक्ट्रियों में भू-गर्भ एवं वायु प्रदूषण से फैल रही बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अमरपाल वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि साहिबाबाद साइड-4, गाजियाबाद में लगी हुई फैक्ट्रियों से जो प्रदूषित जल/केमिकल निकल रहा है उसे सीधे जमीन में गिराया जा रहा है, जिससे भूगर्भ जल प्रभावित हो रहा है एवं वायु प्रदूषण भी अत्यधिक फैला हुआ है। यहां के निवासियों में जनआक्रोश है। मान्यवर, उक्त फैक्ट्रियों के मालिकों को स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से जनमानस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए साहिबाबाद साइड-4, गाजियाबाद में लगी फैक्ट्रियों में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से छुटकारा दिलाने एवं तत्काल प्रदूषण मुक्त कराये जाने की सरकार से मांग करता हूँ।]

**जनपद बलिया में धान क्रय केन्द्र न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

\* श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, बलिया जनपद में अभी तक खरीफ की फसल धान की खरीददारी नहीं हो रही है। पूरे जनपद में किसान क्रय केन्द्र जो कोआपरेटिव एवं पी0सी0एफ0 से संचालित होते हैं। पूरे जनपद में अभी तक एक भी किसान क्रय केन्द्र नहीं खोले गये। इससे किसानों में बहुत आक्रोश है। रबी में धान क्रय करने के बाद किसान खाद एवं गेहूं की बोवाई की तैयारी करते हैं। क्रय केन्द्र न खोलने से किसान विचौलियों को धान क्रय करने पर बाध्य हो रहे हैं।

आपके माध्यम से सरकार का ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूँ कि सरकार तत्काल जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करें कि तत्काल धान क्रय केन्द्र खोला जाय]

**दबंगों द्वारा गरीब परिवारों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

\*श्रीमती रुबी प्रसाद-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये नगर पंचायत मोहान, जनपद-उन्नाव की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। श्रीमती मायादेवी मकान नं0 9/8, मोलवी घराना

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पकरा नवाबन टोला स्थित कस्बा मोहान, परगना मोहान, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव की स्वामिनी है और वहां का एक दबंग धनीराम श्रीमती मायादेवी जो कि गरीब विधवा दलित महिला है, को उनके अपने मकान पर न्यायालय के आदेश के बावजूद कब्जा नहीं लेने दे रहा है और जबरन अवैध रूप से वहां के स्थानीय प्रशासन की मदद से काबिज है।

अतः सदन के माध्यम से श्रीमती मायादेवी की उक्त विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अविलम्ब कब्जा दिलाये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।]

**विधान सभा क्षेत्र इग्लास अलीगढ़ बाईपास रोड में ऐलाना कट्टीघर की फैक्ट्री के कारण हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

\* श्री त्रिलोकी राम-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र इग्लास (अलीगढ़) में अलीगढ़ बाईपास रोड ग्राम तालसपुर में ऐलाना कट्टी घर फैक्ट्री बना हुआ है। इसमें चारो तरफ का वातावरण बड़ा ही दूषित कर दिया है। अलीगढ़ बाईपास रोड से लोगों का निकलना बड़ा ही दूभर हो गया है इस फैक्ट्री में पशुओं को अवैध रूप से काटने के बाद जो रक्त निकलता है उसको इस फैक्ट्री के मालिक बड़े-बड़े बोरिंग करके जमीन में रक्त डिसपोजल कर रहे हैं, जिससे आस पास क्षेत्र के हैण्डपम्पों में दूषित बदबूदार एवं रक्त मिश्रित जल निकल रहा है जिससे लोगों में काफी संक्रामक बीमारियां फैल रही है जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। सरकार से इस फैक्ट्री को तुरन्त बन्द कराने की मांग करता हूं इस लोक महत्व कार्य से जो क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है समाप्त हो जायेगा और जनता को शुद्ध जल भी मिल सकेगा।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

**जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत कतिपय मार्गों को ठीक करवाने/नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

\*श्री प्रदीप चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत आने वाली कुतुबखेड़ी से वजीरपुर मार्ग लगभग 1.5 किमी0, चढ़ाव से कुराली छापूर तक लगभग 1.0 किमी0, खुड़ाना नहर की झाल से नानौता ब्लाक तक लगभग 2.0 किमी0, सांगाटेड़ा पीर माजरा मार्ग से बाल्मीकि बस्ती होते हुए प्राथमिक विद्यालय बेरखेड़ी तक लगभग 2.5 किमी0, छरौली से हैदरपुर तक, बड़गांव रामपुर मार्ग से गाडेवाला तक लगभग 1.0 किमी0, दौलतपुर लखनौती मार्ग से बहादुर नगर तक लगभग 1.5 किमी0, गंगोह बुढ़ा खेड़ा मार्ग से बाढ़ीमाजरा तक लगभग 1.5 किमी0, दूधला वजीरपुर मार्ग से कुतुबखेड़ी मार्ग, खौसपुरा से सिरसका मार्ग तक। उक्त मार्गों की हालत अत्यन्त दयनीय स्थिति में है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि के मार्गदर्शी प्राविधानों में परिवर्तन करके दुर्घटनाग्रस्त तथा बीमार नागरिकों के इलाज के लिये रु0 25 लाख का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

\*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, क्षेत्रीय विकास की जन-सहभागिता तथा जन-भाव सापेक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि की स्थापना की गयी है। इस विकास तिथि की सुक्षिता बनाये रखने की दृष्टि से कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्तों की स्थापना की गयी है। जिसके तहत उन कार्यों को सूचीबद्ध करने के साथ जिन्हें विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से प्राथमिकता के आधार कराया जा सकता है, उन कार्यों को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें पूरी तरह प्रतिबन्धित किया गया है। नियमों के अनुसार इस निधि से मूलतः भौतिक विकास के दृष्टि से उपयोगी स्थायी परिस्थितियों का ही सृजन किया जा सकता है।

विगत दिनों सरकार की ओर से यह अभिमत स्पष्ट रूप से बहुप्रचारित हुआ है कि माननीय विधायक, अपने क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करने वाले दुर्घटना तथा बीमारी के शिकार नागरिकों के इलाज के लिये, इस विधायक निधि से अधिकतम रु0 2.5 लाख का उपयोग कर सकेंगे।

सरकार का यह निर्णय तीन कारणों से अनुचित, अनावश्यक, अत्यल्प तथा भ्रष्टाचार को प्रेरित करने वाला प्रतीत होता है। प्रथम, विधायक निधि का उपयोग सिर्फ स्थाई सम्पत्तियों का सृजन करने के लिये किया जाना चाहिये। द्वितीय, माननीय विधायकों की संस्तुति पर मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता देने के साथ-साथ, सरकार पूर्व से ही समाज के बी0पी0एल0 श्रेणी के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करने का दावा करती है। तृतीय, किसी विधान सभा के 5 लाख नागरिकों के बीच, इलाज के लिये सिर्फ रु0 25 लाख बांटने का अधिकार, एक अनार और सौ बीमार की कहावत को चरितार्थ करेगा तथा विधायकों के समस्त राजनैतिक तनाव की स्थिति पैदा करेगा तथा चतुर्थ, रु0 25 लाख की राशि खत्म होने के उपरान्त, सहायता न पाने वाले नागरिकों के मन में विभिन्न प्रकार की भ्रष्टाचार जनित कार्य पैदा करेगा।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के तहत वक्तव्य देने हेतु सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।]

**उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित पिपराइच चीनी मिल को पुनः चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

\* श्री पूर्णमासी देहाती-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। विदित हो पिपराइच चीनी मिल जो उत्तर प्रदेश चीनी निगम की है और यह चालू

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हालत में थी जिसे बसपा और भाजपा काल में बन्द कर दिया गया था। जबकि 1988 में चीनी मिल के विस्तारीकरण के लिए जमीन ले ली गयी और बाउण्ड्रीवाल भी करवा दिया वर्ष 1990 में तत्कालीन माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने मिल के विस्तारीकरण के लिए धन भी मुहैया कराया था। पिपराइच मिल विधान सभा क्षेत्र रामकोला, विधान सभा क्षेत्र हाटा और विधान सभा क्षेत्र पिपराइच की सीमा पर स्थित है और लगभग 50 हजार इसके सदस्य चीनी मिल बन्द होने से हजारों मजदूर और लाखों किसानों का परिवार बेरोजगारी के कगार पर पहुंच गया है। इस चीनी मिल को चलाने के लिए क्षेत्रीय नागरिकों ने अनेकों बार अपनी आवाज उठायी है। पिपराइच चीनी मिल को कुशीनगर और गोरखपुर सीमावर्ती क्षेत्र का विकास होगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम पिपराइच चीनी मिल को पुनः चलाये जाने की मांग करता हूं।]

**कृषि विभाग द्वारा समस्त भुगतान नेफ्ट/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से इलेक्ट्रोनिकली लाभार्थी के खाते में न भेजकर करोड़ों रुपये गबन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री गंगा सिंह कुशवाहा-

[महोदय, उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में, मैं सदन के समक्ष एक महत्वपूर्ण सूचना उठाना चाहता हूं, कि शासनादेश संख्या ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011 टी0सी0-11 दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये जाने के बावजूद कृषि विभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त भुगतान अभी भी इलेक्ट्रोनिकली सीधे लाभार्थी के खाते में क्रेडिट नहीं किये जा रहे हैं, जबकि कोई भी भुगतान नगद अथवा चेक द्वारा नहीं दिये जाने हैं। मजदूरों द्वारा किये जा रहे कार्यों का भुगतान उनके खाते के माध्यम से न करके सीधे नगद किया जा रहा है और इस प्रकार 70 करोड़ से ऊपर की धनराशि का भुगतान अभी तक किया जा चुका है। एक तरफ शासनादेशों का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से भुगतान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों का शोषण करके धनराशि का बन्दरबांट कर लिया गया है जबकि बरसात के दौरान कार्य भी बहुत ही कम होते हैं। एक ही कार्य को बार-बार मापन कर फर्जी मजदूरों के नाम भुगतान दिखा दिया गया है।]

**अलीगढ़ के बरौली विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री दलवीर सिंह-

[मान्यवर, जनपद-अलीगढ़ के बरौली विधान सभा के अन्तर्गत निम्न सम्पर्क मार्गों की स्थिति अत्यन्त खराब है जिस पर आम जन का चलने में कठिनाई होती है।

1-एन0एच0 91 से पनिहावर मार्ग।

2-कटरा बरौली मार्ग।

3-कटरा बरौली मार्ग से सौगरां मार्ग।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

- 4-भीमपुर हेड से भीमपुर ग्राम तक।
- 5-जी0टी0 रोड से कन्होई से हसनपुर, रायपुर, नगोला तक।
- 6-चण्डौस से डाबर स्टेशन तक।
- 7-गभाना बरौली के किमी0 3 से लालपुर होते हुये पिपलोट मार्ग।
- 8-गभाना बरौली से मोहरेना।
- 9-गभाना बरौली के किमी0 9, 10 पर स्थित सौंगरा ग्राम में सी0सी0 मार्ग।
- 10- गभाना बरौली पहासू के किमी0 14 से खुर्द खेड़ा मार्ग।
- 11-सुमेरा बरौली मार्ग के किमी0 04 (बाजगढ़ी पुल) मार्ग से रायपुर दहली होते हुये खुर्द खेड़ा मार्ग।
- 12-अलीगढ़ बरौली मार्ग से सुमेर पुर मार्ग।
- 13-अलीगढ़ बरौली मार्ग से कलुआ राजवाहा दाऊदपुर कोटा मार्ग।
- 14-सी0टी0 के0 मार्ग से वीरपुर छबीलगढ़ी होते तकीपुर मार्ग।
- 15-कलवा से जमालपुर मार्ग।
- 16-जी0टी0 मार्ग से पिपलौट गोकुलपुर।
- 17-जी0टी0 मार्ग से रुस्तमपुर ढोला।
- 18-एन0एच0 91 से श्यामपुर मार्ग।
- 19-चण्डौस डाबर से अमृतपुर भगतपुर।
- 20-गभाना बरौली से लालपुर मार्ग।
- 21-अलीगढ़ बरौली से कोटा खास।
- 22-जवां से कामिसपुर मार्ग।
- 23-जी0टी0 रोड से कलवा।
- 24-मंजूरगढ़ी रेलवे स्टेशन से सपेरा भानपुर।
- 25-एन0एच0-91 से पैराई मार्ग।
- 26-एन0एच0-91 से गभाना मार्ग।
- 27-डाबर रेलवे स्टेशन से ताजपुर।
- 28-एन0एच0-91 से कटरा मार्ग।
- 29-गभाना बरौली से पोथा मार्ग।
- 30-बाजगढ़ी पुल से रामपुर दहेली मार्ग।
- 31-सोमना खैर मार्ग से खिजरपुर मार्ग।
- 32-सोमाना खैर मार्ग से बरका विसारा मार्ग।

अतः उपरोक्त जनहित व लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

**(12.45 बजे) औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को नियम-300 की कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुई थी जिसमें से केवल एक को सुना जा सकता है जो श्री सतीश महाना और श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की है। इसमें विधान सभा के विगत सत्र में नियम-301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर कृत कार्यवाही की जानकारी समय पर न मिलने तथा मूलभाव के विपरीत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में है। यह विधान सभा से संबंधित है। माननीय हुकुम सिंह जी का 90 दिन का है। माननीय हुकुम सिंह जी, इस पर कल महाना जी बोल चुके हैं। इसमें एक बार उठ चुका है अब आप कहां अलग से बोलेंगे।

\*श्री हुकुम सिंह-

न न मेरा है ही नहीं। 90 दिन का नहीं है मेरा।

श्री अध्यक्ष-

तो फिर यह किसने दे दिया ?

श्री हुकुम सिंह-

मेरा दूसरा विषय है। खाली जो मैं बात कहने जा रहा हूँ। केवल आपको धन्यवाद दूंगा मैं।

श्री अध्यक्ष-

रुकिये देखिये यही तो है आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद-174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे जिसमें यथासम्भव दो माह के अन्तराल पर कम से कम दस कार्यकारी दिवसों के लिये विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा। यही तो है आपका।

श्री हुकुम सिंह-

आपको केवल धन्यवाद दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महाना जी और सुरेश खन्ना जी, आप में एक को सुना जायेगा। बताइये कौन बोलेगा।

(डा0 धर्मपाल सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर) डा0 धर्मपाल सिंह जी आपका 300 में नहीं आता है। आप सीनियर मेम्बर हैं, मंत्री भी रहे हैं। आपका भूमि विकास बैंक से लिये गये किसानों के ऋण की भांति अन्य बैंकों से लिये गये ऋण को भी प्रदेश सरकार द्वारा माफ किये जाने के सम्बन्ध में है। इस पर सवाल उठाना चाहिये। इसको नियम-56 में उठाना चाहिये। यह नियम-300 में नहीं आता। आप देखिए नियम-300 के लिए जो संविधान की नियमावली है उसको आप देखें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आप मंत्री रहे हैं बैठें।

**विधान सभा के विगत सत्र में नियम-301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर कृत कार्यवाही की जानकारी समय पर न मिलने तथा मूलभाव के विपरीत उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

\*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस औचित्य के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, इस विधान सभा का बहुत महत्व है और विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अन्तर्गत यह सदन चलना है। इसके बाद आपका आदेश और जो आपका सुझाव होता है।...

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें।

श्री सतीश महाना-

आप सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं आपका आदेश सबको मान्य है। नियम-301 की सूचनायें आप लेते हैं। जिसमें क्षेत्र की समस्याओं के बारे में मा0 सदस्य कहते हैं आप कृपापूर्वक जितनी अधिकतम हो सकती है उनको आप स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने का मकसद यह होता है कि उसको सरकार के पास भेजा जाए और उसका जवाब एक माह के अन्दर आप चाहते हैं। आपके द्वारा और सदन के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर आए और समस्या का समाधान कैसे हो सकता है इसकी भी अपेक्षा की जाती है। विगत सत्र मान्यवर, मई में चला था और मई में जो मेरे द्वारा सूचना दी गई थी सूचना देने के बाद 6 महीने पूरे होने को आ रहे हैं और संविधान में यह व्यवस्था है कि 6 महीने में एक बार सत्र आहूत किया जाएगा। तो मान्यवर नवम्बर माह की 20 तारीख को मा0 मंत्री जी का दस्तख्त किया हुआ पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। मैं विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक माह का समय है अगर उस एक माह के अन्दर हमको जवाब दे दिया गया होता तो हम फिर आपको या मा0 मंत्री को उसमें कोई अगर कोई काम होता है तो उसके लिए धन्यवाद देते। अगर अपना काम पूरा नहीं होता तो उसके लिए फिर निवेदन करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इसमें दूसरा प्वाइन्ट यह भी है कि गुमराह किया गया है। मान्यवर, मैंने उसमें कहा था कि शहरी क्षेत्र के जो बाहरी क्षेत्र हैं महानगरों के जो बाहरी क्षेत्र हैं, उनके विकास के लिए कार्यवाही की जाए। कुछ क्षेत्रों का नाम भी दिया गया था। जिसमें गांधीग्राम और यशोदानगर इत्यादि क्षेत्र हैं। विस्तार से मैंने लिखे थे, उसमें किसी विभाग का नाम मैंने नहीं लिखा था कि इस विभाग से कराया जाए। उसमें जवाब आया है उसकी प्रति मैं आपके पास भेज देता हूँ आप देख लीजिए। उसमें यह कहा गया यह जो बाहरी क्षेत्र है इनका ले आउट प्लान विकास प्राधिकरण द्वारा पास कराया जाना है। और विकास प्राधिकरण द्वारा इसका नियमितीकरण किया जाएगा उसके बाद इसका काम नगर निगम को दे दिया जाएगा। नगर निगम उसका विकास करेगा। मान्यवर, मैंने कब



कहा कि विकास प्राधिकरण द्वारा काम नहीं कराया जाएगा। अगर विकास प्राधिकरण द्वारा काम कराया जाना था तो सरकार द्वारा विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया जाना था कि इसका नियमानुसार जो ले आउट प्लान है उसको पास करे। जो नियमानुसार उसका विकास शुल्क है उसका वैटर शुल्क है उसको ले। उनका ले आउट पास करने के बाद उनके वैटर शुल्क लेने के बाद उन क्षेत्रों का विकास कराना चाहिए। मान्यवर महानगरों की बढ़ती हुई आबादी, इस बात को मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पचास प्रतिशत आबादी बाहर बनी हुई है और उनको अवस्थापना सुविधायें देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है और यह वहां के रहने वाले लोगों का अधिकार है। उनको पानी मिले, बिजली मिले, सीवर की समस्या न हो, जल भराव की समस्या न हो, नाली की समस्या न हो, मुख्य सड़कें बनी हों, यह उनका अधिकार है। उस अधिकार को हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं उसकी प्रक्रिया क्या हो। मैं उस प्रक्रिया के बारे में और उनके ऊपर लगाए जाने वाले शुल्क के बारे में, मैं इस समय नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सूचना मेरे द्वारा सदन के माध्यम से 301 के अन्तर्गत दी गई थी उसको पुनः दिखावा लें। आगे जो भी सूचना है उसको समयबद्ध करा दें, और जो गलत उत्तर दिया गया है उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विकास करवाने के लिए, चाहे जिस भी विभाग से करवायें उसके लिए आप आदेश देने का कष्ट करें।

\*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महाना जी ने जो कहा उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।

मान्यवर, मैं इस औचित्य के प्रश्न पर बल देता हूँ। मान्यवर, एक तो सेशन बहुत कम चलता है और जितना चलता है अगर उसमें भी नियमों का अनुपालन नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। मान्यवर, हमारी अपेक्षा यह है कि जो नियम है उनका पालन हो। मैंने पिछले सत्र में 20 जून और 3 जुलाई, 2012 को नियम 301 में दो सूचनायें दी थी जो स्वीकार हुई थी। मुझे अभी तक उनका उत्तर नहीं मिला है। महाना जी की सूचनाओं पर भी जो उनको उत्तर मिला है वह समुचित नहीं है। तो मेरा अनुरोध है कि मेरी सूचनाओं का कम से कम उत्तर तो दिलवा दें और यदि वह अधिकारी उन सूचनाओं पर कार्य करा देंगे तो मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, नियम 301 की स्वीकृत सूचनाओं का उत्तर देने के लिए समय नियत है। सदन जब नहीं चलता है तो उस अवधि में अधिकारीगण सीधे माननीय सदस्य को उसका उत्तर भिजवा भी देते हैं।

\*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसे हम दिखावा लेंगे। कई बार पहले भी मान्यवर मैंने आपसे आग्रह भी किया है इस सम्बन्ध में और आज भी कर रहा हूँ। आप भी अपने स्तर से इसको देखने का कष्ट करें।

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

पहले देखिये उत्तर देने की अवधि 30 दिन तय हुई थी फिर उसे बढ़ाकर 60 दिन कर दी गयी, फिर 90 दिन कर दी गयी। अब तीन महीने का समय इसमें मिलता है। आप अधिकारियों को बुला लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो जवाब नहीं भेजते हैं जिम्मेदारी उनकी है। उनको तो सदन से अपमानित भी किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आप रहेंगे, हम उन अधिकारियों को बुला लेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की जानी चाहिये।

**सदन का कार्यक्रम बढ़ाये जाने पर श्री अध्यक्ष, नेता सदन एवं संसदीय कार्यमंत्री के प्रति  
धन्यवाद ज्ञापन**

\*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ विशेष रूप से। सदन की भावनाओं का आदर करते हुए अभी जो आपने कार्यक्रम घोषित किया है उसमें चार दिसम्बर और 5 दिसम्बर को सदन के उपवेशन बुला लिये गये हैं। मैं माननीय नेता सदन को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि आपने सदन के सत्र का समय बढ़ाया है।

**सत्रकाल में जनपद फैजाबाद में विकास कार्यों हेतु जिला योजना समिति की बैठक बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न**

श्री रामचन्द्र यादव-

मान्यवर, मैंने सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठ जायें। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इस समय यह सदन चल रहा है और इनके फैजाबाद जिले में जिला योजना समिति की बैठक बुलायी गयी है। यह पहले भी निर्णय हुआ है सदन का कि जब सदन चलेगा और जिस बैठक में यहां के माननीय सदस्यगण सम्मिलित होंगे वह बैठक तब नहीं होगी। आप इसको दिखवा लें कि उन्होंने वह बैठक कैसे बुला ली है।

\*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, ठीक है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह जानते हुए कि सेशन यहां चल रहा है अधिकारीगण महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करा लेते हैं। जिला योजना समिति की बैठक में माननीय

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्यों के क्षेत्रों की बातों का वर्णन होता है। इस प्रवृत्ति पर आखिर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है। मेरा आपसे माननीय अध्यक्ष जी आग्रह है कि उन अधिकारियों को आप एक नोटिस जारी करें और उस मीटिंग को निरस्त करायें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

**मेरठ मुजफ्फरनगर नेशनल हाईवे-58 पर स्थानीय नागरिकों से टोल टैक्स वसूले जाने तथा उसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में औचित्य का प्रश्न**

\*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरी नियम 300 के अन्तर्गत एक सूचना है।

मान्यवर, मेरठ जनपद के परतापुर से मुजफ्फरनगर तक नेशनल हाईवे-58 का केन्द्र सरकार द्वारा पीपीपी माडल पर चौड़ीकरण कर चार लेन किया गया है। निर्माण कम्पनी द्वारा सड़क चौड़ीकरण के उपरान्त सभी कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही मेरठ जनपद के अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम सिवाया पर टोल वसूलना शुरू कर दिया। टोल की दरें भी अन्य नेशनल हाइवे के अनुपात में बहुत अधिक रखी गई हैं। किसानों को भी अधिहीत भूमि का मुआवजा अभी तक बाकी है। नेशनल हाइवे पर नाले का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, सर्विस रोड का निर्माण तथा घनी आबादी में पैदल पार पथ तथा सब-वे का निर्माण आज तक अधूरा ही है तथा मेरठ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एवं नेशनल हाइवे के अधिकारियों द्वारा कई बार की वार्ता में माना है कि टोल प्लाजा सिवाया में गलत स्थान पर बना है जिसके कारण सब समस्याएं बनी हैं। यह टोल प्लाजा वलीतपुर में शिफ्ट होना चाहिए। मेरठ महानगर की सीमा पर टोल बैरियर होने के कारण स्थानीय नागरिकों को भी छूट देने के स्थान पर पूर्ण टोल वसूला जा रहा है जिससे आमजन में अत्याधिक रोष है। टोल वसूलने की प्रक्रिया लगभग दो वर्ष से चल रही है। मेरठ के जिलाधिकारी को तथा नेशनल हाइवे के अधिकारियों को विभिन्न संस्थाओं जनप्रतिनिधियों द्वारा तथा सभी राजनैतिक दलों द्वारा सैंकड़ों बार अवगत कराया जा चुका है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इन्हीं कारणों से क्षुब्ध होकर तथा किसानों का मुआवजा न मिलने के कारण भारतीय किसान यूनियन द्वारा सिवाया टोल बैरियर पर पिछले 28 दिन से श्री राकेश टिकैत के निर्देशन में लगातार धरना चल रहा है जिसे समाज के समस्त संस्थाओं, राजनैतिक दलों एवं आमजन का समर्थन प्राप्त है। धरने के 28 दिन के उपरान्त भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। किसान खेतीबाड़ी का कार्य एवं शादी विवाह छोड़कर भयंकर सर्दी में सड़क पर बैठे हैं। टोल बैरियर से वाहन बिना शुल्क अदा किये निकल रहे हैं। किसानों की मांग को मानते हुए सरकार तत्काल प्रदेश सरकार के किसी माननीय मंत्री/वरिष्ठ अधिकारी को धरना स्थल पर भेजकर धरना समाप्त कराये।

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सत्य प्रकाश अग्रवाल जी आप बैठ जायें। उसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी दिखवा लेंगे।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जो फैजाबाद में मीटिंग की बात आयी है, इसमें मीटिंग तो रद्द होगी ही। इसमें स्पष्टीकरण भी मांगा जायेगा।

### [12.55 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को नियम-56 में कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई हैं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। पहली सूचना नम्बर एक श्री हुकुम सिंह, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री सतीश महाना, श्री सुरेश राणा की, नम्बर 2 श्री प्रदीप माथुर, श्री प्रमोद तिवारी, श्रीमती रुबी प्रसाद, श्रीमती उमाकान्ती सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री प्रदीप चौधरी, श्री संजय प्रताप जायवाल, श्री राधे श्याम, कुंवर कौशल सिंह, श्री गजराज सिंह, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री दिलनवाज खान, श्री ललितेशपति त्रिपाठी, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री नदीम जावेद, नम्बर 3-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, नम्बर-4 श्री दलजीत सिंह की यह एक ही में है प्रदेश में भीषण विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दूसरी सूचना श्री उमेश पाण्डेय, श्री सुनील कुमार सिंह यादव, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरु भइया, श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह की प्रदेश में धान क्रय केन्द्रों के समय से न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, तीसरी सूचना नम्बर-1 श्री श्याम देव राय चौधरी नम्बर-2 श्री केशव प्रसाद मौर्या की कुम्भ मेला के अवसर पर वाराणसी एवं इलाहाबाद में आने वाली लाखों की संख्या में तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु धन आवंटन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुईं अतः अस्वीकृत हुईं। श्री लोकेश दीक्षित, श्री जमील अहमद श्री संत प्रसाद कुशवाहा, श्री महावीर सिंह राणा, श्री अली युसुफ अली, श्री तसलीम, श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत, श्री चन्द्र भान सिंह पटेल, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री अजय मिश्रा टेनी, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री राघव लखनपाल शर्मा, श्री अमरपाल शर्मा, श्री सुरेश बंसल, डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई, श्री मुकेश श्रीवास्तव, श्री राज नारायण बुधौलिया, श्री पूरन प्रकाश, श्री अगयश राम सरन वर्मा एवं श्री अजय कुमार 'लल्लू'।

(श्री हुकुम सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

\*श्री सुरेश कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बीपीएल परिवारों के संबंध में है उसमें मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मेरा एक निवेदन सुन लें, आज बहुत आवश्यक कार्य है, हमको भी कहीं बाहर जाना है निवेदन है कि इसको आप कह लें फिर आप इसको दीजिएगा, अभी तो सदन चल रहा है बन्द तो नहीं हो नहीं रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कल उसकी आखिरी तारीख हो रही है अगर उसकी तारीख नहीं बढ़ी तो अन्याय हो जायेगा। बीपीएल परिवारों को बीपीएल का कार्ड जारी करने की कल आखिरी तारीख है अगर यह तारीख नहीं बढ़ी तो करोड़ों बीपीएल परिवारों को खाद्यन्न न मिलने से उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। आप मुझे दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले बोल लेने दीजिए यह पहले बिजली वाला हो जाय।

सुन लीजिए, यह बढ़ाने का अधिकार किसको है केन्द्र सरकार को है या प्रदेश सरकार को।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, प्रदेश सरकार को ही है, आपको है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आपका कहना यह है कि यह जो बीपीएल कार्ड बनाने की डेट 30 तारीख कर दिया है यह 30 तक नहीं बन पायेगा। इन लोगों का आग्रह है कि 15 दिसम्बर, 2012 तक इसकी तिथि बढ़ा दी जाय, अब हमें पता नहीं है कि यह अधिकार आपको है या किसको है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां) -

मान्यवर, देख लेंगे इसे, अगर भारत सरकार से आई हुई तिथि की प्रतिबद्धता नहीं है तो इस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

**मुख्य विपक्षी दल बसपा विधायकों की सूचना इस सत्र में पहले नम्बर पर न लिये जाने विषयक प्रकरण नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-**

मान्यवर, एक निवेदन है। मान्यवर, मुझे दुख है इस बात का कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों की संख्या 80 है लेकिन [ x x x ]

---

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ x x x ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा आरोप न लगाओ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मुझे आप सुन लें। अभी जब से सत्र प्रारम्भ हुआ है और आज तक [ x x x ] जबकि प्रायः ऐसा रहा है, व्यवस्था रही है आपकी व्यवस्था रही है, पीठ की व्यवस्था रही है कि जो सबसे बड़ा दल होता है उसकी सूचना पहले ली जाती है और उसी क्रम में ली जाती है या कभी-कभी सूचना के अतिमहत्व और संवेदनशीलता पर उसकी प्राथमिकता तय की जाती है लेकिन मान्यवर, [ x x x ] मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ और यही निवेदन करने के लिए मैं उठा हूँ।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, जो सूचना प्राप्त होती है जैसी उसकी अनिवार्यता होती है अविलम्बनीयता होती है उसके आधार पर लिया जाता है न कि किसी दल के आधार पर।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बाजपेयी जी ने जो कहा, यही, क्या कारण है कि पीठ की हमेशा कृपा भारतीय जनता पार्टी पर जा रही है, कांग्रेस पर जा रही है, बहुजन समाज पार्टी पर क्यों नहीं ? ऐसा तो नहीं कहीं [ x x x ] कहीं सत्ता के दबाव में सत्ता और भाजपा के दबाव में ऐसा किया जा रहा है। इसीलिए, मैंने आपसे निवेदन किया है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

अगर आपको हम पर अविश्वास है तो मेरा पीठ पर बैठना उचित नहीं है। आपका यह आरोप सही नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसीलिए मैं संरक्षण मांग रहा हूँ।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

(शोर-शराबे के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

यह सूचनायें जिस तरह से आती हैं वहां कोई हम नहीं लिखने जाते हैं वहां से लिखकर आती है कि यह नम्बर एक है या यह नम्बर दो पर है तो हम इसको बदलते नहीं हैं। आप सूचना डालते हैं उसमें से निकाला जाता है। निकालकर नम्बरिंग किया जाता है। मैंने जानबूझकर भेदभाव नहीं किया है आपका आरोप पूर्णतया निराधार है। मेरे मन में न किसी के प्रति कोई संरक्षण है न आपके प्रति दुराग्रह है। इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए। आफिस से लिखकर आता है लेकिन आपको तो हर बार मौका मिलता है। आपका यह कहना ठीक नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आरोप लगाने की बात नहीं है मैंने तो आपका संरक्षण चाहा है। जब मेरी सूचना नियम 56 की हमेशा ठीक नौ बजे चली जाती है यानी सबसे पहले लगती है तो उसके बावजूद यह

नोट :-[ x x x ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संरक्षण और स्नेह बी0एस0पी0 को क्यों नहीं मिल रहा है। यही मैंने कहा कि सदन के इतने सारे दिनों तक यह स्नेह हमें क्यों नहीं मिला। इस स्नेह से मैं वंचित क्यों हूँ इस बात का मुझे दुख है।

श्री अध्यक्ष-

आपको दुखी नहीं होना चाहिए। कानून-व्यवस्था में भी आपका और सबका एकसाथ था। आज आपने बिजली पर नहीं दिया है। आज आपका धान के संबंध में है। अगर आपको प्राथमिकता में लगाना है तो आपको भी हस्ताक्षर करना चाहिए। अगर नेता विरोधी दल का हस्ताक्षर हो जाता है तो उसको प्राथमिकता पर लेते हैं। आपका तो किसी पर दस्तखत नहीं है। आपके माननीय सदस्यों का दस्तखत है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं है और यह भावना आप अपने मन से निकाल दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इस पीठ का स्नेह हमें भी प्राप्त हो इसलिए मैंने अपनी बात यहां पर रखी। चूंकि आपने ही कहा है कि आपको किसी सूचना में दस्तखत करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं हस्ताक्षर नहीं करता। आज आपका निर्देश है अब मैं हर सूचना पर हस्ताक्षर किया करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया शांत हो जायें।

\*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मा0 नेता प्रतिपक्ष का पूर्ण सम्मान करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ और सम्मान होना भी चाहिए क्योंकि यह पद हमारे विधान सभा के संचालन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और पूरा सम्मान हम करते हैं। लेकिन मान्यवर, हमारा आचरण भी उस पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। मान्यवर, आज आप जिस आसन पर बैठे हुए हैं इस पीठ के प्रति यह बात कहना कि हमें आप पर विश्वास नहीं है या हमें संरक्षण नहीं मिल रहा है। यह आपका ही अनादर नहीं है बल्कि इस सदन का भी अनादर है। मेरा आपसे आग्रह है कि उन तमाम शब्दों को जिसमें आसन पर टिप्पणी की गयी है उन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष का कुछ भी कहना सदन में अर्थ रखता है और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी इसीलिए माननीय नेता सदन के सामने रखी गयी है कि दोनों का लोकतंत्र में बराबर से सम्मान रहे और बहुत से मौके ऐसे होते हैं जब नेता प्रतिपक्ष का वजन अगर इंसाफ के तराजू में तौला जाये तो नेता सदन से ज्यादा होता है। बोलने के अधिकार नेता प्रतिपक्ष के इतने ज्यादा हैं कि सिर्फ नेता सदन को छोड़कर पूरे सदन के उतने अधिकार नहीं हैं। जितने अधिकार स्वयं अपने में निहित हैं, इसके बाद जिस तरह की टिप्पणी आपके द्वारा आई है वह तो मुनासिब नहीं है यह बिल्कुल अपनी जगह हुकुम सिंह जी का कहना यह भी अपनी जगह कि उस तरह की टिप्पणी को निकाल दिया जाय, आपकी पीड़ा भी सही है, लेकिन हैरत इस बात की है कि आपको यह एहसास इतने दिनों बाद क्यों हुआ। ये बेहिंसी आपमें क्यों है, आपको मौका नहीं दिया गया, आपको सुना नहीं जाता, आपका क्रम नीचे हो जाता है। गुजरे पांच सालों में भी कभी आपने सोचा विपक्ष के साथ आपका क्या रवैया था। अगर आपने उस वक्त अपना आचरण अच्छा रखा होता और लोकतंत्र को जिन्दा रखा होता तो

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह शिकायत आपको नहीं होती। हालांकि माता प्रसाद जी का, मा0 अध्यक्ष जी का जिस तरह का चरित्र रहा है और जो आज भी है क्या यह सच नहीं है कि हुकुम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य यहां सदन में बैठे थे कि सत्र बढ़ाया जाय। क्या यह सही नहीं है कि अगर सिर्फ राजनैतिक दलों की बुनियाद पर फैसला किया जाता तो सत्र नहीं बढ़ाया जाता। सत्ता पक्ष, विपक्ष की किसी ऐसी मांग पर जिसमें विपक्ष वेल में बैठा हो, सदन उठने के बाद भी और मा0 अध्यक्ष खुद तशरीफ लायें, मैं खुद साथ आया और हम आपका हाथ पकड़ कर ले गये इसलिए कि हमारी राजनैतिक आस्थायें अपने दलों के ऐतबार से कितनी ही अलग हों, लेकिन हम रिश्ते कहां ले जायं, एक दूसरे के साथ गम और खुशी के रिश्तों को कहां ले जायं, ताल्लुक और वास्ते कहां ले जायं और हमें इस बात पर गर्व है कि हुकुम सिंह जी ने, कलराज मिश्र जी ने उस दिन बहुत सहयोग दिया और हमारी बात मानी। सत्र दो दिन का बढ़ा या तीन दिन का बढ़ा, बात इसकी नहीं है, बात सिर्फ इसकी है कि लोकतंत्र में इस सदन के हर सदस्य को साथ लेकर चलने की समाजवादी पार्टी और इस सरकार की इच्छा है। यह कैसे मुमकिन है कि आपके दल की उपेक्षा की जाय और वह चरित्र रखा जाय जो पांच वर्ष आपका रहा। आप जरा उन पांच वर्षों में, मैं तो संसदीय कार्य मंत्री पहले भी था अब भी हूं, जरा आप पांच वर्षों की कार्यवाही उठाकर देखिये, अगर पांच वर्षों में मिलाकर कुछ 10 मिनट का भी वक्त मुझे मिला हो तो मैं आपकी हर बात मान लूंगा। मेरे जैसे सदस्य को पांच वर्षों में कुल मिलाकर मात्र 10 मिनट का समय भी बोलने के लिए नहीं मिला, यह न्याय भी आपकी सरकार ने दिया था, इसी सदन में। आपको पीड़ा हुई, इसका दुःख है और उम्मीद है आप इस पीड़ा को याद रखेंगे और आप बहुत विचलित हो जाते हैं, सब्र पैदा कीजिए और वह बरदाश्त पैदा कीजिए जो हमारे अन्दर थी। आप बहुत आदी हैं बुल्डोजर चलवाने के, सुनने की हद तक तो बरदाश्त कीजिए। जो कुछ नेता प्रतिपक्ष ने, वह बिल्कुल सर आंखों पर, आपके साथ किसी तरह का कोई अन्याय होने का सवाल ही नहीं उठता और मा0 अध्यक्ष जी आपसे यह उम्मीद ही नहीं की जा सकती, जिस तरह का आपका व्यवहार है, कभी-कभी हमें यह अहसास होता है कि हम आपके साथ ज्यादाती कर जाते हैं शब्दों से, अपने आचरण से, आप जैसे व्यक्ति के बारे में कोई हल्का शब्द कहना, मेरे ख्याल से विधान सभा की तौहीन होगी और जो हल्के शब्द इस वक्त आपके लिए प्रयोग हुए हैं कम से कम संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से मुझे उसका दुःख है और मैं चाहता हूं कि खुद नेता प्रतिपक्ष भी उसके दुःख का इजहार करें और अपने शब्दों को वापस लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी मैंने अपनी पीड़ा कही, आपको दुःख पहुंचाने की कोई मंशा हमारी नहीं रही। नेता विरोधी दल होने के नाते आपने मुझे इसके लिए स्वतंत्र कर रखा है कि जब आप चाहे जितना चाहें उतना बोल सकते हैं, इसलिए हमारे अधिकार का हनन का भी प्रश्न नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की कोई सूचना पहले नम्बर पर क्यों नहीं आई, इतने दिन के कार्यकाल में, यह एक सोचनीय विषय है और हमने अपने साथियों की भावना को आप तक पहुंचाया है। अपनी पीड़ा हमने पहुंचाई है, आपको दर्द देने की नीयत से हमने कुछ भी नहीं कहा है और यदि किसी बात से आपको चोट लगी हो, आप कहीं आहत हुए हों, तो वह शब्द जिससे आप आहत हुए हों तो वो मैं वापस लेता हूं लेकिन जो हमारी बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों की पीड़ा है, वह अभी भी यथावत् है और मैं उसको अभी उसी प्रकार से कह रहा हूं।



श्री अध्यक्ष-

देखिये, मौर्या जी, जब प्रश्न आते हैं तो उसकी प्राथमिकता उसके महत्व से होती है। कल भी कानून व्यवस्था पर आपके लोगों ने भी दिया था, कांग्रेस के लोगों ने भी दिया था। तीनों प्रश्न एक साथ नथी हुये थे। अब उसमें नम्बर एक और दो नहीं किया गया। पहले नम्बर पर उसमें जो लिखा था वह हुकुम सिंह का लिखा था, प्राथमिकता नहीं दी गयी थी। सब एक साथ थे, अलग-अलग तो किया नहीं गया था। आज भी जो आपकी सूचना है वह कृषि है और बिजली की समस्या पर कांग्रेस और भाजपा ने दिया है। बिजली की समस्या क्रय केन्द्र के मुकाबले आज ज्यादा महत्वपूर्ण रही और वह नम्बर एक पर लगी आयी है और अगर आप कहते हैं कि सूचना नहीं आयी है और पहले पर नहीं आती है तो जब मैं सूचना लूंगा तो मैं जरूर आपको बुला लूंगा और आपको दिखा दूंगा कि इसका महत्व कितना है और उसके आधार पर मैं सूचना पर विचार करूंगा।

#### कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने भी हत्या एवं बलात्कार के सम्बन्ध में एक सूचना नियम-56 में दी थी। मान्यवर, वह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

आप रुक जाइये न। ये जो ले लिया तो ले लेने दो, वो नियम-51 में भी आ जायेगा।

\*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने इस सर्वोच्च पद पर बैठकर विषय की गम्भीरता पर चिन्ता की है और मान्यवर, आपने स्वयं कहा है कि आज प्रदेश में बिजली के संकट पर पहले नम्बर पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, आज से कुछ महीने पहले जब यह सरकार आयी थी, उस समय यह कहा गया था कि बिजली के उत्पादन के लिये और बिजली मुहैया कराने के लिये सरकार प्रयासरत है। मान्यवर, ये जो महीना चल रहा है नवम्बर खत्म होने को है और दिसम्बर आ रहा है। मान्यवर, ये घरेलू डोमेस्टिक बिजली के लिये यह पीक पीरियड होगा और इससे कम बिजली इस्तेमाल नहीं होगी इस मौसम के समय क्योंकि बहुत ज्यादा गरमी नहीं है और बहुत ज्यादा ठण्ड नहीं है। मान्यवर, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे मौसम में कि जिस समय आदमी को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध करायी जानी चाहिये, उस समय उत्तर प्रदेश में बिजली उपलब्ध नहीं करायी गयी। मान्यवर, जो मण्डल हेड क्वार्टर्स हैं उनके ऊपर भी मान्यवर, बड़े शहरों में, महानगरों में बेतहाशा बिजली की कटौती की जा रही है। महानगरों में आठ से दस घण्टे तक बिजली कटौती की जा रही है। मान्यवर, किसान को आज से कुछ महीने पहले, महीना दो महीना पहले जिस समय उसको पानी की आवश्यकता थी उस समय उसको 2 घण्टे से अधिक बिजली नहीं दी गयी। उसका भी कोई समय नहीं था, अनियमित था, किस समय मिलेगी और किस समय नहीं मिलेगी। मान्यवर, किसान के लिये बिजली नहीं है। मान्यवर, इण्डस्ट्री के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आज यहां पर कहना चाहता हूँ कि जो इण्डस्ट्री के ऊपर जो विद्युत की दरें बढ़ा दी गयी है 40-50 प्रतिशत से अधिक। मान्यवर, ऐसी परिस्थिति में जब विद्युत का उत्पादन आपके पास है नहीं, आपको और उत्पादन करके इण्डस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिये, ऐसी परिस्थितियों में विद्युत की दर का इतने गुना, डेढ़ गुना और दोगुना दरें बढ़ाकर इण्डस्ट्री के ऊपर

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संकट के काले बादल छाये हुये हैं। मान्यवर, इण्डस्ट्री, उद्योग वाले लोग आन्दोलनरत हैं, वे हड़ताल कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। अपनी इण्डस्ट्री को बन्द करने तक की धमकी दे रहे हैं। उस इण्डस्ट्री में उनके उत्पादन का उतना पैसा ही नहीं आता होगा जितने बिजली के दाम बढ़े हैं। ऐसा परिस्थितियों में जब लगता है तो सरकार ने पिछली बार कहा था कि शाम को सात बजे तक मॉल बन्द कर दिये जायें, बाद में उस निर्णय को वापस ले लिया था। मान्यवर, ब्लैक आउट है, उस ब्लैक आउट से बचने के लिये इस मौसम में भी अगर बिजली नहीं है, किसान को भी पानी उपलब्ध कराये जाने के लिये बिजली नहीं है। इण्डस्ट्री को भी बिजली दे नहीं रहे हैं और उससे कई गुना उसके दाम बढ़ा रहे हैं। इसके विरोध में मान्यवर यह नियम-56 में एक अतिमहत्वपूर्ण विषय है, लोकमहत्व का है और आपने स्वयं इस बात को कृपापूर्वक स्वीकार किया है कि यह बहुत महत्व का है तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इण्डस्ट्री की जो बढ़ी हुयी दरें हैं उनको कम करें उसको वापस लें। पूरी तरीके से बिजली उपलब्ध करायें। इस लोकमहत्व के प्रश्न के ऊपर मान्यवर, मैं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

\*डा0 राधामोहन दास अप्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर भाजपा की ओर से विचार रखने का अवसर दिया है। महत्वपूर्ण इसलिये कि 22 नवम्बर को पूरे प्रदेश में एक अलग प्रकार की हड़ताल देखी गयी। लोकतंत्र के इतिहास में शायद यह हड़ताल पूरे देश में कभी नहीं हुई है। 22 नवम्बर को इस प्रदेश के सारे उद्योग-धंधों ने अपने आप स्वतः हड़ताल करके अपने काम बंद रखे। एक दिन की उस हड़ताल में मा0 अध्यक्ष जी प्रदेश को कुल मिलाकर 2 हजार करोड़ रुपये की चपत लगी, केवल उस एक दिन की हड़ताल में। आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थितियां थीं, कि वह उद्योगपति या वह उद्योग-धंधे जो स्वभावतः सरकार के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाकर चलते हैं, इस सरकार में हड़ताल करने के लिए मजबूर हो गए। माननीय मुख्य मंत्री जब, नये-नये मुख्य मंत्री बने थे, इसी सदन में मा0 मुख्य मंत्री का एक बयान आया था, विद्युत को लेकर के उन्होंने बहुत गंभीरता दिखाई थी और उनका बयान आया था कि जब तक विद्युत की आपूर्ति बेहतर तरीके से सुनिश्चित नहीं कर ली जायेगी, विद्युत का मूल्य बढ़ाया नहीं जायेगा। यह मा0 मुख्य मंत्री का बयान है सबके संज्ञान में। अब सवाल इसका है कि एक ओर मा0 मुख्य मंत्री यह कहते हैं कि विद्युत का मूल्य जब तक विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जायेगी बढ़ाया नहीं जायेगा और दूसरी ओर उसी मा0 मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव, ऊर्जा, जो कि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास भी हैं, उन्हें तो इस बात का अहसास होना चाहिए था कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ, उसका इस प्रदेश के औद्योगिक विकास पर क्या असर पड़ने जा रहा है ? प्रदेश के प्रमुख सचिव, ऊर्जा ने एक पत्र लिखा विद्युत नियामक आयोग को, और यह प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की पहली घटना है। अमूमन जब पूरे प्रदेश में विद्युत की दर नियामक आयोग बढ़ाता है, या बढ़ाने के लिए दबाव बनाता है तो प्रदेश सरकारें उसको मानने से इंकार करती हैं। उसको टालती हैं और कहती हैं कि व्यापक जनहित को देखते हुए विद्युत की इस बढ़ी हुई दर को हम स्वीकार नहीं करते। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि यह पहला वाक्या है जब नियामक आयोग ने इस प्रदेश में बिजली की दर नहीं बढ़ाई, बल्कि नियामक आयोग को सरकार ने बिजली की दर बढ़ाने के लिए मजबूर किया। मुख्य मंत्री कहते हैं कि हम दर नहीं बढ़ायेंगे और उनका प्रमुख सचिव, नियामक आयोग को पत्र

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिखता है और कहता है कि 5 दिनों के अन्दर विद्युत की दर बढ़ाकर मुझे बताइये। एक ओर मुख्य मंत्री का बयान कि हम बिजली की दर नहीं बढ़ायेंगे और दूसरी ओर उनके प्रमुख सचिव की चिट्ठी नियामक आयोग को चेतावनी की आप हमें विद्युत की दर का बढ़ा करके बताइये और अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में आना चाहिए, जो चिट्ठी उन्होंने लिखी, इतनी हड़बड़ी में लिखी, किसका दबाव था, यह वही जानें। उनको यह भी नहीं पता था कि वह यह चिट्ठी किन नियमों के तहत लिख रहे हैं। एक ऊर्जा सचिव को अगर इलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट के बारे में नहीं मालूम है, तो हमें इस सदन में यह स्वीकार करना चाहिए कि शायद वह इतने बड़े पद पर बैठने लायक नहीं हैं। मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिजली का विषय है आपने स्वयं इसको स्वीकार किया है। उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि इलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट के धारा-108 के तहत दाम बढ़ा दिए जायें। नियामक आयोग ने इस पत्र का जवाब दिया और कहा मान्यवर, धारा-108 पॉलिसी के संदर्भ में होती है और उसमें बिजली की दर नहीं बढ़ाई जाती। बिजली की दर बढ़ानी है तो धारा-61, 62, 63 और 64 में पत्र लिखकर भेजिए, यह कितना दुःखद है, और कितना आश्चर्यजनक है। मैं एक सैद्धांतिक विषय की बात कर रहा था। अब दूसरा विषय यह है कि सरकार आखिर बिजली रेट ले कैसे रही है। तीन प्रकार के चार्जेज इस प्रदेश में लिए जा रहे हैं कि एक जो बिजली हम कन्ज्यूम करते हैं जितनी यूनिट हम खपत करते हैं, हमसे उसका मूल्य लिया जाता है, जितनी मर्जी उतना चार्ज लेते हैं। दूसरा एक डिमांड चार्ज लेते हैं, इस बात के लिए कि पूरे प्रदेश में हम जो विद्युत की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, जो ट्रान्समिशन करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसका जो सारा सेटअप खड़ा करते हैं, उसके लिए जो नियमित खर्चा होता है, वह डिमाण्ड चार्ज में लेते हैं और एक तीसरा चार्ज मा0 अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में लिया जाता है, जो शायद देश के किसी और प्रांत में नहीं लिया जाता है। मिनिमम चार्ज का एक क्राइटेरिया इस सरकार में लगा हुआ है, 500 रुपये प्रतिकिलोवाट का। देश के किस अन्य प्रांत में यह मिनिमम चार्ज लिया जाता है, इस सदन को जानने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि एक जो बिजली बढ़ाई गई है, एल0एम0वी0-6। कुल मिलाकर के जो डिमाण्ड पहले हुआ करती थी 115 रुपये यह डिमाण्ड दर बढ़ाकर 115 ये 225 किलोवाट कर दी गयी यानि एक दिन के अन्दर सीधे-सीधे 96 प्रतिशत डिमाण्ड रेट में वृद्धि कर दी गयी। एल0एम0वी0-6 के चार्जेज जो 4 रुपये 95 पैसे थे, वह बढ़ा करके 5 रुपये 86 पैसे कर दिये गए। सबसे बड़ी वृद्धि जिसे हम इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी जिसे बार-बार हम लोग वापस लेने की बात करते हैं, पहले वह प्रतिकिलोवाट ऑवर 9 पैसे हुआ करती थी और इस सरकार ने उसे बढ़ाकर सारे दिन के मा0 पूर्व ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, मैं समझता था कि उनके संज्ञान में सारा विषय आना चाहिए था। अगर प्राथमिकता में बसपा के होता तो। यह दर बढ़ाकर साढ़े 7 फीसदी बिजली के ऊपर कर दी गयी और इसका फल यह हुआ कि एल0एम0वी0-6 का उपभोक्ता अगर उसके पास 50 किलोवाट का कनेक्शन है तो आज उसे 35,990 रुपये की जगह 49,826 रुपये देने पड़ते हैं। इसी प्रकार एच0डी0-2 के उपभोक्ता जो होते हैं, 11 के0वी0 के नीचे और 11 के0वी0 के बराबर, उनकी दर ऐसी बढ़ाई गयी कि कुल मिलाकर 35.68 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी और उन्हें 9 लाख 72 हजार की जगह आज 10 लाख 59 हजार देना पड़ता है। 11 के0वी0 के कनेक्शन की वृद्धि 39.7 प्रतिशत कर दी गयी। अध्यक्ष महोदय, बड़े उद्योगों की तो इस प्रकार से हत्या की गयी है कि जो उद्योग 35 किलोवाट से अधिक का कनेक्शन लेते हैं, उनकी विद्युत की दरों में 53 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। अब सवाल यह है कि जिस मुर्गी से आप अंडे लेते हैं, आप उससे अण्डे ही लेना चाहते हैं या आप उस सोने की मुर्गी को मार ही देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरे देश में केवल उत्तर प्रदेश में

ही बिजली की दर बढ़ी है, अन्य प्रान्तों में भी बढ़ी है। पूरे देश का जो वृद्धि का औसत है वह 17.6 प्रतिशत है और हमारे यहां 35 किलोवाट से बड़े उद्योग हैं, उनकी 53 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आखिर यह मजबूरी क्यों है, माननीय मुख्य मंत्री जी, जब पिछले सत्र में अपना भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार ने 26 हजार करोड़ का घाटा दे दिया। मैं सहमत हूँ इससे। लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह होता कि अगर आपने इसका अहसास किया है तो आप यह जानने की कोशिश करिये कि यह घाटा कहां से पैदा हुआ है और घाटा जहां से पैदा हुआ हो, उस छेद को भरने की कोशिश करिये। आप यह भी जानने की कोशिश करिये कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड और यू0पी0पी0सी0एल0 ने कभी अपना एनवल रेवन्यू रिटर्न रिपोर्ट बनाया। स्थिति यह है कि नियामक आयोग चिट्ठी पर चिट्ठी लिखकर भेजता है और बिजली विभाग और उसकी तथाकथित संस्थाएँ आज इतनी स्वछंद हैं और इतनी भ्रष्ट हैं कि नियामक आयोग को अपनी एनवल रेवन्यू रिटर्न रिपोर्ट तक बनाकर नहीं भेजती हैं। दूसरी चीज, कुल 26 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। सवाल यह है कि अगर इतना घाटा है और उपभोक्ताओं पर 26 हजार करोड़ रुपये का बकाया है तो आपके दिमाग में यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिये कि जो उपभोक्ता ईमानदारी के साथ बिजली का बिल-पे करते हैं, उनको दंडित करने की जगह, प्रदेश में जिन लोगों का बकाया है, हम उनसे बकाये की वापसी करें। सरकार को यह बताना चाहिये कि बिजली की दर की वृद्धि से पहले सरकार ने इस बकाये को वसूलने का क्या प्रयास किया है। तीसरी चीज, उत्तर प्रदेश के लिये सबसे बड़ी शर्मनाक बात जो है, वह ए0टी0एन0सी0 लास है। यह लास इसलिये हो रहा है कि हम चोरी के खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अगर हम 26 हजार करोड़ के घाटे को पूरा करना चाहते हैं तो आपने इस विद्युत की चोरी को रोकने के लिये क्या प्रयास किया। विपक्ष ने सदन में लगातार इस बात को कहा है कि सरकार विद्युत की चोरी को रोकने के लिये जो भी प्रयास करेगी, उसमें हम सरकार के साथ हैं। लेकिन सरकार ने अधिकारियों के कहने पर बिना सोचे-समझे इस प्रकार का निर्णय लिया और आने वाले समय में....

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त कीजिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

बस समाप्त कर रहा हूँ। यह जो कहते हैं कि लम्हो ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरे देश में विकास की दौड़ में वैसे ही पिछड़ा हुआ है और यह जो बिजली की दर हम बढ़ा रहे हैं, अध्यक्ष जी, मैं आपको बता दूँ कि कोई भी उपभोक्ता सामग्री जो पैदा होती है, उसकी 15 से 20 प्रतिशत लागत बिजली के नाते आती है। यह दर जो हम बढ़ा रहे हैं आने वाले समय में यह छोटे और मध्यम उद्योगों को बंद कराने जा रही है और यह प्रदेश के बड़े उद्योगों को मजबूर करेगी कि वह इस प्रदेश से भाग करके उत्तराखण्ड की ओर जायें, हिमांचल प्रदेश की ओर जायें और गुजरात की ओर जायें। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात खत्म करते हुए सरकार से यह मांग करता हूँ कि बढ़ी हुई विद्युत दर को यह सरकार वापस लें।

(श्री सुरेश राणा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी पार्टी के नेता बोल चुके हैं, अब आप बैठिये। श्री दलजीत सिंह जी अपनी बात रखें।

श्री दलजीत सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सीनियर सदस्य ने जो समस्यायें बताई, मैं भी अपने आपको उससे सम्बद्ध करता हूँ। पूरे प्रदेश में बिजली संकट से हाहाकार मचा हुआ है। इस समय पलेवा का सीजन है और किसान बुरी तरह से परेशान है। विशेष रूप से बुन्देलखण्ड का किसान, जहां से मैं चुनकर आता हूँ। वहां की प्रमुख समस्या लो-वोल्टेज है, बुन्देलखण्ड सूखा क्षेत्र है और वहां एक ही फसल होती है और इस साल उसमें भी कुदरत ने किसानों का साथ नहीं दिया। लगातार बारिश होते-होते रूक गयी जुताई नहीं हो पायी तो नमी नहीं रह जाती। तो गेहूं और चने की फसल कुदरती बारिश से भी नहीं हो पाई, इस समय सिंचाई की जरूरत है। बुन्देलखण्ड कटौती मुक्त क्षेत्र है, वहां 24 घण्टे बिजली मिलनी चाहिये। लेकिन मुश्किल से 8-10 घण्टे ही मिलती है और उसमें भी इतना लो वोल्टेज होता है कि सरकारी या प्राइवेट कोई नलकूप या लिफ्ट कैनाल नहीं चल पाती। मेरी विधान सभा क्षेत्र तिंदवारी है वहां नहरें नहीं हैं। ज्यादातर ट्यूबवेल ही हैं और अभी तक मात्र 10 प्रतिशत ही पलेवा (सिंचाई) हो पायी है। विद्युत उपकरण और ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज की वजह से जल जाते हैं, मोटरें खराब हो जाती हैं। किसान मारा-मारा घूमता है और कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं। बार-बार अवगत कराने के बाद भी और धरना-प्रदर्शन के बावजूद भी अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फतेहपुर हमारे जनपद से लगा हुआ है वहां 65 रुपया प्रति हार्स पावर बिजली की वसूली होती है जबकि बुन्देलखण्ड जो सूखा क्षेत्र है और देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, वहां 130 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से वसूली की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, तिंदवारी ब्लाक को डार्क जोन घोषित किया गया है, भूगर्भ जल विभाग की रिपोर्ट है। मेरा कहना यह है कि यदि डार्क जोन घोषित करना था तो उसके पहले सरकार को कोई न कोई साधन उपलब्ध करा देना चाहिये और जिन गरीब किसानों ने कर्ज लेकर डार्क जोन की डेट घोषित होने से पहले ट्यूबवेल करा लिये थे या तो उनको कनेक्शन दे दिये जायें नहीं तो किसानों को हुए पूरे नुकसान का पैसा वापस किया जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार को आठ महीने हो गये लेकिन आज तक पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक भी छूट का कनेक्शन नहीं दिया गया। मेरा निवेदन है कि जितने किसानों ने प्रार्थना पत्र दिये हैं, उन सभी को छूट के कनेक्शन दिये जायें। दूसरी बात यह है कि पूर्ण जमा योजना के तहत विभाग पैसा जमा करा लेता है और विभाग द्वारा दो-दो साल तक उस पैसे का प्रयोग किया जाता है और उपभोक्ता किसान मारा-मारा घूमता है। मेरा निवेदन यह है कि फुल इस्टीमेट पर जो किसान छूट के कनेक्शन लेना चाहते हैं, उनको बाजार से सामान खरीदने की अनुमति दी जाये। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्रीमती रूबी प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे आप बैठिये, आप भी कांग्रेस की हो, अब सरकार का जवाब सुन लीजिये।

\*श्री दिलनवाज खान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं ऐसी विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ जिसका नाम स्याना है और वह फलपट्टी क्षेत्र है और वहां के किसानों को 24 घण्टे बिजली की जरूरत होती है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह दरखास्त

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि हमारे यहां के जो किसान हैं, उनके अपने आम के बागान हैं। उन्हें हर वक्त सिंचाई के लिये पानी चाहिये होता है। तो वहां पर ऐसी व्यवस्था करवाई जाये जिससे स्याना विधान सभा क्षेत्र को 24 घन्टे बिजली मिल सके। मैं एक बात का और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं पहली बार सदन में चुनकर आया हूं लोग यूं कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं मिल रही है लेकिन तब गर्मियों का सीजन चल रहा था तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में 16 घन्टे बिजली आई थी। यह विधायक का अपना एफर्ट होता है कि वह जितना करना चाहे और हर अधिकारी के पास जाकर अपने विधान सभा क्षेत्र के लिये वह कर सके। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि माननीय मोहम्मद आजम खां साहब को हम नये सदस्य सुनते हैं तो हम लोगों में एक एनर्जी आती है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अध्यक्ष जी, मेरा एक और निवेदन यह है कि स्याना नगर में अभी तक कोई बिजलीघर नहीं बना है....

श्री अध्यक्ष-

बिजली पर आपकी कोई नोटिस नहीं है, आपके दस्तखत नोटिस पर नहीं हैं।

श्री दिलनवाज खान-

और वहां पर तहसील भी है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से दरखास्त करता हूं कि वहां पर स्याना नगर में एक बिजलीघर बनवा दिया जाए। धन्यवाद।

(श्री मती रूबी प्रसाद, डा0 मोहम्मद अय्यूब, श्री पंकज मलिक तथा श्री सुरेश राणा सहित प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बिजली पर सुने जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब इसमें जो सूचना देते हैं, जैसे मान लीजिए एक दल ने पूरा दे दिया तो उसमें से दो लोगों को सुन लिया। अब आपकी कोई सूचना बिजली पर नहीं है इसलिए आप इसमें नहीं बोल सकते।

रूबी प्रसाद जी आप कांग्रेस में हैं, कांग्रेस से दो मा0 सदस्य बोल चुके, अब आप बैठ जाईये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, क्षेत्र में ट्रांसफार्मर फुंके हुए हैं, दो-दो महीने से ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं उसी पर सुरेश राणा जी बोलना चाह रहे हैं।

सुश्री रूबी प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, ट्रांसफार्मर एक मिनट में अपनी बात रख दूंगा।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, ट्रांसफार्मर फुंके हुए हैं और महीनों से बदले नहीं जा रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

रूबी प्रसाद जी, आपकी बात आ गयी, लिखकर आयी है, बैठ जाओ। माननीय हुकुम सिंह जी, आप यह बताये, यह ग्राह्यता पर है चर्चा तो थी नहीं, अब ग्राह्यता पर कितने लोग बोलेंगे। दो लोग बोल चुके हैं। मेरा निवेदन है कि अब इसे न बढ़ाओ। अब शांत हो जाओ, माननीय मंत्री जी को जवाब दे देने दो।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहते पर)

माननीय सदस्यगण, यह जो बिजली का आपने नोटिस दिया था उस पर पूरी बात, पूरे तथ्य आ गये। यह ग्राह्यता पर बोला गया था, चर्चा तो है नहीं, किसके यहां ट्रांसफार्मर फूंक गया, कहां दिक्कत आ गयी। ग्राह्यता पर आप लोगों ने बातें कह दी। दो पार्टियों ने एक साथ दिया था। आपके दल और कांग्रेस की तरफ से दो-दो लोग बोल चुके। अब संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। आगे और भी बहुत से नियम हैं उसमें आप दे सकते हैं। अब मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए।

\*संसदीय एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, महाना जी ने बिजली की दरों के साथ-साथ बिजली की कमी पर भी चिंता दिखायी है और आपने उदाहरण दिया कानपुर में माल्स जो बंद किये गये थे और वह निर्णय वापस लिया गया। मेरे ख्याल से न तो कोई ऐसा प्रतिबंध सरकार की तरफ से लगा था और न ही कोई निर्णय वापस हुआ था। सात बजे बाजार बंद हो जाना चाहिए, इसका आदेश श्रम विभाग की तरफ से जारी हुआ था जो एक कांटेन्यूअस प्रॉसेस है। वह लोग इस तरह की सूचना अखबार के जरिये देते हैं। इसी सदन में मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने इस बात से इत्तेफाक किया था और आपने ही कहा था कि दिन में ग्राहक नहीं आता, गर्मी ज्यादा होती है तो बाजारों का दिन में खुलने का कोई औचित्य नहीं है। शाम को गर्मी कम होती है, ग्राहक आते हैं। यह मेरी उस दिन बड़ी कमनसीबी रही थी बात यहां वन गयी थी आप कार्यवाही निकालकर देख सकते हैं। आपने इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक किया था, मैंने कहा था कि ठीक है बिजली की कमी है इससे कोई इंकार नहीं, गर्मी की ज्यादाती है इससे भी कोई इंकार नहीं है और शाम में ग्राहक आते हैं, यह भी सच है तो क्यों न हम दोपहर में माल्स बंद कर दें क्योंकि माल्स में ए0सी0 बहुत ज्यादा लगे होते हैं और बिजली का बहुत खर्च होता है। कानपुर में खर्च बहुत ज्यादा है, बड़े शहरों में बहुत ज्यादा खर्च है और आपने उससे इत्तेफाक किया था। मैंने यह भी कहा था कि जिस तरह से गल्फ कंट्रीज में, गर्म देशों में दिन में बाजार बंद रखे जाते हैं, रात में बाजार खोल दिये जाते हैं और बिजली दी जाती है।

श्री सतीश महाना-

मैंने कोई इत्तेफाक नहीं किया था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपने किया था। कार्यवाही आप खुद देख लीजिए। यह भी किसी हद तक तय हुआ था कि दिन में हम किसान को बिजली दे देंगे और रात में आपको। मगर पता नहीं क्या हुआ कि उसी वक्त एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गयी और यह हुआ कि वापस ले लिया गया। अब उसकी भूमिका मुझे नहीं मालूम कि क्या थी। आपने प्रभावी ढंग से रखा लेकिन डाक्टर साहब हैरत इस बात की है कि आप बच्चों के तो डाक्टर हैं ही उस फील्ड में आप अच्छा रिप्रजेंट करते हैं लेकिन बिजली विभाग पर भी आप जितना आज रटकर आये थे लगता है किसी अधिकारी ने अच्छा खासा फीड बैक आपको दिया है और सारी बातें आपने वह कही है जो एक अच्छा इंजीनियर बिजली विभाग का कह सकता है और यह जानते हुए भी आपने कि नियामक आयोग के आदेशों पर ऐसा हुआ है। उनकी सिफारिश पर ऐसा हुआ है। आप अच्छी तरह वाकिफ है कि बिजली की दरें जितनी भी हैं चाहे डोमेस्टिक हों नान

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डोमेस्टिक हों उन दरों से बिजली विभाग का घाटा कम नहीं हो रहा है बहुत बढ़ता जा रहा है इस समय आमदनी करीब 350 करोड़ की थी अब इस बढ़ोत्तरी के बाद यह संभावना की जाती है कि 100 करोड़ की आमदनी हो जाएगी। जाहिर है कि आमदनी की भी प्रदेश को जरूरत है वगैर आमदनी के प्रदेश नहीं चल सकता है। अब पिछली सरकारों में जिस तरह से हुआ वह मेरे पास भी आंकड़ा है आपने भी पढ़कर सुनाया है। लेकिन हमने निश्चय किया है कि सारे लाइन लासेस हैं उन पर कंट्रोल करेंगे चोरी को रोकेंगे और इसमें हम आपको बहुत ज्यादा आश्वासन नहीं दे पाएंगे कि बिजली की दरों को घटाने पर विचार किया जायेगा। यह ईमानदारी की बात है। जरूरत है और मजबूरी है बिजली की कमी है और संसाधन नहीं हैं पिछले पांच सालों में जितनी उदासीनता बरती गई और जितना इसे नजरअंदाज किया गया और फर्जी घोषणाएं हुईं और यह कोशिश की गई कि किसी तरह से कि उन वायदों और घोषणाओं पर चुनाव हो जाय और लोग वोट दे दें। वह नहीं हो सका। इस वक्त बिजली की सप्लाई की सुरतेहाल पहले से बेहतर है। यह सभी को अंदाजा है।

(अनेक सदस्यों द्वारा इससे सहमति न जताने पर)

अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि बुन्देलखण्ड में 18-20 घण्टे लाइट मिल रही है और अब आप उसे नकार रहे हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हूँ आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। मुझे सच कहना चाहिए आपको उस पर टीका-टिप्पणी करनी ही चाहिए। बड़ी हुई दरों के बारे में डाक्टर साहब ने एक बात यह कही कि प्रदेश में पहली बार ऐसा विरोध हुआ कि पूरे प्रदेश की इकाइयां बन्द रहीं। ऐसा नहीं था पूरे प्रदेश की इकाइयां बन्द रही हों ऐसा भी नहीं था। आप चाहेंगे तो इसकी सूचना दी जा सकती है कि कितनी इकाइयां बन्द थीं और कितनी बन्द नहीं थीं। फिर भी दरों को बढ़ाया जाना मजबूरी थी और जरूरत थी। अगर रस्म की हद तक यह कहने से आपकी संतुष्टि हो कि इस पर विचार कर लिया जायेगा तो इस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

केवल जानकारी मैं करना चाहता हूँ। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत संजीदगी के साथ मैं उत्तर दिया कि इकाइयां सारी बन्द नहीं थीं दर बढ़ाना इनकी मजबूरी है। मान्यवर, उद्योग धंधे दूसरे राज्य में क्या सुविधा मिलती है क्या नहीं मिलती है इस पर निर्भर करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में भारत वर्ष के जितने भी राज्य हैं उनमें सर्वोच्च दरें उत्तर प्रदेश की है। अगर सर्वोच्च दरें उत्तर प्रदेश में हैं तो आपका जो सपना है कि यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेंगे उद्योग लगेगे यही कारण है कि न पिछले पांच वर्ष में उद्योग आया और यही कारण है कि न आने वाले पांच वर्षों में अगर यह सरकार चली तो कोई उद्योग आने वाला है। दर कम करनी चाहिये कोई आश्वासन आपने दिया नहीं आपने रस्म अदायगी की है यहां के प्रदेश के उद्योगों को बन्द करने का यह षड़यंत्र है इनका। इनको कुछ करना धरना नहीं है किसानों को बिजली नहीं मिल रही है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री हुकुम सिंह अपने दल के साथ सदन त्यागकर चले गए)

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने सतीश महाना जी को सुना, कांग्रेस के सदस्यों को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती इसलिए इसे अग्राह्य करता हूँ।



दूसरी सूचना प्रदेश में धान क्रय केन्द्रों के समय से न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इसमें श्री उमेश पाण्डेय, श्री सुनील कुमार सिंह यादव, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री देवनारायण उर्फ जी0एम0 सिंह के नाम हैं इनमें दो माननीय सदस्य जो बोलना चाहें बोल लें।

श्री रोशन लाल वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, कृषक हमारे पूरे देश और प्रदेश का अन्नदाता है कृषकों की फसल गेहूं में तो दुर्दशा बहुत बुरे ढंग से हुई ही थी गेहूं में बिचौलियों द्वारा कृषकों को बुरे ढंग से लूटा था इसी प्रकार आज धान क्रय केन्द्रों पर बिचौलिए हावी है दलाल हावी हैं। उदाहरण के तौर पर माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि इन्टर नेट मौजूद है इण्टरनेट में कृषकों की सारी जमीनें पड़ी हुई हैं यहां नेट पर देखा जा सकता है कि हमारे जनपद शाहजहांपुर में एक भी कृषक का धान अगर तौला जा रहा हो तो उसकी कृषक सूची मंगवा ली जाय जिससे सच्चाई की जानकारी हो सके। आम कृषक की तो बात छोड़ दीजिए मा0 अध्यक्ष जी मैं भी छोटा-मोटा कृषक हूँ मैं भी गांव देहात का रहने वाला हूँ मेरे पास भी कृषि है मेरा न धान तौला गया न गेहूं तौला गया। जिसकी मैं शिकायत करता रहा धान क्रय ऐसी जगह लगे हैं कि जो मील मालिक हैं हमारे निगोही में अगर कहें तो मैं नाम बताने को तैयार हूँ वहां क्रेशर के अन्दर कांटे टंगे हैं और बिचौलियों द्वारा बाजार से सीधे धान खरीद कर भेजा जा रहा है मा0 अध्यक्ष जी, हमारी इस पर मांग है कि जो किसानों की दुर्दशा हो रही है किसानों को लूटा जा रहा है ऐसे लूटने वालों के खिलाफ सरकार कार्यवाही कराए मैंने कल और परसों भी नियम-51 में एक प्रश्न लगाया था मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं जिन बिचौलियों के पास कोई भी जमीन नहीं है एक बीघा भी जमीन नहीं है ऐसे काश्तकारों के धान तौले जा रहे हैं जिनके पास एक बिस्वा जमीन नहीं है। नेट पर देख लिया जाय कि 40-40 हजार कुन्तल के गन्ना के सट्टे बनवाए गये हैं मा0 अध्यक्ष, मैंने आपसे व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया था कि यही देख लिया जाय नेट पर सारा रिकार्ड पड़ा हुआ है। इसमें जांच करने की कोई खास जरूरत नहीं है मैंने डी0एम0 को भी इसकी शिकायत की मेरे पास डी0एम0 साहब का पत्र है लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारे देश के अन्नदाता को अगर कमजोर किया जायेगा, लूटा जाएगा तो हम लोगों का विधान सभा में आने से कोई मतलब नहीं है। जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमसे सवाल जवाब किया जाता है कि विधायक जी हमारा धान तुलवाइए, हमारी पर्ची निकलवाइए तो इस पर हम माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से चाहेंगे कि यहां पर कोई ऐसा निर्देश जारी करें कि किसानों का गन्ना तौला किसानों का धान तौला जाय और उन कृषकों की सूची यहां पर मंगवा ली जाय जाय जिनका अब तक धान तौला गया है इससे पता चल जाएगा कि कृषकों का एक किलो भी धान नहीं तौला गया माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं सरकार से चाहता हूँ कि ऐसे निर्देश जारी किए जाएं जिससे हमारे कृषकों का धान व गन्ना तौला जा सके। बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो जो किसानों को लूट रहे है। हमारे प्रदेश को कमजोर कर रहे हैं जो हमारे किसान को कमजोर कर रहा है वह हमारे देश और हम सबको कमजोर कर रहा है। मा0 अध्यक्ष जी आपकी पीठ के माध्यम से यह चाहते हैं कि कोई ऐसे सरकार को निदेश दे कि बिचौलियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। मा0 अध्यक्ष जी आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।

\*श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेख भैया-

माननीय अध्यक्ष जी नियम-56 के अन्तर्गत जो सूचना लगाई है हम लोगों ने धान की खरीद के विषय पर, उस पर आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान देश है। पेशे से हम लोग किसान हैं। ज्यादातर लोग जो यहां चुनकर आये हैं अधिकांशतः इसमें 75 प्रतिशत, 80 प्रतिशत किसान हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। यहां पर चर्चा का विषय बना था, जब समय से बारिश नहीं हुई थी, हम सब लोग परेशान हुए। मानसून देर से आया था जिसकी वजह से धान की फसल लगने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ। मंहगी खाद हम लोगों ने खरीदी। खाद के विषय पर आज चर्चा हुई कि किस तरीके से डी0ए0पी0 के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लागत बढ़ती जा रही है, डीजल के दाम बढ़े। इन सबके बावजूद जो हमारा धान तैयार हुआ हम मजबूर हो रहे हैं उसको मंडी में बेचने के लिये क्योंकि हकीकत कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। वहां पर होता कुछ और है और कागजों में कुछ और होता है। कहने को तो धान के क्रय केन्द्र खुल गये हैं। आप एक टीम बनाइये और यहां से लोग जायं और जाकर देखें किसी भी जिले में, हर जगह एक ही हाल है। हम अपने जिले की बात कर रहे हैं। धान का क्रय केन्द्र कहीं पर कतई नहीं खुला है और मंडी से ही उसका संचालन हो रहा है। जिन लोगों को ठेके मिले हुए हैं, जिन लोगों पर खरीद क्रय केन्द्र की जिम्मेदारी है वह सब लोग वहीं मण्डी से धान खरीदते हैं और उसको वहीं से दिखा दिया जाता है कि इतना धान आया इतना किसान को मिला। किसी भी किसान का धान नहीं खरीदा गया है और न कहीं कोई चेक के द्वारा उसको कोई भुगतान हुआ है। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि कृषि प्रधान देश में धान की यह हालत होगी ? गन्ना मूल्य घोषित नहीं हुआ है। गन्ना किसान उधर परेशान है। आलू की समस्या आई है कि आलू किसान परेशान है उसको आलू रखने की समस्या हो रही है। बीज लेते टाइम उसको बहुत मंहगा बीज खरीदना पड़ता है और बेचने के टाइम उसको क्या दाम मिलता है। इस पर कोई कन्ट्रोल सरकार का नहीं है। आलू के लिये कोई नीति बनाई जाय। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि किसान के लिये आलू रखने के लिये, धान रखने के लिये, गेहूं रखने के लिये ब्लाक स्तर पर भी कोई गोदाम नहीं है। क्या हमारी नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ब्लाक स्तर पर हर जगह गोदाम बने और उन गोदामों में हम अपने धान रख सकें। अभी जैसे किसान के हाथ से धान निकलेगा, बिचौलियों के पास जायेगा, मंडी में जायेगा सेट साहूकारों के हाथ में जायेगा जिसके लाइसेंस मतलब हम लोगों ने दिये हुए हैं इतनी खरीद के लाइसेंस हैं कि अगर वह लोग चाहें तो एक लाख क्विंटल, दो लाख क्विंटल, पांच लाख क्विंटल धान खरीद के रख लें और उसके बाद जब फिर वह धान हमको मिलेगा, किसान को मिलेगा, जब गरीबों को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा तो उसके रेट 2000 रुपये पहुंच जायेंगे। मान्यवर, आज 1250 रुपये मिलना मुश्किल है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सिर्फ धान का क्रय केन्द्र खोलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उस पर खरीददारी हो रही है कि नहीं हो रही है, यह देखना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसको रखने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए कि हम जो अपनी उपज पैदा करें चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे आलू हो, चाहे तिलहन हो, चाहे दलहन हो आज उसके रखने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। यहां जब भी सत्र शुरू होता है हम लोग उन बातों को

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यहां पर आकर रखते हैं, कहते हैं, आपके माध्यम से सरकार से भी कहते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिससे किसान न टगा जाय, किसान का दोहन न हो, उसके रखने के लिये सब्सीडी दी जाय। आज हम लोग पैदा करते हैं चार-चार, पांच-पांच सौ क्विंटल धान लेकिन हमारे पास धान रखने की व्यवस्था नहीं है तो एक छोटा किसान, एक मझोला किसान जो 10-20 क्विंटल धान पैदा कर रहा है, उसके रखने की व्यवस्था नहीं है तो वह तुरन्त वहीं बनियों के हाथ, वहीं पर जो गांव में जाकर व्यापार करने वाले लोग हैं उनको औने-पौने दामों में देते हैं। दूसरी चीज मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि कहीं इक्का दुक्का समृद्ध लोगों के लिये भूले से क्रय केन्द्र जा खुले हैं अगर कोई मजबूत लोग गये धान बेचने के लिये तो कहा कि हां साहब आप दे दीजिये आपका हो जायेगा। जहां खुले हैं उसमें जो माइश्चर होता है धान में, नमी होती है कच्चे धान में, जो अधपका धान होता है उसमें बहुत कटौती की जा रही है गरीब आदमियों से। 15 क्विंटल, 20 क्विंटल धान उसका काटा जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे निर्देश सरकार को दें कि यहां से कोई ऐसी टीम बनाई जाय। पहले गेहूं की खरीद के समय में माननीय मुख्य मंत्री जी भी गये थे। उन्होंने बहुत छापे भी मारे लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। गेहूं वैसे ही गरीब किसान को बिचौलियों को ही देना पड़ा, लेकिन धान की खरीद एक अक्टूबर से प्रारम्भ होती है। आज नवम्बर खत्म होने को है दो महीने हो गए कहीं भी सरकारी औचक निरीक्षण नहीं हुआ है। किसी जिम्मेदार हमारे साथी ने वहां जाकर यह नहीं देखा कि किसानों की दशा क्या है ? किसानों की दुर्दशा क्या है ? लिखापढ़ी में, किताबों में और कहने के लिए हम सब किसान के हमदर्द हैं लेकिन वास्तविक हमदर्द तब हैं जब हमारा गरीब किसान यह कहे कि हमारे जनप्रतिनिधि वास्तविक रूप से हमारी चिन्ता कर रहे हैं उसका लाभकारी मूल्य उसको मिल रहा है। उसको उचित मूल्य मिल रहा है, उसको शोषण नहीं हो रहा है, इन चीजों का लाभ अगर किसानों को दिला सकें तो मैं समझता हूं कि किसानों ने जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली है कि हम उनके जनप्रतिनिधि बनकर यहां आए हुए हैं उनको अगर उसका इसका परसेन्ट भी लाभ हम दिला दें तो हम समझते हैं कि हम लोग उसके लिए अपने को धन्य समझेंगे। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह किसानों से सम्बन्धित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धान की फसल तैयार हो गई है और किसान उम्मीद करता है कि धान तैयार होने पर धान का विक्रय करके वह रबी फसल की बुआई के लिए खाद, पानी, बीज की व्यवस्था करेगा, लेकिन धान क्रय केन्द्रों पर किसान चक्कर लगा रहा है अभी 70 फीसदी धान क्रय केन्द्र संचालित नहीं हुए हैं और जहां यदा कदा धान क्रय केन्द्र संचालित भी हैं उसमें किसानों का धान क्रय नहीं किया जा रहा है, बल्कि बिचौलियों के माध्यम से खुले हुए धान क्रय केन्द्रों पर खरीदारी हो रही है। इससे किसान हताहत है। जबकि मान्यवर, पहली अक्टूबर से ही धान के क्रय केन्द्रों का संचालन शुरू हो जाता है। लेकिन अभी तक शत-प्रतिशत धान के क्रय केन्द्रों का संचालन हो जाना चाहिए था लेकिन सरकार ने उस पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। सत्तापक्ष के लोग अपने को किसानों का हमदर्द कहते हैं लेकिन क्या कारण है कि जो किसानों की समस्याएँ हैं वह यथावत पड़ी रह जाती हैं और इसी सदन में गेहूं के क्रय केन्द्रों पर बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई थी। मा0 नेता सदन मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं औचक निरीक्षण

करके और तमाम मंत्रीगणों ने औचक निरीक्षण करके उस अनियमितता को पाया भी था। मान्यवर, अभी खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से कल समस्त जिलाधिकारियों को पत्र गया है कि जिस प्रकार से आज धान और चावल की बड़े पैमाने पर काला बाजारी की शिकायतें आ रही हैं इस पर सख्ती से कार्यवाही की जाए। यानि प्रशासन को भी इस बात का आभास है कि बड़े पैमाने पर अनियमिततायें भी हो रही हैं, कालाबाजारी भी हो रही है, गेहूँ के क्रय केन्द्रों की अनियमिततायें आई थी उसी प्रकार से आज धान के क्रय केन्द्रों पर भी बड़े पैमाने पर अनियमिततायें हो रही हैं। बिचौलियों के धान तो खरीदे जा रहे हैं लेकिन जब किसान जाता है तो नमी का कारण बताकर उसको बैरंग वापस कर दिया जाता है और वहीं अगर बिचौलियों द्वारा तुरन्त का कटा धान ले जाते हैं तो उसका धान खरीद लिया जाता है। इससे इस प्रदेश का किसान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। आज वह किसान जो अपने धान को बेचकर रबी की बुआई के लिए खाद, बीज, पानी आदि की व्यवस्था करना चाहता था वह आज हाथ मलकर रह जा रहा है। इसलिए मान्यवर किसानों से जुड़ी हुई इस प्रदेश व्यापी समस्या को नियम-56 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। मान्यवर यह अति अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है साथ ही साथ पूरे प्रदेश की जनता के हितों से जुड़ा है इसलिए मान्यवर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ।

मान्यवर, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें और साथ ही साथ इस गंभीर मामले पर सरकार तत्काल कार्यवाही करे जिससे किसानों को तत्काल इसका लाभ भी मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर गंभीर होगी और किसानों की समस्या का निदान भी होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप स्वयं भी इस इलाका से आते हैं, जहां यह समस्या होती है तो आपके संज्ञान में होती है। मान्यवर, धान क्रय केन्द्रों का संचालन ठीक से चल रहा है। इस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष या अन्य किसी माननीय सदस्य को कोई शिकायत होगी तो बता देंगे उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना में माननीय बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है। इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर जो कुम्भ मेला लगने वाला है और जिसमें करोड़ों-करोड़ों दर्शनार्थी आने वाले हैं वहां की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रश्न है। मान्यवर वैसे तो यह सरकार और माननीय नगर विकास मंत्री जी इस सम्बन्ध में बहुत चिंतित है। कई अवसरों पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के मुख से सुनने में आया है कि इस संबंध में विशेष ध्यान दिया जा रहा है और करोड़ों रुपयों की धनराशि जारी की गई है। मान्यवर मैं इसके लिए सरकार को और नगर विकास मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर जब वे दर्शनार्थी जो कुम्भ मेले में आते हैं तो वह लौटते समय काशी में भी आते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग बनारस में आते हैं। मान्यवर प्रत्येक अवसर पर ऐसा होता रहा है और कोई भी सरकार रही हो बनारस की व्यवस्था के लिए धन आवंटित किया जाता है और उस धन से प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सफाई व्यवस्था, यातायात की सुविधा के लिए मार्गों का निर्माण आदि कार्यों पर धन खर्च होता है। मान्यवर मैंने इस

संबंध में वाराणसी नगर निगम के अधिकारियों से बात की है उन्होंने बताया है कि इस संबंध में 9.73 करोड़ रुपये का आकलन बनाकर शासन में स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अभी स्वीकृति जारी नहीं हुई है। मान्यवर, मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार से वहां की कुम्भ व्यवस्था के लिए बराबर धन दे रहे हैं। उसी प्रकार से काशी की व्यवस्था के लिए भी, जहां इस कुम्भ के अवसर पर लाखों दर्शनार्थी लौटते समय आएंगे, पूर्व प्रेषित आगणन के अनुसार 9.37 करोड़ की धनराशि वाराणसी नगर निगम को प्रदान करने का कष्ट करें। मैं इस पर बल भी देता हूं कि जो धन दिया जाय उस धन का सदुपयोग हो इसको आप जरूर देखें। निगरानी करने की व्यवस्था पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि कार्य हों, लेकिन स्वीकृत धन का सदुपयोग भी हो। मैं पुनः अनुरोध करता हूं नगर विकास मंत्री जी से कि कृपापूर्वक 9.37 करोड़ की धनराशि वाराणसी नगर निगम के पक्ष में जारी करने का कष्ट करें ताकि कुम्भ मेले के क्रम में आने वाले लाखों दर्शनार्थियों को सुविधाओं का लाभ मिल सके।

मैं अपनी बात पर बल देता हूं और सभी कार्य रोककर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं।

(श्री लोकेश दीक्षित के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

लोकेश दीक्षित जी, जो स्वीकार हुआ है उसमें आपका नहीं है।

श्री लोकेश दीक्षित-

मान्यवर, मेरा व्यक्तिगत मामला है।

श्री अध्यक्ष-

व्यक्तिगत है तो कह लीजियेगा।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, आपने मुझे विश्व के सबसे बड़े होने वाले मेले के विषय में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं दादा जी से अपने आपको सम्बद्ध करते हुये कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रयाग का आज नहीं लिया गया है प्रयाग का आप अलग से दीजिये।

\*श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नाम है इसमें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप इसको जल्दी से कह दीजिए।

---

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, प्रयाग का महाकुम्भ, 2013 विश्व का सबसे बड़ा मेला है। शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास का यह सबसे बड़ा मेला होने वाला है। विश्व के कोने-कोने से 10 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री वहां पर आने वाले हैं। व्यवस्था के नाम पर सरकार की ओर से रोज बयान पढ़ने को भी मिलते हैं। प्रयाग में मेरा निवास है और मेला क्षेत्र की तैयारियां जितनी कागज पर हैं, उतनी मौके पर नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रयाग का जो मेला क्षेत्र है मैं उस मेला क्षेत्र के अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से पिछले 10 वर्षों तक जुड़ा रहा हूं और 10 वर्षों तक जुड़ा रहने के कारण से वहां के तमाम अनुभव भी मेरे पास हैं। मान्यवर, प्रयाग के कुम्भ मेला क्षेत्र के लिये सरकार के जो बयान आते हैं उन बयानों की आड़ में आपके माध्यम से ध्यान दिलाते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रयाग का जो मेला क्षेत्र है आज वहां पर इतनी अव्यवस्था है, जाने को वहां पर कोई न कोई मंत्री लोग जाते रहते हैं लेकिन इस मेले के लिये कोई एक पूर्णकालिक मंत्री की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेला क्षेत्र के लिये हमारी गंगा मड़या का वह जल जिसमें करोड़ों लोग डुबकी लगाने के लिये आने वाले हैं, वह जल पवित्रता को प्राप्त नहीं है उसमें तमाम प्रकार की गंदगियां आ रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय बताना चाहता हूं कि 45 दिन केवल मेला को शेष है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार कुम्भ के मेले में सरकार के माध्यम से यह व्यवस्था कराई जानी चाहिये कि शुद्ध गंगा जी का जल, मेला क्षेत्र कम से कम 20 कि०मी० परिधि में फैला रहता है और उस मेला क्षेत्र में हेलीकाप्टर से चाहे गंगोत्री से जल लाकर छिड़काना पड़े, माननीय अध्यक्ष महोदय, आस्था का प्रश्न है, गंगा, यमुना और मां सरस्वती का वह ऐसा स्थल है शायद संसार में ऐसा मेला कहीं नहीं लगता है और उस मेले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये सदन के माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी है।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। बहुत सन्यासी लोग उसके लिये लड़ रहे हैं।

श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेला क्षेत्र के लिये तीर्थ यात्रियों को यहां से भेजने के लिये हजयात्रा के लिये व्यवस्थायें तो कर दी जाती है, इसमें हमारे प्रदेश के कोने-कोने से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आयेंगे। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करता चाहता हूं कि हमारे तीर्थ यात्रियों को प्रदेश के कोने-कोने से मेला क्षेत्र में स्नान के लिये लाने की व्यवस्था की जाय अभी नगर क्षेत्र के अन्दर मैं वहां निवास करता हूं सर्किट हाउस से मेला क्षेत्र को केवल जाने वाली सड़क तो बढ़िया बन गयी है लेकिन पूरे पूरा नगर क्षेत्र मेला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है आज वहां पर अव्यवस्था है।

संसाद भर से लोग आने वाले हैं। मेला क्षेत्र की व्यवस्था ऐसे लोगों को दी जाय जो मानते हों कि मकर संक्रान्ति के स्नान का क्या महत्व है, मौनी अमावस्या का क्या महत्व है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिये आपका लिखा नहीं जायेगा।

अब शासन का जवाब भी तो सुन लें। बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मुझे इस बात का खेद है कि माननीय सदस्य ने एक धार्मिक मेले पर भी अपने बड़े कटु अनुभव का इजहार किया और ऐसे शब्द कहे जो दिल दुखाने वाले हैं। मेरे ख्याल से किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिये यह शोभा नहीं देता कि वह अपने धर्म के लिये अच्छी बात कहते-कहते दूसरे के धर्म का अपमान करने लगे। आपने हाजियों की सुविधा के लिये जो कहा। हम तो भारत सरकार से भी कई बार कह चुके हैं कि हाजियों को कोई सुविधा नहीं है बल्कि हाजियों को जो असुविधा है उस पर मेरा आज सात पेज का पत्र प्रधानमंत्री जी को जा रहा है। मैंने पहली हज किया। मैं वैसे भी वजीर बहुत दिन से हूँ। वैसे भी वहाँ कई बार गया हूँ इंतजामात देखने और इसलिये कि इस्लाम में हज एक ही बार जरूरी है। लिहाजा मैं थोड़ा कमजोर मुसलमान हूँ तो मैं एक ही बार हज को फर्ज और सुन्नत समझता हूँ। मुझे जाने के बाद अहसास हुआ कि मैं बहुत देर से गया। जो दुश्वारियाँ वहाँ हाजियों को होती है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके अलावा जिन दुश्वारियों से यहाँ से जाते हैं, मात्र इतना है कि जब हमारी सरकार आती है तो हम हाजियों को ठीक तरीके से जहाज में सवार करा देते हैं जो पिछले पांच साल में उनकी दुर्गत हुयी थी वह दुर्गत इस बार नहीं हुयी। जहाँ तक सफर का सवाल है। हाजियों से जहाज का किराया इतना ज्यादा लिया जाता है कि पूरी एयर इंडिया का खर्च साल भर का हाजियों से ही निकलता है और हमारी तरफ से बराबर यह मांग की जाती है कि भारत सरकार यह प्रतिबंध हटा दें और प्राइवेट चैनल्स से भेजा जाये। तो हाजियों को कोई सुविधा नहीं दी जाती हाजियों पर कोई पैसा एलाट नहीं होता। बजट में उसका कोई प्रोविजन नहीं होता। मैं यहाँ पर कोई कड़वी या बुरी लगने वाली बात नहीं कहना चाहता। बजट में हाजियों के लिये धर्म के नाम पर एक पैसे का भी एलाटमेंट नहीं होता। न यहाँ न दिल्ली की सरकार में। हाजी जिन्दगी भर अपनी मेहनत से पैसा जमा करते हैं अपने पैसे से जाते हैं। उसमें सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। जहाँ तक कुम्भ का सवाल है मैं अपनी मर्जी से उसका चेयरमैन नहीं बना। आप कहें तो मैं अभी घोषणा किये देता हूँ कि मैं उसकी चेयरमेनशिप से इस्तीफा दे रहा हूँ। आपने कहा कि ऐसे लोगों को होना चाहिये। हम भी कुछ हिन्दू धर्म के बारे में जानते हैं। हम भी उसका उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप करते हैं और यही वजह है कि अर्ध कुम्भ के जब हम अध्यक्ष बनाये गये थे तो अर्ध कुम्भ इतना अच्छा हुआ था कि खुद ही सन्त साहेबान ने जिन्होंने हमारे पुतले जलाये थे, काले झण्डे दिखाये थे उन्होंने हमें बुलाकर सम्मानित किया था चांदी की थाल दी थी और आपकी सूचना के लिये अखबारों में यह खबर भी छपी थी कि गत सरकारों में हिन्दू अध्यक्ष रहे लेकिन ऐसा इंतजाम कभी नहीं हो सका जितना एक मुसलमान ने रहते हुये कराया। एक मुसलमान होते हुये भी मेरी एक जिम्मेदारी थी कि मैं हिन्दू धर्म की आस्थाओं का उतना ही लिहाज रखूँ जितना कि आप रखें, बल्कि उससे ज्यादा रखूँ ताकि मेरे मजहब पर कोई उंगली न उठे कि मैंने कोई पक्षपात किया। अब भी मैं

कितनी मेहनत कर रहा हूँ उसका अंदाजा आपको हो ही नहीं सकता है क्योंकि वह आपकी मानसिकता ही नहीं है जिसका अभी आपने परिचय दिया है। मान्यवर, चाहे इलाहाबाद हो या बनारस हो, धन की कोई कमी नहीं होने दी गयी है। मान्यवर, आपके संज्ञान में है कि भारत सरकार ने पैसा देने को मना कर दिया था। एक सप्ताह पहले प्रधानमंत्री जी ने यह कहकर कि मैंने टर्न डाउन कर दिया फाइनेंस का रेजूल्यूशन की बात को और पैसा जारी कर रहा हूँ।

लेकिन भारत सरकार के मना कर देने के बावजूद हमने एक पैसे का भी खर्च कम नहीं किया और राज्य सरकार ने पूरा पैसा जितना पैसा वहां खर्च होना था भारत सरकार की स्कीम के तहत भी और उनके घोषित किये हुये पैसे के तहत भी वह पैसा भी वहां लगाया है। बिल्कुल शुद्ध पानी देंगे, अच्छी रोशनी का वहां इन्तजाम होगा अब कोई हमारी बदनसीबी ही हो तो हम कुछ नहीं कह सकते, कोई ऐसा हादसा हो जाय जिसके लिये हम, लेकिन जितनी कोशिश कर सकते है बेहतर से बेहतर करने की और बेहतर से बेहतर नतीजा लाने की, उस कोशिश में लगे हैं, गुणवत्ता भी कायम रख रहे हैं, बार-बार जाकर सड़कों और पुलों का मुआयना कर रहे हैं घाटों का भी कर रहे हैं। मुझे अभी एक दिन पहले जाना था, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं जा सका स्थल निरीक्षण के लिये। खास हमारी तवज्जो इस बात की है कि लॉ एण्ड आर्डर रहे, रोशनी रहे और जो ट्वायलेट्स हैं उनमें बिल्कुल नाम की भी गन्दगी न रहे क्योंकि जो उम्रदार महिलायें आती हैं उन्हें यहां से जाने के बाद इन्फेक्शन हो जाता है, यहां तो उनकी मौत नहीं होती, लेकिन घरों पर जाकर अक्सर बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो जाती है उसे इस बार रोकने की काफी कोशिश की जा रही है, यह भी कोशिश कर रहे हैं हम, मैंने कहा भी था कि अगर हमारा गत सरकार का प्रपोजल मान लिया गया होता, पिछली सरकार ने अगर उसे खारिज न किया होता तो इस वक्त वह पुल बन गया होता जिससे श्रद्धालुओं के आने और जाने की ऐसी सहूलियत होती कि वह बसों से उतरकर ठीक स्नान की जगह पर आते और वहीं से वापसी में उन्हें बसों मिल जाती और वह वापस चले जाते। कल ही मेरे कार्यालय में प्रोजेक्ट तैयार होकर आ गया है हमने बजट में 200 करोड़ रुपये का उस पुल का प्राविधान रखा है, लेकिन वह तकरीबन 400 साढ़े चार सौ करोड़ रुपये का होगा जिस पर दोनों तरफ आने और जाने के लिये फोर लेनस् का एक ब्रिज बनाया जायेगा जिस पर आने वाले 100 साल तक कम से कम यह समस्या खत्म हो जायेगी। हम इस तरह का काम भी करने जा रहे हैं। मान्यवर, चाहे इलाहाबाद हो और बनारस में भी जो आपने 9.7 करोड़ की बात कही है, आपके माध्यम से मेरी जानकारी में आ रहा है मैं इसकी जानकारी अभी लूंगा कहीं किसी किस्म की काम के सिलसिले में पैसे की कमी होने का कोई सवाल नहीं उठता, जहां जितने पैसे की जरूरत होगी वह दी जायेगी, इस बात का आश्वासन इस सदन में बार-बार दिया जाता रहा है और इस बार फिर मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कुदरत की तरफ से ही कोई हमारी काम नसीबी हो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेला अच्छे से अच्छा और ऐतिहासिक कराने का हमारा प्रयास रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 श्यामदेव राय चौधरी को सुना, मा0 केशव प्रसाद मौर्या को सुना और मा0 संसदीय कार्य-मंत्री को सुना, इसे अग्राह्य करता हूँ, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है। मा0 लोकेश जी आपका क्या व्यक्तिगत मामला है, जल्दी से बता दें।



\*श्री लोकेश दीक्षित-

माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ, दिनांक 28 अगस्त को मुझे फोन पर धमकी मिली जान से मारने की और वह क्यों मिली यह बताना चाहता हूँ सदन को, बहुत ही गम्भीर समस्या है। एक हमारे दिल्ली अड्डे पर बहुत बड़ा तालाब है और कब्रिस्तान है और माता का स्थान है, असामाजिक तत्व उस पर कब्जा करना चाहते हैं, तहसील के सामने उनकी जे0सी0वी0 और बड़े-बड़े हाइवा ट्रक जो होते हैं वह वहां पर मिट्टी डाल रहे थे, चार सौ-पांच सौ लोग बड़ौत के आये बड़ा गम्भीर विषय था उन्होंने कहा मा0 विधायक जी पहले भी इस तालाब और कब्रिस्तान पर कब्जा हुआ है, जिस पर आज बड़े-बड़े होटल बन गये और अब दोबारा वह असामाजिक तत्व उनकी कोई जाति नहीं होती है, वह फिर कब्जा कर रहे हैं। हम सब लोक इकट्ठा हुये एस0डी0एम0 साहब के पास गये, नारेबाजी की तो वह काम रुक गया। काम रुकने के बाद मेरे पास दो घण्टे बाद फोन आता है कि विधायक जी बड़ौत से आप चले जाओ वरना आपको जान से मार दिया जायेगा। इसी प्रकार से हमारे यहां त्रिपाल धावां विधायक थे, दिन-दिहाड़े गोलियों से भून दिया गया था और बड़ौतपुर के एक प्रमुख थे अभी कुछ ही महीने पहले उनको भी दिन-दिहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है उस तालाब पर, मा0 अम्बिका चौधरी जी बैठे हुये हैं, तालाब का जुगाड़ इन्हीं का है शायद, मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ कि उस तालाब पर कब्रिस्तान पर कब्जा न हो क्योंकि असामाजिक तत्व क्या करते हैं। पुरानी जमीन है। दो लोग मुकदमा लड़ते हैं। एक व्यक्ति किसी न किसी चौबन्दी से मुकदमा जीत जाता है, कागज लेकर जाता है एस0डी0एम0, डी0एम0 साहब के पास, कुछ घूस चलाता है कि मैं मुकदमा जीत गया। एक राम सिंह, एक श्याम सिंह इसी प्रकार से उस कब्रिस्तान पर नजरें गड़ाये हुये हैं और कम से कम 15 बीघा जमीन पर तो कब्जा हो चुका है। मान्यवर, एक मिनट मेरा और है। मैंने अभी अपना एक निवेदन पत्र दिया था गनर की समय वृद्धि के लिये। मुझे 10 परसेण्ट पर एक गनर मिल गया, एक महीने बाद, एक महीने के लिये, वो वापस बुला लिया गया। कमेटी में भी हो गया कि अगर कोई विधायक चाहेगा और विषय गम्भीर होगा तो उसे 10 परसेण्ट पर एक गनर दिया जायेगा। जो दूसरे लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि भी नहीं है, हमारे जिले में कम से कम 20 लोग गनर लिये घूम रहे हैं। एक विधायक है वह ऐसे ही है। हमें जरूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है हमारे लिये गनर से अगर आपको सुरक्षा मिलती हो तो ये लोकेश दीक्षित अभी अपना गनर भी आपको दे देगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर दुख इस बात का है मा0 अध्यक्ष जी और हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि इस प्रकार का द्वेष ठीक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अपनी सुरक्षा के लिये आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे 10 परसेण्ट पर गनर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

आपने मुझसे कहा था और मैंने शासन में बात कही तो आपको एक गनर मिल गया था। अब उसकी समय सीमा बढ़ाने की बात होगी।

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लोकेश दीक्षित-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे यहां 8 तारीख को रात के 2 बजे डकैती हुयी गांव के बीच में और एक बुजुर्ग महिला को गोली मार दी गयी। जब उसने पहचान लिया तो उसको गोली मार दी गयी। गोली मारने के बाद वह अस्पताल में आई0सी0यू0 में भर्ती हो गयी और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गयी। आज तक हमारे यहां उन लोगों में से एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है। बुडेड़ा गांव के अन्दर तीन-तीन मर्डर हो गये, दो दिन के अन्दर एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। अलावनपुर गांव में दिन-दहाड़े एक दलित का लड़का अपने पिता को छोड़कर आ रहा था, रेलवे स्टेशन पर उसे दिन-दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। एक भी व्यक्ति सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा। इतना गम्भीर हमारा जिला है जहां रोड डकैती, लूट होती है तो अगर हमने सुरक्षा की मांग की है तो गलत नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आपकी सुरक्षा की बात आयी थी तो पिछली बार मैंने आपसे कहा था तो इनको एक गनर मिल गया था। एक था एक और मिल गया था। ये चाहते हैं कि उसका समय और बढ़ा दिया जाये और 10 परसेन्ट ये जमा भी करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी और सरकार की बड़ी उदारता थी। मिल तो गया था, अब कितने गनर चाहिये आपको।

श्री लोकेश दीक्षित-

एक मिला था 10 परसेन्ट पर।

श्री मोहम्मद आजम खां-

एक तो है।

श्री लोकेश दीक्षित-

एक ही मिला था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

तो वो पहले भी सभी के पास ऐसे ही थे। जिनकी जेड श्रेणी की सुरक्षा थी। आपकी सरकार आने के बाद तीन घण्टे के अन्दर सबकी सुरक्षा समाप्त हो गयी थी। सभी के पास एक था। आपके पास क्यों दो रहने चाहिये। भई क्यों रहने चाहिये दो। आप उसका कारण बताइये कि क्यों रहने चाहिये दो, एक गनर है तो आपके पास।

श्री लोकेश दीक्षित-

मान्यवर, ये तो धमकी वाला काम हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, धमकी वाला नहीं हो रहा है। वो ये पूछ रहे हैं कि आपको दो क्यों दिये जायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ये धमकी नहीं है, धमकी नहीं है। ये एक ऐसी कड़ी सच्चाई है, ये ऐसी कड़वी सच्चाई है जिस पर आपको विचार करना चाहिये। सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहेगी, न हमारे पास न आपके पास। लेकिन ये कड़वी बात इसलिये कह रहा हूँ कि आइन्दा के लिये सोचिये कि जरूरत के एतबार से ही फैसला सरकारों का होना चाहिये। सब मा0 सदस्यों को एक-एक मिला है और यह परिपाटी आपकी है, हमारी तो है नहीं। आपको एक ज्यादा मिला, ये समाजवादी पार्टी की उदारता थी और सरकार की भी आपके जमाने में किसी को मिला हो तो बता दीजिये तो हमारी सरकार तो उदार रहती है फिर भी हम विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी अब 4 तारीख को हम आपका इसका करायेंगे, सुन लें। 4 तारीख को आप पूरा रख दीजियेगा, बैठिये। नहीं, आज रहने दो, जब कह दिया तो आज रहने दो।

**[2.20 बजे] उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2012**

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 जो इस सदन द्वारा दिनांक 12 जून, 2012 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 13 जून, 2012 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुये तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012, जो इस सदन द्वारा दिनांक 12 जून, 2012 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 13 जून, 2012 को सदन की मेज पर रखा गया, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुये तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**[2.21 बजे] उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2012**

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, इसमें आपने संशोधन दिया था, उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) तो इसे रखेंगे कि नहीं रखेंगे ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2012 का अननुमोदन करता है।

\*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आपने कहा था कि इसमें विवाद नहीं होगा।

श्री हुकुम सिंह-

मैं विवाद नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूँ। मैं इसके सिद्धान्त पर नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल अध्यादेश की बात कह रहा हूँ। यह जो एक शक्ति दी गयी है अध्यादेश जारी करने की, उस स्थिति में जहाँ बहुत महत्वपूर्ण विषय हो, तत्कालिक विषय हो और सदन का सत्र न चल रहा हो। इसमें कौन-सी ऐसी बात थी। यह एक बहुत-ही सामान्य, साधारण संशोधन विधेयक है, जिसमें मा0 सदस्यगण नगर पालिका के सदस्य नहीं रह पायेंगे, यह तो कभी भी पास हो सकता था। इसमें ऐसी कौन-सी ऐसी अरजेन्सी आ गई थी, क्यों आप दुरुपयोग करते हैं संवैधानिक व्यवस्थाओं का ? क्या आवश्यकता थी अध्यादेश करने की, बस इतनी ही बात मैं कह रहा हूँ। अगर इसका ध्यान रखा जाये भविष्य में तो जहाँ बहुत आवश्यक हो, हां अध्यादेश करना ही करना है, करिए आप जरूर करिए, लेकिन ऐसे जैसे विषय में अध्यादेश की शक्ति का इस्तेमाल करना उचित नहीं है, यह मेरा कहना है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हम सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2012 का अननुमोदन करता है।

**(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)**

राजस्व एवं अभाव सहायता पुनर्वास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाए। इसमें कोई संशोधन नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाए ?

**(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)**

---

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक  
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2012**

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

**विधेयक**

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 8 नवम्बर, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 13-घ के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की नई धारा 13-घघ का बढ़ाया जाना

“13-घ घ-इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी अध्यक्ष या सदस्य होने वात के प्रति कुल होते हुये भी,- या बने रहने के लिये विधायकों पर रोक

(क) कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य निर्वाचित किये जाने और होने के लिये अनर्ह हो जायेगा, यदि वह संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो;

(ख) यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य निर्वाचित हो जाने के पश्चात् बाद में खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी पद पर निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट हो जाये, वह अपने निर्वाचन या अपने नाम-निर्देशन की घोषणा के भारत या उत्तर प्रदेश के गजट में प्रथम बार प्रकाशित किये जाने के दिनांक को और ऐसी अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से चौदह दिन के भीतर, ऐसे लिखित नोटिस द्वारा, जिस पर उसके हस्ताक्षर हों, और किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उस संबंध में सरकार अधिकृत करें, दिया गया हो, यह सूचित करेगा कि वह किस पद पर कार्य करना चाहता है और उसका इस प्रकार सूचित किया गया वरण अन्तिम होगा और उक्त सूचना न देने पर और उक्त अवधि बीत जाने पर वह अध्यक्ष या सदस्य के पद पर न रह जायेगा और तदुपरान्त अध्यक्ष या सदस्य के, जैसी भी स्थिति हो, पद में आकस्मिक रिक्ति हो जायेगी।”

निरसन और अपवाद 3-(1) उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2012

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

**(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)**

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

**(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)**

**[2.25 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 62 सूचनायें प्राप्त हुईं पहली सूचना श्री राजेश अग्रवाल की उत्तर प्रदेश की कतिपय जातियों को राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करके आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री सन्तोष पाण्डेय की नोएडा में डिप्टी डाइरेक्टर (फैक्ट्रीज) के विरुद्ध जांच कराये जाने एवं उनका स्थानांतरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत बरेचा के कु0 सरस्वती के साथ बलात्कार करने एवं उसकी लाश जंगल में मिलने के आरोपियों पर पुलिस कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद शामली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खनन पर लगी रोक के बाद भी खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री जाकिर अली की गाजियाबाद के अन्तर्गत लोनी क्षेत्र में निम्न वर्ग के व्यक्तियों के ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 कार्ड न बनने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है छठी सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर के ग्राम तिराहा में 132 के0वी0 उपकेन्द्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री बब्बन चौहान की जनपद चन्दौली के थाना बबुरी अन्तर्गत वयोवृद्ध किसान नेता श्री लोलाक सिंह के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा में जमुना पर बने पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की जनपद-वाराणसी में राजकीय तथा सहायतित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में शादी-विवाह हेतु अनुमति को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिबन्धित कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा दसवीं सूचना श्री राधेश्याम सिंह की जनपद-कुशीनगर के हाटा क्षेत्रान्तर्गत धान क्रय केन्द्रों पर की जा रही

धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। ग्यारहवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुही राज में खरवार, गौड़ व तुरहा जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र बनवाये जाने के संबंध में है तथा बारहवीं सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की परिसंकटमय एवं खतरनाक वाहन चालकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :-

- 1-श्री त्रिलोकी राम,
- 2-श्री रमेश चन्द्र बिन्द,
- 3-श्री सुल्तान बेग,
- 4-श्री छोटेलाल वर्मा,
- 5-श्री अजय मिश्रा, 'टेनी',
- 6-श्री प्रदीप माथुर,
- 7-श्री ललितेशपति त्रिपाठी,
- 8-श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा,
- 9-श्री कालीचरन सुमन,
- 10-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य,
- 11-श्री हरविन्द कुमार साहनी उर्फ शमशेर बहादुर,  
श्री रोमी साहनी,  
श्री राजेन्द्र,
- 12-श्री प्रदीप चौधरी,
- 13-श्री राजबली जैसल,
- 14-श्री पूर्णमासी देहाती,
- 15-श्री सुभाष पासी,
- 16-श्री केशव प्रसाद मौर्या,
- 17-श्री अमरपाल शर्मा,
- 18-श्री दलजीत सिंह,
- 19-श्री संजय प्रताप जायसवाल,
- 20-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,
- 21-श्री प्रमोद तिवारी,
- 22-श्री विजय कुमार,
- 23-श्री सुरेश कुमार खन्ना,
- 24-श्री जगन प्रसाद गर्ग,
- 25-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

- 26-श्री सुरेश राणा,
- 27-श्री गंगा सिंह कुशवाहा,
- 28-श्रीमती सीमा द्विवेदी,
- 29-साध्वी निरंजन ज्योति,
- 30-श्री हुकुम सिंह,
- 31-श्री उपेन्द्र तिवारी,
- 32-श्रीमती विमला सिंह सोलंकी,
- 33-डा0 दलवीर सिंह,
- 34-श्री अगयश रामसरन वर्मा,
- 35-श्री सुरेश बंसल,
- 36-श्री राधेश्याम जायसवाल,
- 37-श्री संत प्रसाद,
- 38-श्री भीम प्रसाद सोनकर,
- 39-श्री राघव लखनपाल शर्मा,
- 40-श्री मुकेश श्रीवास्तव,
- 41-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,
- 42-श्री विजय बहादुर यादव,
- 43-श्री सुधाकर सिंह,
- 44-श्री जय प्रकाश निषाद,
- 45-श्री बाला प्रसाद अवस्थी,
- 46-श्री मदन चौहान,
- 47-श्री रामचन्द्र यादव,
- 48-श्री राजनराण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज
- 49-श्री जय कुमार दुबे तथा
- 50-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी।

श्री राजनराण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मान्यवर, हमारी दो सूचनायें थी नियम-56 में भी और नियम-51 में भी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, अभी सदन आगे भी चलेगा।



**[2.26 बजे] प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव में शिक्षा के प्रभावित होने एवं बी0एड0, टी0ई0टी0 पास बेरोजगार डिग्रीधारकों को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार दुबे द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य**

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, विधान सभा में दिनांक 26-11-2012 को नियम-51 के अन्तर्गत श्री विजय कुमार दुबे, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा सूचना....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[दी गयी कि 01 अप्रैल, 2010 से पूरे प्रदेश में शिक्षा का अधिकार लागू है, जिसके अन्तर्गत 06 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। पूरे प्रदेश में तीन लाख से अधिक शिक्षकों का पद रिक्त होने के कारण शिक्षा का अधिकार का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। प्रथम चरण में टी0ई0टी0 उत्तीर्ण बी0एड0 डिग्रीधारक के 72,825 पदों को भरने की स्वीकृति एन0सी0टी0ई0 से प्राप्त हुई थी। पिछले एक वर्ष से विभिन्न कारणवश यह भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पायी है। इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार नियमावली में संशोधन करने की बात करके अब तक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारम्भ नहीं किया, जिससे प्रदेश के हजारों विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के लाखों टी0ई0टी0 उत्तीर्ण बी0एड0 डिग्रीधारक बेरोजगार हैं। क्या बेरोजगार बी0एड0 डिग्रीधारकों की नियुक्ति के लिये प्रदेश सरकार के पास कोई ठोस कार्य योजना क्रियान्वयन में हैं ?

मा0 सदस्य द्वारा लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, प्रदेश में दिनांक 27 जुलाई, 2011 से प्रभावी है, जिसके अन्तर्गत 06 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में छात्र अध्यापक अनुपात को मानक के अनुसार लागू करने हेतु शिक्षामित्रों को भी प्रशिक्षण

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

देकर पठन-पाठन के लिये आबाद किया गया है। प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के कुल सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों का विवरण निम्नवत् है :-

प्रदेश के कुल सृजित पद प्र0अ0/स0अ0	कार्यरत प्र0अ0/ स0अ0	कार्यरत शिक्षा मित्र	रिक्तियां	कार्यरत शिक्षा मित्र+स0अ0+ प्र0अ0	कुल छात्र संख्या (करोड़ में)	पी0टी0 आर0
380743	177866	172389	202877	350255	1.34	38.1

उक्त के अतिरिक्त लगभग 9770 बी0टी0सी0/विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम 27 जुलाई, 2011 के बाद घोषित किया गया है और वे अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उनकी नियुक्ति हेतु कार्यवाही गतिमान है। जनपदों में विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है, जिसका आवेदन-पत्र दिनांक 20-11-2012 तक आमंत्रित किया गया था।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष उन्हें भरने की प्रक्रिया चल रही है। 72,825 पदों के प्रति बी0एड0 डिग्रीधारक प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव विचाराधीन है।]

**[2.26 बजे] शासन के सुस्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिकों से नक्शा स्वीकृत करते समय 15% पार्क शुल्क की बैंक गारण्टी मांगें जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य**

राजस्व, आभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 26-11-2012 को निम्नवत् सूचना ....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

["गोरखपुर विकास प्राधिकरण, शासकीय निर्देशों की मनमानी व्याख्या करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराने वाले नागरिकों से जबरन 15 प्रतिशत पार्क शुल्क की वसूली कर रहा था। विधान सभा के समक्ष यह विषय लाये जाने पर शासन ने उच्च स्तरीय जांच करायी तथा जांच से यह तथ्य उजागर हुए कि प्रदेश के दो विकास प्राधिकरणों (गोरखपुर एवं कानपुर) में अधिकारियों द्वारा ऐसे लूट की जा रही थी। शासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए, इन प्राधिकरणों को

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्पष्ट लिखित निर्देश जारी किए कि यह 15 प्रतिशत पार्क शुल्क वसूली अवैधानिक है, इसे रोक दिया जाये। हमारे द्वारा मा0 आवास मंत्री जी को यह पत्र लिखे जाने पर, की प्राधिकरणों द्वारा अब तक की गयी अवैध वसूली को नागरिकों को लौटाया जाना चाहिए तथा नागरिकों के इस अवैधानिक शोषण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित किया जाना चाहिए, शासन ने प्राधिकरणों को इस संदर्भ में भी निर्देश जारी किये लेकिन गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने शासन के इस सुस्पष्ट आदेशों को भी अभी मानने से इन्कार कर दिया है तथा उन्हीं नागरिकों के नक्शे स्वीकृत किए जा रहे हैं, जो 15 प्रतिशत पार्क शुल्क के एवज में बैंक गारन्टी जमा कर रहे हैं।"

2-इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत विषय पर विधान सभा के प्रथम सत्र 2012 में मा0 सदस्य द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दिनांक 12-06-2012 को सूचना दी गयी थी। मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के संबंध में प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों से सूचनायें प्राप्त की गयी, जिसमें केवल गोरखपुर एवं कानपुर विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत भवन मानचित्रों के सम्बन्ध में क्रमशः प्राधिकरण बोर्ड की बैठक के निर्णयानुसार तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 के प्राविधानों की व्याख्या कर पार्क शुल्क आरोपित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, उ0प्र0, लखनऊ से तकनीकी परीक्षण कराया गया, जिसमें अधिरोपित पार्क शुल्क का आरोपण नियमानुकूल नहीं पाया गया।

3-प्रश्नगत प्रकरण में 'पार्क शुल्क' लिया जाना नियमानुकूल न पाये जाने की दशा में शासन के पत्र संख्या-2053/8-3-12-08 नियम-12 दिनांक 15-10-2012 द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों के साथ ही गोरखपुर एवं कानपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गये कि भविष्य में ऐसे प्रकरणों में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के क्रम में शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-2660/8-3-12-8 नियम/12 दिनांक 16-11-12 द्वारा मा0 सदस्य को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। नागरिकों पर अधिरोपित पार्क शुल्क हेतु उत्तरदायी दोनों विकास प्राधिकरणों (गोरखपुर एवं कानपुर) से उत्तरदायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 30-10-2012 एवं अनुस्मरण पत्र 24-11-2012 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस सम्बन्ध में कानपुर विकास प्राधिकरण से सूचना अप्राप्त है। उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 27-11-12 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पार्क शुल्क की वसूली प्राधिकरण बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयानुसार है, प्रकरण में शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में पुनः सम्पूर्ण तथ्यों को प्राधिकरण बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा तथा प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

पूछिये।

\* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, पहली बात तो यह कि 15-10 को शासन ने यह बता दिया कि प्राधिकरण गलत कर रहा है। 15-10 से आज डेढ़ महीने का समय हो गया है, यह जानने के बावजूद कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इस निर्णय को गलत तरीके से लिया फिर भी डेढ़ महीने का समय व्यतीत हो जाने के बाद आज तक उन्होंने बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई और आज भी वह नागरिकों का शोषण बदस्तूर जारी किये हुए हैं। जो भी नक्शा पास कराने आता है उससे कहा जाता है कि आप बैंक गारंटी दीजिए तभी आपका पास किया जाएगा। पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि शासन द्वारा निर्णय लिये हुए डेढ़ महीने का समय हो गया है और अभी तक उन्होंने बोर्ड के द्वारा बैठक करा के उसे स्वीकार नहीं किया है। क्या शासन प्राधिकरण के द्वारा की गई इस लापरवाही के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? दूसरा प्रश्न यह है कि जिन लोगों से पैसे इन दिनों में वसूले गये हैं जिसे कानून स्वयं मानता है कि यह गलत वसूली हुई है तो क्या उन नागरिकों को, जिनसे जबरन 15 प्रतिशत पार्क शुल्क वसूला गया है क्या शासन यह निर्देश देगा कि यह पैसा उन्हें वापस किया जाए क्योंकि यह गलत वसूली हुई है। मान्यवर, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि यदि यह बोर्ड के द्वारा पास हुआ हो तो जिन भी लोगों ने बोर्ड में बैठ करके शासन के नियमों के विपरीत काम किया है, बोर्ड के उन अधिकारियों के खिलाफ चाहे वह कितने भी वरिष्ठ हों, उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए, यह मेरी तीन मांगें हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह स्पष्टीकरण सभी लोगों से मांगा गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण से रिपोर्ट आई है लेकिन कानपुर विकास प्राधिकरण से अभी नहीं आई है। जैसे ही वह रिपोर्ट आ जाती है मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस अनियमितता के लिए जो भी जिम्मेदार होगा। वह दण्डित होगा।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

जो वसूली हुई है क्या उसे वापस किया जायेगा।

**[2.27 बजे] जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर चकफेरी मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य**

राजस्व, आभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धक मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर-चकफेरी मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है तथा इस मार्ग पर पैदल चलना भी मुश्किल है। इस मार्ग पर अधिकतर फौज के रिटायर फौजियों के ग्राम आते

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं तथा इस मार्ग पर लगभग 15 से 20 ग्राम आते हैं और यह मार्ग उत्तरांचल राज्य को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग को कारगिल में शहीद बलजीत सिंह मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग का पुनः निर्माण का आगणन शासन में काफी लम्बे समय से लम्बित है तथा इस मार्ग के निर्माण की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है। इस सम्बन्ध में जनता द्वारा मार्ग के निर्माण के लिए बराबर धरने प्रदर्शन किये जा रहे हैं। जनहित में इस मार्ग का अविलम्ब पुनः निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। इस मार्ग का पुनः निर्माण न होने से जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है तथा किसी भी समय अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

जनपद रामपुर की विधान सभा विलासपुर में विलासपुर चकफेरी मार्ग अन्य जिला मार्ग की श्रेणी का है। यह मार्ग विलासपुर-मिलकखानम-स्वार मार्ग के चैनेज 2.830 से प्रारम्भ होकर चैनेज 12.830 पर नवाबगंज तक उत्तर प्रदेश में पड़ता है तथा आगे उत्तराखण्ड में चला जाता है। मार्ग की चौड़ाई 7.0 मीटर है व लम्बाई 10.00 कि0मी0 है। मार्ग पर यातायात अधिक होने तथा क्रस्ट/थिकनेस कम होने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग के सुदृढीकरण हेतु रु0 1347.99 लाख का आगणन पत्र संख्या-1000/23-12-12-4 सी0आर0एफ0/2011, दिनांक 03-08-12 द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है।]

**[2.28 बजे] जनपद पीलीभीत में पूर्ण अधिष्ठापित पानी पीने के हैण्डपम्पों का रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

राजस्व, आभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 26-11-2012 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[यह उल्लिखित है कि जनपद पीलीभीत की विधान सभा क्षेत्र 130-बीसलपुर के अन्तर्गत 500 इण्डिया मार्क सेकन्ड हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने हेतु चिन्हित किये गये स्थलों पर हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो सकी है। यह भी अवगत कराया गया है कि

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में स्वीकृत कार्य योजना के अन्तर्गत प्रति विकास खण्ड 50 नये एवं 50 रि-बोर हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य दिनांक 19 सितम्बर, 2012 से रोक दिया गया है। मा0 सदस्य द्वारा ग्रामीण परिक्षेत्र में पेयजल की विषम समस्या के दृष्टिगत हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन अत्यन्त आवश्यक बताया गया है तथा 67% अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का पानी पीने योग्य नहीं है, अतः ऐसे चिन्हित इण्डिया मार्क सेकेण्ड हैण्डपम्पों का रि-बोर होना अपरिहार्य है।

2-मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उनके द्वारा विधान सभा क्षेत्र-130 बीसलपुर के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी सूची का सत्यापन कराया जा रहा है और सत्यापन के उपरान्त प्रश्नगत मामले में नियमान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र में 03 विकास खण्ड-क्रमशः बीसलपुर, बिलसड़ा एवं बरखेड़ा आते हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	जनपद	ब्लाक	ग्रामों की संख्या	जनसंख्या		150 की आबादी के अनुसार है0प0 की आवश्यकता	मार्च, 2012 तक अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की संख्या	01-04-2012 से अब तक अधि० है0 प0 की संख्या	
				2001 की जनगणना	2012 अभिकल्पित			नये	रि-बोर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पीलीभीत	बीसलपुर	125	166347	202943	1353	1797	23	24
2		बरखेड़ा	135	176954	215884	1439	1981	12	75
3		बिलसड़ा	168	190246	232100	1547	2070	15	26
	<b>योग :</b>		<b>428</b>	<b>533547</b>	<b>650927</b>	<b>4339</b>	<b>5848</b>	<b>50</b>	<b>125</b>

3-उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में मानक से अधिक हैण्डपम्प पूर्व से ही अधिष्ठापित हैं एवं 01-04-2012 से वर्तमान तक अधिष्ठापित नये/रिबोर हैण्डपम्पों को जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार अधिष्ठापित कराया गया है।

4-ग्रीष्मकालीन तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए 04 मई, 2012 एवं 19 मई, 2012 को वर्ष 2012-13 के लिए हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन/रि-बोर के सम्बन्ध में अन्तरिम दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। समग्र स्थिति पर विचार करते हुए अन्तिम रूप से दिशा-निर्देश दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 के पूर्व निर्गत हो जायेंगे तथा रोक स्वतः समाप्त हो जायेगी। तदुपरान्त जनपद पीलीभीत में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन/रि-बोर का कार्य कराया जाना सम्भव होगा। जहां तक उक्त क्षेत्र में 67% हैण्डपम्पों का पानी प्रदूषित होने का तथ्य है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बीसलपुर क्षेत्र में लगभग 120 हैण्डपम्पों के पानी की जांच करायी गयी है और जांच रिपोर्ट के अनुसार पेयजल में कोई अशुद्धियां नहीं पायी गयी हैं अर्थात् पीने योग्य पेयजल पाया गया है। यदि उक्त क्षेत्र में भविष्य में पीने के पानी में किसी प्रकार की अशुद्धियां पायी जाती हैं तो उन अशुद्धियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जायेगा तथा जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।]

**[2.28 बजे] उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी/विद्युत दरों में भारी वृद्धि को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य**

राजस्व, आभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[निम्न बिन्दु उठाये गये हैं :-

उ0प्र0 में उद्योग पहले ही बहुत संतोषजनक स्थिति में नहीं है। अभी हाल में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग ने इलेक्ट्रीकसिटी ड्यूटी/विद्युत दरों में भारी वृद्धि की है। यह भी पूर्वगामी प्रभाव से विद्युत ड्यूटी को 9 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत अर्थात् 500 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। डिमाण्ड चार्ज में 96 % तक तथा इनर्जी चार्ज में 45 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

उपरोक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप लघु उद्योगों पर लगभग 38 प्रतिशत बड़े उद्योगों पर 39 प्रतिशत वृद्धि हो रही है। होना तो चाहिए था :-

1-विद्युत चोरी प्रभावी तरीके से रोकी जानी चाहिए थी।

2-लाइन लांस न्यूनतम किया जाना चाहिए।

3-न्यूनतम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं तो फिक्सड चार्ज समाप्त किये जाने चाहिए।

4-बढ़ाई गयी दरें वापस ली जानी चाहिए।

सारे देश में उ0प्र0 राज्य की बिजली दरें सर्वाधिक हैं। प्रदेश के उद्योगों को बचाने के लिए तथा नये उद्योगों की स्थापना के लिए विद्युत दरों की यह वृद्धि घातक है।

इस संदर्भ में अवगत कराना है कि इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी वर्ष 1997 में अधिसूचना सं0-02 पी-3/97-24-85 पी-84, दिनांक 03 जनवरी, 1997 द्वारा निर्धारित की गयी थी, जो निम्नवत् है :-

क्र0सं0	उपयोग का विवरण	इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी
(एक)	(क) जहां उपभोक्ता भूग्रहादि पर कान्ट्रेक्टेड लोड 75 किलोवाट या 100 ब्रेक हार्स पावर से अधिक न हो	9 पैसे प्रति यूनिट
	(ख) जहां उपभोक्ता भूग्रहादि पर कान्ट्रेक्टेड लोड 75 किलोवाट या 100 ब्रेक हार्स पावर से अधिक हो	9 पैसे प्रति यूनिट
(दो)	राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त या राज्य सरकार द्वारा उपभोग किये जाने के लिये उसे बेची गयी इनर्जी पर	3 पैसे प्रति यूनिट

(तीन)	उपर्युक्त मद (एक) और (दो) में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिये :	
	(क) नियत प्रभार (फिक्सड चार्ज) पर बिना मीटर लगे संभरण के लिये प्रभारित दर का 20 :	
	(ख) मीटर लगे संभरण की स्थिति में :- <b>प्रभावित दर</b> 1-24 पैसे प्रति यूनिट तक और उसके सहित 2-24 पैसे प्रति यूनिट से अधिक किन्तु 38 पैसे प्रति यूनिट से 3-38 पैसे प्रति यूनिट से अधिक	9 पैसे प्रति यूनिट 9 पैसे प्रति यूनिट 9 पैसे प्रति यूनिट
(चार)	किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिष्ठापित अपने निजी विद्युत उत्पादन स्रोत से औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिये उपर्युक्त इनर्जी पर :	3 पैसे प्रति यूनिट

2-उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- “चार” में उल्लिखित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिष्ठापित अपने निजी विद्युत उत्पादन स्रोत से औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिये उपभुक्त इनर्जी की व्यवस्था अधिसूचना दिनांक 06 फरवरी, 1998 द्वारा समाप्त कर दी गयी।

3-वर्ष 1997 के पश्चात इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में कोई वृद्धि नहीं की गयी थी, जबकि देश के अन्य राज्यों तथा महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि प्रदेशों में इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी की दरें बढ़ायी जा चुकी थीं। अतः प्रदेश के विकास हेतु वित्तीय संसाधन जुटाये जाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य में भी अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर, 2012 के द्वारा प्रतिशत के स्थान पर यथामूल्य निर्धारित की गयी। इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी की दरें निम्नवत् हैं :-

क्रमांक	उपयोग का विवरण	इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी की अवधारित दर (रेट चार्ज का मूल्य प्रतिशत में)
(एक)	(क) आवासीय प्रकाश और पंखा के लिये	रेट चार्ज का 5 प्रतिशत
(दो)	राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त एनर्जी के लिए	रेट चार्ज का 5 प्रतिशत
(तीन)	मद (एक) और (दो) में उल्लिखित से भिन्न प्रयोजनों के लिये : (क) नियत प्रभार (फिक्सड चार्ज) पर बिना मीटर लगे संभरण के लिये (ख) मीटर लगे संभरण की स्थिति में :-	नियत प्रभार (फिक्सड चार्ज का 20 प्रतिशत) रेट चार्ज का 7.5 प्रतिशत
(चार)	वन पार्ट टैरिफ की दशा में जहाँ कि रेट चार्ज उपभोग के यूनिट पर आधारित हो, के लिए	9 पैसे प्रति यूनिट



इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप इस मद में राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली धनराशि रुपये 350 करोड़ से बढ़कर लगभग रुपये 1000 करोड़ हो जाने की सम्भावना है।

4-विद्युत चोरी रोकने एवं लाइन हानियों को कम करने हेतु निम्नवत् उपाय किये जा रहे हैं :-

1-11 के0वी0 फीडर पर इनर्जी आडिट हो रहा है।

2-ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रांसफार्मरों पर मीटर लगाये जा रहे हैं।

3-शहरी क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जा रहे हैं।

4-शहरी क्षेत्रों में वितरण परिवर्तकों पर मीटर लगाये जा रहे हैं एवं इनर्जी आडिट का कार्य किया जा रहा है।

5-चोरी रोकने के लिए उपभोक्ताओं के संयोजन पर डबल मीटरिंग की जा रही है।

6-मेन मीटर व डबल मीटरों में जहां 01 प्रतिशत से अधिक का अन्तर हो रहा है। वहां पर परीक्षण किया जा रहा है तथा खराब मीटरों को त्वरित गति से बदलने की कार्यवाही की जा रही है।

7-स्वतंत्र पोषकों पर लाइन हानियों की गणना एवं समीक्षा के अतिरिक्त कटिया के माध्यम से की जा रही विद्युत चोरी रोकने हेतु घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इन्सुलेटेड कोटेड ए0वी0सी0 कन्टक्टर लगाने की कार्यवाही की जा रही है तथा बड़े उपभोक्ताओं पर एम0आर0आई0 की सुविधा के साथ-साथ चिन्हित उपभोक्ताओं पर ए0एम0आर0 लगाये जा रहे हैं।

8-भारत सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत रिस्ट्रक्चर्ड ए0पी0डी0आर0पी0 योजना हेतु कार्य किया जा रहा है तथा शहरी क्षेत्रों में आन-लाइन बिलिंग के माध्यम से शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं को सही विद्युत बीजक उपलब्ध कराते हुए उसकी वसूली के साथ-साथ शेष छूटे हुए परिसरों में नये कनेक्शन निर्गत किये जा रहे हैं एवं 05 कि0वा0 के ऊपर भार वाले उपभोक्ताओं के संयोजनों को विच्छेदित कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। 01 करोड़ से ऊपर बकायेदारों के विरुद्ध धारा-5 के अन्तर्गत जिलाधिकारियों के माध्यम से वसूली की जा रही है। राजस्व वसूली हेतु शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विवादित मामलों का शीघ्र निस्तारण कराकर बकाये की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।

9-ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभावार कैम्प लगाकर बिल वितरण, राजस्व वसूली एवं नये कनेक्शन का कार्य किया जा रहा है।

5-लाइन न्यूनतम किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2012-13 की ए0आर0आर0 एवं टैरिफ याचिका जो उ0प्र0वि0नि0आ0 ने दिनांक 21-02-2012 में प्रस्तुत की गयी

थी, में वितरण लाइन हानियां 23.31 प्रतिशत प्रस्तावित की गयी थी, जिसे वर्ष 2016-17 तक 18-19 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव है। लाइन हानियां कम करने हेतु निम्न कार्य किये जा रहे हैं :-

1-आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत अधिक लाइन हानियां वाले क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा इन इलाके हेतु लाइनों एवं उचित क्षमता का वितरण ट्रांसफार्मरों को लगाकर विद्युत तंत्र के सुदृढीकरण हेतु प्लान तैयार किये जा रहे हैं तथा लाइन हानियों को कम करने हेतु लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। चोरी रोकने हेतु एरियल बंच कन्डक्टर लगाया जा रहा है। 33/11 के0वी0 के उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की जा रही है, जिससे बड़े डिमाण्ड की पूर्ति हो सके तथा उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति की जा सके तथा अधिभारित परिवर्तकों को खराब होने से बचाया जा सके।

2-नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों के निर्माण के साथ-साथ उपभोक्ताओं के अधिष्ठान पर चोरी रोकने हेतु डबल मीटरिंग की जा रही है। चोरी की सूचना प्राप्त करने के लिए कॉल सेन्टर की स्थापना, विभागीय अधिकारियों एवं पुलिस के सहयोग से चोरी वाले इलाके में छापे डालना इत्यादि से विद्युत चोरी रोकने के सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

6-न्यूनतम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित नहीं तो फिक्सड चार्ज समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि फिक्सड चार्ज उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति करने के लिए स्थापित किये जाने वाले जेनरेटर्स, प्लाण्ट, उपकेन्द्र, पारेषण लाइन एवं वितरण लाइनों में होने वाले खर्च के कारण लिया जाता है। औसत विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखकर हर समय विद्युत उपलब्धता बनाये रखने के लिए विभाग को फिक्सड खर्च करने ही पड़ते हैं भले ही उपभोक्ता एक भी यूनिट का उपभोग करें या नहीं, जिसके लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में भी प्राविधान किया गया है। अतः फिक्सड चार्ज लिया जाना विधिक एवं आवश्यक रूप से सही है।

7-बढ़ाई गयी दरें वापस लिये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विद्युत दरों का निर्धारण उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यापक जनसुनवाई एवं उपभोक्ता प्रतिनिधियों से विचार, सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त ही किया जाता है तथा दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के द्वारा ही किया जा सकता है।

8-प्रदेश उद्योग को बचाने के लिए तथा नये उद्योगों की स्थापना के लिए विद्युत दरों की यह वृद्धि घातक होने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऊर्जा अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या:-1765/24-तीन-2009-2000(124)/09, दिनांक 21-01-2010 में प्राविधान किया गया है कि समस्त नयी औद्योगिक ईकाईयों और अग्रणी ईकाई के रूप में घोषित ऐसी समस्त नयी ईकाईयों को क्रमशः 10 वर्ष और 15 वर्ष के लिए इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी से छूट रहेगी।]

जनपद फैजाबाद के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतों में वृद्धा, पेंशन तथा लक्ष्मीबाई पेंशन व चयनित शादी अनुदान के पात्रों को लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन श्री अध्यक्ष-

यह मद स्थगित रहेगी। (स्थगित)

राजस्व, आभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि....

**[2.29 बजे] उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तम्बाकू, गुटखा व सिगरेट पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार की दुलमुल नीति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द सिंह गोप)-**

मान्यवर इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[उ0प्र0 में उच्च न्यायालय एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा तम्बाकू, गुटका एवं सिगरेट पर प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा की गयी थी किन्तु उ0प्र0 सरकार द्वारा आज तक न तो मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया गया था और न तो स्वयं द्वारा उपरोक्त के संबंध में कोई कार्यवाही की गयी। सरकार द्वारा क्या उक्त के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय अभी तक नहीं ले पायी है और न ही आगे लेने पर विचार कर रही है। ऐसी दशा में अन्य प्रदेशों में तम्बाकू, सिगरेट तथा गुटका पर प्रतिबन्ध लग गया है केवल उ0प्र0 में सरकार अपनी दुलमुल नीति से इस आदेश को लागू नहीं कर रही है जो जनहित एवं स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनहित/जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुपालन में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 की अधिसूचना दिनांक 04-10-12 द्वारा गुटका एवं तम्बाकू और निकोटिनयुक्त पान मसाला के निर्माण, भण्डारण, बिक्री एवं वितरण को दिनांक 01-04-2013 से प्रदेश में प्रतिबन्धित कर दिया गया है। पान मसाला एवं तम्बाकू मिश्रित पान मसाला (गुटखा) के निर्माण एवं बिक्री पर रोक लगाये जाने हेतु जनहित याचिका संख्या-19126/2012 इण्डियन डेन्टल एसोसिएशन, उ0प्र0 व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है तथा गुटका एवं तम्बाकू मिश्रित पान मसाला पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-17945/2012 तथा 17992/2012 मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

यह भी सूच्य है कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री व सिरेट्स एण्ड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स (प्रोहिबिशन आफ एडवरटीजमेन्ट एण्ड रेगुलेशन आफ ट्रेड एण्ड कामर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन) ऐक्ट, 2003 के अन्तर्गत की जाती है। यह एक केन्द्रीय अधिनियम है, जिसके अन्तर्गत सिगरेट को प्रतिबन्धित करने का अधिकार केन्द्र सरकार में निहित है।]

**[2.29 बजे] जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में पेयजल की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य**

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 26-11-2012 को नियम-51 के अंतर्गत दी गई सूचना....

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[उल्लेख किया गया है कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण 3 हजार से अधिक हैण्डपम्पों ने पानी देना बन्द कर दिया गया है साथ ही नये हैण्ड पम्पों के लगाने पर जिला प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गयी है साथ ही पाइप लाइन द्वारा पानी पहुँचाने के लिए पानी की टंकियों का निर्माण भी नहीं हो रहा है। सिराथू विधान सभा क्षेत्र के दोनों विकास खण्ड कड़ा और सिराथू गम्भीर पेयजल संकट का सामना कर रहा है। पेयजल समस्या का निदान न होने के कारण क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। पेयजल समस्या के समाधान के लिए सिराथू विधान सभा क्षेत्र में 3 हजार हैण्ड पम्पों का रि-बोर तथा एक हजार नये हैण्ड पम्प की स्थापना तथा पाइप लाइन से पानी पहुँचाने के लिए 100 पानी की टंकियों का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में किया जाय।

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भू-जल विभाग के सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार विकास खण्ड-चायल तथा सिराथू अतिदोहित है। विधान सभा क्षेत्र सिराथू के अन्तर्गत विकास खण्ड सिराथू एवं कड़ा में पेयजल की स्थिति निम्नवत है :-

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत की संख्या	राजस्व ग्राम की संख्या	वर्तमान अनुमानित आबादी	पाइप पेयजल योजना से आच्छादित ग्रामों की संख्या	01-04-2012 तक अधिष्ठापित है0प0 की संख्या	अब तक पाये गये रि-बोर योग्य है0प0 की संख्या	2012-13 में अब तक कराये गये रि-बोर है0प0 की संख्या	2012-13 में अब तक अधिष्ठापित कराये गये नये है0प0 की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सिराथू	77	136	272800	11	4199	815	50	14
2	कड़ा	57	112	208700	20	3006	578	50	6
	<b>योग :</b>	<b>134</b>	<b>248</b>	<b>481500</b>	<b>31</b>	<b>7205</b>	<b>1393</b>	<b>100</b>	<b>20</b>

3-इस प्रकार स्पष्ट है कि 150 की आबादी पर 01 हैण्डपम्प के मानक के अनुसार 3210 हैण्डपम्पों के सापेक्ष पहले से ही 7205 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में 08 पाइप पेयजल योजना संचालित कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है

और सम्प्रति इन योजनाओं का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। संक्षिप्त में उक्त 08 पाइप पेयजल योजनाओं का विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम जहां की योजना बनायी जानी है	प्रस्तावित योजना में लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1	सिराथू	कोखराज उपरहार	13
2	„	कसिया	3
3	„	नारा	13
4	„	रामपुर धनवा	9
5	„	बम्हरौली	5
6	„	अफजलपुर दारी	6
7	कड़ा	सौरई बुजुर्ग	12
8	„	गनपा	4

यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का कार्य केन्द्र पुरोनिधानित कार्यक्रम के अन्तर्गत होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अधीन प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष राज्य सरकार के द्वारा अपेक्षित अंशदान किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त होने वाले समस्त संसाधन के दृष्टिगत राज्य सरकार जनमानस को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत विधान सभा क्षेत्र सिराथू के ग्रामीण अंचलों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।] श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 को पूर्वाह्न 11:00 बजे पुनः बैठेंगे।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही स्थगित हुई।)

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 02 बजकर 29 मिनट पर मंगलवार दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

**प्रदीप कुमार दुबे,**

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

दिनांक 29 नवम्बर, 2012

पी0एस0यू0पी0-एल0 351 विधान सभा (626)-19-02-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर) ।